पंचम माला, खंड 24, अंक 16 सोमवार, 12 मार्च, 1973/21 फाल्गुन, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVI, No. 16, Monday, March 12, 1973/Phalguna 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

18-8-92

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

PARLIAMENT LIBRARY
71 (24)
DATE 24.7.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16 सोमवार 12 मार्च, 1973/ 21 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 16 Monday 12, 1973/Phalguna 21, 1894 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
286.	दिल्ली में चावल मिलों, आटा मिलों, और गेहूँ के व्यापारियों पर छापे	Raids on Rice and Flour Mills and Wheat Traders in Delhi	—1
288.	फसल बीमा	Crop Insurance	—4
290.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को नया रूप देना	Reformulation of National Rural Health Scheme	—6
291.	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का वेतन बढ़ाना	Enhancement of Emoluments of Delhi University Teachers	
292.	दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही बसें	DTC Buses in Operation	—8
296.	बदल बदल कर फसलें उगाने (रिले क्रापिंग) की पद्धति का अध्ययन	Study of Relay Cropping	—10
297.	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों के लिए मकानों के लिए जमीन की व्यवस्था करने पर विकास व्यय	Development charges for the provision of house sites for landless agriculturists in Rural Areas	—12
285.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को आयुर्वेदिक औषधालयों के डाक्टरों को घर बुलाने में कठिनाई	Beneficiaries of CGHS finding difficulties to call Doctors of the Ayurvedic Dispensaries for Visit	—13

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता.प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2..	दिल्ली स्कूलों के अध्यापकों के लिए सलेक्शन ग्रेड	Selection Grades for Teachers in Delhi Schools	—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
282.	खाद्यान्न की कमी के कारण बिहार में आटा मिलों का बन्द होना	Closure of Flour Mills in Bihar due to shortage of food-grains	—15
283.	पंजाब और हरियाणा में गेहूं की वसूली	Procurement of Wheat in Punjab and Haryana	—16
284.	उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कपास की सघन खेती	Intensive Cotton Cultivation in Certain District of U.P.	—16
287.	कला कृतियों की लगातार तस्करी	Continuing Smuggling out of Art Objects	—16
289.	रबी की फसल के थोक व्यापार को नियन्त्रण में लेने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers for Wholesale Trade take over of Rabi Crop	—18
293.	राज्यों में नसबन्दी कैम्प	Sterlization Camps in the States	—18
294.	दुग्ध उत्पादों का आयात और आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की प्रगति	Import of Milk Products and Progress of Operation Flood	—19
295.	लातीनी अमरीका और पश्चिम अफ्रीकी देशों को नौवहन सेवा	Shipping Service to Latin American and West African Countries	—19
298.	भारतीय पुस्तक प्रतिष्ठान (बुक फाँऊडेशन आफ इंडिया) की स्थापना	Setting up of Book Foundation of India	—20
299.	आदिवासी, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	Medical facilities for Tribals, Harijans and Backward Classes	—20
300.	मैसूर में जल्दी से बढ़ने वाले पौधों तथा नारियल की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rapid Growing Plants and Coconut in Mysore	—20

अता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.			
2790.	सुपर बाजार, दिल्ली के कानूनी सलाहकार को भुगतान	Payment to Legal Adviser of Super Bazar Delhi	—21
2791.	दिल्ली में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट	Adulteration in Food Surplus collected in Delhi	—21
2792.	खारे जल को पीने योग्य बनाना	Conversion of Brackish Water into Drinking Water	—22
2793.	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to Fair Price Shops in Delhi	—22
2794.	राज्यों में मद्य निषेध के सम्बन्ध में प्रगति	Progress of Prohibition in States	—23
2795.	राष्ट्रीय नेताओं के काल पात्र रखे जाने के पीछे विचार धारा	Idea behind Depositing of Time Capsules of National Leaders	—23

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2796.	बिना बारी क्वार्टरों के आवंटन की पद्धति को समाप्त करना	Elimination of Out of Turn Allotment of Quarters	—24
2797	सरकारी क्वार्टरों के बिना सरकारी कर्मचारी	Government Employees without Government Accommodation	—25
2798	जनरल पूल में क्वार्टर और उनका बिना बारी के आधार पर आवंटन	Quarters in General Pool and their Allotment on out of turn Basis	—26
2799.	रबी फसल की जुताई के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र	Additional Area under Rabi Cultivation	—27
2800.	चावल का उत्पादन, वसूली तथा सप्लाई	Production and Procurement of Supplies of Rice	—27
2801.	इन्फैक्शन डिजीबिज अस्पताल, दिल्ली का स्थानान्तरण	Shifting of Infectious Disease Hospital, Delhi	—28
2802.	देश में अनाज का जब्त किया जाना	Seizure of Foodgrains in the country	
2803.	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं पर गोष्ठी	Seminar on Womenin Rural Delhi	—28
2804.	तपेदिक का उन्मूलन	Eradication of T.B.	—29
2805.	प्राकृतिक संसाधनों की खोज के सम्बन्ध में केरल से परियोजना प्रतिवेदन	Project Report from Kerala on Exploitation of Natural Resources	—30
2806.	एल्लेप्पी पत्तन कोक कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करना	Proposal to declare Port of Alleppey as a Subsidiary Port of Cochin	—30
2807.	एलेप्पी टी० डी० मेडिकल कालेज, केरल के विकास के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistanee for Development of Alleppey T.D. Medical College, Kerala	—31
2808.	बिड़ला हायर सैकण्डरी स्कूल, कमला नगर, दिल्ली	Birla Higher Secondary, School, Kamlanagar, Delhi	—31
2809.	आसाम में चाय बागान के लिये उर्वरक की अत्याधिक कमी	Acuts Shortage of Fertilizer for Tea Garden in Assam	—32
2810.	उर्वरक के वितरण के लिये बेरोजगार शिक्षित युवकों को एजेंसियां देना	Unemployed educated Youths provided Agencies for Distribution of Fertilizer	—32
2811.	परिवहन कराधान नीति	Transport Taxation Policy	—32
2812.	केरल में जल सप्लाई और मल व्यवस्था का केन्द्रीयकरण	Centralisation of Authority for Water Supply and Sewerage works in Kerala	—33
2813.	रासायनिक उर्वरकों की कमी	Shortage of Chemical Fertilizers	—34
2814.	वैस्ट कोस्ट रोड का स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to raise the Standard of West Coast Road	—34

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2815.	सहकारी ऋण देने की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of Study Team by RBI regarding Coperative Credit System	—36
2816.	चीनी उद्योग में कम पूजी वाली फर्म	Under capitalised concerns in Sugar Industry	—38
2817.	खाद्य तेलों का आयात	Import of Edible Oils	—38
2818.	फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह कालेज को पटना में स्थानांतरित करना	Shifting of Guru Goving Singh Medical College from Faridabad to Patna	—39
2819.	प्राधान मंत्री के सरकारी ग्रावास पर व्यय	Expenditure on Official Residence of Prime Minister	—39
2820.	औषधी नियन्त्रण स्तर के लिए विश्लेषक सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to strengthen Analytical facilities for Drug Control standard	—39
2821,	एंड्रीन का ग्रायात	Import of Endrin	—40
2822.	मैदा के न मिलने के बारे में ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा की गई शिकायत	Complaint lodged by Britainnia Biscuit Company regarding non-availability of Maida	—40
2823.	आगरा के निकट चीनी की बोरियों की बरामदगी	Seizure of Sugar Bags near Agra	—41
2824.	हरियाणा में यमुना के किनारों के साथ-साथ ट्यूबवैल लगाने के बारे में तकनीकी समति का प्रतिवेदन	Technical Committee's Report on construction of Tube Wells Haryana along banks of Jamuna	—41
2825.	पंज में बिजली की कमी का कृषि पर प्रभाव	Effect of Power shortage for Agriculture in Punjab	—41
2826.	भूगिगत जल का सिंचाई के लिये उपयोग	Utilisation of Ground Water for Irrigation	—42
2827.	सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग करने की योजना	Scheme on the use of underground water for Irrigation purposes	—42
2828.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers	—43
2829.	खरीफ फसल की सम्भाव्य उपज	Anticipated Yield of Kharif Crop	—44
2830.	मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का ग्रनुरोध	Request for Central Aid for Utilisation of under Ground Water from Madhya Pradesh	—44
2831.	उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण कृषि सम्बन्धी घाटा	Agricultural Loss due to Power shortage in Uttar Pradesh	—44
2832.	अधिकारच्युत किये गये सभी नगर नियमों में शीघ्र चुनाव करवाना	Early Election to All superseded Municipal Corporation	—45

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2833.	ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों और औषधालयों में शययाओं की सख्या बढ़ाना	Raising the limit of Beds in Hospitals and Dispensaries in Rural Areas	—45
2835.	कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल का स्थगित किया जाना	Postponement of Strike by Calcutta Port Sramik Unions	—46
2836.	शहरी सम्पत्ति की सीमा	Ceiling on Urban Property	—46
2837.	मूंगफली के तेल और कैस्टर आयल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the price of Groundnut Oil and Caster Oil	—46
2838.	फसल बीमा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Crop Insurance	—47
2839	सैन्ट्रल अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड (केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड) के परीक्षणाधीन परियोजना	Project under examination by Central Underground Water Board	—48
2840.	मध्य प्रदेश में नये मैडिकल कालेज	New Medical Colleges in Madhya Pradesh	—49
2841.	किंग्सवे कैम्प इनफैक्शन डिजीजिज अस्पताल में रोगी की मृत्यु	Death of Patient in Kingsway Camp Infectious Diseases Hospital	—49
2842.	दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष सलाहकार का त्याग पत्र	Resignation of special Adviser to Delhi University	—49
2443.	किदवई नगर आयुर्वेदिक औषधालय नई दिल्ली का विस्तार	Expansion of Kidwai Nagar Ayurvedic Dispensary, New Delhi	—50
2844.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of CGHS Dispensaries	—50
2845.	चुराई गई मूर्ति कलाकृतियों को कृषि उपकरणों के रूप में बाहर भेजना	Shipment of Stolen Sculptures as Agricultural Equipment	—50
2846.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर व्यय	Expenditure on Transportation of foodgrains by FCI	—51
2847.	पहली डिग्री के स्तर पर विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना	Introduction of special Professional Courses at the First Degree Level	—51
2848.	नकली दवाइयों का वितरण	Distribution of Spurious Drugs	—51
2849.	गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज फरीदाबाद का कार्यकरण	Functions of Guru Gobind Singh Medical College, Faridabad	—53
2850.	ग्रामीण जनता के लिए शुद्ध जल की न्यूनतम सप्लाई	Minimum safe Water Supply for Rural Population	—54
2851.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा लागत आंकड़ों का हिसाब किताब रखना	Maintenance of costing Data by Delhi Milk Scheme	—55

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2852.	दिल्ली दुग्ध योजना के लिए निर्धारित दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र	Milk shed areas earmarket for DMS	—55
2853.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई बढ़ाने में हुई प्रगति	Progress in increasing Milk Supply by DMS	—56
2854.	ओखला, दिल्ली, में कोल्ड स्टोरिज में पाई गई गेहूँ की बोरियाँ पकड़ना	Seizure of wheat bags concealed in Cold Storage at Okhla, Delhi	—57
2855.	आई० आई० टी० के स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment among Graduates of I.I.Ts.	—57
2856.	भूमिहीन श्रमिकों को मकानों के लिए भूमि देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Housing sites to Landless Workers	—58
2857.	पांच लाख जनसंख्या वाले नगरों में गन्दी बस्तियाँ हटाने की योजना	Scheme for Slum Improvement in Towns with a Population of Five lakhs	—58
2858.	बिहार के भागलपुर जिले में मंदारगिरी और खेरही पहाड़ियों में प्राचीन अवशेषों का रख रखाव	Maintenance of Ancient remains in Mandargiri and Kheri Hills in Bhagalpur District, Bihar	—59
2859.	चित्रदुर्ग (मैसूर) में खुदाई कार्य	Excavation Work at Chittradrug (Mysore)	—59
2860.	मैसूर के फूलों की किस्म में सुधार तथा उनका निर्यात	Improvement in variety of Flowens of Mysore and its Export	—60
2861.	मैसूर के पत्तनो में सुधार	Improvement of Mysore Ports	—60
2862.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी के व्यापार का अधिग्रहण	Take over of Sugar Trade by FCI	—61
2863.	लूप लगाने से कैंसर होना	Loop insertion causing cancer	—62
2864.	देश के दन्त चिकित्सा विभागों वाले सिविल अस्पताल	Civil Hospitals with Dental Departments in the country	—62
2865.	धातु का क्लिप लगा कर नसबन्दी करना	Vasectomy operation by applying Metal Clips	—62
2866.	कृषि ऋण नीति में परिवर्तन	Change in Farm Credit Policy	—62
2867.	गामा लोबुलिन औषधि का देश में उत्पादन	Indigenous manufacture of Gamma-Globulin Drug	—63
2868.	कैंसर का पता लगाने के लिए लोगों की बड़े पैमाने पर डाक्टरी परीक्षा	Mass Screening Programme for Detection of Cancer	—63
2869.	केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गर्भ निरोध के नए उपाय	New Birth Control Devices developed by CDRI	—64

अता.प्र. संख्या US.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2870.	उर्वरकों की सप्लाई के लिए नार्वे के साथ तकनीकी सहयोग करार	Technical Co-operation Agreement with Norway for supply of Fertiliser	—65
2871.	पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक गोली	Pill for men	—65
1872.	ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा देने सम्बन्धी अन्तरिम योजना	Interim Scheme for Providing Health and Medical Care to Rural Population	—65
2873.	आवास और नगरीय विकास निगम का अपनी गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय	Housing and Urban Development Corporations Enlarged Activities	—66
2874.	टाईप तथा प्रिंटिंग के लिए देवनागरी लिपि में सुधार करने की माँग	Demand for making Improvements in Devnagri Script for Typing and Printing	—67
2875.	रबी फसल के लिए बिहार को नलकूप लगाने हेतु केन्द्रीय सहायता	Central aid to Bihar for Installation of tube wells for Rabi Crop	—68
2876.	साउथ बिहार शूगर मिल्स, पटना का बन्द होना	Closure of South Bihar Sugar Mills, Patna	—68
2877.	चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित विश्व युवक केन्द्र के सदस्य और सहयोगी	Members and associates of Viswa Yuvak Kendra,Chanakyapuri New Delhi	—69
2878.	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की कृषि उपज को कुर्की या विक्रय का दायित्व से मुक्त करना	Exemption of agricultural Produce from attachment and sale in drought hit areas	—69
2879.	हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाएं पढ़ाना	Teaching of South Indian Languages in Hindi speaking states	—70
2880.	ऐसे व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी करने के लिए विधान जिनके द्वारा असाध्य रोगों की उनके बच्चों तक पहुंचने की संभावना हो	Legislation for compulsory sterlization of pensons likely to transmit incurable disease to off springs	—71
2881.	टाईप 3 के फलैटों मे रहने वाले टाईप-4 तथा टाईप-5 के फलैटों के हकदार कर्मचारी	Persons eligible for Types IV and V occupying type III accommodation	—71
2882.	सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके आश्रितों को बिना पारी के सरकारी आवास का आवंटन	Out of turn allotment to the dependents on retirement of Govt. employees	—72
2883.	विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की संख्या में कमी	Decline in number of suecessful students in University examinations	—72
2884.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1972-73 में अर्जित आय	Profits earned by DDA during 1972-73	—73

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2885.	दिल्ली जालेज का नाम, बदल कर डा० काकिस हुसैन स्मारक दिल्ली कालेज रखना	Renaming Delhi college as Dr. Zakir Hussain Memorial Delhi College	—73
2886.	मैसूर के कुछ भागों मे दास प्रथा	Slavery in some parts of Mysore	—73
2887.	राज्य पाठ्य पुस्तक समिति के लिये तमिलनाडु में छपाई प्रेस की स्थापना	Setting up of Printing P ess in Tamil Nadu for State Text Book Society	—74
2888.	दिल्ली पंचायत अधिनियम में रह गई कमी को दूर करना	Removal of Tacuna in Delhi Panchayat Act	—74
2889.	मैसर्स चौगुल स्टीलशिप्स से तटवर्ती नौवहन के अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र की सहायता देना	Help to Maharashtra for Take Over of Coastal Shipping from M/s Chowgul Steamships	—74
2890,	गैर-अर्हता प्राप्त डाक्टरों की सूची रद्द करने की योजना	Plan to enlist unqualified Doc.ors	—75
2891	देश में मैदा की कमी और बेकरियों पर उसका प्रभाव	Shortage of Maida in the country and affect in Bakeries	—75
2892.	कानफ्रैंस लाइन्स द्वारा माल भाड़े में वृद्धि	Increase in Freight Rates by Conference Lines	—76
2893.	भुवनेश्वर में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना	Location of Regional Institute of English at Bhubaneshwar	—76
2894.	दिल्ली प्रशासन द्वारा एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को नई भर्ती के रूप में नियुक्त करना	Taking over of NDS Instructors as fresh entrants by Delhi Administration	—76
2895.	एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों के लिए दिल्लीं के स्कूलों में नए पद बनाना	Creation of New Posts to absorb NDS Instructors in Delhi Schools	—77
2895.	अखिल भारतीय भाषाविद सम्मेलन	All India conference of Linquistic	—77
2897.	मलेरिया उन्मूलन योजना	Malaria Eradication Plan	—78
2898.	तटवर्ती यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किश्ती बनाने वाले यार्ड	Boat Building Yards to meet Coastal Traffic	—79
2899.	मत्स्य नौकाओं का निर्माण और उसके लिए केन्द्र द्वारा धन का नियतन	Manufacture of fishing trawlers and Central Allocation therefor	—79
2900.	कोयला खान मजदूरों के जन्म दर	Birth rate amongst the coal Mine Workers	—80
2901.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान के कुछ जिलों में किया गया कार्य	Work down by Aid of United Nations Development Programme in some Districts of Rajasthan	—80
2902.	बहुदेशीय शिक्षा विषयक विशेष समिति	Export Committee on Technical Education	—81

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2903.	उदयपुर (राजस्थान) के आदिवासी लोगों पर सूखे का प्रभाव	Effect of Drought on Tribal Population of Udaipur in Rajasthan	—81
2904.	खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के उपाय	Steps to Wipe out deficit in edible oils	—82
2905.	राजस्थान में सूखे की स्थिति के बारे में विधान सभा सदस्यों की टिप्पणियाँ	MLAs' Observations on Drought Situation in Rajasthan	—83
2906.	अमरीकन मालवाही जहाजी कम्पनियों द्वारा भाड़े की दर को बढ़ाना	Enhancement of Freight Rate by American Shipping Lines	—83
2907.	बस्तर (मध्य प्रदेश) में उष्ण कटिबन्धीय चीड़ बागान लगाने का सुझाव	Suggestion for Plantation of Tropical Pines in Bastar M.P.	—84
2908.	बच्चों में केन्सर के कारणों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध डाक्टरों की राय	Opinions of Eminent Doctors regarding causes of cancer in Children	—84
2909.	अमृतसर (पंजाब) में गन्दी बस्तियाँ हटाने सुधारने के लिए केन्द्र द्वारा धन का नियतन	Central Allocation for Slum Removal Slum Improvment in Amritsar, Punjab	—85
2919.	संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जोधपुर के रेगिस्तान क्षेत्र का खेती के लिए अध्ययन	Study of Desert Area of Jodhpur of UNO for Cultivation	—58
2911.	पाँचवीं योजना के दौरान उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Shipping Industry during Fifth Plan	—86
2912.	नक्ली स्काच विस्की का उत्पादन और बिक्री	Manufacture and Sale of Spurious Scotch Whisky	—86
2913.	भारत में अन्धे व्यक्ति	Blind Persons in India	—87
2914.	भारतीय युवक सभा से सम्बद्ध संगठन	Organisation Affiliated with Indian Assembly of Youth	—87
2915.	बागान मजदूरों के लिए राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना की प्रगति	Progress of Subsidised Industrial Progress Housing Scheme for Plantation Workers	—88
2916.	लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को बंगलों का आवंटन	Allotment of Bungalows to Members of Lok Sabha and Rajya Sabha	—89
2917.	छात्र असन्तोष के बारे में राज्यों से रिपोर्ट	Report of Student unrest from State	—89
2918.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गेहूं सप्लाई कराने के बारे में शिकायत	Complaints regarding Rotten Wheat Supply by FCI	—90
2919.	चीनी की कमी	Shortage of Sugar	—90

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2920.	भारत और मारीशसस के बीच सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement between India and Mauritious	—90
2921.	मुर्गीपालन उद्योग को बचाने के लिये कार्यवाही	Steps to save Poultry Farm Industry	—91
2922.	सब्जी मंडी, दिल्ली के दुकान मालिकों को आजादपुर में प्लाटों का आवंटन	Allotment of Plots of lands in Azadpur to Shop owners of Subzi Mandi, Delhi	—92
2923.	दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल में रिक्त पद	Posts lying Vacant in the Irwin Hospital, Delhi	—92
2924.	भाण्डागारों को पंचायतों को सौंपना	Handing over of Warehouses Panchayats	—93
2925.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकान गिराया जाना	Demolition by DDA	—93
2926.	उच्चतम माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा	Free Education upto Higher Secondary Level	—94
2927.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पास की गई कलोनियों के नक्शे	Publication of Blue Prints of Colonies Approved by DDA	—94
2928.	क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड के औलम्पिक खेलों और तेहरान के एशियाई खेलों में भारत का भाग लेना	Participation of India at Olympic Games at Christ Church, New Zealand and Asian Games at Tehran	—94
2929.	माऊंट आबू में मार्ग दर्शन गोष्ठी (लीडरशिप लेबोरेटरी)	Leadership Laboratory at Mount Abu	—95
2930.	इम्फाल के शाखायुक्त ऋृण वाले भूरे मृग का संरक्षण	Presarvation of Brown Antier Deer of Imphal	—95
2931.	राजस्थान के कतिपय जिलों में चावल के उत्पादन में वृद्धि की भावना	Prospects for increase in Rice Productions in certain Districts of Rajasthan	—96
2932.	सरकारी मुद्रणालयों में बेकार पड़ी मशीन	Machines lying idel in Government Presses	—96
2933.	बहुत ऊंची इमारतों के बारे में सम्मेलन	Conference on Tall Buildings	—97
2934.	बिहार और उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रांति	Milk Revolution in Bihar and U.P.	—97
2935.	दिल्ली में उचित दर दुकानदारों द्वारा अनियमितताएं बरती जाना	Irregularities committed by Fair Price Shop Owners in Delhi	—97
2936.	मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार का वितरण	Distribution of Nutritious Food among the Children and Expectant Mothers in Adivasi Areas of Madhya Pradesh	—98

अत.प्र. संख्या U.S.Q. No,	विषय	bject	पृष्ठ Pages
2937.	बेरोजगारी इंजीनियरों के लिए दोष-पूर्ण शिक्षा का उत्तरदायी होना	Faulty Education responsible for Unemployed Engineers	—98
2938.	दिल्ली में किराये पर न दिये गये 160 सरकारी मकान	160 Government Houses Lying Untenented in Delhi	—99
2939.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से एक्सटू डर्स लगाना	Installation of Extruders with UNDP Assistance	—99
2940.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा साइलों का निर्माण	Construction of Silos by FCI	—100
2941.	मंडी जिले में चेचियोट में अभाव की स्थिति	Scarcity condition in Chechiot in Mandi District	—100
2942.	प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों को, मिलावट का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना	Training to staff to detect Adulteration in Laboratories	—100
2943.	हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की औसत मात्रा	Average Catch of Fish From Indian Ocean	—101
2944.	पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य	Price of Rice in West Bengal	—101
2945.	लेवी चीनी का मूल्य	Price of Lvey Sugar	—103
2946.	जहाजों को बेचने के लिए विदेशी फर्मों के साथ बातचीत	Negotiations with Foreign Firm for Selling Ships	—105
2947.	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to West Bengal	—105
2948.	शिक्षा पर व्यय की गई राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता	Percentage of National Income spent on Education	—106
2949.	राजनीतिक दलों तथा युवा संगठनों द्वारा शिक्षा नीति के बारे मे वाराणसी में आयोजित सम्मेलन	Conference convened by Political Parties and Youth Organisations and Varanasi Regarding Educational Policy	—106 —106
2950.	दसवीं श्रेणी तक परीक्षा लेने की पद्धति को समाप्त करना	Abolition of Examination upto 10th Class	—106
2951.	गन्ने के मूल्यों में वृद्धि और इसका चीनी के मूल्य पर प्रभाव	Increase in Cane Prices and its effect on price of sugar	—107
2952.	उचित मूल्यों पर चीनी की उपलब्धता	Availability of Sugar at Reasonable Prices	—108
2953.	चीनी की आवश्यकता	Sugar Requirements	—109
2954.	चीनी का खुदरा मूल्य	Retail price of Sugar	—109
2955.	दिल्ली के स्कूलों में संलेक्शन ग्रेड पाने वाले अध्यापक	Names of Teachers given selection Grades in Delhi Schools	—110

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2956.	दिल्ली की उचित दर की दुकानों से दिये गये गेहूं में मरा हुआ चूहा	Rat in Wheat supplied from Fair Price shop in Delhi	—110
2957.	दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Delhi School Teachers	—110
2958.	दिल्ली में अंशदाई स्वास्थ्य योजना को स्कूल के अध्यापकों पर लागू करना	Contributory Health Scheme for School Teachers in Delhi	—111
2959.	दिल्ली में मैदा और डब्बल रोटी की कमी	Scarcity of Madia and Bread in Delhi	—111
2960.	पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न आवास योजनाएं	Various Housing Schemes during Fifth Five Year Plan	—112
2961.	खाद्य तेल निगम की स्थापना	Setting up of Edible oil Corporation	—112
296 .	मानव के स्वास्थ्य पर खराब और मादक पेयपदार्थों के प्रभाव का अध्ययन	Study on effect of liquor and alcoholic drinks on Human Health	—113
2963.	खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण का अध्ययन करने के लिए पेनल	Panel of Study take over of Food grains	—113
2964.	उड़ीसा में कृषि योग्य भूमि के लिए सिचाई सुविधाएं उपलब्ध करने का कार्यक्रम	Programme for providing irrigation facilities to cultivated Land in Orissa	—115
2965.	उड़ीसा में सड़क योजना के लिए धनराशि का आवंटन	Allotment for Road Scheme in Orissa	—115
2966.	उड़ीसा में नारियल का सुधार करने हेतु अनुसंधान परियोजना के लिए धनराशि	Funds for Research project for improvement of Coconut in Orissa	—117
2967.	उड़ीसा को केन्द्रीय अनुदान और दुग्ध चूर्ण की सप्लाई	Central Grant and Quantity of Milk Powder to Orissa	—118
2968.	सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए उत्तर प्रदेश में अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना	Setting up of Study Centre in U.P. for conducting research on Social and Economic Problems	—118
2969.	अनुसंधान तथा होमिपेथिक चिकित्सा के लिए प्रादेशिक संस्थाना	Setting up of Regional Institute for Research and Treatment in Homoeopathy	—120
2970.	विभिन्न शुल्कों की वसूली न करने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह को हानि	Loss to Calcutta Port due to non-recovery of various charges	—120
2971.	कलकत्ता में एक नई जहाज निर्माण गोदी की स्थापना	Setting up of New Ship Building Dock at Calcutta	—120
2972.	उड़ीसा में मलेरिया	Malaria in Orissa	—121

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2973.	भूखे ढोरों को बूचड़खान में भेजना	Hungry Cattle being led to Butchers	—122
2974.	देशीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित विचार गोष्ठी	Seminar held for training of Practitioners of the Indigenous system of Medicine	—122
2975.	देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये केन्द्रीय संस्थान	Central Institute for Indigenous system of Medicine	—123
2976	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में होस्टल स्टाफ के सदस्यों द्वारा खुले रूप से दुर्व्यवहार के विरूद्ध नर्सों का विरोध	Protest by Nurses against the open misbehaviour by the Members of Hostel staff in Safdarjung Hospital, New Delhi	—123
2977.	पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कम हो रहे अनुपात को रोकने के लिए एक विवाह सम्बन्धी कानून	Monogamy Legislation to Avert declining Ratio of Females to Males	—124
2978.	समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने के अधिकार को नियमित करना	Regulation of Fishery Beyond Territorial Waters	—124
2979.	उत्तर प्रदेश से केन्द्र की और अनाज की सप्लाई	Supply of more foodgrains in Centre from Uttar Pradesh	—125
2980.	स्टोरेज की त्रुटियों के कारण अनाज का नष्ट होना	Damage to Foodgrains due to storage Defects	—125
2981.	पश्चिम बंगाल में केसरी दाल खाने से पक्षाघात के मामले	Victims of Paralysis following consumption of Khesari Dal in West Bengal	—125
2982.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई गोष्ठी के समय प्रदर्शन	Demonstration at Seminar in Aligarh Muslim Univeısity	—126
2983.	अध्यापकों द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करवाने हेतु प्रदर्शन	Demonstration by Teachers for Redressal of their grievances	—126
2984.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी दिल्ली	Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Delhi	—126
2985.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण संस्था दिल्ली	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Delhi	—127
2086.	निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मिलें तथा उनमें उत्पादन	Mills in Private and Cooperative Sectors and the Production	—128
2987.	चीनी का नियंत्रण तथा बाजार भाव	Controlled and open market price of Sugar	—128
2988.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टमैनों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Draftsmen of central Public Works Department	—129
2989.	भूमिहीन हरिजन आदिवासियों को परती भूमि का आवंटन	Allotment of Fallow land to land less Harijan Adivasi	—130

अविम्लबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of of Urgent Public Importance	—130
विदेशी हितों द्वारा कलकत्ता और बम्बई स्थित मेट्रो थियेटरों के शेयरों की बिना अनुमति खरीद का समाचार	Reported Purchase by foreign interests of shareholdings in Metro theatres, Calcutta and Bombay without premission	—130
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H.N. Mukherjee	—130
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	—130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	—137
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक-	Disturbed Areas (Special Courts) Bill—	—138
संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to nominate Member to Joint Committee	—139
राष्ट्रीय ग्रन्थालय विधेयक	National Library Bill—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of Time for Presentation of Joint Committee	—139
रेलवे बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1973-74—General Discussion	—140
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	—140
सामान्य बजट, 1973-74—सामान्य चर्चा	General Budget, 1973-74—General Discussion	—147
श्री बी० आर० भगत	Shri B.R. Bhagat	—147
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	—150
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	—151
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	—153
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	—157
डा० महिपतराय मेहता	Dr. Mahipatray Mehta	—159
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	—161
श्री गंगाचरण दीक्षित	Shri G.C. Dixit	—162
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H. Mohamed Koya	—162
डा० कैलास	Dr. Kailas	—163
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	—164
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	—165
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	—166
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy	—167
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	—168
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	—169
श्री मूलचन्द डागा	Shri M.C. Daga	—170

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 मार्च, 1973/21 फाल्गुन, 1894 (शक)

Monday, 12 March, 1973/Phalguna 21, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में चावल मिलों, आटा मिलों और गेहूं के व्यापारियों पर छापे

+
*286. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन महीनों के दौरान चावल मिलों, आटा मिलों और गेहूँ के व्यापारियों पर कुल कितने छापे मारे गये;

(ख) उनके पास ऐसा कितना चावल, गेहूं और आटा पाया गया जिसका हिसाब उन्होंने नहीं रखा था; और

(ग) इन मिलों और व्यापार गृहों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले तीन महीनों में, दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा सम्भरण विभाग के प्रवर्तन स्टाफ ने ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही 10 चावल मिलों, 2 आटा मिलों और 11 खाद्यान्न व्यापारियों पर छापा मारा था।

(ख) बिना हिसाब का लगभग 639 क्विंटल चावल, धान, गेहूं, आटा और मैदे का स्टाक पकड़ा गया। इसके अलावा, गेहूं की 4133 बोरियां, जिनका वजन नहीं किया गया है, भी पकड़ी गईं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें सम्बन्धित मिलों और व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4452/73]।

Shri Sat Pal Kapur : May I know whether it is a fact that 45 to 50 thousand bags have been found in the possession of some businessmen and even though D.I.R. was enforced it was withdrawn later on ? Why the D,I.R. was not involved against Modi Flour Mills and others who indulged in loading ?

श्री अणासाहेब पी० शिन्दे : डी० आई० आर० के लागू होने के बारे में मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह गृह मंत्रालय से यह प्रश्न करें, मैं समझता हूं कि हमारे सहयोगी गृह मंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है।

Shri Sat Pal Kapur : Since this is a question of joint responsibility, the reply given by the Hon. Minister is not satisfactory. The Hon. Minister should have given categorical reply that in such and such cases the D.I.R. was applied and on such and such ground, they were withdrawn. In how many cases it was done ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : एक मामले में निरोध आदेश जारी किये जाने पर कार्यवाही की गई थी। बाद में, जैसी कि जानकारी दी जा चुकी है, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया और चूंकि पार्टी ने क्षमायाचना कर ली इसलिये निरोध आदेश वापस ले लिया गया। यह जानकारी मिली है।

श्री डी० के० पंडा : विभिन्न मिल-मालिकों और व्यापारियों पर मारे गये छापों की जानकारी बताने वाली जो सूची हमें दी गई है उससे दो बातों का पता चलता है। प्रथम कुछ व्यापारियों के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है जबकि अन्य लोगों के मामले में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी तथा जहां तक मोदी आटा मिल का सम्बन्ध है, 4133 बोरे अब भी बिना वजन किये हुए पड़े हैं।

अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि :

(क) उसका वजन क्यों नहीं किया गया है,

(ख) पहले जब आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी तो उसे वापिस क्यों लिया गया और उस पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आरोप लगाया गया तथा उसकी जमानत क्यों की गई ?

जैसा कि इस मामले के कुछ सामाजिक पहलू है, लोगों के जीवन सम्बन्धी पदार्थों का व्यापार करने वाले ऐसे लोगों को कड़ा कुछ दंड दिया जाना चाहिये। जैसा कि इन कार्यों द्वारा भारत में मानव का सामाजिक अस्तित्व ही खतरे में डाला जा रहा है तो ऐसे लोगों को कड़ा दंड क्यों नहीं दिया जाता है ? बर्ताव में भेद क्यों किया जाता है ? महावीर जनरल मिल्स और नरेला के सम्बन्ध में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी परन्तु जहाँ तक शेष मिलों का सम्बन्ध है......

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न समाप्त करिये। आप एक नियमित भाषण देने लगे।

श्री डी० के० पंडा : क्योंकि यह बहुत लम्बा विवरण है।

मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से प्रश्न करता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत मोदी आटा मिल और महावीर जनरल मिल्स जैसे बड़े बड़े मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है और उन्हें अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाकर जमानत पर क्यों रिहा किया जाना चाहिये।

श्री अणासाहेब पी० शिन्दे : इन शक्तियों का प्रयोग राज्य प्रशासन और राज्य सरकारों को करना होता है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने इस मामले को और विशेषकर उन लोगों के मामले को निपटाने के लिये, जो मुनाफाखोरी और जमाखोरी आदि में लगे हुए हैं, उन्हें पूरा अधिकार दे दिया है। राज्य सरकारों को उनसे निपटने का पूरा अधिकार है। इस विशेष मामले में जो जानकारी हमें मिली है उसे बताते हुए मैं पहले कह चुका हूं कि मैं महावीर जनरल मिल्स का उल्लेख कर रहा हूं, इस मिल के अंहाते पर कब्जा कर लिया गया था और इस मिल के एक भागीदार ने 24-1-73 को आत्म-समर्पण कर दिया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके द्वारा बिना शर्त के क्षमायाचन किये जाने पर 4-2-73 को निरोध आदेश को मंसूख कर दिया गया और यह तय किया गया कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम और 1958 के 'राइस मिलिंग इन्डस्ट्रीज रेग्यूलेशन एक्ट' के अन्तर्गत कानून के अनुसार दोषी चावल मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न बिना उत्तर के ही रह जाता है। मैं ने यह पूछा था कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? इसे छोड़ क्यों दिया जाना चाहिये ? मंत्री महोदय ने कहा है कि 'जैसा कि हम राज्य सरकारों को आदेश दे चुके हैं यह बात उन पर छोड़ दी गई है।' मैंने मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है और आदर्श-स्वरूप दंड क्यों नहीं दिया जाता है। राज्यों को इस प्रकार विशिष्ट अनुदेश क्यों नहीं दिये जाते ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम व्यक्तिगत मामलों में अनुदेश नहीं दे सकते। वस्तुत: बहुत से अन्य राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के प्रावधानों को उन लोगों के लिये लागू किया गया है जो इन बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सम्बन्धित राज्य सरकार तथा प्रशासन के विवेक में है। रिकार्ड दर्शाता है कि उन्होंने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय किया और राज्य प्रशासन द्वारा ऐसा किया गया।

Shri Shashi Bhushan : There is a state of emergercy in our country and all the traders, who were prosecuted under the Essential Commodities Act have been released on bail. These very traders held a big conference. All those who have been released on bail run rice mills without licence and do black-marketing and have given threat of strike. How long will they continue to be encouraged ? What action is being taken to check it ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बारे में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। सारी शक्तियाँ राज्य सरकारों के पास है और व्यक्तिगत मामलों में राज्य सरकारों को ही कार्यवाही करनी होती है। राज्य सरकारों से मेरी यही सलाह है कि वे ऐसे सभी मामलों में जो कठोर से कठोर कार्यवाही सम्भव हो, करने में न हिचकिचायें।

श्री बी०आर० शुक्ल: देश में खाद्य की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जो स्टाक पकड़ा गया उसका निपटान किस प्रकार किया गया ? पिछले छापों के दौरान जितना स्टाक पकड़ा गया उसका अन्तिम रूप से निपटान कैसे किया गया—क्या उसे नीलाम किया गया अथवा उचित मूल्य की दुकानों आदि को दिया गया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कार्य न्यायालयों का है कि वे अनुदेश दें। हमें न्यायालयों

के निदेशों के अनुसार कार्य करना होता है। हम कोई मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते।

Shri R. R. Sharma : The Hon. Minister has said in his statement that raids on rice and flour mills were conducted during the last three months. May I know the total number of rice and flour mills in Delhi and is it because there was no complaint against the remaining mills that no raid was made on them ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चावल मिलों आदि की कुल संख्या के बारे में मुझे अलग सूचना चाहिये। बहुत सी चावल मिलें बिना लाइसेंस के पाई गई। रजिस्ट्रों में उनके नाम नहीं लिखे हुए थे। एक प्रकार से उन्होंने दोनों ही कानूनों का उल्लंघन किया है अर्थात् खाद्यान्न पास में रखकर कानून का उल्लंघन किया है और चावल मिलें चला कर 'राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज एक्ट' का उल्लंघन किया है।

Shri Md. Jamilurrahman : The Government is aware of the serious dimension the food situation has assumed in the country and since section 7 of the Essential Commodities Act provides that it is bailable, therefore they have no alternative but to release them. Will the concerned department recommend that Section 7 of the Essential Commodities Act be made non bailable so that such black-marketeers are not be released on bail ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके से ये मामले निपटाये जाते हैं उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्या मंत्री महोदय सभा को स्पष्ट आश्वासन देने के लिए उद्यत हैं कि उन व्यापारियों को कोई लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा जिन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया है और भविष्य में उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जायेंगे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह अच्छा सुझाव है, हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जिन 4133 गेहूं के बोरों का वजन नहीं किया गया उनके अतिरिक्त बिना हिसाब का लगभग 639 क्विंटल चावल, धान, गेहूं, आटा और मैदा का स्टाक पाया गया। कई सप्ताह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी गेहूं के इन 4133 बोरों का वजन क्यों नहीं किया गया ?

श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे : गोदाम पर मुहर लगा दी गई है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही ऐसा किया जा सकता है। मेरे विचार से इस मामले का प्रक्रिया सम्बन्धी भाग स्वतः हो जायेगा। यह मुहरबन्द है, किसी को भी इसे छूने की अनुमति नही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : ये बोरे इस समय किस की अभिरक्षा में हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह या तो पुलिस या न्यायालय की अभिरक्षा में होगा। ये किसके प्रभार में हैं, इस सम्बन्ध में मुझे वस्तु स्थिति का पता लगाना होगा।

Crop Insurance

*288. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 105 on 13th November, 1972 regarding the instructions to General Insurance Companies on crop insurance and state :

(a) whether any specific steps have since been taken in regard to crop insurance; and

(b) if so, the main features thereof ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार के निर्णय के अनुसार सामान्य बीमा निगम से यह अनुरोध किया गया था कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में चुनींदा फसलों के लिए गुजरात के बड़ौदा जिले में जीवन बीमा निगम द्वारा संकर-4 कपास के लिए चलाई जा रही योजना के आधार पर स्वैच्छिक आधार पर एक मार्गदर्शी योजना शुरू की जाए। सामान्य बीमा निगम इस मामले पर विचार कर रहा है।

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, Sir, May I know the names of the countries where the crop insurance scheme has been introduced or already exists and whether its introduction in India is possible and if so, By what time this is likely to be introduced here?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सभी देशों के नाम मेरे पास उपलब्ध नहीं है। परन्तु श्रीलंका जापान, अमरीका आदि में फसल बीमा योजना लागू है। कुछ और देशों में भी यह व्यवस्था है परन्तु इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है।

अधिकांश देशों में यह योजना प्रत्येक के लिए अनिवार्य नहीं है। यह योजना स्वेच्छिक पद्धति पर आधारित है। जहां तक हमारे देश की स्थिति का प्रश्न है, मैंने बताया है कि सामान्य बीमा अब मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ करेगा। जीवन बीमा निगम द्वारा बड़ौदा जिले में कपास की फसल के लिए यह योजना लागू की जा चुकी है। सामान्य बीमा निगम ने हाल ही में राज्यों को लिखा है। वे देश के कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों को मार्गदर्शी आधार पर इस कार्य के लिए चुनेंगे। यदि आवश्यक होगा तो उर्वरक निगम जैसे संस्थान इस परियोजना में सहायतार्थ आगे आने के लिए तत्पर हैं।

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, 80 percent of the population in our country is dependent on agriculture. There have been instances in industries where the owners put their industries on fire themselves and prefer claims for the loss but here in the case of crops loss can be estimated after examining the crop position on the spot. May I know whether the General Insurance Corporation propose to take up in pilot project of crop insurance and whether survey will be made in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं सामान्य बीमा निगम से जानकारी प्राप्त करूंगा कि वे इसमें कितना समय लेंगे। परन्तु बीमा स्वीकार होने के लिए प्रीमियम का भुगतान हो जाना आवश्यक है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि क्या भारत के किसान प्रीमियम का नियमित भुगतान करने की स्थिति में होंगे। इस विषय पर विशेषज्ञों के विभिन्न मत हैं, क्योंकि हमारे देश में, जैसा कि हमारा अनुभव है, किसानों को लगान का भुगतान करने में भी कठिनाई होती है। क्या लगान के साथ साथ वे प्रीमियम की राशि का भुगतान कर सकेंगे इस बात पर प्रश्न लग जाता है। अत: विशेषज्ञ समिति ने इन सभी बातों पर ध्यान दिया है और उन्होंने इसके लिए चयनात्मक पद्धति का सुझाव दिया है।

Shri Shankar Dayal Singh : How can you ascertain that the farmer will not be in a position to pay the premium unless the scheme is introduced ? It can be ascertained only when the scheme is there.

श्री डी० एन० तिवारी : इस समय दो कम्पनी—सामान्य बीमा कम्पनी तथा जीवन बीमा कम्पनी इस मामले पर विचार कर रही हैं। क्या यह कार्य दोनों कम्पनियों को दिया जायेगा ? दूसरे बीमे के लिए स्वैच्छिक पद्धति है। अनिवार्य रूप से बीमा कराने का प्रश्न ही नहीं है। यदि एक किसान अपनी फसल के बीमे के लिए स्वैच्छिक विकल्प देता है तो क्या उसकी फसल का बीमा किया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समय जीवन बीमा निगम द्वारा बड़ौदा में परीक्षण किया जा रहा है। जहां तक भविष्य के कार्यक्रम का सम्बन्ध है भारत सरकार की इच्छा है कि सामान्य बीमा निगम इस कार्यक्रम को संभाले। अब जो योजना आरम्भ की जा रही है वह स्वैच्छिक है यह अनिवार्य बिल्कुल नहीं है।

Dr. Laxmi Narayan Pandeya : May I know the general view of the expert Committee which went into this question and which has already submitted its report, regarding introduction of crop insurance scheme in India ? What was their consensus in this regard and whether they have expressed any views regarding the farmers position to pay the premium of crop insurance ? What is the percentage of those farmers who are not in a position to pay the premium and for which reason you are not going to introduce this scheme immediately ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जिस विशेषज्ञ समिति ने इस मामले पर विचार किया उसका सामान्य मत यह था कि भारतीय परिप्रेक्ष में इस योजना को लागू करना किसी भी सरकार के लिए बड़े भार की बात है। समिति ने सन्देह व्यक्त किया है कि किसान प्रीमियम का नियमित रूप से भुगतान कर सकेंगे।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मंत्री महोदय ने जो सन्देह व्यक्त किये हैं तो क्या उन्हें कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं और क्या उन्होंने देश की कृषि समितियों से सुझाव मांगे थे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब पहली बार यह प्रस्ताव सामने आया तो इसे विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेजा गया था स्वैच्छिक संगठनों के पास नहीं। हमें राज्य सरकारों की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को नया रूप देना

***290. श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1973 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "रूरल हैल्थ प्लान टु बी रीफार्मूलेटेड" (ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को नया रूप देना) शीर्षक से छपे लेख की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार का कहना है कि योजना को अभी तक अन्तित रूप नहीं दिया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने ग्राम्य स्वास्थ्य विकास के लिए 151 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव किया था, और यदि हां, तो जो योजना राज्य सरकारों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की गई उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री ए० के० किस्कू : ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा योजना स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयार की थी और इस पर स्वास्थ्य मंत्रियों तथा सचिवों से तथा विभिन्न गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया गया। यह बात राज्य सरकारों के विचार पर छोड़ दी गई कि वे अपने राज्यों में इस योजना को किस सीमा

तक लागू कर सकते हैं। मैं केवल यही कह सकता हूं कि सम्पूर्ण योजना पर अभी भी राज्य सरकारों तथा योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया है उस संदर्भ में क्या यह भी सच है जिस गोष्ठी में योजना पर विचार किया गया वहां इसकी बहुत भारी आलोचना की गई ? समाचारपत्रों से यही ज्ञात होता है कि मुख्य रूप से इस बात की आलोचना की गई कि ग्रामीण निर्धनों के स्वास्थ्य की देख-भाल अर्ध-अर्हता प्राप्त लोगों के हाथों में न छोड़ी जाये। यदि इसी प्रकार की आलोचना हुई है तो क्या सरकार उन सभी श्रेणी के चिकित्सकों, वैद्यों, हकीमों को कुछ प्राशिक्षण देकर अथवा नवीकर पाठ्यक्रम देकर प्राशिक्षत करके उन सभी की सेवाओं का पूरा उपयोग उठाने का प्रयास कर रही है जिनका सन्दर्भ सरकार ने योजना में दिया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह ठीक है कि योजना की इस आधार पर आलोचना हुई पूर्णयोग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इस योजना में नहीं लिया गया है। परन्तु इस समय, जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है इस समय सम्पूर्ण योजना पर योजना आयोग के साथ विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि योजना को रद्द नहीं किया जायेगा परन्तु इसे किस रूप में क्रियान्वित किया जाये तथा कौन लोग इसे क्रियान्वित करें ये बातें विचाराधीन हैं।

श्री राम सहाय पांडे : बताया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना विचाराधीन है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा क्रियान्वयन के लिए कब तक राज्यों को भेज दिया जायेगा ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जब आप योजना बना रहे हैं तो क्या उसमें आप छोटे बड़े सभी ग्रामों के निवासियों के बारे में भी विचार कर रहे हैं अथवा नहीं क्योंकि आपका आयोजन नगरीय क्षेत्रों पर ही केन्द्रित रहता है ? क्या पाँच पांच या दस दस ग्रामों के समूहों की सेवा के लिए स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के रूप में चलते फिरते अस्पतालों की व्यवस्था करने पर भी विचार किया गया है ताकि लोग इस योजना का लाभ उठा सकें ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि माननीय सदस्य ने एक दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए समाचार देखे हैं तो उन्हें ज्ञात होगा कि योजना मूल रूप से प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आधारित है। ये केन्द्र ग्रामों में सभी ओर सेवा कर सकेंगे। यही योजना का आधार है। इस बात को ध्यान में रखा गया।

Dr. Kailash : May I know whether the Government propose to introduce this scheme as a pilot project in Delhi or other union territories ? In case the scheme has been introduced as a pilot project, I would like to know the places where the scheme was introduced and the results thereof.

श्री आर० के० खाडिलकर : इसके लिए मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा उपकेन्द्र पहले से ही विद्यमान हैं। उनके अनुभव के आधार पर ग्रामीण निर्धनों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रियों के परामर्श से यह योजना बनाई गई। मैं फिर से यह बात बता देना चाहता हूँ कि हम इसे शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ करेंगे। योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श को अन्तिम रूप दिये जाने पर योजना को कार्य रूप देना संभव हो सकेगा।

Dr. Kailash : I was present in the seminar where the matter was discussed. At that time Hon. Minister and the Director of Health Services were of the view that the scheme will be taken up as a pilot project what happened to that ?

Shri Ram Deo Singh : There was a provision in the fourth Five Year Plan that all the Divisional sub health centres in the states would be made fully equipped hospitals. May I know whether there any progress has been made in this regard ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यद्यपि इसका मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है फिर भी यह इसी विषय पर दूसरा प्रश्न है। स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में 30 रोगी शैया वाले अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। यह मामला विचाराधीन है और इस वर्ष के दौरान कुछ प्रगति हो सकेगी।

श्री के० लकप्पा : देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना पूर्ण रूप से असफल है और यह जानकारी प्राप्त हुई है कि योजना को क्रियान्वित करने वाली मशीनरी अपर्याप्त है और केन्द्र द्वारा बनायी गई योजना के प्रति बहुत सी राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं। सेवा में लगे डाक्टरों तथा नर्सों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है। क्या सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे मामलों की देख-भाल के लिए स्थाई मशीनरी नियुक्त करने की बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने दोनों चीज मिला दी हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्रों से अलग है। हम जानते हैं कि गांवों में बहुत से स्थानों पर डाक्टर तथा महिला परिचारिकायें अथवा नर्सें अपने आप को सुरक्षित नही समझते। राज्य सरकारें इस बात पर ध्यान दे रही है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। असुरक्षा की भावना के कारण किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र ने अपना कार्य बन्द नहीं किया है और न ही कोई केन्द्र बन्द हुआ है।

दिल्ली वि वविद्यालय के प्राध्यापकों का वेतन बढ़ाना

*** 291 श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण** तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़े हुए मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की नियुक्ति कब हुई थी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतन का इससे पहले कब पुनरीक्षण किया गया था; और

(ग) क्या प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत किया जा चुका है, यदि हाँ, तो वे सिफारिशें क्या हैं, जिन्हें सरकार ने लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 1969 में दो समितियाँ नियुक्त की थीं—एक तो विश्वविद्यालयों के अभिशासन पर और दूसरी कालेजो के अभिशासन पर। बाद में इन दोनों समितियों का विलयन कर दिया गया था। समिति ने विश्वविद्यालयों के अभिशाप से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। वेतनमानों सहित अध्यापकों की सेवाशर्तों से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट के दूसरे भाग को आयोग द्वारा शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान पिछली बार 1 अप्रैल, 1966 से परिशोधित किए गए थे।

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वह

इसका दायित्व अपने पर नहीं लेना चाहते यह समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई। फिर भी दो दिन पूर्व जो कुछ आपने बताया है कि सरकार केवल राज्य सरकारों से कोठारी आयोग की सिफारिशें मान लेने की सिफारिश कर सकती है, इसी पृष्ठभूमि में मैं यह बात करना चाहता हूँ। वेतनमानों का पुनरीक्षण 1.4.966 को किया गया था। सरकार ने गत 6 वर्षों से दिल्ली के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण क्यों नहीं किया है ?

प्रो० एस०नुरुल हसन : मैं यह बात बना चुका हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह समिति नियुक्त की थी। समिति विभिन्न कारण वश अपने प्रतिवेदन का दूसरा भाग प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रतिवेदन का दूसरा भाग शीघ्र ही प्रस्तुत किये जाने की आशा है। अपने दायित्व से हटने का केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : पांच वर्ष पहले कोठारी आयोग ने वेतन मानों के पुनरीक्षण की सिफारिश की थी। समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी सरकार वेतनमानों का पुनरीक्षण क्यों नहीं कर सकी ? सरकार द्वारा स्वतः ही वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए था।

प्रो० एस० नुरुल हसन : विश्वविद्यालय के वेतन मानों का सरकार द्वारा स्वतः ही पुनरीक्षण किया जाना एक जटिल प्रश्न है क्योंकि यदि केन्द्र विश्वविद्यालय के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाता है तो इसका प्रभाव सभी राज्य सरकारों पर पड़ेगा। अतः यह विचारा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति, जिसमें विभिन्न राज्यों के सदस्य होंगे, विभिन्न अनुशासियों तथा विषयों के व्यक्ति होंगे, केन्द्रीय सरकार, जो केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ही निर्णय कर सकती है, की अपेक्षा ठीक प्रकार ऐसी सिफारिश कर सकती है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : यह विरोधाभासी परिस्थिति है। दो दिन पूर्व मंत्री महोदय ने बताया कि वह राज्य सरकार से सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं आज वह बताते हैं कि वह दिल्ली के शिक्षकों के बारे में इसलिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से राज्यों में जटिलतायें पैदा हो जायेंगी। क्या यह समझा जाये कि कुछ न करने के लिए टालमटोल की जा रही है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि सरकार दिल्ली में दिल्ली के शिक्षकों के बारे में कोई निर्णय करती है तो मुझे विश्वास है कि इस मामले में राज्य सरकारें भी उसी का अनुकरण करेंगी।

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रश्न कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बारे में है। माननीय सदस्य अब स्कूल शिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार की नीति इस प्रकार के मामले में जानबूझकर विलम्ब करने की है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट 6 वर्ष से भी अधिक समय से दराजों में पड़ी सड़ रही है विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के बारे में स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद नई समितियों और असमितियों का गठन किया जा रहा है जिनकी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय या किसी अन्य अभिकरण के पास विचारार्थ प्रस्तुत की जाएंगी। यह सारी प्रक्रिया इस देश के शिक्षक समुदाय को सामान्यतम सुविधाएं उपलब्ध कराने में मात्र विलम्ब करने के लिए ही अपनाई जा रही है। क्या सरकार की नीति यही है ? इसके कारण ही दिल्ली में और अन्यत्र सभी प्रकार की घनटाएं हो रही हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : सरकार की नीति विलम्ब करने की नहीं है। कोठारी आयोग ने मात्र यह कहा था कि ये संशोधन हो सकते है। आयोग के कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के

संशोधित वेतन-मानों के बारे में कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की थी। चालू ग्रेडों के बारे में विभिन्न शिक्षक ऐसोसियेशन और संगठनों की अन्य मांगे रही हैं इन सभी मामलों पर विचार किया जना था क्योंकि इन पर कोठारी आयोग ने विचार नहीं किया था। इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून 1969 में एक समिति नियुक्त की थी। सामान्यत ! हमें आशा थी कि रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर मिल जाएगी किन्तु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से रिपोर्ट का दूसरा भाग अभी भी नही मिला है। किन्तु मुझे बताया गया है कि इसे शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या रिपोर्ट का दूसरा भाग मिलने पर शिक्षा मंत्रालय दिल्ली विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के बारे में शीघ्र उपाय करेगा।

प्रो० एस०नरुल हसन : सरकार रिपोर्ट पर शीघ्रता से विचार करेगी जैसाकि आप जानते है कि जहाँ धन की आवश्यकता होती है वहाँ वित्त मंत्रालय से परामर्श करना पड़ता है। अतः परामर्श करने और धन की व्यवस्था करने में सरकार को कुछ समय लगेगा किन्तु मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है मैं इस रिपोर्ट पर निर्णय लेने में जितनी शीघ्रता संभव होगीं उतनी करूंगा।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही बसें

292 **श्री दलीप सिंह :** क्या नौ वहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के पास कुल कितनी बसें है, उनमें चालू बसों की संख्या कितनी है तथा कितनी बसें मरम्मत के लिये पड़ी हैं,

(ख) कुल कितनी प्राइवेट बसें दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलाने के लिये अधिगृहीत की गई और/अथवा ठेके पर ली गई तथा दिल्ली परिवहन सिगम की स्थापना से अब तक प्राइवेट बस मालिकों को कितना रुपया दिया गया, और

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट बसों से कोई लाभ कमा रहा है, यदि हां, तो कितना ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) 28-2-1973 को दिल्ली परिवहन निगम की अपनी, परिचालित और किराये पर ली गई बसों से सम्बन्धित तथ्य तथा आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं.—

1.	(1) दिल्ली परिवहन निगम की अपनी बसों की कुल संख्या	1514
	(2) किराए पर ली गई प्राइवेट बसों की संख्या	189
	(3) दिल्ली परिवहन निगम की चालू बसों की कुल संख्या	1219
	(4) आपातिक आवश्यकताओं के लिए रखी गई दिल्ली परिवहन निगम बसों की संख्या	8
	(5) मीटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षपार्थ रखी गई दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या	5
	(6) चालू प्राइवेट बसों की कुल संख्या	182

	(7) परिचालन में दिल्ली परिवहन निगम की और प्राइवेट बसों की कुल संख्या	1414
2.	8 वर्ष से पुरानी दिल्ली नगर निगम की बसें	400
3.	दिल्ली नगर निगम की वे बसें जिनकी बड़ी या छोटी मरम्मत की जा रही है	282
4.	3-11-71 से 31-1-72 की अवधि के लिए प्राइवेट परिचालकों को दिया गया किराया प्रभार	186.52 लाख रुपये
5.	उक्त अवधि के दौरान किराये पर ली गई प्राइवेट बसों द्वारा अर्जित कुल आय	178.26 लाख रुपये

Shri Dalip Singh: It is a fact that 95 percent of the buses plying is the rural areas are old ? When is the D.T.C likely to get new buses and will the D.T.C press the new buses is to service for the rural area.

Shri Raj Bahadur : I have said that 400 buses out of 1514 are more then eight years dld and have outlived their utility. It is possible that there might be a good number of old buses running in the rural aers, but our effort is that old buses should not be used for rural service. As and when new buses are available they will be used in those areas.

Shri Dalip Singh : The hon. Minister has stated that private buses have not been profitable, may I know whether the extent of the loss and the private buses will be dishensed with when new D.T-C gets new buses.

Shri Raj Bahadur Shastri : One effort is to replace private buses with ourown new D.T.C. buses have alreaad stated that our income from private buses has been one crore seventy eight lacs and two thousand rupees and against, that amount we had to pay them one crore eighty six lacs and fifty two thousand rupees as their hire charges, We have thus suffered a loss of Rs 8 lacs.

श्री एस० एम० बनर्जी : इस बात का ध्यान रखते हुए कि दिल्ली में आशातीत विस्तार हुआ है और अपेक्षित बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन सेवा को आंशिक रूप से गैर सरकारी हाथों में रहने देने के बजाये पूरा अपने अधिकार में लेने का है ताकि कोई समस्या ही न रहे

श्री राज बहादुर : अब भी यह गैर-सरकारी लोगों के हाथों में नहीं है दिल्ली परिवहन निगम केवल किराए पर बसें लेकर प्राईवेट बसें चलाता है और बसों का किराया अदा किया जाता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्राईवेट मोटरगाड़ियों को किराए पर लेने के बजाये आप उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ।

श्री राज बहादुर : नाना प्रकार की मोटर गाड़िया हैं मैं नहीं जानता कि उन्हें खरीदना हमारे लिये उत्तम सिद्ध होगा या नहीं । और यह प्रश्न दिल्ली परिवहन निगम की चल रही बसों के संबंध में है न कि अन्य मोटर गाड़ियों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में ।

Shri Shashi Bhushan : Population of Delhi is growing very rapidly and orders for new buses have also been pleced. As Tata trucks fetch better prices in the black market, the manufacturers do not supply built up buses. The job, has to be entrusted to Privabe body builders who take lot of time. I have a suggestion to make if shaktiman truck are used as buses they will prove very useful for the college students even if no seats are provided.

Shri Ra j Bahadur : we had takes over D. T. C. on 3rd Nov. 1971 and purchased 304 buses during the past two years 294 more buses have been acquired and order for another 719 buses has been placed. Your suggestion regarding shaktiman trucks requires consideraion.

Shri T. Sohan Lal: About six-seven months back a meeting, of M.P's from Delhi and other chases persons, was convened at which some suggestions were made. May I know if any action has been taken on these suggestions.

It was then felt that utilisation of private buses for D.T.C. operation will be expensive. It was therefore suggestion that private buses should be allowed to ply freely on payment of certain monthly charge which the owners of private buses were prepared to pay. why that was not accepted. Why this loss is being sufferred.

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य ने इतना अधिक समय ले लिया है मुझे खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

बदल-बदल कर फसले उगाने (रिले क्रापिंग) की पद्यति का अध्ययन

*** 296. श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डा० विनोद शाह के आत्महत्या-नोट में बदल-बदल कर फसलें उगाने की पद्धति पर प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने संस्था के बदल-बदल कर फसलें उगाने संबंधी दावों के बारे में कोई स्वतंत्र अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार. देश के विभिन्न भागों में वास्तविक रूप से खेतों में इस प्रकार से फसलें उगाने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4453/73]

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गजेन्द्र गडकर समिति द्वारा की गई जाँच में बदल-बदल कर फसल उगाने के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी दी है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : गजेन्द्र गडकर समिति ने इस समस्या की जांच इसलिए की थी क्योंकि स्वर्गीय शाह द्वारा उठाए गये मुद्दो में से एक यह भी था । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है । कुल मिलाकर निष्कर्ष अभी तक बहुत प्रतिकूल नहीं रहे ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या यह सच है कि बदल-बदल कर फसलों के उगाने के लिए जिन बीजों का प्रयोग किया गया वे आँकड़ों में बताये गये बीजों के आकार के नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप बदल-बदल कर फसले उगाने वाले किसानों को उर्वरकों, सिंचाई और भूमि तैयार करने में हानि उडानी पड़ी और यदि हां तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच पड़ताल की है तथा इस बात का ध्यान रखा है कि परीक्षण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों ने सरकार के निष्कर्षों को प्रभावित नहीं किया था ।

श्री अण्णा साहिब शिन्दे : सर्वोच्च न्यायलय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर के सभापतित्व में बनी सर्वाधिक निष्पक्ष समिति ने इस समस्या पर विचार किया था । उन्होंने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सहायता ली थी । स्वर्गीय डा० शाह ने आलू के आकार के बारे में कहा था किन्तु इस पर दिये गये निष्कर्ष में कहा गया है कि इस संबंध में डा० शाह के विचार सही नहीं पाये गये ।

श्री डी० डी० देसाई : परीक्षणों के लिये प्रयुक्त आलुओं के बीज का आकार आँकड़ों में दिखाए गये आकार से बड़ा था ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : समिति का निर्णय हैं कि बदल-बदल कर फसलें उगाने केलिये बड़े आकार के आलू प्रयोग करने संबंधी इस परीक्षण में कोई गलती नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों के लिए मकानों के लिए जमीन की व्यवस्था करने पर विकास व्यय

***297. श्री वयालार रवि :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार को इस आशय का एक पत्र लिखा था कि ग्राणीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों के लिये मकानों के लिये भूमि की व्यवस्था करने के लिए विकास व्यय की पूरी राशि की मंजूरी दी जाये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार 1971 में मकानों के लिये भूमि देने हेतु भूमि अर्जित करने के तथा उसका विकास करने की पूरी लागत शत प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में देने के लिये सहमत हो गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के अधीन भूमि अर्जन की सम्पूर्ण लागत, जहां यह अत्यधिक नहीं होती, तथा विकास की लागत जो प्रति आवास-स्थल 150 रुपये से अधिक नहीं होती, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक अनुदान के रूप में दी जाती है। केरल में भूमि-अर्जन की औसत लागत कुछ अधिक होने से तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि केरल सरकार ने योजना के अधीन निर्धारित आवास स्थल से काफी बड़ा आवास-स्थल देने का प्रस्ताव किया था, राज्य सरकार के परामर्श से तथा उनकी सहमति से यह निर्णय किया गया था कि केरल की परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि के विकास की लागत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच :0:50 के अनुपात में वहन की जायेगी। सहमति से हुए इस निर्णय को बदलने का कोई कारण नहीं है।

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर के पहले भाग में बताया है कि विकास का सारा व्यय केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है। परन्तु दूसरे भाग में वे कहते हैं कि राज्य और केन्द्रीय सरकार ने इसे आधा-आधा वहन किया है। वर्ष 1971 में केन्द्रीय सरकार प्रति मकान की जगह के लिए 150 रुपये विकास व्यय के रूप में देनें को राजी हो गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत सरकार शत प्रतिशतन व्यय को वहन करेगी। पर अब वे कहते हैं कि केवल आधा व्यय ही अर्थात 75 लाख रुपए, भारत सरकाक वहन करेगी। यह एक बहुत बड़ी योजनाहै जिसमें एक वर्ष में एक लाख मकान बनाए जायेंगे। यह कार्य किसी अन्य राज्य द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के बजाय वे उसमें रोड़ा अटका रहे है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार वायदे के अउसार पूरी लागत को वहन कसेगी।

श्री ओम महेता : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूँ कि यह एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें वे भूमिहीन मजदूरों को एक लाख घर उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु जो भी निर्णय लिया गया है वह केरल सरकार से चर्चा करके और उसकी सहमति से ही लिया गया है। एक बैठक हुई थी। मैं उसकी कार्यवाही के सम्बन्ध में कुल बताता हूँ।

"14 अप्रैल, 1972 की हुई एक अन्तर्मंत्रालयी बैठक में संघ सरकार के वित्त, योजना तथा निर्णय और आवास मंत्री तथा केरल सरकार के परिवहन, विद्युत और आवास मंत्री ने भाग लिया था। बैठक में निम्न निर्णय लिए गये -:

राज्य सरकार को अपनी योजना पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। भूमि अधिग्रहण के लिए एक तिहाई रुपया नकद दिया जायेगा तथा शेष दो तिहाई का भुगतान 1973-74 और 1974-75 के दो वर्षों में भुगतान वाले बोर्डों के रूप में किया जायेगा। विकास सम्बन्धी व्यय राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा आधा-आधा वहन किया जायेगा।"

ऐसा इस लिए कयिा गया था क्योंकि योजना में प्रति मकान 100 वर्ग गज जमीन भूमि हीन मजदूरों कों देने की व्यवस्था थी, परन्तु केरल सरकार ने योजना में परिवर्तन कर दिया है और हमने उन्हें प्रति मकान 240 वर्ग गज जमीन कीअ नुमति दे दी, इसी कारण विकास व्यय कम करना पडा और केरल सरकार की सहमति से किया गया।

श्री वयालार रवि : माननीय मंत्री का कथन सही नही है। लागत 150 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गई है। अब केरल सरकार को प्रति मकान भूमि पर 125 रुपये खर्च करने पड़ेगे। क्या केन्द्रीय सरकार अपने पूर्व वायदे के अनुसार 150 रुपये प्रति मकान भूमि दे सकती है ?

श्री ओम मेहता : मैं इसमें परिवर्तन करने का कोई आधार नहीं देखता।

श्री जगन्नाथ राव : मकान की भूमि की विकास लागत में हाथ बटाने के अतिरिक्त क्या सरकार का विचार भूमि हीन मजदूर को दी गई जगह पर मकान बनाने के लिये अनुदान अथवा ऋण देने का हैं ?

श्री ओम मेहता : यह राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार एक मुश्त अनुदान अथवा ऋण देती है। इसके लिए धन का नियतन करना राज्य सरकार का काम है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह देखते हुए कि यह एक बृहत योजना है और इससे भूमि हीनों और हरिजनों को लाभ होगा क्या सरकार अपने निर्णय में कुछ परिवर्तन करेगी ?

श्री ओम मेहता : इसके लिए हम पुन: वित्त मंत्रालय से बात करेंगे और प्रयत्न करेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफेन : परिवर्तन की यहां कोई बात नही है। प्रश्न यह है कि विकास के लिये मूल रूप में 150 रूप खर्च करने का वायदा किया गया था फिर चाहे मकान की जगहों की संख्या कितनी ही क्यों न हो। अब वे केवल 50 प्रतिशत के लिए सहमत है। तो क्या अब सरकार 150 रुपये प्रति मकान की जगह पर विकास के रूप में खर्च करने के अपने पूर्व वायदे पर कायम है अथवा नहीं और क्या केरल को उतनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

श्री ओम मेहता : मूल वायदे में 100 वर्ग गज के लिये 150 रुपये देने की बात थी... (व्यवधान) जब उन्होंने उसे 250 वर्ग गज कर दिया तब कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री सी० एम० स्टीफेन : विकास व्यय के अनुदान का भूमि की सीमा से कोई सम्बन्ध नहीं... (व्यवधान) हम तो केवल अधिकतम अनुदान चाहते हैं जिसे देने का वादा किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री बेकारिया नहीं है। श्री जी० पी० यादव—नहीं है। श्री एम० पी० कृष्णाप्पा—नहीं है। प्रश्न सूची समाप्त हो गई। अब दूसरा दौर। श्री फूल चन्द वर्मा, श्री धनसिह प्रधान, श्री एम०एस० पूर्ति, चौ० राम प्रकाश, श्रीमती साविन्नी श्याम श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय सभी अनुपस्थित।

Beneficiaries of C.G.H.S. finding Difficulties to Call Doctors of the Ayurvedic Dispensaries for Visit

***285. Dr. Laxaminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact the boneficiaries of the Central Health Service Scheme find it difficult to call the Doctors of the Ayurvedic Dispensaries on visit to their homes, as these Dispensaries have to serve large areas; and

(b) if so, the steps being taken by Government to overcome this difficulty ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के किस्कु) : (क) लाभार्थियों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : It is possible that Govt. may not have received complaints, but it is a fact that the member of these dispensaries is very less and the areas covered by them is very vast. Keeping this in view may I know whether more Ayurvedic Dispensaries are proposed to be opened.

श्री ए० के० किस्कू : बिना पूरे तथ्य जाने कि लाभार्थियों को वर्तमान सुविधा से पूरा लाभ नहीं मिल रहा है इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

Dr. Laxminarayan Pandeya : May I know that area covered by the Alopathic and Ayurvedic dispansaries separately.

श्री ए० के० किस्कू : यह सही है कि आयुर्वेदिक औषधालय का क्षेत्र बड़ा है । परन्तु इसके अतिरिक्त इस समय हम कुछ नहीं कह सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली स्कूलों के अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड

*281. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पी० जी० टी० अध्यापकों को 5 सितबम्र, 1971 से सलेक्शन ग्रेड दिया गया था और 31 मई, 1972 को उनको भुगतान किया गया था ;

(ख) क्या 12 सितम्बर, 1972 को सरकार ने काफी संख्या में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे पी० जी० टी० अध्यापकों को भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी कर दिया था जिसके कारण उन्हें न्यायोचित लाभ नहीं मिले ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां :

(ख) और (ग) : 12 सितम्बर और 20 नवम्बर, 1972 के बीच विभिन्न तारीखों पर दिल्ली प्रशासन ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के अगले निचले ग्रेड से पदोन्नत किये गए और अन्य सीधे भर्ती किए गए उत्तर स्नातक अध्यापकों में से, कुछ को, किसी पिछली तारीखों से, स्थायी करने के आदेश जारी किए थे । यह आदेश इस प्रकार के स्थायीकरण के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों तथा संबंधित अध्यापकों की परस्पर वरीयता पर आधारित थे । स्थायी किए गए उत्तर-स्नातक अध्यापकों से, पदोन्नत अध्यापकों से उन तारीखों के विरुद्ध जिनसे उन्हें स्थायी किया जाना था, अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । उन पर विचार किया जा रहा है ।

Closure of Flour Mills in Bihar Due to Shortage of Foodgrains

*282. **Shri M.S. Purty** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some of the flour mills grinding wheat have been closed down in Bihar due to shortage of foodgrains there;

(b) if so, the number of such flour mills and since when they are closed; and

(c) whether some measures have been taken by Government to start them again

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c) : A report has been called for from the State Government and is awaited.

पंजाब और हरियाणा में गेहूँ की वसूली

***283. श्री राम प्रकाश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा में गेहूं की वसूली इस वर्ष लक्ष्य से बहुत कम रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : कृषि मूल्य आयोग ने चालू रबी मौसम के लिए गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिए किसी राज्यवार लक्ष्य की सिफारिश नहीं की थी। पंजाब और हरियाणा में 1972-73 मौसम के दौरान मूल्य साहाय्य उपाय के रूप में गेहूं की कुल अधिप्राप्ति अब तक तक क्रमश: 31.79 लाख मीटरी टन और 8.18 लाख मीटरी टन है। दोनों राज्यों में वास्तविक खरीदारी अधिप्राप्त की जाने वाली अनुमानित मात्रा के लगभग बराबर रही है।

Intensive Cotton Cultivation in Certain Districts of U.P

***284. Shrimati Savitri Shyam :** Will the Minister of **Agriculture** be Pleased to state :

(a) whether Government are aware that intensive cultivation of cotton is, possible in Bareilly, Shahjahanpur, Badayun, Etah and hilly districts like Garhwal in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the steps being taken by Government for promoting intensive cultivation in these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) : Intensive cultivation of cotton is not at present feasible on account of rainfall pattern are high incidence of pest and diseases in these districts.

कला कृतियों की लगातार तस्करी

***287. श्री पीलू मोदी** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर के "मदरलैंड" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बहुत बड़ी संख्या में बहुमूल्य और दुर्लभ कला कृतियां अवैध रूप से लगातार देश से बाहर भेजी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की जाँच की है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मद्रास, कोचीन/कलकत्ता के समाहर्ताओं और मुख्य निर्यात नियंत्रक दिल्ली ने रिपोर्ट भेजी है कि वर्ष 1972 के दौरान कृषि उपस्कर के रूप में अमरीका को किसी मूर्ति का निर्यात नहीं किया गया था।

सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई ने भी रिपोर्ट भेजी है कि वर्ष 1972 में बम्बई कस्टम हाउस से ऐसा कोई मामला नहीं आया था जिसके अंतर्गत भारतीय मंदिरों से 80 टन के वजन की मूर्तियाँ चुरा ली गई थी और जिन्हें कृषि उपस्कर के रूप में अमरीका को निर्यात कर दिया गया था। मामले की और छानबीन की जा रही है।

तथापि, वर्ष 1965 में, बम्बई कस्टम हाउस द्वारा 16 ऐसी पेटियां रोक ली गई थीं जिनमें पुरानी पत्थर की मूर्तियां थी किन्तु जिन्हें पीतल के बर्तन और पीतल की तश्तरियां घोषित किया गया था और जो न्यूयार्क के लिए निर्यात की जाने वाली ही थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की गई थी और निर्यातकों के विरुद्ध जूडिशियल मजिस्ट्रेट दिल्ली के न्यायालय में एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मामले के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर कई अन्य मामलों का भी पता लगाया गया है और संबंधित/निर्यातकों के विरुद्ध तुरन्त कानूनी कारंवाई की गई है।

नकली भारतीय धार्मिक स्तम्भों के निर्यात तथा एक साथ ही चार अमरीकी संग्रहालयों द्वारा उनके तथाकथित अधिग्रहण और मूल स्थान पर मूल स्तम्भों की जगह नकली स्तम्भ प्रतिस्थापित करने के बारे में यहां जो उल्लेख किया गया है वह सम्भवत: अमीन, जिला करनाल, हरियाणा के अदिति मंदिर से चुराई गई मूर्तियों के बारे में है। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की गई है और बम्बई को एक फर्म मैसर्स मर्चेंट कारपोरेशन, बम्बई तथा उसके चार कर्मचारियों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी और उन्हें कई प्रकार के दण्ड दिए गए। दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक नकली स्तम्भ हटाने का एक मामला दर्ज किया जा चुका है तथा वह मामला न्यायालय के अधीन है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इन्टरपोल के जरिए की गई जाँच पड़ताल से अमरीका के संग्रहालयों द्वारा मूल वस्तुओं के अर्जन के बारे में कोई भी उपयोगी सूत्र नहीं मिला है।

सरकार इस समस्या से परिचित है तथा पुरावस्तुओं के अवैध निर्यात को रोकने के लिए पूरे भारत के सीमाशुल्क अधिकारी सभी व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं। सरकार ने भी निर्यात व्यापार पर नियंत्रण करने तथा उसे नियमित करने के लिए और पुरावस्तुओं की तस्करी रोकने हेतु पुरावस्तु तथा कलानिधि अधिनियम, 1972 में पारित किया है तथा जिन मामलों में गुणावगुणों के आधार पर अनुमति दी जा सकती है, उन्हें छोड़कर किसी भी पुरावस्तु को विनिमय, प्रदर्शनी अथवा सरकारी उपहार के प्रयोजनों के लिए निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

यूनेस्को महासम्मेलन में पेरिस में (अक्तूबर-नवम्बर, 1970) हुए 16 वें अधिवेशन में "सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तान्तरण को निषिद्ध करने और उस पर रोक लगाने के उपायों" पर एक समझौता स्वीकार किया गया था।

इस समझौते की प्रमुख व्यवस्थाएं निकट सहयोग से कार्य करने वाले देशों के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सांस्कृतिक संपत्ति के प्रभावी परिरक्षण की दिशा में कदम है। भारत सरकार इस समझौते का अनुसमर्थन करने का विचार कर रही है, जिससे अपनी उस सांस्कृतिक संपत्ति को वापिस किया जा सके जो दूसरे देशों में पायी जाए तथा वह इस समझौते की समर्थक है।

आई० सी० पी० ओ० इन्टरपोल, चुराई गई संपत्ति के सबन्ध में उसके फोटो और संक्षिप्त विवरण सहित "कला की अत्यंत आवश्यक कृतिया" नामक शीर्षक के अधीन नोटिस प्रकाशित

करता है । इन्हें व्यापक परिचालन के लिए विभिन्न देशों को भी वहाँ की कला-पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजा जाता है । भारत सरकार भी कला-पत्रिकाओं में चुराई गई महत्वपूर्ण वस्तुओं के फोटो प्रकाशित करती है । जिससे सभी संग्रहालयों को चेतावनी दी जा सके तथा उनके पता-ठिकानों की सूचना मिल सके ।

रबी की फसल के व्यापार को नियन्त्रण में लेने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

289 श्री एस० एन० मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल के थोक व्यापार को नियंत्रण में लेने के लिए कोई नया कक्ष (सैल) बनाया जा रहा हैं अथवा नए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : थोक व्यापार को लेने के निर्णय की कार्यान्विति में राज्य सरकारों के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए केन्द्र में एक सैल स्थापित करने का विचार हैं जिस में विभिन्न मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा । खाद्य विभाग को मिले अतिरिक्त कार्य को करने के लिए उसे भी उपयुक्त रूप से सशक्त किया जा रहा है ।

राज्यों में नसबन्दी कैंप

***293. श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्यों में कितने कैंप लगाए ; और

(ख) क्या सरकार ने नसबन्दी कैम्पों के लिए लक्षय निर्धारित किए है और, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और गत वर्ष, राज्य-वार उन पर कितना व्यय किया गया ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 1972-73 के दौरान 198.

(ख) जी नहीं, सरकार ने आयोजित किये जाने वाले नसबन्दी कैम्पों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है । 1971-72 वर्ष के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किये गये व्यय का राज्यवार विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1971-72 के दौरान विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर किया गया व्यय ।

क्रम संख्या	राज्य		कुल व्यय
			(लाख रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश		588.61
2.	असम		54.77
3.	बिहार		273.69
4.	गुजरात		444.47
5.	हरियाणा		123.61
6.	हिमाचल प्रदेश		27.15
7.	जम्मू व कश्मीर		43.20
8.	केरल		328.92
9.	मध्य प्रदेश		448.48
10.	महाराष्ट्र		563.37
11.	मेघालय		4.23
12.	मैसूर		364.26
13.	उड़ीसा		284.40
14.	पंजाब		150.10
15.	राजस्थान		264.50
16.	तमिल नाडु		638.45
17.	उत्तर प्रदेश		656.33
18.	पश्चिम बंगाल		231.05
19.	मणिपुर		2.02
20.	त्रिपुरा		3.97
		योग	5495.98

दुग्ध उत्पादों का आयात और 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम की प्रगति

294. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अधीन कितने और मूल्य के दुग्ध उत्पादन वर्षवार आयात करने की सम्भावना है;

(ख) इनके वितरण की क्या योजना है और इनसे होने वाली आय कैसे खर्च की जायेगी; और

(ग) 'आपरेशन फ्लड' की प्रगति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4454/73]

लातीनी अमरीका और पश्चिमी अफ्रीकी देशों की नौवहन सेवा

*295. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार भारत से लातीनी अमरीकी और पश्चिम अफ्रीकी देशों को सीधी नौवहन सेवा चालू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम करार कब तक किये जाने की संभावना है, और

(ग) ये सेवा कब तक चालू हो जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) अतीत में किये गये अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि माल के नियमित आवागमन की कमी के कारण भारत से लतीनी अमेरिका और पश्चिम अफ्रीकी देशों को सीधी नौवहन सेवा मंहगी पड़ेगी। परन्तु सिंधिया पनामा में क्रिस्तोवल और बारबाडोस में ब्रिजटाउन के पत्तन जहाँ से कुछ लतीनी अमरीकी देशों को नौकान्तरण सुविधाएं उपलब्ध हैं। मासिक चालन की व्यवस्था कर रहा है। शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया भी लतीनी अमरीकी व्यापार को नौकान्तरण के आधार पर चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है, पश्चिम अफ्रीका को सेवा चलाने के बारे में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया ने निश्चय किया है कि माल के देन पर आधारित पश्चिम अफ्रीकी पत्तनों में इसके कुछ जहाज भारत/यू० के० कान्टिनेंट और काले सागर और एड्रियाटिक सेवा में जाएं सिंधिया ने भी गतवर्ष कलकत्ता से पश्चिम अफ्रीका पत्तनों की प्रायोगिक आधार पर सेवा आरम्भ की।

भारतीय पुस्तक प्रतिष्ठान (बुक फाऊंडेशन आफ इण्डिया) की स्थापना

***298. श्री बेकारिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पुस्तक प्रतिष्ठान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Medical Facilities for Tribals, Harijans and Backward Classes

***299. Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken by Government to expand the medical facilities in the areas predominantly inhabited by the Tribals, Harijans and backward classes;

(b) whether Government have already selected places for setting up Medical Centres in these areas; and

(c) if so, the State-wise location thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Shri R. K. Khadilkar) : (a) to (c) A statement containing the requisite information is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library. See No. L. T. 4455/73]

मैसूर में जल्दी से बढ़ने वाले पौधों तथा नारियल की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता

***300. श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य को जल्दी से बढ़ने वाले पौधों तथा नारियल की खेती के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मैसूर राज्य को नारियल के संकर किस्म की पौध रोपण सामग्री के उत्पादन और वितरण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। नारियल की ये किस्म अधिक उपज देने वाली और रोग सह्य हैं। 1972-73 में इसके लिए कुल 99,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

सुपर बाजार, दिल्ली के कानूनी सलाहकार को भुगतान

2790 **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के वित्त प्रबन्धक द्वारा कानूनी सलाहकार को 20,000 रुपये का भुगतान करने सम्बन्धी आदेश को सुपर बाजार से सम्बद्ध लेखा अधिकारी ने मान्य नहीं ठहराया;

(ख) क्या उसके द्वारा इन्कार किए जाने के परिणामस्वरूप उस लेखा अधिकारी को उसके मूल कार्यालय अथवा महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, को वापस भेज दिया गया है; और

(ग) क्या सुपर बाजार ने कानूनी सलाहकार को 250 रुपये प्रतिमास फीस के आधार पर नियुक्त किया था और यदि हां, तो 20,000 रुपये की राशि कैसे देय थी और लेखा अधिकारी ने किस आधार पर भुगतान करने से इन्कार किया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। उस समय के लेखा अधिकारी को ऐसे कारणों से उनके मूल कार्यालय को वापस नहीं भेजा गया था।

(ग) सुपर बाजार के वर्तमान कानूनी सलाहकार को रोजमर्रा के विषयों में विचार-विमर्श करने तथा परामर्श लेने के लिए 250 रुपये प्रति मास के प्रतिधारण-शुल्क पर वर्ष 1968 में नियुक्त किया गया था। न्यायालय में उपस्थिति के लिए प्रबन्धकों द्वारा अनुमोदित दरों पर अलग फीस दी जाती है। कानूनी सलाहकार ने प्रबन्धकों में हुए परिवर्तन के कारण, कुछ समय तक अपने दावे पेश नहीं किए थे। कुल संचित दावे 15,535 रुपये के थे, जिनमें कोर्ट फीस की प्रति पूर्ति के 2,753.20 रुपये के और दिल्ली से बाहर के मामलों में हाजिर होने संबंधी उनके यात्रा भत्ते के दावे भी शामिल थे। उस समय के लेखा अधिकारी ने भुगतान करने से इन्कार नहीं किया था, बल्कि यह सुझाव दिया था कि दावों की और संवीक्षा की जाय तथा प्रबन्धकों द्वारा उनका अनुमोदन किया जाए।

दिल्ली में लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिलावट

2791. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा एकत्र किये गये 935 सैम्पलों में से 20.92 प्रतिशत मामलों में मिलावट पाई गई;

(ख) क्या केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वारा किए गए उक्त अध्ययन की तुलना में विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा यह पाया गया कि उनके द्वारा लिए गए सैम्पलों में से 50 से 60 प्रतिशत सैम्पलों में मिलावट थी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन की कार्य विधि की जांच की है और क्या यह उनके इन निष्कर्षों से सहमत है कि मिलावट को रोकने के लिये किस प्रकार क्रांतिकारी प्रगति की जा सकती है और यदि नहीं तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि गलत आंकड़े परिचालित न किए जाएं जिससे जन मानव पर कुप्रभाव पड़ता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। सन् 1972 में दिल्ली नगर निगम (न कि दिल्ली प्रशासन) द्वारा एकत्र और विश्लेषण किए गए 932 नमूनों में से 195 में अर्थात् 20.92 प्रतिशत में मिलावट पाई गई।

(ख) केन्द्रीय खाद्य मानक समिति ने कोई अध्ययन नहीं किया है। देश के शहरी क्षेत्रों के बाजारों में बेचे जाने वाले घी की क्वालिटी के बारे में विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत से अधिक नमूनों में मिलावट पाई गई। इन लिये गये नमूनों में से कोई भी नमूना दिल्ली से नहीं था। इसलिए इस प्रतिशत का दिल्ली से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) दिल्ली में 1967, 1968, 1969, 1970 और 1971 में जितने नमूनों में मिलावट पाई गई उनका प्रतिशत क्रमशः 19.9%, 16.8%, 14.4%, 18.7% और 19% था। अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित दिल्ली से सम्बन्धित 1972 का प्रतिशत काफी यथार्थ प्रतीत होता है और इसलिए गलत आंकड़ों को परिचालित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खारे जल को पीने योग्य बनाना

2792. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में नियुक्त एक भारतीय इंजीनियर इस समय ऐसे संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहा है जिनसे खारे जल को पीने योग्य बनाया जा सके;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य को संरक्षण देने में गहरी रुचि दिखाई है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) क्या राजस्थान को, जहां हमेशा सूखा पड़ता है, इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो इस कार्य के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है तथा क्या इस योजना की व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) स्थिति मालूम की जा रही है। सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों को चीनी की सप्लाई

2793. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार्ड होल्डरों के कोटे में अनुपातिक कमी किए बिना उचित मूल्य की दुकानों को चीनी की सप्लाई में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह कटौती समूचे देश में की गई है; और

(ग) क्या देश में इस मौसम में चीनी का उत्पादन माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और यदि हां, तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिये चीनी का आयात किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख): राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से उन्हें प्रत्येक मास मिले आवंटनों के अन्दर उचित मूल्य की दुकानों को सप्लाई करती हैं। यह दिखाई देता है कि दिल्ली प्रशासन ने उचित मूल्य की दुकानों की सप्लाई में कमी कर दी है। ऐसा उनके जाली राशन कार्ड निकालने के अभियान के रूप में किया गया है।

(ग) मासिक निर्मुक्तियों का सूझ-बूझ के साथ नियन्त्रण कर उपलब्धता की सीमा के अन्दर चीनी की जरूरत पूरी की जाएगी। चीनी के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राज्यों में मद्य निषेध के सम्बन्ध में प्रगति

2794. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री टेक चंद मद्यनिषेध अध्ययन दल के चेयरमैन, की ओर से सभी विधायकों में परिचालित की गई अपील की ओर दिलाया गया है जिसमें मद्यपान के गम्भीर दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के बारे में हुई प्रगति का कोई अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा मद्यनिषेध को समाप्त करने की प्रवृति का सरकार को पता चला है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाण कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों ने मद्यनिषेध कानूनों में कुछ हद तक ढील दे रखी है। मद्यनिषेध एक राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारों को मद्यनिषेध नीति में ढील देने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी केन्द्रीय सरकार हमेशा ही समान नीति अपनाए जाने को कहती रही है।

राष्ट्रीय नेताओं के काल-पात्र रखे जाने के पीछे विचार धारा

2795. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू और गाँधी के स्मारकों के रूप में जमीन की काफी गहराई में काल-पात्र दबाये जाने के पीछे क्या विचार धारा है;

(ख) अब तक दबाये गये काल-पात्रों पर सरकार ने कितनी धन-राशि खर्च की है; और

(ग) क्या इस प्रकार के और काल-पात्र दबाने का सरकार का विचार है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) ये आवधिक संपुटिका मुख्यतया भावी पीढ़ी के लिये हमारे समय के अधिप्रमाणित अभिलेख संरक्षित रखने के लिए तैयार किए गए है।

(ख) नेहरू आवधिक-संपुटिका पर 25,630 रुपये का कुल खर्च हुआ था। गांधी आवधिक संपुटिका पर 69,000 रुपये खर्चे का अनुमान है।

(ग) एक ऐसी ही आवधिक संपुटिका 15 अगस्त, 1973 को लाल किले में अन्तर्भूत करने का प्रस्ताव है जिसमें स्वतंत्रता के पहले 25 वर्षों का अभिलेख निहित होगा।

बिना बारी क्वार्टरों के आवंटन की पद्धति को समाप्त करना

2796. श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री पीलू मोदी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली के कार्मिक विभाग ने निर्माण और आवास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह नान-अलाटी गवर्नमेंट एम्पलाइज वैलफेयर एसोसिएशन, 975 शिवाजी स्ट्रीट, करोलबाग, नई दिल्ली के क्वार्टरों को बिना बारी के आवंटन सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा करे;

(ख) क्या उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, और यदि हां, तो क्वार्टरों के बिना बारी के आवंटन को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा आधार पर बिना बारी के आवंटन के उपबन्ध को 13-5-1972 से आवंटन नियमों में से हटा दिया गया। अपवादात्मक कष्टपूर्ण मामलों में तदर्थ आवंटन संवेदनात्मक आधार पर कभी-कभार किए जाते हैं।

(ग) एसोसिएशन दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के पात्र टाइप IV और उससे नीचे के गैर-आवंटी सरकारी कर्मचारियों के केवल 1.7 प्र० श० का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्य पूल में वास की अत्यन्त कमी है तथा आवंटन नियमों में परिवर्तन करने से अधिकांश गैर-आवंटियों को लाभ नहीं पहुंच सकता। सरकार उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत सामान्य पूल में यथासंभव अधिक से अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण कर रही है।

सरकारी क्वाटरों के बिना सरकारी कर्मचारी

2797. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) टाइप 1 से 8 तक के प्रत्येक टाइप के क्वाटरों के अधिकारी उन कर्मचारियों की, श्रेणी-वार, कुल संख्या कितनी है जो 15-8-1972 को 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके थे और जिनके पास अभी भी क्वार्टर नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनको छ: महीने के भीतर आवास देने का है चाहे इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो सरकार को प्राइवेट आवास किराये पर क्यों न लेने पड़ें।

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से मकानों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र सीमित आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं। 1-9-1972 से आरम्भ होने वाले आवंटन वर्ष के लिए आवेदन पत्र विभिन्न टाइपों में प्राथमिकता की नीचे दी गई तिथि तक आमन्त्रित किए गए थे :—

टाईप	प्राथमिकता की तिथि जिस तक आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए गए थे
I	31-12-1962
II	31-12-1957
III	31-12-1952
IV	31-12-1950
V	31-12-1964
VI	31-12-1965
VII तथा VIII	अद्यतन

टाइप IV तथा उसके नीचे के मकानों के आवंटन के लिए 10 वर्ष से कम सेवा-काल वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र देना भी अपेक्षित नहीं था। टाइप V तथा उससे ऊपर के टाइप के पात्र अधिकारियों के मामले में प्राथमिकता की तिथि की गिनती उस तिथि से की जाती है जिस तारीख से वह अधिकारी टाइप विशेष से सम्बन्धित परिलब्धियां निरन्तर प्राप्त करता है। उनके मामलों में उनके सेवा-काल के बारे में सूचना सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं है। 99,828 मकानों की कुल मांग के विपरीत सामान्य पूल में 41,337 एकक हैं तथा परितुष्टि की प्रतिशतता 41.5 है। सामान्य पूल-वास के पात्र 58,491 अधिकारियों को अभी तक वास नहीं दिए गए हैं।

(ख) 5 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए निजी वास किराये पर लेने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये स्कीमें विचाराधीन हैं। यदि अपेक्षित निधियां तथा विकासित भूमि उपलब्ध हुई और यदि इस्पात, ईंटें तथा सीमेंट जैसी भवन निर्माण सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हुई, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली/नई दिल्ली में सभी टाइपों में 75 प्र० श० परितुष्टि तथा अन्य नगरों में, जहां सामान्य पूल वास वर्तमान है तथा परितुष्टि की प्रतिशतता कम है, 40 प्रतिशत परितुष्टि प्राप्त करना अभीष्ट है।

जनरल पूल में क्वाटर और उनका बिना बारी के अधार पर आवंटन

2798. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में 1 नवम्बर, 1972 को सरकारी क्वार्टरों की (श्रेणीवार) संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से कितने क्वार्टर 1 नवम्बर, 1972 को जनरलपूल में थे और कितने अन्य पूलों में थे; और

(ग) जनरल पूल में से कितने क्वार्टर 1 नवम्बर, 1969 से लेकर (श्रेणीवार और वर्ष-वार) बिना बारी के आधार पर और कितने बारी के अनुसार आवंटित किए गए ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना इस प्रकार है :—

टाईप	कुल निवास-स्थानों की संख्या	सामान्य पूल में निवास-स्थान	अन्य पूलों में निवास-स्थान
I	13,927	13,085	842
II	16,228	15,521	707
III	5,096	4,910	186*
IV	5,540	4,992	548
V	2,385	1,876	509
VI	715	531	106 **
VII	259	124	56 **
VIII	176	27	26 **
कुल	44,326	41,066	2,980 ×

* इसमें प्रेस पूल के क्वार्टर शामिल नहीं हैं।

** इसमें संसद सदस्यों, मंत्रियों तथा अपात्र व्यक्तियों को आवंटित मकान शामिल नहीं हैं।

× इस आंकड़े में संसद सदस्य पूल के वास शामिल नहीं है।

(ग) 1 नवम्बर, 1969 से वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों का अलग अलग ब्यौरा तथा बारी पर आवंटित किए गए मकानों की संख्या और चिकित्सा आधार पर, स्वर्गीय/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रित सम्बन्धियों को तथा अन्य संवेदनाशील आधार पर बिना बारी के/तदर्थ आधार पर आवंटित किए गए मकानों की संख्या इस प्रकार है :—

टाइप	नवम्बर तथा दिसम्बर 1969		1970		1971		1972 30-11-1972 तक)	
	बारी पर	बिना बारी के	बारी पर	बिना बारी के	बारी पर	बिना बारी के	बारी पर	बिना बारी के
I	296	—	842	24	667	38	1114	54
II	66	30	345	330	778	3[illegible]2	422	265
III	58	3	400	61	779	119	418	92
IV	41	10	413	39	772	58	622	102
V	44	2	267	33	2[illegible]9	44	284	75
VI	23	—	176	—	187	—	112	—
VII	3	—	39	—	44	—	38	—
VIII	3	—	10	—	9	—	5	—
जोड़	534	45	2492	487	3525	571	3015	588

रबी फसल की जुताई के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र

2799. श्री विश्वनाथ झुनझुनावाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में रबी की जुताई के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्यों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या जुताई के अन्तर्गत लाये जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र को जल-सप्लाई की जायेगी और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) क्या जुताई के क्षेत्र में विस्तार करते समय नकदी फसलों के उत्पादन में हुई असफलता के कारणों को ध्यान में रखा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में रबी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है। इस कार्यक्रम और शीतकालीन वर्षा के परिणामस्वरूप आशा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में क्षेत्र और उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होगी। तथापि, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ अन्य राज्यों में इसके क्षेत्र और उत्पादन में कुछ कमी भी हो सकती है। क्षेत्र और उत्पादन संबंधी पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सभी उपलब्ध साधनों, जैसे कि नदियों, छोटी नदियों, झीलों और तालाबों से उठाऊ सिंचाई, बन्ध बनाकर नदियों आदि के पानी की सिंचाई के लिये उपयोग, जहां कहीं सम्भव हो नलकूपों को विद्युत चालित करने और खुदाई कुओं के निर्माण, कुओं को गहरा आदि करने की अन्य योजनाओं के जरिये सभी उपलब्ध स्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये गये हैं। कुल मिलाकर 1972-73 में विभिन्न राज्यों के लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये 152.4 करोड़ रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

(घ) उर्वरक और विद्युत की कमी मुख्य बाधाएं है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने पास उपलब्ध उर्वरकों के सीमित स्टाक का ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोग करें, जहां इनके प्रयोग से प्रति यूनिट उत्पादन में अधिकतम वृद्धि होने की सम्भावना हो। बिजली की कमी के प्रतिकूल असर को कम करते की दृष्टि से डिजल पम्प सैट लगाने की सलाह दी गई थी और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध विद्युत सप्लाई के नियतन के मामले में कृषि को प्राथमिकता देने के लिये भी कदम उठाये गये थे।

चावल का उत्पादन, वसूली तथा सप्लाई

2800 श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 और 1972 में देश में चावल का कितना उत्पादन हुआ तथा उसकी कितनी वसूली हुई;

(ख) इस अवधि में अलग अलग कितना चावल सप्लाई किया गया तथा कितने चावल की खपत हुई; और

(ग) 1973 में चावल का कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है और क्या आन्तरिक उत्पादन से मांग पूरी हो जायेगी और यदि नहीं, तो कुल कितने चावल का आयात करना पड़ेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1971 और 1972 वर्षों के लिए चावल का उत्पादन, अधिप्राप्ति और सरकारी वितरण इस प्रकार था:—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन	अधिप्राप्ति	सरकारी वितरण
1971	422	35	32
1972	427	26	36

? 1971 और 1972 के उत्पादन के आंकड़े क्रमशः कृषि वर्ष 1970-71 और 1971-72 के तदनुरूपी है।

(ग) चावल की सामान्य फसल से चावल का आयात किये बिना पूरी आन्तरिक माँग को पूरा करना सम्भव होना चाहिए। कृषि वर्ष 1972-73 के चावल के उत्पादन के अनुमान केवल कहीं जुलाई-अगस्त, 1973 में उपलब्ध होंगे।

इन्फैक्शन डिजीजिज अस्पताल, दिल्ली का स्थानान्तरण

2801. श्री बनमाली पटनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्फैक्शनस डिजीजिज अस्पताल, दिल्ली के जिसके आसपास बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, को स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुये स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बस्ती में, जो अस्पताल सम्बन्धी सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हैं, एक जनरल अस्पताल कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में अनाज का जब्त किया जाना

2802. श्री एम० एस० शिवस्वामी :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तथा देश में अन्य स्थानों पर खाद्य विभागों ने कोल्ड स्टोरेजों में छिपे अनाज पर कब्जा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं पर गोष्ठी

2803. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 में नई दिल्ली में कोई गोष्ठी हुई थी जिसमें दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य समस्याओं पर चर्चा की गई और उस गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार के तत्वाधान में ऐसी कोई गोष्ठी नहीं हुई थी ।

तपेदिक का उन्मूलन

2804. कुमारी कमला कुमारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में तपेदिक रोग का उन्मूलन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कितने कार्यक्रम, राज्यवार, मंजूर किए गए थे;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं किस आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए मंजूर की गई;

(ग) क्या बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र और विशेषकर पालामऊ जिले के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम मंजूर किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) 1971-72 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला क्षय रोग केन्द्रों, क्षय रोग पृथक्करण पलंगों तथा क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी भौतिक लक्ष्यों का एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4456/73]

(ख) वर्ष वार लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों से परामर्श करने के बाद तथा योजना अवधि में सम्पूर्ण लक्ष्यों, राज्यों द्वारा गत वर्षों में की गई प्रगति तथा सम्बन्धित वर्ष के लिए साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) जिला क्षय रोग केन्द्रों, पृथक्करण पलंगों आदि की स्थापना के लिए लक्ष्य प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित किये जाते हैं तथा इस का निर्णय करना राज्य पर निर्भर करता है कि वह कौन से जिले में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है । फिर भी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वह इस कार्यक्रम को उस जिले में कार्यान्वित करे जहां पर यह कार्यक्रम पहले से नहीं चल रहा है ।

चौथी योजना अवधि के पूर्व ही पलामू तथा राँची जिलों में जिला क्षय रोग केन्द्र खोले जा चुके थे। छोटा नागपुर क्षेत्र के धनबाद, सिंहभूम तथा हजारीबाग के शेष जिलों में राज्य सरकार द्वारा ऐसे केन्द्र अभी स्थापित किये जाने हैं।

प्राकृतिक संसाधनों की खोज के सम्बन्ध में केरल से परियोजना प्रतिवेदन

2805. श्री वयालार रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक संसाधनों की खोज के सम्बन्ध में केरल सरकार से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदनों के नाम क्या हैं जो कृषि मंत्रालय के समक्ष मंजूरी के लिए विचाराधीन है; और

(ख) निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एल्लेप्पी पत्तन को कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करना

2806. श्री वयालार रवि :
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत ढाई वर्षों में एल्लेप्पी पत्तन को कोचीन का सहायक पत्तन घोषित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या केरल सरकार ने अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी भेज दी है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के कारण क्या हैं और अन्तिम निर्णय की घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) केरल सरकार ने सितम्बर 1969 में परिवहन मंत्रालय को सुझाव दिया था कि अलेप्पी पत्तन को कोचीन का सहायक पत्तन बनाने हेतु उपाय किये जायें, जिससे साफ मौसम के दौरान कोचीन में भीड़ होने पर यातायात को अलेप्पी की ओर मोड़ना सम्भव हो जाय और दोनों पत्तनों की पश्च भूमि को आर्थिक लाभों सहित उचित परिवहन तथा संचार सुविधाएं दी जा सके। इस सुझाव पर जनवरी, 1970 में राष्ट्रीय हारबुर बोर्ड ने विचार किया था, जिसकी यह राय थी कि कोचीन पत्तन पर साफ मौसम में कोई भीड़ नहीं होती। केरल सरकार ने नवम्बर, 1971 में यह सुझाव पुनः रखा। मामले में राज्य सरकार अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया और राज्य सरकार से हाल ही में एक स्वतः पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साफ मौसम में, वहां पर यातायात की स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ यातायात अलेप्पी को मोड़ने की दृष्टि से प्रस्ताव किया गया है। कोचीन पत्तन न्यास के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

एलेप्पी टी० डी० मेडिकल कालेज, केरल के विकास के लिए वित्तीय सहायता

2807. श्री बयालार रवि :
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा एलेप्पी टी० डी० मेडिकल कालेज, केरल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने के बाद उसके विकास पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई है और आगामी पाँच वर्षों में इस संस्था पर कितनी धन राशि खर्च किये जाने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्था के विकास सम्बन्धी व्यय के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) केरल सरकार द्वारा 1967 में इस मेडिकल कालेज को अपने हाथों में लिए जाने के बाद से राज्य सरकार ने कालेज तथा उससे सम्बद्ध अस्पताल में नैदानिक शिक्षण का विकास करने तथा कालेज के प्रबन्ध के लिए लगभग 60 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं ।

राज्य सरकार ने इस कालेज के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बना दी है तथा अनुमान है कि अगले पांच वर्षों के दौरान इस कालेज पर 4.5 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे ।

(ख) तथा (ग) जी हां । प्रति व्यक्ति फीस (कैपिटेशन फीस) को समाप्त करने तथा ट्यूशन फीस और विशेष फीस को कम करने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए केरल सरकार ने भारत सरकार से 12 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान तथा कालेज और उससे सम्बद्ध अस्पताल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश अनुदान का अनुरोध किया है ।

पूर्वस्नातक चिकित्सा शिक्षा एक राज्य विषय है, इस लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य की योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को किसी प्रकार की सहायता देने की व्यवस्था नहीं है। अत: केरल सरकार को 3 फरवरी, 1973 को सूचित कर दिया गया है कि इस मामले में भारत सरकार कोई मदद नहीं कर सकती ।

बिड़ला हायर सेकण्डरी स्कूल कमला नगर, दिल्ली

2808. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला हायर सैकण्डरी स्कूल, कमला नगर, दिल्ली के प्रबन्धकों ने अपने स्कूल के 1400 विद्यार्थियों को नोटिस दिया है कि वे आगामी शिक्षा वर्ष से अपनी पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लें;

(ख) क्या स्कूल के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार के नोटिस दिये गये हैं कि उनकी सेवाएं 30 अप्रैल, 1973 से समाप्त कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस स्कूल के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां । केवल बिड़ला मिल्स के गैर-कर्मचारियों के छात्रों को कहा गया है कि वे अन्य स्कूलों में दाखिला ले लें ।

(ख) जी, हां । लगभग दो तिहाई कर्मचारियों को 1-5-73 से उनकी सेवाए समाप्त करने के नोटिस दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) स्कूल निजी स्कूल है और स्कूल के प्रबन्धकों ने सेवाएं समाप्त करने का नोटिस देने का निर्णय किया है, परन्तु कर्मचारियों और छात्रों को कोई हानि न पहुंचने देने को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं ।

आसाम में चाय बागान के लिए उर्वरक की अत्यधिक कमी

2809. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में उर्वरक की अत्यधिक कमी के बारे में आसाम में चाय उगाने वालों ने एक अभ्यावेदन भेजा था ; और

(ख) यदि हाँ, तो आसाम के चाय उगाने वालों के उर्वरक की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ, असम के चाय उगाने वालों ने सरकार को उर्वरकों की कमी के बारे में लिखा था ।

(ख) सितम्बर, 1972 में हुए उर्वरकों सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलनों में असम के चाय बागान की माँग 8500 मीटरी टन नाईट्रोजन होने का अनुमान लगाया गया था । इसकी सप्लाई अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि में भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप द्वारा की जानी थी । इसमें से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करके भारतीय उर्वरक निगम, नामरूप को अक्तूबर, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि के लिए 5666 मीटरी टन नाईट्रोजन सप्लाई करने के लिए कहा गया था । किन्तु निर्माताओं ने वास्तव में 6097 मीटरी टन नाईट्रोजन की सप्लाई की जोकि आदेश में दी गई मात्रा से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है ।

उर्वरक के वितरण के लिए बेरोजगार शिक्षित युवकों को एजेंसियां देना

2810. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 में उर्वरक के वितरण के लिए एजेन्सियों के माध्यम से राज्यवार कुल कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णा साहिब पी० शिन्दे) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परिवहन कराधान नीति

2811. श्री राजदेव सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन कराधान के प्रश्न पर विचार करने वाले कई विशेषज्ञ दल इस बारे में एक मत थे कि देश में करों की दर बहुत ऊंची है,

(ख) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 1952 में इससे 61.3 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जो 1969 में बढ़ कर 552.28 करोड़ रुपये हो गया था जब कि सड़क व्यवस्था में काफी खामियाँ थी,

(ग) क्या कराधान की ऊंची दर और सड़को की दोषपूर्ण व्यवस्था का सड़क परिवहन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो करों में वृद्धि और सड़कों की दोषपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या सरकार का विचार आने वाले वर्षों में सड़क कराधात नीति में कोई परिवर्तन करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (घ) मोटर गाड़ियों संबंधी कराधान, मुख्यत: राज्य क्षेत्र में है। सड़क परिवहन कराधान जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि इस देश में सड़क परिवहन पर कराधान एक ऐसी स्थिति तक पहुँच गया था कि उद्योग विकास के लिए बाधक सिद्ध होने लगा था। समिति ने यह सुझाव दिया कि सड़क परिवहन परिचालकों को कराधान की मौजूदा दरों से कुछ राहत दी जानी चाहिए और यदि ऐसा सम्भव न हो तो कराधान के वर्तमान स्तर में कोई और परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। परिवहन विकास परिषद ने मामले की जांच की और उसकी यह आम राय थी कि विकास संबंधी क्रियाकलापों के लिए साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार के लिए कराधान में कोई भी कमी करना मुश्किल होगा। अतएव प्रथमतः इस बात पर सहमति हुई कि मोटर गाड़ियों पर कराधान के मौजूदा स्तर में और कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इस पर भी सहमति हुई कि सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व का अधिक बड़ा हिस्सा सड़क पर खर्च किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें राज्य सरकारों को बता दी गई हैं।

यह सही हैं कि सड़क परिवहन से प्राप्त राजस्व 1951-52 में लगभग 61 करोड़ रुपये से बढ़कर 1968-69 में 552 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि, कराधान के स्तरों में केवल वृद्धि के कारण ही नहीं है, बल्कि सड़क पर मोटर गाड़ियों की कुल संख्या में वृद्धि के कारण भी है। परन्तु सत्य नहीं है कि सड़क प्रणाली मे कमी इस अवधि में बढ़ गई है। वास्तव में, सड़क विकास के लिए आवंटन बढ़ गया हैं।

मोटर गाड़ियों पर विभिन्न करों के लगाने और वसूली के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और राज्यों के चालू राजस्व को प्रभावित किये बिना सामान्यत: मौजूदा कर ढांचे की विविध एजेंसियों और युक्तिकरण से बचने के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य दल नियुक्त किया है।

इस दल की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

जल सप्लाई और मल- व्यवस्था का केन्द्रीयकरण

2812. श्री एस० एम० जोजफ : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल सप्लाई और मल-व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य करने वाले प्राधिकरणों के केन्द्रीयकरण की आवश्यकता पर विचार किया है जैसा कि केरल के मुख्य मंत्री ने 29 जनवरी, 1973 को सुझाव दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) : केरल के मुख्य मंत्री ने त्रिवेन्द्रम में 28 जनवरी 1973 को जल पूर्ति था मल व्यवस्था परियोजनाओं में धन लगाना तथा प्रबन्ध करना के सेमिनार में अपने उदघाटन भाषण में प्रत्येक राज्य के लिए जल पूर्ति तथा मल व्यवस्था परियोजनाओं के प्रबन्ध के लिए आत्मनिर्भरता के आधार पर केन्द्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बारे मे कहा था।

जब पूर्ति राज्य का विषय है। जलपूर्ति' मल व्यवस्था तथा नालियों के कार्यों को करने के लिए जलपूर्ति तथा विकास बोर्डों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारें समर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे बोर्डो को स्थापना को प्रोत्साहन देती है। स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद् ने अक्तूबर, 1971 में हुई अपनी 17 वीं बैठक में सभी राज्य सरकारों को शहरी तथा ग्रामीण जलपूर्ति तथा सफाई की योजनाओं की जांच पड़ताल, डिजाइन, अनुरक्षण का नियन्त्रण करने के लिये राज्य स्तर पर वाटर एण्ड सीवरेज बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी जिसको इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए सरकारी ऋण लेने के लिये उपयुक्त शक्तियाँ दी जायें।

रासायनिक उर्वरकों की कमी

2813. डा० रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रासायनिक उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय कितनी कमी है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। देश में उर्वरकों की उपलब्धि कुछ सीमित है।

(ख) सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार रबी 1972-73 में (अक्तूबर 1972 से मार्च, 1973 तक) देश की उर्वरकों की आवश्यकता और उपलब्धि की स्थिति इस प्रकार है:—

	एन०	पी०	के०	(लाख मीटरी टनों में) एन+पी+के
(1) सरकार द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार आवश्यकता	12.52	4.06	2.21	18.79
(2) उपलब्धि				
(क) 31 मार्च, 1973 तक	14.06	4.85	2.56	21.47
(ख) 31 जनवरी 1973 तक	10.00	3.59	2.15	15.74

इस प्रकार अक्तूबर, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान उर्वरकों की कुल उपलब्धि इस मौसम की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त है। तथापि, चूंकि रबी और ग्रीष्मकालीन मौसमों के लिए आवश्यक अधिकाँश उर्वरकों का जनवरी, 1973 के अन्त तक उपयोग किया जाना था, इस लिए जनवरी, 1973 के अन्त तक सभी पोषक तत्वों की कुल उपलब्धि आवश्यकता से लगभग 16 प्रतिशत कम रही।

(ग) आने वाले कुछ समय में उर्वरकों की उपलब्धि में सुधार के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) देश में निर्मित उर्वरकों के समान वितरण की दृष्टि से, खासकर ऐसे राज्यों को जिनमें उर्वरक कारखाने नहीं है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निर्माताओं को आदेश देकर विभिन्न राज्यों में निर्दिष्ट मात्रा में उर्वरक सप्लाई करना उनके लिये अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत निर्माताओं को यह आदेश दिये गये हैं कि वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को की गई वास्तविक सप्लाई और प्रस्तावित सप्लाई की मात्रा के संबंध में प्रति मास रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे राज्य सरकारों को उन के कार्य-निष्पादन पर निगाह रखने में मदद मिलेगी।

(3) राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे सहकारी समितियों और खुदरा विक्रेताओं दोनों के गोदामों में उपलब्ध स्टाक की ध्यान पूर्वक सूची तैयार करें और इसका अक्सर पुनरीक्षण करते रहें ताकि उपलब्ध उर्वरकों का सामयिक और समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(4) उर्वरक निर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपना उत्पादन सहकारी संगठनों के माध्यम से सप्लाई करें ताकि धांधली की कम से कम गुंजाइश रहे।

(5) उर्वरको की लम्बी दूरी तक ढुलाई और इधर-उधर लाने ले जाने से बचने के लिए पूल और देश में निर्मित उर्वरकों के वितरण के एक तर्कसंगत कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है।

(6) उच्च प्रशासनिक स्तर पर मासिक पुनरीक्षणों के जरिए रेल संचालन के लिये रेलवे वैगनों की उपलब्धि पर ध्यानपूर्वक निगाह रखी जा रही है, ताकि रेल परिवहन में रूकावटों का असर उर्वरकों के वितरण पर न पड़े।

तथापि दीर्घकालीन उपायों के तौर पर सरकार देश में उर्वरकों के निर्माण की क्षमता बढ़ा रही है और इसके साथ साथ वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ाने के लिये भी सभी सम्भव प्रयत्न कर रही। यदि विचाराधीन सभी परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया गया जो 1978-79 तक उर्वरकों के मामले में देश के आत्म निर्भर हो जाने की सम्भावना है।

वेस्ट कोस्ट रोड का स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव

2814. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट कोस्ट रोड का स्तर राष्ट्रीय राजमाग के बराबर लाने के लिए प्रयत्न किये गये हैं या करने का विचार है,

(ख) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों में से किसी ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थान बदलने का प्रस्ताव किया है,

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्ग की मार्ग रेखा में परिवर्तन के लिये प्रस्ताव कर सकती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) वेस्ट कोस्ट रोड 7-3-72 से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इससे पहले इसका अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इकहरी गली के राज-मार्ग के रूप में विकास किया जा रहा था। इसके राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के बाद इस पर वर्तमान कमियों का मूल्यांकन करने और राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक इसके सुधार पर होने वाले व्यय के मूल्यांकन करने के लिये भी संबंधित राज्य सरकारों से सूची सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। सूची सर्वेक्षण अब कर लिया गया है जो इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर के और विकास के लिये आयोजन करते समय दृष्टि में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र और केरल सरकारों ने अपने 2 क्षेत्रों में सड़क के कुछ मार्गों में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखन में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। प्रस्तावित परिवर्तनों की संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से और जांच की जायेगी।

(घ) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखन में परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकते हैं परन्तु इस संबंध में प्रस्ताब के गुणों के आधार पर अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।

सहकारी ऋण देने की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अध्ययन दल की नियुक्ति

2815. श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने देश में थ्री टायर सहकारी ऋण व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में समय पर ऋणों का भुगतान न करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस दल को किन अन्य बातों का अध्ययन करने को कहा गया हैं; और

(ग) यह दल अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा और इम अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 दिसम्बर, 1972 को, सहकारी ऋण संस्थाओं के अतिदेयों के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो देश की तीन स्तरीय सहकारी ऋण पद्धति के विभिन्न स्तरों में अतिदेय के प्रश्न पर विचार करेगा।

इस अध्ययन दल के विचारणीय विषय ये है —

(1) देश की तीन स्तरीय सहकारी ऋण पद्धति के विभिन्न स्तरों में अतिदेयों की स्थिति का अध्ययन करना और मोटे तौर पर इसके कारणों तथा ऋण प्रदान करने पर इसके प्रस्ताव का पता लगाना और उपचारी उपाय सुझाना;

(2) प्रचलित स्थिरीकरण प्रबन्धों के अन्तर्गत जिन परिवर्तन सुविधाओं की अपेक्षा की गई है उन्हें प्रदान करने की नीति तथा कार्य विधि की जांच करना; परिवर्तन सुविधायें प्रदान करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब अथवा अनुचित रूप से इंकार करने के लिये जिम्मेदार कारणों का पता लगाना और प्रभावित कृषकों को समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय सुझाना; प्रसंगवश अवधि बढ़ाने की मजूरी देने सम्बन्धी कार्यविधि और इस प्रकार की राहत देने की आवश्यकता तथा उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता की जांच करना और इस बारे में सिफारिशें करना;

(3) लगातार फसल खराब होने पर स्थिरीकरण निधियों में से मंजूर किये जाने वाले परिवर्तन ऋणों का अवधिक्रम बदलने अथवा पुनः अवधि नियत करने से सम्बन्धित कार्यविधियों की जांच करना और इस बात की भी जांच करना कि क्या सहकारी ढाँचे की निधि से अतिरिक्त निधि को काम में लाना आवश्यक प्रतीत होता है; प्रकार के ऋणों को बट्टे-खाते में डालने के लिए राज्य सरकारों की कृषि ऋण राहत तथा गारंटी निधियों का उपयोग करने के लिए अपेक्षित उपायों की जाँच करना;

(4) इस बात का अध्ययन करना कि जानबूझ कर न की गई चूकों का परिमाण कितना है और इस वर्ग के बकायादारों को किन परिस्थितियों में उदाहरणार्थ, उनके लिये तैयार किए गए पुनः स्थापना कार्यक्रमों के आधार पर, राहत दी जा सकती है; इस बात का निर्धारण करना कि इस वर्ग में कौन से बकायादार आते हैं और किन शर्तों के अन्तर्गत उन्हें राहत दी जा सकती है; यह सिफारिश करना कि इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर कौन से वित्तीय प्रबन्ध करने की आवश्यकता है और अपेक्षित निधियों के निर्माण के लिये क्या उपाय करने है और इस सन्दर्भ में इस बात की जांच करना कि क्या रिजर्व बैंक की दीर्घकालीन परिचालन निधि का उपयोग अंश-पूंजी अंशदान देने के लिए किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परिस्थितियों में उत्पादन ऋण सुचार रूप से दिया जाये और इनके बारे में सिफारिशें करना;

(5) कोई और अन्य सिफारिश करना जो उपर्युक्त विचारणीय विषयों के प्रसंग में हो अथवा से सम्बन्ध रखती हो।

3. दल के सदस्य ये हैं :—

(1) मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई—अध्यक्ष।

(2) अध्यक्ष, गुजरात स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि०, अहमदाबाद—सदस्य

(3) सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि—सदस्य

(4) विशेष सचिव, राजस्थान सरकार, कृषि तथा सहकारिता विभाग, जयपुर—सदस्य ।

(5) पंजीयक, सहकारी समितियां, मध्यप्रदेश भोपाल—सदस्य

(6) संयुक्त मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई—सदस्य-सचिव

अध्ययन दल द्वारा अन्य सदस्य सहयोजित किये जा सकते हैं ।

4. उम्मीद है कि दल अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि में दे देगा ।

चीनी उद्योग में कम पूंजी वाली फर्में

2816 श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में कम पूंजी वाली कुछ फर्में है ;

(ख) यदि हां, तो, राज्य-वार उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार का ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य तेलों का आयात

2817. श्री जी० वाइ० कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 और 1971-72 में ताड़ के तेल और सोयाबीन तेल सहित कुल कितने खाद्य तेलों का आयात किया गया ; और

(ख) चालू वर्ष में कितना आयात किया जा रहा है और क्या किसी देश ने ये तेल उपहार स्वरूप भी दिये हैं और यदि हां तो किस देश ने और कितनी मात्रा में ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह):(क) : पिछले दो वर्षों के दौरान खाने तेलों के तिलहनों की निम्नलिखित मात्रा आयात की गई थी :-

जिन्स	1970-71 (मीटरी टन)	1971-72 (मीटरी टन)
सोयाबीन का तेल	99,601	(80,311 50,554 ?
सूरजमुखी का तेल	शून्य	2,983 ?
तोरिया	28,260	49,250

शरणार्थियों के लिए राहत सप्लाई

?

इन दो वर्षों के दौरान ताड़ का तेल आयात नहीं किया गया था ।

(ख) : 1972-73 के दौरान वाणिज्यिक आधार पर लगभग 100,000 मीटर टन खाने का तेल आयात करने की व्यवस्था की गई है । लगभग 80,000 मीटरी तोरिया कनाडा से मुफ्त प्राप्त हो रहा है और 8292 मीटरी टन सोयाबीन का तेल शरणार्थी राहत के लिए पश्चिमी जर्मनी द्वारा दिया गया था ।

Shifting of Guru Govind Singh Medical College from faridabad to Patna

2818. **Dr Laxminarayana Pandeya** : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether the management of the Guru Govind Singh Medical College, Faridabad, want to shift the college to Patna;

(b) whether the students of the said college want that either the college should be run there on sound lines or its students be transferred to any of the medical college in Punjab or Delhi; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in regard to the future of the students ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The Government of Haryana have informed the Government of India that they have no information about it.

(b) Yes .

(c) The Government of India have suggested to the government of Harynna and Punjab theformation of a charitable trust to take up the management and bring the college upto standard.

प्रधान मन्त्री के सरकारी आवास पर व्यय

2819. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास को सजाने, पुन: सजाने और रख-रखाव पर गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) प्रत्येक मद पर कितना व्यय किया गया ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औषधि नियन्त्रण स्तर के लिए विशेषज्ञ सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव

2820. **श्री सतपाल कपूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावशाली औषधि नियन्त्रण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार देश में विश्लेषक सुविधाएं बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में विश्लेषक प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा विस्तार करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है । इसका ब्यौरा अभी तय नहीं हुआ है । पांचवीं पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है । इस समय केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता तथा भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, जो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण

के अधीन है, उन राज्यों को जिसके जहां औषधि परीक्षण की अपनी प्रयोगशालायें नहीं हैं परीक्षण की सुविधाएं दे रही हैं। इन प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और इनका विस्तार भी किया जा रहा है।

एन्ड्रीन का आयात

2821. श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एन्ड्रीन" कीटनाशक दवाई अमरीका और हालैंड से आयात की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने टन का आयात हुआ है और भारत द्वारा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) क्या विश्व के अधिकांश देशों में इस दवाई पर इस आधार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि यह बहुत ही नशीली है और इसका प्रभाव फसल पर रह जाता है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किन कारणों से आयात किया जा रहा है जबकि भारत में इससे कम हानिकारक कीटनाशी दवाएं उपलब्ध है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972 में 24,27,250 अमरीकी डालर की लागत से 520 मीटरी टन "एन्ड्रीन" का आयात किया गया था।

(ग) कुछ देशों ने "एन्ड्रीन" के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है।

(घ) "एन्ड्रीन" अब भी एक अत्यधिक कारगर और अपेक्षाकृत सस्ती कीट-नाशक दवाई है। यह कुछ थोड़ी सी फसलों के लिए लगातार प्रयोग में लाई जाने वाली कीटनाशक दवाई है और इस गुण के कारण यह जिन फसलों और भूमि पर छिड़की जाती है उनके लिए इस दृष्टि से लाभप्रद है कि इससे लागत कम आती है और इसका अधिक बार प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। इसकी जगह अपेक्षाकृत अधिक निरापद कीटनाशक दवाई के प्रदर्शन और प्रयोग के विस्तार के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे। वनस्पति रक्षण निदेशालय भी "एन्ड्रीन" का प्रयोग क्रमिक रूप से बन्द करने और आमतौर पर तथा खासकर खाद्यान्नों की फसलों पर इसका प्रयोग कम करने की सिफारिश करता रहा है।

मैदा न मिलने के बारे में ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा की गई शिकायत

2822. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री एम० एस० पुरती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-फरवरी, 1973 में मैदा न मिलने के बारे में ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी ने सरकार को शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी ने केन्द्रीय पूल से सीधा गेहूँ आवंटित करने के लिए अनुरोध किया था। मौजूदा प्रबन्धों के अनुसार सभी अन्य थोक प्रयोक्ताओं की तरह, ब्रिटानिया बिस्कुट कं० से भी अपेक्षा की

जाती है कि वे राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा जारी किए गए परमिट के आधार पर रोलर मिलों से मैदा प्राप्त करें। तदनुसार कम्पनी को सूचित किया गया था कि बिस्कुट कम्पनी के लिए गेहूँ का विशेष आवंटन करना सम्भव नहीं है।

आगरा के निकट चीनी की बोरियां की बरामदगी

2823. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1973 में भारतीय खाद्य निगम की चीनी की 109 बोरियां आगरा के निकट उस समय बरामद की गई थी जब वे काले बाजार में बेचे जाने के लिए भेजी जा रही थी; और

(ख) क्या मामले की पूरी जांच कर ली गई है और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया और उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम की 109 चीनी की बोरियां 31 जनवरी, 1973 को पुलिस ने पकड़ी थीं जबकि उस स्टाक का कुछ हिस्सा सदाबाद तहसील में वितरण के लिए था जोकि मथुरा में उतारा जा रहा था।

(ख) प्रारम्भिक जाँच के बाद, गुण निरीक्षक जिसके अधीन स्टाक था, को मुअतिल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं। यह मामला पुलिस की जांच के अधीन है।

हरियाणा में यमुना के किनारों के साथ साथ ट्यूबवैल लगाने के बारे में तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

2824. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में जमुना के किनारों के साथ साथ ट्यूबवैल लगाने के बारे में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच चल रहे विवाद की जाँच करने सम्बन्धी तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र में लगभग 500 क्यूसैक्स भूमिगत जल निकालने के संबंध में हरियाणा की योजना की यूनिट 1, फेज 1 के लिए समिति द्वारा सर्व सम्मति से तकनीकी रूप से स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ग) हरियाणा सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वह इस क्षेत्र में 500 क्यूसैक्स भूमिगत जल निकालने के लिए अपने नलकूपों के विद्युतिकरण का कार्य जारी रखें।

पंजाब में बिजली की कमी का कृषि पर प्रभाव

2825. **श्री सतपाल कपूर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 में पंजाब में हाल ही में बिजली की कमी आने का कृषि पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) राज्य में बिजली की कमी को दूर करने और इस प्रकार खाद्यान्नों के उत्पादन में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) हालाँकि राज्य में बिजली की कमी है, फिर भी नंगल उर्वरक कारखाने को बिजली की सप्लाई में कटौती करके कृषि-कार्यों के लिए बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य के अधिकांश भागों में व्यापक और सामयिक वर्षा हुई है। फसल की स्थिति अच्छी है और आशा है कि इस वर्ष गेहूं का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा।

भूमिगत जल का सिंचाई के लिए उपयोग

2826. श्री भोला मांझी :
श्री एम० कतामतु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई के लिए निकाला गया इस्तेमाल के योग्य कितना भूमिगत जल उपलब्ध है;

(ख) इस क्षमता का सिंचाई के लिए कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमिगत जल का कितना अतिरिक्त उपयोग किये जाने का अनुमान है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पूरे देश में सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाने योग्य उपलब्ध भूमिगत जल अस्थायी अनुमान के अनुसार लगभग 2150 लाख एकड़ फुट है। तथापि, भूमिगत जल का मुख्य रूप से सिंचाई के लिए ही उपयोग किया जाता है।

(ख) लगभग 850 लाख एकड़ फुट।

(ग) लगभग 250 से 300 लाख एकड़ फुट।

सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग करने की योजना

2827. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग करने के बारे में कोई व्यापक योजना बनाई है और क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ और वित्तीय सहायतार्थ कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा सरकार ने भी उस राज्य में भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता माँगी है अथवा अनुमोदन के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई कार्यों के लिए भूमिगत जल के उपयोग की कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, राज्यों में क्रियान्वित किये जा रहे लघु सिंचाई कार्यक्रमों में खुदाई कुओं, नलकूपों, कुओं का बोरिंग और

उन्हें गहरा करने, पम्प सेट लगाने के कार्यों के जरिए भूमिगत जल के विकास की व्यापक योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकारों को लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता उस समय चालू सामान्य ढंग से ही दी जाती है और राज्य सरकारों को इसके लिए केन्द्र से अनुमोदन नहीं लेना पड़ता और न ही योजना में शामिल की गई भूमिगत जल विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता ही मांगनी पड़ती है।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा खरीफ में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी पूरी करने के लिए रबी उत्पादन बढ़ाने हेतु जो आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 1972 के दौरान शुरू किया गया था, हरियाणा सरकार ने उसके अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में भूमिगत जल के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई और सहायता नहीं माँगी है।

(ग) आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं में पश्चिमी यमुना नहर विस्तार, नलकूपों को विद्युत-चालित करना, गहरे नलकूप लगाना, डीजल जनरेटिंग सेट खरीदने आदि योजनाएं शामिल हैं।

उर्वरकों का आयात

2828. **श्री एस० कत्तामुत्तु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में भारत ने कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उर्वरक का आयात किया;

(ख) किस किस प्रकार के उर्वरक का आयात किया गया है; और

(ग) हमारे देश को आयातित उर्वरक पर कब तक निर्भर रहना पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1969-70 से वर्ष 1971-72 तक की अवधि में वास्तविक रूप से आयात हुए उर्वरकों की मात्रा तथा उनके मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	लाख मीटरी टन			मूल्य करोड़ रुपयों में
	एन	पी	के	
1969-70	6.67	0.94	1.20	116.77
1970-71	4 77	0.32	1.20	76.78
1971-72	4.80	2.48	2.68	89.97

(ख) आयातित उर्वरकों में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट आदि नाइट्रोजनपूरक, अमोनियम नाइट्रोफास्फेट तथा डाई-अमोनियम फास्फेट आदि फास्फेटपूरक और एन० पी० के, म्यूरियेट आफ पोटाश तथा पोटाश सल्फेट आदि पोटाशीय शामिल थे।

(ग) सरकार नाइट्रोजन तथा फास्फेट के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने तथा पांचवीं योजना के अन्त तक उनका आयात बन्द करने के सम्बन्ध में अनेक कदम उठा रही है। अभी तक पोटाश के पर्याप्त भण्डार का पता नहीं लगा है, अतः पांचवीं योजना के बाद भी पोटाश का आयात जारी रखने की सम्भावना है।

Anticipated Yield Of Kharif Crop

2829. Shri Chandulal Chandrakar:
Shri Ramkanwar:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whe her the yield of kharif crop this year is anticipated to be less than the target fixed for its procurement;

(b) whether it is due to non-utilisation of the ful amount sacnctioned for irrigation by government ;

(c) the amount sanctioned for irrigation and the amount utilised out of it for this purpose; and

(d) the future scheme of government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Agricilture (Prof. Sher Singh) : (a) This would be known after firm estimates of kharif ptoduction in different states are available. is the same are not available at present,

(b) No, Sir. The amounts earmarked for irrigation are by and large, fully utillised and in some cases even exceeded.

(c) Against the Fourth Plan provision of Rs. 952 crores for major-medium schemes and Rs.511.32 crores for minor irrigation schemes an amount of 626. 50 crores for major-medium schemes and Rs. 290. 60 crores for minor irrigation schemes were utilised during the first three year.

(d) The irrigation programmes are proposed to be accelerated as much as possible subject to the availability of financial resources.

Reuqest for central aid for utilisation of under ground water from Madhya Pradesh

2830. Shri Dhan Shan Pradhan : Will the minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for utilisation of under ground water in the State; and

(b) if so, the results thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) : Government of Madhya pradesh have not asked for any assistance from the center or sought their approval for utilisation of underground water in the state except for some scheme proposed under the Emergency Agricultural production programme initiated by the Ministry of Agriculture during 1972 for making up the kharif losses in foodgrains by increasing rabi production. The outlays approved under EAPP include Rs. 91 lakhs for public lift irrigation schemes, Rs 200 lakhs for pumpsets and Rs. 290 lakhs for energisation of pumpsets .

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी के कारण कृषि सम्बन्धी घाटा

2831. श्री रामभगत पास्वान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में बिजली की कमी के कारण कुल कितना कृषि सम्बन्धी घाटा हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : हालांकि राज्य में बिजली की कमी है, फिर भी उपलब्ध बिजली से अधिकतम लाभ उठाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस समय यह बता सकना कठिन है कि बिजली की कमी के कारण कृषि को कितनी हानि होगी।

अधिकारच्युत किये गये सभी नगर निगमों में शीघ्र चुनाव करवाना

2832. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद ने राज्य सरकार से अधिकारच्युत किये गये सभी नगर निगमों में शीघ्र चुनाव करवाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1973 में नई दिल्ली में हुई बैठक में और क्या निर्णय किये गये थे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम् मेहता) : (क) जी, हां । अखिल भारतीय महापौर परिषद ने 16-17 फरवरी, 1973 को ग्वालियर (न कि नई दिल्ली) में हुई अपनी 11वीं बैठक में एक संकल्प पास किया था, जिस में राज्य सरकारों से इस बात के लिए जोरदार अनुरोध किया गया था कि उन सभी निगमों में शीघ्र चुनाव कराए जाएं जिन को बरखास्त किया जा चुका है अथवा जो अन्यथा प्रशासकों द्वारा या विशेष अधिकारियों द्वारा प्रशासित की जा रही हैं ।

(ख) परिषद द्वारा सूचित किए गये अन्य मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं :-

(i) कि नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था में वृद्धि के बारे में जकरिया कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए । मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर आदि जैसे कुछ करों का हिस्सा नगर निकायों को दिया जाए तथा नगर-कर-व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा कोई अतिक्रमण न किया जाए ।

(ii) कि जल, थल और आकाशीय और वातावरण को दूषित होने से रोकने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही की जाए ।

(iii) कि वातावरण सम्बन्धी सुधार के लिए केन्द्रीय अनुदान का अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए तथा इसे सभी निगमों में लागू किया जाए ।

(iv) कि सड़क सुरक्षा, गन्दी बस्ती सफाई तथा नागरिक-चेतना को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं ।

(v) कि नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा सदैव दी जाए ।

(vi) कि नगर निगमों के लिए आदर्श-कानून शीघ्र बनाए जाएं ।

Raising the limit of Beds in Hospitals and Dispensaries in Rural Areas

2833. **Dr. Lakshminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the total number of beds proposed to be raised in the hospitals and dispensaries located in rural areas during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the number of doctors proposed to be added at the Primary Health Centres and Community Development Blocks during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) A scheme to upgrade about 200 selected primary health centres to 30 bedded

rural hospitals during the last year of the Fourth Plan is under consideration. If this materialises about 5000/6000 beds would be added in the rural areas.

(b) The present deficiency of doctors for the primary health centres is about 2700. The State Governments have been requested to make up the deficiency by the end of the Fourth Plan.

कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघों द्वारा हड़ताल का स्थगित किया जाना

2835. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघों ने अपनी हड़ताल पंद्रह दिन के लिए स्थगित कर दी है,

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं, और

(ग) हड़ताल रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) 6 जनवरी, 1973 को कलकत्ता पत्तन श्रमिक संघ ने कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को एक मांग पत्र भेजा था जिसमें 22 मांगें शामिल थीं और अपनी मांगें मनवाने के लिए उसने अपने पत्र की तारीख से 14 दिनों के अन्त में कलकत्ता पत्तन के कर्मचारियों के हड़ताल करने के अपने आशय के बारे में नोटिस दिया। मांग पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 4457/73]

पत्तन आयुक्त संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं और समस्याओं के समाधान के बारे में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए सघ ने पत्तन आयुक्तों को सलाह दी है कि उसने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय किया है।

Ceiling on Urban Property

2836. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased state :

(a) whether Government have taken a final decision on the ceiling on urban property Bill; and

(b) if not, the reasons for delay in this regard and the time by which a final decision is likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works & Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The matter is under consideration.

मूंगफली के तेल और कैस्टर आयल के मूल्यों में वृद्धि

2837. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष के प्रारम्भ में मूंगफली के तेल का प्रति टन मूल्य 5250 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गया है और इस प्रकार यह लगभग 750 रुपये तक बढ़ गया है;

(ख) क्या उसी वर्ष में, कैस्टर आयल (वाणिज्यिक) 4,900 रु० से बढ़कर 6,1000 रुपये और मूंगफली के तेल एक्सपैलर का मूल्य 1300 रुपये से बढ़कर 1570 रुपये प्रति टन हो गया; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में स्थिर मूल्य बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) निम्नलिखित सारणी में मौजूदा फसल, कैलेण्डर वर्षों और चालू महीने के शुरू में बम्बई बाजार के मूल्य दिए गये हैं :-

(रुपए प्रति मीटरी टन)

	मौजूदा फसल वर्ष के शुरू में 3-11-72 को समाप्त होने वाले सप्ताह में	चालू कैलेण्डर वर्ष के शुरू में 5-1-73 को समाप्त होने वाले सप्ताह में	चालू महीने में 2-3-73 को समाप्त होने वाले सप्ताह में
1. मूंगफली का तेल	4850	5400	6450
2. अरण्डी का तेल (वाणिज्यिक)	4950	5050	6350
3. मूंगफली का तेल (छिल्का रहित)	990	1305	1450

(ग) चालू वर्ष के दौरान वनस्पति तिलहनों और तेलों के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अनियमित रूप से वर्षा हुई है और सूखे की परिस्थिति के परिणामस्वरूप खरीफ के तिलहनों के उत्पादन में कमी हुई है । सप्लाई में होने वाली कमी का सामना करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इन में सरसों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली तथा सूरजमुखी के बीजों आदि गैर-परम्परागत रबी कालीन तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना वनस्पति की तैयारी में मूंगफली के तेल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना तथा विनौले, सरसों, सूरजमुखी और उसके स्थान पर चावल की भूसी आदि वैकल्पिक तेलों का उपयोग बढ़ाना; साबुन बनाने के लिए वृक्ष मूलक साधारण तेलों व चावल की भूसी के उपयोग को प्रोत्साहन देना शामिल है । इनके अतिरिक्त आन्तरिक सप्लाई को बढ़ाने के लिए खजूर और सोयाबीन के तेलों, वसा और तौरिया आदि के आयात की यथासम्भव व्यवस्था की गई है ।

फसल बीमा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2838. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमा के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त डा० धरन्ननारायण समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस देश में वर्तमान परिस्थितियों में अनिवार्य फसल बीमा शुरू करना व्यावहारिक नहीं होगा । तथापि, समिति ने बड़ौदा जिले में संकर-4 कपास

के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा नमूने के तौर पर शुरू की गई स्वेच्छिक फसल बीमा योजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए यह सुझाव दिया है कि इस प्रयोग के परिणामों पर कुछ समय तक नजर रखी जाये।

(ग) सरकार ने समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य बीमा निगम से यह अनुरोध करने का निश्चय किया है कि गुजरात में जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई गई योजना के आधार पर चुनींदा क्षेत्रों में चुनींदा फसलों के लिए फसल बीमे की एक मार्गदर्शी योजना प्रयोगात्मक रूप से हाथ में ले। सामान्य बीमा निगम इस पर विचार कर रहा है।

'सेन्ट्रल अन्डरग्राउंड वाटर बोर्ड' (केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड) परीक्षणाधीन परियोजना

2839. **श्री लालजी भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए 'सेन्ट्रल अन्डरग्राउंड वाटर बोर्ड' की स्थापना की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस बोर्ड ने अब तक राज्यवार कितनी परियोजनाओं का परीक्षण कर लिया है; और

(घ) क्या इसके कार्यक्रम में राजस्थान राज्य को सम्मिलित किया गया था ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) देश के भूमिगत जल संसाधनों की खोज, उनके निर्धारण एवं विकास, उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था तथा उनके नियन्त्रण आदि सब मामलों के संबंध में केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च निकाय है।

(ग) केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल केवल परियोजनाओं की जाँच करने वाली संस्था ही नहीं है, यह संस्था परियोजनाओं की क्रियान्विति का कार्य भी स्वयं करती है। भूमिगत जल सर्वेक्षण की एक परियोजना क्रियान्वित की जा चुकी है और तीन अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन तीन परियोजनाओं में से एक परियोजना मध्य प्रदेश-गुजरात में है और इस परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के बेसिन के जलोढ़ मात्र आते हैं। दूसरी परियोजना राजस्थान-गुजरात में है जिसके अन्तर्गत कई शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र आते हैं। तीसरी परियोजना आंध्र प्रदेश-मैसूर में क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कठोर चट्टानी क्षेत्र आते हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में अपर जमुना नदी के बेसिन के संबंध में एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। आशा है इस वर्ष मैसूर, महाराष्ट्र, तमिल नाडु तथा केरल में कुछ अन्य परियोजनाएं भी प्रारम्भ हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल प्रायः समस्त राज्यों में नियमित रूप से समन्वेषी कार्य कर रहा है और सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण भी कर रहा है।

(घ) जी हाँ। केन्द्रीय-भूमिगत जल मण्डल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विशेष निधि की सहायता से राजस्थान में एक भूमिगत जल सर्वेक्षण परियोजना को क्रियान्वित कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की विशेष निधि की सहायता से अब एक और परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

New Medical Colleges in Madhya Pradesh

2840. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have proposed setting up of three new medical colleges in the State during the Fifth Five Year Plan;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have sent the proposal in this regard to the Central Government for their approval;

(c) if so, the action taken thereon so far and the details thereof;

(d) whether the Central Government had accorded their approval for a medical college for Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(c) if so, the reasons for which the said medical college could not be set up ?

The Deputy Minister In the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (c) The Ministry of Health of the Central Government have not received any proposal from the Government of Madhya Pradesh for the setting up of three new medical colleges in the State during the Fifth Five Year Plan.

(d) & (e) One medical college was allotted to Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan. Medical colleges are set up in the State Sector as undergraduate medical education is a State subject, and there is no plan provision for central financial assistance to the concerned States for this purpose. Actual location and setting up of the college allotted to Madhya Pradesh was, therefore, to have been decided by the State Government. But they have not yet set up any medical college during the IVth Plan due perhaps to constraint on resources.

किंग्सवे कैम्प इन्फैक्शस डिजीजिज अस्पताल में रोगी की मृत्यु

2841. **श्री राम प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किंग्सवे कैम्प इन्फैक्शस डिजीजिज अस्पताल के रोगियों ने शिकायत की है कि जनवरी के मध्य में ड्यूटी वाले डाक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक रोगी की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टर और नर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दीज ायेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेष सलाहकार का त्यागपत्र

2842. **श्री राम प्रकाश : शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के हाल ही में नियुक्त किए गए विशेष सलाहकार प्रो० वी० वी० जोन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इतने थोड़े समय में उनके द्वारा अपने पद का त्याग करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) उनके अपने अनुरोध पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया गया है।

Expansion of Kidwai Nagar Ayurvedic Dispensary, New Delhi

2843. Dr. Laxmi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the average of daily patients in Kidwai Nagar, New Delhi Ayurvedic Dispensary during the last three years, year-wise;

(b) whether Government propose its expansion keeping in view the said average number; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku : (a) The average daily attendance of patients (both old and new) at CGHS Ayurvedic Dispensary Kidwai Negar is as follows :

Year	Average Daily Attendance
1969-70	222
1970-71	207
1971-72	230

(b) & (c) The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance is at present studying the requirements of doctors and other staff of Ayurvedic Dispensaries in Delhi. The recommendations of this Unit will be considered as and when these are made available.

Increase in number of CGHS Dispensaries

2844. Dr. La'mi Narayan Pandeya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any proposal to increase the number of Central Government Health Scheme Dispensaries keeping in view the need to provide facilities to the Central Government Health Scheme beneficiaries; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) & (b) A proposal for improvement/augmentation of Central Government Health dispensaries in Delhi for the year 1973-74 is under consideration. The details are yet to be finalised.

चुराई गई मूर्ति कलाकृतियों को कृषि उपकरणों के रूप में बाहर भेजना

2845. श्री पीलू मोदी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1972 के 'मदरलैन्ड' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के मन्दिरों से लगभग 80 टन मूर्ति कलाकृतियां चुरा ली गयीं और 'कृषि उपकरण' के नाम से एक साथ अमरीका भेज दी गईं;

(ख) क्या इस समाचार की निहित बातों के बारे में जांच की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त लोगों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) मद्रास/कोचीन/कलकत्ता के सीमाशुल्क समाहर्ताओं और मुख्य निर्यात नियन्त्रक दिल्ली ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 1972 के दौरान अमरीका को मूर्तियों के अवैध निर्यात का ऐसा कोई मामला उनके नोटिस में नही आया है। इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क समाहर्ता बम्बई ने रिपोर्ट भेजी है कि वर्ष 1972 में बम्बई कस्टम हाउस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसके अन्तर्गत भारतीय मन्दिरों से 80 टन के वजन की मूर्तियां चुराई गयी थीं तथा जिन्हें उपकरण के रूप में अवैध तौर पर अमरीका को निर्यात कर दिया गया और पूछताछ चल रही है।

Expenditure on the Transportation of Foodgrains by F.C.I.

2846. **Shri Shankar Dayal Singh:** will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the per ton expenditure incured by the Food Corporation of India in the transportation from one place to another; and

(b) whether expensive transportation and storage system in F. C. I. are main fastors for the rise in prices of foodgrains ?

The Ministry of States in the Ministy of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The average expenditure incurred by the Food Croporation of India on the transportation of foodgarains in 1972-73 is estimated at Rs. 19.50 per tonne of purchases and sales.

(b) No, Sir, The expenditure incurred by the Food Corporation of India on transportati on and storage is not high, taking into consideration the fact that it is the responsibility of the consideration on make foodgrains available throughout the country. The pri. ces of wheat and rice issued from the Central pool to the State Government have remained the same the last four years.

पहली डिग्री के स्तर पर विशेष व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना

2847. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहली डिग्री के स्तर पर विशेष व्यावसयिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की एक योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा,समाज कल्याण तथा सस्कृति मंत्री (प्रो० एस ० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, व्यावसायिक कालेज शुरू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता देना मंजूर कर लिया है। उक्त कालेज में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में, (1) पर्यटन; (11) पुस्तक प्रकाशन, (111) बीमा; (iv) फुटकर तथा व्यापार; (v) भण्डार- पालन तथा भण्डार लेखा और (vi) कार्यालय प्रबन्ध तथा सचिवालय में अध्ययन की सुविधाएं होंगी।

नकली दवाइयों का विवरण

2848. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली दवाइयों का उत्पादन और वितरण रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है; और

(ख) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कितने मामले दर्ज किए गए है और कितने लोगों को इन मामलों से अन्तग्रस्त होने के कारण दण्ड दिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) नकली दवाइयों के निर्माण और वितरण को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये है :-

(1) बिना लाईसेन्स के दवाइयों के निर्माण तथा नकली दवाइयों की बिक्री को समाप्त करने के लिये लाइसेन्स शुदा औषध निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची छाप दी गई है और इसे नाम मात्र मूल्य पर सभी संबन्धित व्यक्तियों आदि को आम उपलब्ध कर दिया गया है। इस सूची में समय - समय पर संशोधन किये जाते हैं और इस प्रकार संशोधित सूची की प्रतियां राज्य औषध नियंत्रक संगठनों तथा औषधि व्यापारियों के संघों को भेज दी जाती है।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयां बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेन्स के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष तक कर दी गई है उसमें ऐसा भी उपलब्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें ले जाने के साधनों को छीना जा सकता है।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अपने यहां मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिये पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखें।

(4) जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तर-राज्य गिरोह काम कर रहा है, उस समय सम्बन्धित राज्यों को सचेत करने तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिये विशेष सावधानियां कर दी जाती हैं।

(5) राज्यों से अनुरोध किया गया हैं कि वे अपने अपने औषध निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जाँच करने की सुविधाएं भी बढ़ाये ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सके और जांच रिपोर्ट जल्दी-जल्दी मिल सके।

(6) केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट सम्पर्क रखने के लिये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मन्डल कायालय खोल दिये गये है। मण्डल अधिकारियों का एक खास कार्य यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य पर ले जाई जा रही हो, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर - राज्य बाजार में बिकने वाली औषधियाँ हर हालत में मानकों के अनुसार हों। उनके इस काम में केन्द्रीय औषध निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट सम्पकं में काम करते हैं, उनकी मदद करते है। मण्डल कार्यालयों से सम्बद्ध केन्द्रीय निरीक्षक कर्मचारितों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

(7) औषध निर्माताओं और व्यपारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों की सहायता और उन का सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों। नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया गया है।

(8) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वावधान में औषध निरीक्षकों और सरकार विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है वे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायों को कठोरता से लागू करने में मदद देंगे ।

(9) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध परामर्श दात्री समिति की बैठके मण्डल राज्य औषध नियंत्रकों की बैठकें करके तथा मण्डल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों के बीच विचार विमर्श की व्यवस्था करके पत्र व्यवहार के अलावा निरन्तर सम्पर्क तथा बातचीत जारी रखते है । सूचना के इस निरन्तर विनियम से औषधियों के गुणों पर नियत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने और उन्हें तेज करने मे बड़ी मदद मिलती है ।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुरु गोबिन्द सिंह मेडिकल कालेज फरीदाबाद का कार्यकरण

2849. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के कार्यकरण के बारे में संसद को दिये गये आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या अब यह कालेज सामान्य रूप से चल रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) गुरु गोविन्द सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद, के चलने के बारे में सरकार ने संसद को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। यह कालेज हरियाणा राज्य में स्थित है। पूर्वस्नातक चिकित्सा शिक्षा एक राज्य क्षेत्र का विषय है अतः ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दे सकती ।

फिर भी सदन के माननीय सदस्यों के अनुरोध पर और सम्बन्धित छात्रों की कठिनाइयों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इस विषय पर 30 नवम्बर, 1972 को लोकसभा में एक वक्तव्य अवश्य दिया था और 19 दिसम्बर, 1972 को सभा में हुई एक बहस में भी उन्होंने हिस्सा लिया था ।

लोक सभा में हुई इस बहस के फलस्वरूप कुछ माननीय सदस्यों से मिले मुख्य सुझावों में से एक सुझाव यह था कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाने की सम्भावनाओं को ढूंढ निकालने की चेष्टा की जाये ताकि कालेज की पक्की नींव रखी जा सके और इसे समुचित स्तर तक लाया जा सके ।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि वे इस संबंध में स्वयं प्रयास करेंगे और पंजाब और हरियाणा राज्यों से इस मामले में बातचीत करेंगे । फिर भी, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि ट्रस्ट की स्थापना की जायेगी ।

उनके इस कथन के आशय का पालन करते हुए प्रयत्न किये गये हैं । स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों और गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अधिकारियों को भी लिखा

है कि वे यह देखें कि क्या एक धर्मार्थ ट्रस्ट की नींव रखी जा सकती है अथवा नहीं। पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्री तमाम संबंधितों के साथ परामर्श करते हुए इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं।

19 दिसम्बर, 1972 को लोक सभा में हुई बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने दूसरी मांग यह की थी कि अत्यधिक केपीटेशन फीस एकत्र करने की बात को सामने रखते हुए प्रबन्धकों के आचरण की पूरी तरह से जांच की जाये। मंत्री महोदयने बताया कि इस प्रकार की जांच करने के लिये उन्होंने पहले ही हरियाणा सरकार को सुझाव दिया है और वह फिर भी इस मामले पर हरियाणा के मुख्य मंत्री से बातचीत करेंगे। किन्तु उन्होंने ऐसी किसी जांच के परिणाम के बारे में कोई "आश्वासन" नहीं दिया था।

इस मामले पर आगे कार्य किया गया और मंत्री महोदय ने हरियाणा के मुख्य मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा।

हरियाणा सरकार ने यह सूचित किया है कि इस कालेज के मामलों की उनके सतर्कता विभाग ने जांच की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस कालेज के प्रबन्धकों ने छात्रों को धोखा दिया और धन का दुरुपयोग किया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार यह सोसाइटी, जो इस कालेज को चला रही है, पटना (बिहार) में पंजीकृत है और फरीदाबाद कालेज के लिये सोसाइटी का दफ्तर दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार यह मामला एक अन्तर्राज्य मामला हैं। हरियाणा के सतर्कता विभाग ने सुझाव दिया है कि इस कालेज के प्रबन्धकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपने हाथ में ले। हरियाणा सरकार ने यह सूचित किया है कि इस मामले को केन्द्रीय जाँच आयोग को भेजा जा रहा है।

यह कालेज सामान्य रूप से नहीं चल रहा है। इस कालेज के कुछ छात्र दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भूख-हड़ताल पर हैं।

ग्रामीण जनता के लिये शुद्ध जल की न्यूनतम सप्लाई

2850. श्री सी० के० चन्द्रप्पन।
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण जनता को शुद्ध जल की न्यूनतम मात्रा की सप्लाई उपलब्ध कराने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार इन आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति करने जा रही हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां : चौथी योजना में ग्रामीण जल पूर्ति स्कीमों के लिए राज्य क्षेत्र में 124.49 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वियन के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने भी शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से ग्रामीण जल पूर्ति के लिये त्वरित कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार दुर्गम तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में 1,52,000 गांव हैं। इसमें से चौथी योजना के अन्त तक राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने सामान्य ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 000 ग्रामों के आ जाने की आशा है। यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक ग्रामीण जल पूर्ति के त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत 15,000 ग्राम आ जायेंगे बशर्ते कि पर्याप्त निधियां उपलब्ध हो जाएं। अतः यह अनुमान है कि पाँचवीं योजना के आरम्भ में लगभग 1,10,000 ग्राम सुरक्षित तथा पर्याप्त पेय जल के बिना रह जाएंगे। इन गांवों में सुरक्षित तथा पर्याप्त जल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की पूंजी लगाना अपेक्षित होगी। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियां उपलब्ध होने पर इन सभी ग्रामों में इसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा लागत आंकड़ों का हिसाब

2851. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने कुछ लाभ का ब्यौरा दिखाने वाले सही लागत आँकड़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया है जैसा कि लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो कार्य संचालन कुशलता, उत्पादों के विक्रय मूल्य में वृद्धि तथा अधि-प्राप्त और आयातित दूध अथवा पाउडर बटर आयल की कम लागत के बारे में अस्थायी तिमाही ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विस्तृत रूप में लागत आंकड़ों का हिसाब किताब रख रहा है।

(ख) लागत के आंकड़े अधिक विस्तृत रूप में उपलब्ध होने पर ही इस प्रकार का विश्लेषण हो सकता है।

दिल्ली दुग्ध योजना के लिए निर्धारित दुग्ध प्राप्ति क्षेत्र

2852. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के लिए निर्धारित दुग्ध प्राप्ति क्षेत्रों की सीमाएं कहां तक रखी गई हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में दुग्ध उत्पादन की क्षमता कितनी है और वहां कितने दुधारु पशु हैं; और

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना प्रत्येक जिले से कितना दूध एकत्र करती है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आप्रेशन फ्लड के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध क्षेत्रों में निम्नलिखित जिले शामिल हैं :—

राज्य	जिले
1. उत्तर प्रदेश	मेरठ
	मुरादाबाद
	मुज्जफरनगर
	बुलन्दशहर
2. हरियाणा	गुड़गाँव
	करनाल
	रोहतक
3. पंजाब	फीरोजपुर
	जालन्धर
	भटिंडा
	लुधियाना
	गुरदासपुर
4. राजस्थान	अलवर
	भरतपुर
	बीकानेर

(ख) 1966 में हुई पशु संगणना के अनुसार इन क्षेत्रों के दुधारू पशुओं की संख्या संलग्न अनुबन्ध 1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4458/73] इन क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन क्षमता का जिलेवार आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) इस समय जिन जिलों से दूध इकट्ठा किया जा रहा है वर्ष 1971-72 के दौरान उनसे दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध को इकट्ठी की गई मात्रा संलग्न अनुबन्ध 11 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4458/73]

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा इसकी सप्लाई बढ़ाने में हुई प्रगति

2853. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दिल्ली की तरल दूध की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपनी क्षमता की लक्षित-वृद्धि करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आयातित दुग्ध उत्पादों से तरल दूध की सप्लाई कैसे बढ़ जाती है; और

(ग) घी बनाने में चिकनाई क्यों प्रयोग में लाई जाती है और इसमें दिल्ली दुग्ध योजना की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है। एक तो दिल्ली दुग्ध योजना के वर्तमान डेरी संयंत्र की प्रतिदिन 3 लाख लिटर की क्षमता लगभग 1973 के मध्य तक बढ़ाकर प्रतिदिन 3.75 लाख लिटर करने का विचार है और दूसरे एक नई रिकम्बाइडिंग (मदर) डेरी की स्थापना का प्रस्ताव है। इस डेरी की क्षमता प्रतिदिन 4 लाख लिटर दूध निपटाने की होगी और निर्धारित कार्यक्रम के

अनुसार यह अगले वित्तीय वर्ष में स्थापित की जायेगी। इन दोनों विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, विभिन्न कारणों से उनमें संशोधन किया जा सकता है।

(ख) आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आयातित दुग्ध उत्पादों से तरल दूध की सप्लाई बढ़ाने में इस प्रकार मदद मिलती है। एक तो मौसम की वजह से दूध की प्राप्ति में घट-बढ़ी से बचा जा सकता है और वर्ष के दौरान अधिक मात्रा में दुग्ध वितरण का स्तर कायम रखा जा सकता है। दूसरे इससे ऐसी निधि तैयार करने में मदद मिलती है जिसका एक भाग का दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी आदानों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ग) सर्दी के महीनों में ताजे दूध की उपलब्धि बढ़ जाती है और फालतू दूध का उपयोग घी सहित विभिन्न दुग्ध-उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना फिलहाल घी की बिक्री से कोई मुनाफा नहीं कमाती है।

ओखला, दिल्ली में कोल्ड स्टोरेज में पाई गई गेहूं की बोरियां पकड़ना

2854. श्री सी० टी० दंडपानी :

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1973 को गेहूं की 10,000 बोरियां पकड़ी गई थीं जिन्हें ओखला के कोल्ड स्टोरेज में छिपाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक शीत गोदाम जिसमें बिना हिसाब में दिखाए अनधिकृत रूप से गेहूँ रखा गया था, 10/11 फरवरी, 1973 की रात को सील कर दिया गया था। गिनती करने पर, उस गोदाम में 4133 बोरियां रखी हुई पाई गई थीं।

(ख) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन एक केस दर्ज किया गया था। जिलाधीश, दिल्ली को भी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अधीन उक्त स्टाक को जब्त करने के लिए कहा गया है।

आई० आई० टी० के स्नातकों में बेरोजगारी

2855. श्री डी० डी० देसाई : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कानपुर, बम्बई और मद्रास और इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी के स्नातक बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में इन संस्थाओं से कितने छात्र स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाएं पास कर चुके हैं, और और उनमें से व्यवसाय-वार बेरोजगार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों के स्नातकों को लाभप्रद रोजगार दिलाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमिहीन श्रमिकों को मकानों के लिये भूमि देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

2856. श्री वयालार रवि :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकानों के लिए भूमि देने की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कुल कितने मकानों के लिए भूमि की आवश्यकता थी और कितने मकान बनाए गए और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कुल कितनी सहायता दी गई और इसका राज्यवार और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों ने अपने द्वारा आरम्भ किए गए व्यापक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) भूमिहीन श्रमिक परिवारों की अनुमानित संख्या के राज्यवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4459/73। योजना का उद्देश्य केवल आवास-स्थल ही उपलब्ध करना है तथा मकानों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता देने की इस में व्यवस्था नहीं है।

(ख) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई तथा दी गई केन्द्रीय सहायता का एक विवरण संलग्न है। फरवरी, 1973 में केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 1.34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर दिया है। अन्य राज्यों ने उन्हें योजना के अन्तर्गत दी गई निधियों के उपयोग के बारे में सूचना नहीं भेजी है।

(ग) योजना के अन्तर्गत, राज्यों को प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये पृथक-पृथक विशिष्ट परियोजनाएं बनानी अपेक्षित होती हैं तथा उन्हें पूर्व अनुमोदनार्थ इस मंत्रालय को भेजना होता है। अभी तक 15 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा चण्डीगढ़ के संघ क्षेत्र प्रशासन ने इस मंत्रालय को अपने परियोजना प्रस्ताव भेजे हैं। 5,63 835 आवास-स्थल देने के लिए भारत सरकार द्वारा 8 राज्य सरकारों की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें 14.62 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता अपेक्षित है। राज्य सरकारों से प्राप्त कुछ शेष परियोजनाओं की जाँच की जा रही है तथा अन्य परियोजनाओं पर उन्हें टिप्पणियाँ उन के विचारार्थ भेज दी गई हैं क्योंकि वे अनुमोदित योजना के अनुरूप नहीं थीं।

पांच लाख जनसंख्या वाले नगरों में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

2857. श्री बेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांच लाख जनसंख्या वाले नगरों में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पांचवीं योजना के लिये ऐसे एक प्रस्ताव पर विचार आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) योजना में जल सप्लाई की व्यवस्था, सीवर, बरसाती पानी के नाले, सामुदायिक स्नानगृह और शौचालय, मौजूदा गलियों को चौड़ा करने और उनमें खड़ंजा डालने तथा सड़कों पर रोशनी के प्रबन्ध द्वारा सुधार का ध्यान रखा गया है।

Maintenance of Ancient Remains in Mandargiri and kheri Hills in Bhagalpur District Bihar

2858. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether many antiques of ancient inscriptions, ancient idcls, ancient remains, etc. are found in Mandargiri and Kheri hills iu Bhagalpur District of Bihar State :

(b) if so, whether Government propose to make arrangements for their maintenance by taking them under Archaeological Survey; and

(c) if so, the gist of the proposal ?

The Minister of Education, Social welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The State department of Archaeology, Government of Bihar, has decided to protect the ancient site at Mandargiri. The ancient remains on the Kheri hill are benig cxamined by the Archaeological Survey of India and if these are found to be of national importance, steps will be taken to protect them.

चित्रदुर्ग (मैसूर) में खुदाई कार्य

2859. श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्रदुर्ग की खुदाई से प्राचीनतम मानव सभ्यता के होने का पता लगा है;

(ख) क्या खुदाई में मिली कुछ वस्तुओं से पता चला है कि बेबीलोनिया, आस्ट्रिया, सीरिया और ईरान के साथ इसके व्यापार और पर्यटन सम्बन्धी सम्पर्क थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार मैसूर के विभिन्न भागों में इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए अग्रेतर खुदाई कार्य के लिए अधिक धन देने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) जी, नहीं। भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण द्वारा 1947 में जिला चित्रदुर्ग में चन्द्रावली के स्थान पर जो खुदाई की गई थी उससे सतवाहन (सर्का—प्रथम—द्वितीय शताब्दी ए० डी०) काल से सम्बन्धित एक बस्ती का पता चला है।

(ख) कुछ रोमन सिक्कों तथा विशिष्ट प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की प्राप्ति से, व्यापार के जरिए, रोमन साम्राज्य के साथ सम्पर्क होने का पता चलता है। भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण

के बुलैटिन "प्राचीन भारत अंक 4" में इस खुदाई की रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हो चुकी है ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जिला बेल्लारी के हम्पी स्थान पर बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य करने का प्रस्ताव है । इस कार्य के लिये निधि की व्यवस्था की जा रही है ।

मैसूर के फूलों की किस्म में सुधार तथा उनका निर्यात

2860. श्री एस० बी० कृष्णप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कई किस्म के फूल प्रचुर मात्रा में होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी किस्म तथा मात्रा सुधारने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे; और

(ग) क्या सरकार उन्हे निर्यात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अंतर्गत भारतीय बागबानी अनुसन्धान संस्थान हैस्सारघाटा (मैसूर) में फूलों तथा अन्य सजावटी पौधों के विकास का अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है । राज्य बागबानी विभाग ने भी अपने उद्यानों में पुष्पोत्पादन पर कार्य चालू किया हुआ है ।

(ग) उनके निर्यात के लिए इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है ।

मैसूर के पत्तनों में सुधार

2861. श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कौन-कौन से और कितने छोटे और मध्यम आकार के पत्तन हैं;

(ख) उन्हे सुधारने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिए इस प्रयोजन हेतु यदि कोई धन नियत किया गया है तो कितना ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैसूर में 2 दरमियाने पत्तन 6 मझौले आकार के पत्तन और 11 छोटे पत्तन हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है:—

(1) दरमियाने पत्तन	मंगलोर और काखाड़
(2) मझौले आकार के पत्तन	बेलेकेरी, ताड्री, होनावर, मतकल कुंडापुर और माल्पे,
(3) छोटे पत्तन	मजाली, बिन्जे, चेनदिया, अंकोला गंगावाली, कुमता, मनकी, मुर्देश्वर, शिराली, बिन्दर और हंमारकत्ता ।

मंगलोर पतर का केन्द्रीय सरकार द्वारा बड़े पत्तन के रूप में विकास किया जा रहा है। कोरवाड़ पत्तन चौथी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिए चुना गया है। 6 मझोले पत्तनों का सुधार हंगरकत्ता के छोटे पत्तन की सूखे मौसम के माल बोट पत्तन के रूप में मैसूर सरकार के विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

Take over of Sugar trade by F.C.I.

2862. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether trade in sugar has been taken over by the Food Corporation of India from January, 1973 under orders of the Central Government;

(b) the future system of the wholesale and retail distribution of sugar;

(c) whether the Food Corporation of India has sufficient storage capacity for sugar there; and

(d) the State-wise number of the godowns in the country at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Yes, Sir, The Food Corporation of India has taken over the work of wholesale distribution of levy sugar from the 1st January, 1973 throughout the country except in Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Jammu & Kashmir, Nagaland, Manipur, Dadra & Nagar Haveli, Tripura, Goa and Pondicherry, where the previous arrangements of distribution on through the public sector agencies/cooperative institutions have been allowed to continue.

No change is contemplated in the existing system of retail distribution of levy sugar through fair-price shops and in the wholesale and retail distribution of free-sale sugar.

(c) Yes, Sir.

(d) A statement showing the total storage accommodation available with the Food Corporation of India as on the 15th January, 1973 is attached,

Statement showing statewise storage accommodation available with the Food Corporation of India as on 15.1.73.

S. No.	Name of the State	Storage accommodation available (in 1,000 tonnes)
1.	Assam	186.26
2.	Bihar	229.25
3.	West Bengal	1335.81
4.	Orissa	111.81
5.	Manipur	9.50
6.	Andhra Pradesh	476.83
7.	Kerala	250.24
8.	Tamil Nadu	289.03
9.	Mysore	110.24
10.	Haryana	301.86
11.	Punjab	1214.50
12.	Rajasthan	433.31
13.	Uttar Pradesh	1262.09
14.	Delhi	163.14
15.	Madhya Pradesh	394.62
16.	Gujarat	356.23
17.	Maharashtra	988.39

Loop Insertions Causing Cancer

2863. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the possibility of bleeding and thereafter development of cancer among large number of women after loop insertion increases;

(b) whether Government have not so far tested such drugs, which could be useful in stopping bleeding; and

(c) if so, the reasons therefor and the names of such drugs and the particulars thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning Shri Kondaji Basappa) : (a) Some bleeding during the first few months of insertion is common in most of the IUCD acceptors. There is, however, no evidence that the IUCD causes cancer in women.

(b) and (c) A number of drugs have been tested, but no drug treatment has so far been found effective. The names of the drugs tested so far are Adrenocin-Salicylate, Adrenochrome Carbazochrome, Vitamin K capsule and Vitamin C capsule.

Civil Hospitals with Dental Departments in the Country

2864. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there exist such Government civil hospitals in India which do not have Dental Departments and Dentists; and

(b) if so, their number and names and the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (hri A. K. Kisku) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Vasectomy Operation by Applying Metal Clips

2865. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there have been some such cases in the vasectomy centres set up recently from December to January, in which temporary vasectomy operations were performed by applying metal clips; and

(b) if so, their number and results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) and (b) The Government of India have issued strict instructions that in mass vasectomy camps only standard surgical procedure for vasectomy should be followed as the temporary vasectomy operation by applying metal clips is still in experimental stage. There is no information with the Central Government of the use of the latter method of vasectomy in any of the mass vasectomy camps held during the months of December 1972 to January 1973.

कृषि-ऋण-नीति में परिवर्तन

2866. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि-ऋण-नीतियों में परिवर्तन करने में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार की ऋण संबंधी नीतियों का उद्देश्य यह है कि कृषि ऋण की मात्रा को बढ़ाते हुए ऋण प्रदान करने की पद्धति में सुधार किया जाये ताकि कृषि कार्यों के लिए सुगमता से ऋण प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कृषि कार्यों के लिए निर्धन वर्ग को पर्याप्त ऋण मिलता रहे और विभिन्न राज्यों के परस्पर क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाये। चयनात्मक रीति से ऋण प्रदान करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जायेंगे जिससे कि विपणन, भण्डारण, पशुपालन आदि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी काफी हद तक पूरा किया जा सके।

"गामा लोबुलिन" औषधि का देश में उत्पादन

2867. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय गर्भनाल (पलैसैंटा) और उससे निकला रक्त अब अद्भुत जैविक औषधि "गामा ग्लोबुलिन" के भारत में निर्माण के काम में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह औषधि अनेक रोगों से शरीर की रक्षा करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन रोगों से ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) गामा ग्लोबुलिन कुछ संक्रामक बीमारियों की जिनमें खसरा, संक्रामक यकृत-शोध तथा पोलियो भी सम्मिलित हैं, रोकथाम में लाभदायक है।

शरीर के रोग नाशक द्रव्यों की कमी या उनको उत्पन्न करने की असफलता के कारण हुई विकृतियों को ठीक करने में भी इसे प्रभावकारी पाया गया।

कैंसर का पता लगाने के लिए लोगों की बड़े पैमाने पर डाक्टरी परीक्षा

2868. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों में कैंसर का पता लगाने के लिए उनकी बड़े पैमाने पर डाक्टरी परीक्षा करने के कार्यक्रम आरम्भ करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) कैंसर आकलन समिति ने सुझाव दिया है कि लोगों मे कैंसर का पता लगाने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम

के रूप में उनकी बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग करने का कार्यक्रम चलाया जाय। कैंसर आकलन समिति की इस रिपोर्ट पर यह मंत्रालय विचार कर रहा है।

(ख) बड़े पैमाने पर लोगों की स्क्रीनिंग करने के इस कार्यक्रम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(1) रोग की रोकथाम के लिए समय समय पर डाक्टरी जांच करना जो ग्रीवा के कैंसर के मामले में सामान्यतया 20 वर्ष या इससे ऊपर की आयु वालों तक और मुख के कैंसर के मामले में 30 वर्ष या इससे ऊपर की आयु वालों तक ही सीमित होगी।

(2) ग्रीवा और मुख के कैंसर के लिए कोशिका संरचना परीक्षा और मूत्राशय कैंसर का पता लगाने के लिए मूत्र की परीक्षा तथा फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए थूक कोशिका की परीक्षा करना।

(3) कोशा विकृति विशेषज्ञों, कोशा प्रक्रिया विशेषज्ञों और कोशा तकनिशियनों को प्रशिक्षण देना तथा लोगों को इसकी जानकारी देना।

केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गर्भ निरोध के नये उपाय

2869. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान द्वारा गर्भ निरोध के नये उपायों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अतिवांछित गति मिलेगी; और

(ग) इन नए उपायों पर सरकार और जन साधारण को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने गर्भ निरोध के दो नये उपायों का विकास किया है। ये हैं :-

(1) एक गर्भाशयी गर्भरोधक उपाय, सेन्टस्क्वायर।

(2) महिलाओं के लिए एक "प्रातः पश्चात्" (मार्निग आफ्टर) गोली, सेन्टक्रोमेन।

(ख) जी हाँ, यदि ये उपाय प्रभावकारी और स्वीकार्य सिद्ध हुए तो इनसे परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति मिलने की संभावना है।

(ग) (1) सेन्टस्क्वायर का उत्पादन जब बड़े पैमाने पर होगा तो यह सस्ता और आम आदमी के साधनों के भीतर होगा।

(2) सेन्टक्रोमेन पर सरकार को कितनी लागत लगानी पड़ेगी इसका हिसाब अभी से नहीं लगाया जा सकता।

उर्वरकों की सप्लाई के लिये नार्वे के साथ तकनीकी सहयोग करार

2870. श्री पी० गंगादेव :

श्री प्रसन्नभाई मेहता.

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1975 को भारत और नार्वे के बीच भारत को उर्वरकों की सप्लाई के लिए कोई सामान्य तकनीकी सहयोग करार हुआ था; और

(ख) क्या उक्त करार में मछली पकड़ने के उपकरणों और भारत में सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान जहाज बनाने के उपकरणों की सप्लाई भी शामिल है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) (क) तथा (ख) : जी हां। 6 दिसम्बर, 1972 को अर्थ - विभाग, वित्त मन्त्रालय ने नार्वेसरकार के साथ एक सामान्य तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये थे। यह करार 31 मार्च, 1977 तक के लिये है। इस करार के अन्तर्गत, नार्वे सरकार सामान्यत: नार्वे के विशेषज्ञों की सेवायें, सहायक और नार्वे में प्रशिक्षण के लिये चुने गये भारतीयों को नार्वे में प्रशिक्षण की उपकरण सुविधायें देने के लिए सहमत हो गई है' यह करार दूसरे सामान्य तकनीकी सहयोग करारों की भांति एक सुरक्षण करार के रूप में हैं। उर्वरकों, मत्स्यपालन विकास के लिये उपस्कर और भारत में सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के लिये जलयान बनाने के उपकरण की सप्लाई के लिये नार्वे से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पुरूषों के लिए गर्भ निरोधक गोली

2871. श्री भागवत झा आजाद : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जनवरी, 1973 को चण्डीगढ़ में हुई विज्ञान कांग्रेस में मदुरै मैडिकल कालेज की प्राध्यापक एस० पार्वती देवी द्वारा निर्दिष्ट पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक गोली' की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या गर्भ रह जाने के बाद की निरोधक गोलियों के लिए आवश्यक 'प्रोस्टाग्लान्डिन' पर देश में कोई अनुसन्धान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उपमंत्री (श्री कोंडाजी वासप्पा) (क) जी, हां। चण्डीगढ़ में हुई विज्ञान कांग्रेस में प्राध्यापक एस० पार्वती देवी द्वारा निर्दिष्ट पुरूषों के लिए गर्भ निरोधक गोली' का पशुओं पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मनुष्यों पर अभी इस का परीक्षण किया जाना है।

(ख) जी, हां। तथापि गोलियों के रूप में 'प्रीस्टाग्लान्डिन' उपलब्ध नहीं है। गर्भ रह जाने के बाद के निरोधक अभिकर्ता के रूप में, स्थानीय उपयोग में लाये जाने वाले 'प्रोस्टाग्लान्डिन' पर देश में परीक्षण हो रहे हैं।

ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा देने सम्बन्धी अन्तरिम योजना

2872. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कहा है कि ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने और उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त होने तक इस वित्तीय वर्ष से देश भर में अन्तरिम योजना लागू की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरम्भ हो जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हाँ।

(ख) इस योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आवास और नगरीय विकास निगम का अपनी गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय

2873. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगरीय विकास निगम ने अपनी गतिविधियां बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो गरीब वर्ग के लोगों को इस से किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : आवास तथा नगर विकास निगम की बढ़ती हुई गतिविधियों की मुख्य-मुख्य बातें तथा यह समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को किस सीमा तक सहायक होगी, इस प्रकार हैं :—

(1) निगम ऐसी मिश्रित योजनाएं स्वीकार करेगा जिनमें दुकानों, सिनेमाओं आदि जैसे वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास होगा जिसमें पूंजी पर अधिक लाभ संभव है बशर्ते कि ऐसी योजनाओं से होने वाले लाभ का उपयोग समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आवास देने में सहायक हो और यह आवश्यक नहीं कि योजनायें उसी स्थान पर हों, किन्तु वे उसी शहर में होनी चाहिए तथा दोनों प्रकार की योजनाओं से युक्त ऐसी परियोजनायें निगम को मंजूरी के लिए प्राप्त हों।

(2) निगम मिश्रित प्रकार की योजनाओं में धन लगायेगा जिसमें वाणिज्यिक विकास शामिल है, जिसमें या तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के मकानों के लिए सहायता की व्यवस्था हो अथवा निम्न वर्ग के मकानों के लिए अदायगी की लम्बी अवधि की अनुमति हो।

(3) निगम आवास बोर्डों, नगर निगमों आदि के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, एपेक्स को-आपरेटिवज्, सहकारी आवास समितियों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे अभिकरणों को भी धन देगा।

(4) निगम प्रमुख शहरों में शहरी सेवाओं आदि के अतिरिक्त नगर विकास अथवा सुधार के विशिष्ट कार्यक्रमों (केवल भूमि विकास को छोड़ कर) जैसे आवास से भिन्न योजनाओं में धन लगायेगा ।

(5) जब कभी आवश्यक तथा व्यवहार्य होगा, निगम मकानों की योजनाओं का सीधे स्वयं कार्यान्वयन आरम्भ करेगा ।

Demand for making Improvements in devnagri script for typing and printing.

2874. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether any demand for making some improvements in devnagri script has been made for the purpose of typing or printing;

(b) if so, the letter which are sought to be changed and the manner in which each of them is proposed to be changed; and

(c) the decision being taken by Government on the basis thereof ?

The deputy minister in the ministry of education, social welfare and in the department of culture (Shri D. P. Yapav) (a) to (c) In the course of implementation of various schemes of propagation and develapment of Hindi soon after independence, the need for reforming the Devnagri script arose partly as a result of the necessity of standardising the shape snd form of its characters and partly because of the requirements of typewriting and printing. A conference was convened for this pupose by the Government of Uttar Pradesh in Lucknow in November 1953 which made certain reforms in the Devnagri script. Another Confer. ence was convened again at Lucknow' in 1957. The matter was then examined in this Ministry and placed before a confernce of exports' Thereafter, the entire issue wase discussed at the Education Ministers, Conference held in 1959. The Devnagri script as recommended by this Conference was finally accepted by the Government of India.

The letters in the Devnagri script which have been modified as a result are:-

(a) Old form. अ, ख, छ, झ, ध, भ ल and त्र

(b) Standardised form अ, ख, छ, झ, ध, भ, ल, and त्र

(1) Old अ (a) was confusing and could be read as प्र (Pra)

(2) Old ख (Kha) could be read as रव (Rava), now the letter has been joined at the bottom to avoid this confusion.

(3) झ and झ were in vogue and caused confusion. Now only झ has been retained.

(4) Old ध (Dha) could be read as घ (Gha) because of the difference only a little cut in the headline, Now ध has been rounded at the head line to distinguish it from घ

(5) Old भ (bha) could be confused with (Ma) due to the difference only of a little out in head line. To avoid this confnsion now it has been rounded at the head line.

(6) ळ this form was used mostly in Marathi. It has been added to Devnagri for writing this sound in HIndi

(7) त्र has now been standardised as त्र for the convenience of printing bacause the old त्र required three strokes where as त्र requires only two.

Two pamphlets entitled "Stahdard Devnagri Script" and "Standardisation of Hindi Spellings" as also a chart on standardised Devnagri are available in the parliament library.A typewriter key-board based on the standardised Devnagri script was finalised in 1969

2875. Shri Ramavatar Shastri : will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had given a fianncial aid of Rs. 24 crores to Bihar Government for installation of tubewells, energisation of tubewells, fertilisers and seed under the Rabi Crop campaign;

(b) if so, the works undertaken by the Bihar Government in this regard; and

(c) the estimated production of Rabi CROP Bihar this year ?

The Minister of State in the Ministry of Acriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) Under the Emergency Agricultural Production Programme for increasing the production of rabi and summer crops during the current agricultural year, the Government of India have approved a total financial assistance of Rs. 24.07 crores to Bihar Government, consisting of a long-term loan of Rs. 17.07 crores and a short.term loan of Rs. 7 crores. The long-term loan of Rs. 17.07 crores has been approved for the following minor irrigation programmes :—

		(Rs. in crores)
1.	Purchase and running of 500 new Emergency River Pumping sets.	0.97
2.	Commissioning of 638 existing State tubewells.	2 00
3.	Construction of 500 new State tubewells in rain-shadow areas.	5.47
4.	Construction of 1,000 arge diameter walls.	0.80
5.	Energisation of 12,500 tubewells.	5.30
6.	30 Barge-mounted river pumps.	0.10
7.	Construction of feeder channels in major canals.	0.16
8.	Installation of pumps on upper reach es of Sone Canal.	0 35
9.	Purchase of aluminium pipes for water distribution from State Tubewells where channels cannot be constructed because of delay in land acquisition proceedings.	0.15
10.	(i) Bamboo Borings, (ii) Hand Pumps and (iii) Cavity Borings.	1.23
11.	Purchase of 6 new rigs with ancillary equipmen t and ancillary equipment for 3 existing rigs.	0.54
	Total	17.07

The short-term loan of Rs. 7 crores has been released to the State Government for purchase and distribution of agriculturural inputs like seeds, fertilisers and pesticides.

(c) As a result of the special efforts made under the Emergancy Agricultural Production Programme and the beneficial winter rains, production of rabi crops in the State is expected to show an increase over 1971-72. Firm estimates of rabi production during 1972-73 would become available only after the close of the agricultural year, that is, some time in July-August, 1973.

Closure of south Bihar Sugar Mills, Patna

2876. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether South Bihar Sugar Mills, Bihta in Patna District of Bihar is closed for the last many years;

(b) whether Government propose to run the said mill after taking over the same, if not, the reasons therefor;

(c) whether a large amount of arrears of Government and farmes is due against the said mill, and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government for the payment of the said outstanding amount?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir, from 1971-72 season.

(b) the question of re-starting the mill is under consideration of the State Government.

(c) Yes Sir.

(c) It is understood from the State Government that legal proceedings for recovery of outstanding amounts are in progress.

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली स्थित विश्व युवक केन्द्र के सदस्य और सहयोगी

2877. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व युवक केन्द्र, जिसका कार्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली, में है, की सदस्य युवक और छात्र संस्थाओं के और सहयोगियों के नाम क्या है;

(ख) इस केन्द्र के ट्रस्टियों तथा ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष के नाम क्या है;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) आजकल विश्व युवक केन्द्र का देश या विदेश के किसी युवक अथवा विद्यार्थी संगठन के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। इसकी कोई संस्थागत या वैयक्तिक सदस्यता नहीं है। केन्द्र ने सूचित किया है कि इसके कार्यक्रमों में देश के सभी भागों के युवक और विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

(ख) ट्रस्टी बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री मोरारजी देसाई — अध्यक्ष
2. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
3. श्री नवल टाटा
4. श्री एम० पी० गोदरेज
5. श्री चरत राम
6. श्री रवीन्द्र वर्मा
7. श्री बृज मोहन
8. श्री रामकृष्ण बजाज — (प्रबन्धक ट्रस्टी)

Exemption of Agricultnral produce from Attachment and Sale in Drought-Hit Areas

2878. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether Government propose to exempt the agricultural produce of the people in the drought-hit areas from being attached or sold, the liability of attachment or sale;

(b) whether the Central Government have received suggestions to this effect from the State Gover ment; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) Attachment of property both immovable and movable, which include agricultural produce, is resorted to in pursuance of the orders of competent courts. It is for the State Government to consider, in appropriate cases, the question of postponement of realisation of Government dues or remission of land revenue in the drought hit areas. Govt. of India, however, provide assistance to the States, which are affected by natural calamities by way of grants and loans in accordance with an approved pattern.

Teaching of South Indian languages in Hindi speaking states

2879. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Education,** Social Welfare **and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce teaching of a language of the South India in Hindi speaking States ;

(b) whether the Central Government have issued some directive to the State Governments in this regard; and

(c) if so, the reaction of State Governments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The National Policy is that arrangements should be made in the schools for the study of Modern Indian Languages, proferably one of the Southern Languages, apart from Hindi and English, in Hindi-speaking areas. In order to assist Hindi-speaking-States towards implementation of this Policy, the Government of India, through one of their Regional Lang age Centres, are providing training facilities in one of the four Southern Languages to secondary school teachers from schools situated in Hindi-speaking States. All these Centres started functioning in the year 1970-71 and so far it has been possible to train 144 teachers in Southern Languages, details of which are given below :-

Language	1970-71	1971-72	1972-73 (Under training)
Kannada	8	18	13
Malayalam	10	10	11
Tamil	10	24	19
Telugu	36	28	16
	64	80	59

The expenditure on the training of these teachers, including payment of stipend and salaries of the teach-trainees, is borne by the Government of India. The Government of India has also advised the State Governments that a cash allowance equivalent to the value of two advance increments be paid to those teachers, who teach at least 10 students any of outhern Languages, in which they have received training.

Besides the above, State Governments are also making individual efforts for teaching of Southern Languages in the schools.

The statistics relating to the number of school students in Hindi areas who have been taught one of the Southern languages is under compilation and will be laid on the Table of the House in due course.

ऐसे व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी करने के लिए विधान जिनके द्वारा असाध्य रोगों की उनके बच्चों तक पहुंचने की सम्भावना हो

2830. **श्री बनमाली पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों की अनिवार्य नसबन्दी करने के लिए, जिनके द्वारा असाध्य रोगों की उनके बच्चों तक पहुंचने की संभावना हो, विधान बनाने की वाँछनीयता पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) अस्वस्थ व्यक्तियों की नसबन्दी करने का कानून बनाने का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

टाईप-3 के फ्लैटों में रहने वाले टाईप-4 तथा टाईप-5 के फ्लैटों के हकदार कर्मचारी

2831. **श्री बनमाली पटनायक : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1973 को दिल्ली/नई दिल्ली में टाईप-3 के क्वार्टरों में रहने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या थी जो टाईप-4 और टाईप-5 के हकदार थे;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी इस कारण दांडिक किराया अदा कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों से बाजार दर पर किराया लेने का है जो हकदार श्रेणी के क्वार्टर में जाने से इंकार करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सूचना निम्न प्रकार से है :-

(1) टाईप IV के पात्र अधिकारियों की संख्या जो टाईप III के दखल में हैं।	1848
(2) टाईप V के पात्र अधिकारियों की संख्या जो टाईप III के के दखल में हैं।	502

(ख) आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे मामलों में कोई "दण्डात्मक" किराया देय नहीं है।

(ग) जो सरकारी कर्मचारी अपने पात्र क्वार्टरों में जाने से इन्कार कर देते हैं उनसे मार्कीट दर पर किराया लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) आवंटन नियमों के उपबंधों के अनुसार यदि एक सरकारी कर्मचारी ने अपने वार्षिक आवेदन-पत्र में अपने दखल के नीचे के टाइप के वास को रखने का विकल्प दिया हुआ हो तो उस विशेष आवंटन वर्ष के दौरान पात्र टाईप के आवंटन के लिए उस के मामले पर विचार नहीं रखा

जाता । जो अधिकारी अपने आवेदन-पत्र में पात्र टाईप के वास के आवंटन का विकल्प देते हैं उनके मामले में मूल नियम 45-ए० के अधीन इनके दखल के क्वार्टर की पूलित मानक लाइसेंस फीस अथवा उनको दिए गए और उन द्वारा अस्वीकार किये गये क्वार्टर की मूल नियम 45-ए० के अधीन पूलित मानक लाइसेंस फीस, इनमें से जो अधिक हो, उन द्वारा की जानी अपेक्षित है। अधिकतर मामलों में, टाईप III के वास का आवंटन उस समय दिया गया था जब कर्मचारी उस टाईप के लिए पात्र थे तथा तत्पश्चात वे ऊंचे टाईप के पात्र हो गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत होने पर उनके आश्रितों को बिना पारी के सरकारी आवास का आवंटन

2882. श्री बनमाली पटनायक : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत होने पर उसके आश्रितों को सरकारी आवास आवटन बिना पारी के करने पर रोक लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब लिया गया तथा 31 जनवरी, 1973 को ऐसे कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) मामले में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सेवा निवृत हो चुके या निकट भविष्य में सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों से इस सुविधा को न हटाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उन मामलों की सख्या कम है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने पर तदर्थ आवंटन स्वीकृत किया जाता है तथा इस सुविधा को हटाने के परिणामस्वरूप गैर-आवटियों को अल्प लाभ होगा। कल्याण कार्य के दृष्टिकोण से भी सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को इस समय उपलब्ध इस सुविधा को वापस लेना वांछनीय होगा ?

विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की संख्या में कमी

2883. श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 और 1972 में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राज्यवार और विश्वविद्यालयवार कितने छात्रों ने बी० ए० की परीक्षाएं पास की;

(ख) उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सफल रहने वाले छात्रों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्र-निर्माण में छात्रों और युवावर्ग द्वारा प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनमें उत्साह पैदा करने की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की राष्ट्रीय सेवा योजना में राष्ट्रीय विकास कार्य में युवक विद्यार्थियों के भाग लेने की परिकल्पना है। इस ग्रीष्म के दौरान एक कार्यक्रम प्रायोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग एक लाख की संख्या में युवक विद्यार्थी और गैर-विद्यार्थी युवक कुछ रचनात्मक कार्यों, वनरोपण इत्यादि में भाग लेंगे जो मुख्यतया अकाल के निवारण के लिए होंगे। यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में अधिक संख्या में विद्यार्थी और युवक भाग ले सकेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1972-73 में अर्जित आय

2884. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1972-73 में कितना लाभ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : दिल्ली विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखा को बन्द करने की तारीख अनुवर्ती वर्ष की 25 जुलाई है। 1972-73 के वर्ष के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को हुई व्यय से अतिरिक्त प्राप्तियां 25 जुलाई, 1973 के बाद ही केवल मालूम होंगी।

दिल्ली कालेज का नाम, बदल कर 'डा० जाकिर हुसैन स्मारक दिल्ली कालेज' रखना

2885. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली कालेज का नाम बदल कर 'डा० जाकिर हुसैन स्मारक दिल्ली कालेज, रखने और राजधानी में उसे नई जगह स्थानान्तिरित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली कालेज का नाम बदल कर डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज रखने और इसे इसके वर्तमान भवन से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मैसूर के कुछ भागों में दास प्रथा

2886. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में दास प्रथा अभी भी जारी है;

(ख) क्या मैसूर में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके लोगों को भूमिपतियों द्वारा जमीन के साथ ही बेच दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस प्रथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पाठ्य पुस्तक समिति के लिए तामिलनाडु में छपाई प्रेस की स्थापना

2887. श्री मोहम्मद शरीफ : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य पाठ्य-पुस्तक समिति के लिए छपाई प्रेस की स्थापना के लिए केन्द्र से कोई सहायता माँगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने अपनी राज्य पाठ्य पुस्तक सोसायटी के लिए विदेश से एक मुद्रण प्रेस उपहार के रूप में प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। इस प्रकार के प्रेस को उपलब्ध करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

दिल्ली पंचायत अधिनियम में रह गई कमी को दूर करना

2888. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री राम भगत पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पंचायत अधिनियम में एक कमी रह जाने से पंचायतों का कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो अधिनियम में रह गई कमी को दूर करने लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स चौगुले स्टीमशिप्स से तटवर्ती नौवहन के अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र को सहायता देना

2889. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसर्स चौगुल स्टीमशिप्स से तटवर्ती नौवहन के अधिग्रहण के लिये महाराष्ट्र को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सहायता की मुख्य बातें क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड से तटीय यात्री नौवहन सेवाओं को हाथ में लेने के लिये कोई मदद नहीं माँगी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-अर्हता प्राप्त डाक्टरों को सूची-बद्ध करने की योजना

2890. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-अर्हता प्राप्त डाक्टरों को सूची बद्ध करने की कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : ( ) और (ख) एलोपेथी के क्षेत्र में अप्रशिक्षित चिकित्सकों की सूची बनाने के प्रश्न पर भारत सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी । चूंकि कुछेक अप्रशिक्षित चिकित्सक लोगों को खासकर ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं. इसलिए यह समझा गया कि जो किसी निश्चित तिथि के तुरन्त पूर्व कम से कम दस वर्ष की अवधि से आधुनिक व्यवसाय कर रहे हों उन्हें आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी जाय । किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं था कि वे चिकित्सा, प्रसूति अथवा किसी रूप में विकिरण चिकित्सा की प्रैक्टिस तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची (छ) (ज) और (ठ) में सम्मिलित औषधियों का तथा अन्य खतरनाक दवाइयों का नुस्खा देने के हकदार हों इस पर भी विचार किया गया कि किसी राज्य में इस प्रकार की सूची एक बार बना लिये जाने पर, सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन रोगों में आगे कोई अप्रशिक्षित चिकित्सक न लिया जाये क्योंकि निर्धारित तिथि के बाद ऐसे चिकित्सकों को पंजीकृत करना सम्भव नही हो सकेगा ।

(ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे, यदि ऐसा करना चाहें तो, इस प्रयोजना के लिए राज्य चिकित्सा अधिनियमों में संशोधन करने के हेतु उपयुक्त कानून बनाकर यथानिर्दिष्ट आधार पर समुचित कार्यवाही कर लें ।

देश में मैदा की कमी और बेकरियों पर उसका प्रभाव

2891. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मैदा की कमी है और इसके कारण बेकरियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) रोलर-फ्लोर मिलों को गेहूं का आवंटन राज्य सरकारें कर रही हैं गेहूँ को साबुत अन्न तथा होल-मील आटा के रूप में सप्लाई करने के लिए सरकारी वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई मांग को ध्यान

में रखते हुए राज्य सरकारों ने 'फाइन्स' के उत्पादन में आवश्यक समायोजन किया है। मैदा सहित गेहूं के सभी पदार्थों के वितरण में राज्य सरकारें आवश्यक नियंत्रण बरत रही हैं।

कान्फ्रेंस लाइन्स द्वारा माल भाड़े में वृद्धि

2892. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानफ्रेंस लाइन्स ने जो पूर्व एशियाई और प्रशान्त पत्तनों से और वहां तक भारत का आयात-निर्यात माल ढोती है, माल भाड़ा बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह माल भाड़ा कितना बढ़ाया गया है और इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में, परिचालन लागतों में वृद्धि के कारण एग्रीमेन्ट्स / शिपिंग लाइंस ने भाड़ा दरों में कुछ वृद्धि की घोषणा की है। भाड़ा वृद्धियों का व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4460/73]

भुवनेश्वर में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना

2893. श्री अर्जुन सेठी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और सस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भुवनेश्वर में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना करने संबंधी उड़ीसा सरकार की मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मामले पर सरकार विचार कर रही है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को 'नई भर्ती के रूप में नियुक्त करना

2894 श्री के० लकप्पा :

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, और समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को नई भर्ती के रूप में नौकरी में लेकर एक साल तक परिवीक्षाधीन रखा जाता है और उन्हें पहले की सेवा के लाभ नहीं दिये जाते, जिनका दिया जाना एक सामान्य बात है, और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने संबंधी केन्द्र सरकार के निर्णय को देखते हुए, क्या दिल्ली प्रशासन का विचार इन शर्तों में ढील देने का है क्योंकि ये सभी प्रशिक्षत अद्र्ध-स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं ?

शिक्षा और समाज कल्यण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) : दिल्ली के स्कूलों में सेवारत उन रा० अनु० योजना के प्रशिक्षकों को, जिनमें से अधिकाँश P 10-200 रुपये के केन्द्रीय वेतनमान में और कुछ 150-240 रु० के केन्द्रीय वेतनमान में थे, के पश्चात दिल्ली प्रशासन द्वारा 220-430 रुपये के वेतनमान में, दिल्ली प्रशासन द्वारा गैर

स्नातकों के मामले में भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट देकर आध्यापकों के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। नियुक्ति पत्रों में इस बात उल्लेख था कि उन्हें एक वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर रखा जाएगा और उनकी वरीयता नए अध्यापकों के रूप में निर्धारित की जाएगी तथा उन्हें उनकी पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने पेशकश को मंजूर कर लिया था उन्हें दिल्ली प्रशासन द्वारा खपा लिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा सुझायी गइ स्थानान्तरण की शर्तों के अनुसरण में इन (प्रशिक्षकों) को राज्य सघ शासित प्रशासन की सेवा में खपाए जाने पर उनकी पहले की सेवा को वेतन निर्धारण और सेवा निवृत्ति के लाभ के लिए गिना जाएगा और किसी अन्य लाभ के लिए नहीं। इस उच्चतर वेतनमान के कारण जिसमें इन्हें दिल्ली प्रशासन में बनाया गया है के निर्धारण से संबंधित शर्त तो अपने आप मे ही पूरी हो जाती है। सेवा निवृत्ति के लाभ से संबंधितशर्त आपने आप ही पूरी हो जाएगी क्योंकि, प्रशिक्षकों को केन्द्रीय सरकार से दिल्ली प्रशासन में नौकरी करने के लिए उनकी सेवा भग किए बगैर स्थानान्तरित किया गया है।

एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों के लिए दिल्ली के स्कूलों में नए पद बनाना

2895 श्री के० लकप्पा:

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों के विलयन के लिए विभिन्न स्कूलों में नए पद बनाए है जबकि कुछ स्कूल वास्तव में अस्तिव में ही नहीं है,

(ख) क्या मनमाने ढंग से पद बनाये जाने के कारण एन० डी० एस० के प्रशिक्षकों को : दूरस्थ स्थानों में नियुक्तियों जैसी अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा,

(ग) यदि हां, तो एन० डी० एस के प्रशिक्षकों की नियुक्तियों और उनके लिए यह बनाने की मानदंड क्या है, और

(घ) क्या सरकार का विचार नियुक्तियों और नए दल बनाने की स्थिति का पुनरावलोकन करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी. यादव)

(क) दिल्ली में कार्य कर रहे रा० अनु० यो० प्रशिक्षकों को खपाने के लिए, दिल्ली प्रशासन द्वारा स्कूलों में अवर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के नए पद बनाए थे। स्कूलों के नाम टाइप करने में, तथापि, कुछ गलतियां थी, जो कि बाद में ठीक कर दी गई थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन को प्रशिक्षको को असुविधा के बारे में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय भाषाविद्व सम्मेलन

2896. श्री डी० पी० जदेजा :

डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1972 को हैदराबाद में अखिल भारतीय भाषाविद्व सम्मेलन हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सुझाव दिए गए तथा सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) : तीसरा अखिल भारतीय भाषाविद्व सम्मेलन हैदराबाद में दिसम्बर, 1972 में हुआ था। किन्तु सम्मेलन की कार्यवाही अभी इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

मलेरिया उन्मूलन योजना

2897. श्री धर्मराव अफ-जलपुरकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मलेरिया उन्मूलन योजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कितनी वित्तीय और चिकित्सीय सहायता ली गई है; और

(ग) सरकार की वर्ष 1973-74 सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) देश का 60% क्षेत्र जिसमें 30 करोड़ 40 लाख की आबादी है, देख रेख चरण अर्थात मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तिम चरण में प्रवेश कर चुका है जबकि 16% क्षेत्र जिसमें 9 करोड़ की आबादी है, समेकन चरण में है और 24% क्षेत्र जिसमें 13 करोड़ 50 लाख की आबादी है, इस कार्यक्रम के आक्रमण चरण में है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से 1972-73 में 70,000 डालर की कीमत की सामग्री और उपकरण देने और सम्मेलनों, विचार-गोष्ठियों आदि में भाग लेने वालों को यात्रा और दैनिक भत्ता देने के लिए 20,300 डालर की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञ और भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्तियां भी प्रदान की हैं।

(ग) 1973-74 में देश के 24 प्रतिशत क्षेत्र में डी० डी० टी०/बी० एच० सी० I मलेथियन जैसे विभिन्न कीटनाशकों के छिड़काव का कार्य किया जाएगा। रोग के निरन्तर संचरण वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों के छिड़काव का तीसरा दौर चलाने की योजना है।

आक्रमण और समेकन चरण वाले क्षेत्रों में जिनकी कि 40% आबादी रहती है, निगरानी कार्यों को तेज किया जाएगा। जहां कहीं भी मलेरिया के मामलों का पता चलेगा वहां उनके उपयुक्त उपाय किये जायेंगे और आवश्यक चिकित्सा की जाएगी। देख-रेख चरण वाले क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से निगरानी कार्य किए जायेंगे। इस समस्या को हल करने की दृष्टि से इस रोग के निरन्तर संचरण वाले क्षेत्रों में विशेष अन्वेषण किये जाएंगे। कीटनाशकों/मलेरिया रोधी औषधियों की पर्याप्त मात्रा में अग्रिम सप्लाई करने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये है। इनके अलावा 1973-74 में 28 नगरों में लार्वी-रोधी उपाय भी जारी रखे जायेंगे।

तटवर्ती यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किश्ती बनानें वाले यार्ड

2898.. श्री वीरेन्द्रसिंह राव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तटवर्ती यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किश्ती बनाने वाले वार्ड यार्डों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हाँ, तो ये यार्ड कब तक स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धन-राशि का नियतन किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय राज्यमंत्री (श्री एस० बी० राना) : (क) से (ग) तटीय यातायात के लिए छोटे जहाजों को बनाने के लिये शिपयार्डों को स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है और इन पर हमारी जहाज निर्माण क्षमता के विस्तार करने के लिये पांचवी योजना की योजनाओं को अन्तिमरूप देते समय विचार किया जायेगा ।

मत्स्य नौकाओं का निर्माण और उसके केन्द्र द्वारा धन का नियतन

2899 श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दो वर्षों के दौरान देश में मत्स्य नौकायें बनाने और मत्स्य उद्योग का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) मार्च, 1972 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि देश में मत्स्य जलयानों के निर्माण की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए और शेष आवश्यकता आयात करके पूरी जानी चाहिए और वह आयात जहां तक व्यवहारिक हो सोवियत रूप से करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । तथापि देशी क्षमता के उपयोग और आयात की व्यावहारिकता दोनों ही दृष्टियों से इस निर्णय के क्रियान्वयन की विधि विचाराधीन रही है । इसके लिए एक समुचित योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत देशी जलयान निर्माण यार्डों को दिये जाने वाले आर्डरों और सीमित आयात के बीच समुचित सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा । जलयानों के आयात के लिए 18 महीने की अवधि नियत करने का प्रस्ताव है, जबकि ऐसे देशी जलयानों के निर्माण के लिए दो वर्ष का समय दिया जायेगा । इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) इसके लिए कोई धन राशि नियत नहीं की गई है । ऐसा विचार है कि जलयानों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वाणिज्यक प्रतिष्ठान आर्डर देंगे । जहां तक सरकार का संबंध है, देशी यार्डों में समन्वेषी मत्स्य ग्रहण के लिये 10 जलयान बनाने का प्रस्ताव हो प्रस्ताव के अनुसार ये जलयान नार्वे की सहायता से बनाये जाएंगे और वह सहायता डिजाइन और कुछ पुर्जो की सप्लाई के रूप में होगी ।

कोयला खान मजदूरों में जन्म दर

2900. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान मजदूरों के गत तीन वर्षों के जन्म दर सम्बन्धी आंकड़े क्या है;

(ख) ये देश की शेष जनसंख्या की तुलना में कितने कम या अधिक है; और

(ग) कोयला खान मजदूरों में परिवार नियोजन अभियान के प्रचार, पोस्टर लगाने, निरोध वितरण आदि के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) कोयला खान मजदूरों के पिछले तीन वर्षों के जन्म-दर सम्बन्धी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) परिवार नियोजन सेवा की सुविधायें बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कोयला खान मजदूर कल्याण संगठनों द्वारा स्थापित किए गए परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों तथा विभिन्न कोयला क्षेत्रों में इस संगठन द्वारा चलाये जा रहे सभी केन्द्रीय क्षेत्रीय अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। इन स्रोतों के माध्यम से निरोध का अधिकाधिक वितरण हो रहा है तथा इसमें वृद्धि हो रही है। अतिरिक्त प्रेरणात्मक साधन उपलब्ध कराकर इन स्रोतों द्वारा परिवार नियोजन के प्रचार मे वृद्धि की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान के कुछ जिलों में किया गया कार्य

2901. श्री लालजी भाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान के नागौर, झुनझुन, बीकानेर और चूरू जिलों में कुछ कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त जिलों में अब तक कितना कार्य हो चुका है; और

(ग) इन क्षेत्रों में भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी, हां। केन्द्रीय भूमिगत-जल मंडल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से नागौर, झुनझुनु, बीकानेर और चुरू जिलों के कुछ भागों में भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण के लिये इस समय एक परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) हाईड्रोजियालोजिकल, हाईड्रोमिट्रोलोजिकल तथा रासायन के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़े इकट्ठे करके प्रारम्भिक मानचित्र तैयार किए गए हैं। परियोजना क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। 2,552 कूपों की एक सूची तैयार की गई है। जलके लगभग 3,800 नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया है। 52 'बोर-होल' किए गए हैं और आगे कार्य जारी है।

(ग) इन क्षेत्रों का भावी कार्यक्रम परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

Expert Committee on Technical Education

2902. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a Committee of Experts was set up by the All India Council of Technical Education for according recognition and developing technical education with a view to improve its standard;

(b) whether experts from America, Germany and Japan were to participate in the deliberations of the Committee; and

(c) whether this committee has submitted its report, and if so, the main recommendations made therein ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) The All India Council for Technical Education appointed a Special Committee of experts to examine the whole system of polytechnic education in the country and recommend measures for its reorganisation and further development. Experts from the U. K., U. S. A., Japan and West Germany were also associated with the Committee.

The Committee submitted its report in May, 1971. The main recommendations of the Committee were placed on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 6098 answered on 15 May, 1972.

The All India Conucil has also recently set up an expert Committee for a similar review of the undergreduate engineering education in the country. There is no proposal to associate foreign experts with the functioning of this Committee at present.

उदयपुर (राजस्थान) के आदिवासी लोगों पर सूखे का प्रभाव

2903. **डा० हरी प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आदिवासी विकास निदेशक, भारत सरकार के इस आशय के कथित विचारों की ओर दिलाया गया है जो 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 1 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुए थे, कि यदि तत्काल उपाय न किये गये तो वर्तमान सूखा के राजस्थान के उदयपुर डिवीजन के आदिवासी लोगों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति की गम्भीरता के बारे में सरकार का स्पष्ट मूल्यांकन क्या है; और

(ग) स्थिति के प्रभावी नियंत्रण के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां। प्रेस संवाददाता ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद अधिकारी से भेंट की थी। यह अधिकार का वक्तव्य नहीं है, अपितु स्थिति का संक्षिप्त सार देते हुए संवाददाता का कथन है।

(ख) उदयपुर में लगभग 2994 गांव सूखे से प्रभावित हैं। सूखे से प्रभावित होने वाली जनसंख्या में 7 लाख आदिवासी लोग शामिल हैं। स्थिति की गम्भीरता का कारण यह है कि आदिवासी लोगों की क्रय शक्ति कम है और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो अन्दरुनी क्षेत्रों में खाद्यानों की कमी है।

(ग) उदयपुर जिले में लगभग 505 श्रम-प्रधान राहत कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

इन कार्यों पर लगभग 1 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं जिनमें आदिवासियों की संख्या लगभग 30,000 है।

जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, राजस्थान को (उदयपुर सहित) खाद्यान्नों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4461/73] खाद्यान्नों का जिलावार आंतरिक वितरण सरकार द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार ने पेय जल के कुओं के लिये उदयपुर जिले को 10 लाख रुपये दिये हैं। इस धनराशि का 50 प्रतिशत भाग आदिवासी क्षेत्रों के लिये है।

जिले की जनता को निःशुल्क राहत दी जा रही है। "केयर" कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल के बच्चों को भोजन भी दिया जा रहा है।

आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को (उदयपुर सहित) विशेष लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 3.907 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। कार्य की प्रगति के आधार पर, अब तक इस राशि में से 2.81 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। उदयपुर लघु कृषक विकास एजेन्सी परियोजना के अन्तर्गत जिले के आदिवासी क्षेत्रों के लिए सामुदायिक सिंचाई की 13 योजनाएं भी मंजूर की गई हैं।

खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के उपाय

2904. डा० हरी प्रसाद शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेलों की निरन्तर कमी आठ राज्यों में 620 हैक्टयर भूमि में सूरजमुखी सघन तथा विस्तृत खेती करके दूर करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि नियत की जा गी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1972-73 के दौरान 1,80,000 हैक्टार क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना की स्वीकृति दी गई है। सूरजमुखी के विकास के लिये तीन वर्षीय कार्यवाही योजना (1973-74 से 1975-76 तक) के अनुसार अस्थायी तौर पर इस योजना के अन्तर्गत 1975-76 तक 6,20,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। तत्सम्बन्धी ब्यौरा इस प्रकार है:—

	राज्य	(हैक्टार) 1975-76
1.	आन्ध्र प्रदेश	140,000
2.	मैसूर	80,000
3.	तमिलनाडु	200,000
4.	गुजरात	30,000
5.	महाराष्ट्र	80,000
6.	मध्य प्रदेश	15,000
7.	उत्तरप्रदेश	15,000
8.	पश्चिम बंगाल	40,000
9.	अन्य	20,000
		620,000

(ग) 1973-74 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्तमान योजना के अन्तर्गत सूरजमुखी के विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये 29.20 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान में सूखे की स्थिति के बारे में विधान-सभा सदस्यों की टिप्पणियां

2905. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जनवरी, 1973 को जयपुर में हुई राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की बैठक में की गई इस टिप्पणी तथा उसमें दिये गये इन सुझावों की ओर दिलाया गया है कि उस राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार किया जाये तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये राहत उपायों का पुनर्विलोकन किया जाये; और क्या सरकार को उस बैठक की कार्यवाही का सार प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या मुख्य टिप्पणियां की गई तथा सुझाव दिये गये तथा सरकार की इस बारे में क्या उत्तर प्रतिक्रिया है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) . (क) जी हां। जिस बैठक का हवाला दिया गया है वह कांग्रेस दल के विधान सभा के सदस्यो की पार्टी बैठक थी। इस बैठक की कार्यवाही के निर्णय न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार को मिले हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकन मालवाही जहाजी कम्पनियों द्वारा भाड़े की दर को बढ़ाना

2906. **डा० हरी प्रसाद शर्मा :**
श्री गदाधर साहा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अमरीकी मालवाहक जहाजी कम्पनियों ने हाल में भारत और उस देश के बीच माल लाने-ले जाने के भाड़ों में वृद्धि करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी ने कितनी वृद्धि की है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में बातचीत के लिये कोई प्रतिनिधिमंडल अमरीका भेजा है अथवा भेजने का विचार है, यदि हां, तो उसे कब भेजा जायेगा और वहां पर किन विषयों/प्रस्तावों पर बातचीत होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। नौवहन कानफ्रेंस/ऐग्रीमेन्टस, जिसके अंतर्गत भारत से यू० एस० ए० तक का व्यापार आता है, ने हाल ही में भाड़ा दरों में निम्नलिखित वृद्धियों की घोषणा की है :—

कानफ्रेन्स/ एग्रीमेंट का नाम		से	तक	वृद्धि की मात्रा तथा प्रभावी तिथि
पैसिफिक/इंडिया रेट ऐग्रीमेंट	(1)	भारत का पूर्वी तट पत्तन	यू० एस० (पैसिफिक)	12.5 प्रतिशत 22-2-73 से
	(ii)	भारत का पश्चिमी तट	यू० एस० (पैसिफिक) पत्तन	14.25 प्रतिशत 1-1-73 से
	(iii)	यू० एस० पैसिफिक	भारत का पूर्वी तट पश्चिमी तट	13 प्रतिशत 1-1-73

पैसिफिक इंडिया रेट एग्रीमेंट ने एक साथ पैसिफिक तट धरा उठाई प्रभारों में प्रति फ्रेट टन 3.35 यू० एस० डालर तक की वृद्धि तथा बकंर अधिमार में 50 प्रतिशत की कमी कर दी है ।

रेट एग्रीमेंट सचिवालय से विरोध प्रकट किया गया है । ऐग्रीमेंट सचिवालय से अपने प्रतिनिधि को वार्ता- के लिये भारत भेजने के लिये कहा गया हैं और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

(ख) इस समय किसी प्रतिनिधिमंडल को अमरीका भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बस्तर (मध्य प्रदेश) में उष्ण कटिबन्धीय चीड़ बागान लगाने का सुझाव

2907. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने बस्तर में उष्ण कटिबन्धीय चीड़ के बागान लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सुझाव की मुख्य बाते क्या हैं और उस पर क्या निर्णय किया गया है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) (क) और (ख) : वृहत स्तरीय वन बागान परियोजनाओं का पता लगाने के लिए इस समय एफ० ए० ओ० / एस० आई० डी० ए० का प्रारम्भिक वानिकी मिशन भारत में आया हुआ है ।

अभी तक भारत सरकार को मिशन की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, मिशन मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में उष्ण कटिबन्धीय देवदार की अनेक उपयुक्त किस्मों के परीक्षणों के संबंध में विचार कर रहा है ।

बच्चों में केन्सर के कारणों के सम्बंध में प्रसिद्ध डाक्टरों की राय

2908. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रसिद्ध डाक्टरों की इस राय की ओर दिलाया गया है कि आणविक विकिरण, खाद्य अपमिश्रण, खिलौनों और मिठाइयों के रंगों से बच्चों में केसर फैल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु):(क) जी हां।

(ख) आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले विभिन्न पदार्थों में कितनी विषाक्तता है तथा उनमें केंसर जनन क्षमता कितनी है इसका निर्धारण करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्व ने पर्यावरणिक कैंसर जनको (कार्सिनोजेन्स) की जांच करने के लिये परिषद के अधीन निम्नलिखित संस्थाओं में तीन एकको की स्थापना की है :-

जनन अनुसंधान संस्थान, बम्बई।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद।

बम्बई स्थित एकक मुख्यतः यह समझाने में लगा हुआ है कि खाद्दय तेलों से कैंसर होता है या नहीं। और तम्बाकू का मुख के कैंसर से क्या सम्बन्ध है। हैदराबाद की एकक मुख्यतया बाजार में मिलने वाले सामान्य खाद्दय तेलों और आम मिलने वाले तेल पदार्थों यथा कोका कोला, गोल्ड स्पाट आदि से कैंसर होने की बात का अध्ययन कर रहा है ये अन्वेषण अभी चल रहे हैं।

अमृतसर (पंजाब) में गन्दी बस्तियां हटाने / सुधारने के लिए केन्द्र द्वारा धन का नियतन

2909. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चौथी योजना अवधि में पंजाब और विशेष रूप से अमृतसर नगर की गंदी बस्तियों को हटाने सुधारने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता नियत की गई है और उस में से कितनी व्यय की जा चुकी है ; और

(ख) अमृतसर नगर को सुन्दर बनाने एवं उसकी गन्दी बस्तियों के सुधार पर वर्ष 1973-74 में कितना व्यय किया जाना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):

(क) और (ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से, गन्दी बस्ती सफाई तथा सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है और केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की समस्त योजनाओं के लिए इकठ्ठी 'खण्ड ऋणों" तथा 'खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार इस योजना के लिए तथा राज्य की विभिन्न गन्दी बस्तियों के लिए इस केन्द्रीय नियतन में से निधियां निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जोध पुर के रेगिस्तानी क्षेत्र का खेती के लिए अध्ययन

2910 : **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशेषज्ञों ने जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में खेती करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में उस क्षेत्र की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) क्या रेगिस्तान का उपगोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी सहायता का आश्वासन दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) विश्व बैंक के अन्तर्राष्टीय विकास संघ का एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण मिशन सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के प्रारूप का अध्ययन करने के लिए फरवरी, 1973 में भारत आया था। इन क्षेत्रों में जोधपुर जिला भी शामिल है। अभी इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। आशा है कि इन कार्यक्रमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता ऐसे आधार पर प्राप्त हो सकेगी जिसे स्वीकार किया जा सकता हो।

पाँचवीं योजना के दौरान उद्योग का आधुनिकीकरण

2911. श्री राम सहाय पांडे : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवहन उद्योग को आधुनिक बनाने तथा पांचवीं योजना के दौरान देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या इसके लिए किसी विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी और यदि हां, तो विदेशों से सहायता लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन विस्तार के कार्यक्रम में वर्तमान पुराने जहाजों के स्थान पर अधिक आधुनिक जहाजों को रखने का है। यह अनुमान है कि पांचवीं योजना के अन्त तक भारतीय जहाज हमारे विदेशी व्यापार का 50 प्रतिशत ले जा सकेंगे। जहाजों की शेष आवश्यकता जो देशी शिपयार्डों से पूरी नहीं की जा सकती, को पूरा करने के लिए विदेशी शिपयार्डों को आदेश देने होंगे। शिपिंग टन भार जिसकी यू० एस० एस० आर०, पोलैन्ड और यूगोस्लाविया देशों के शिपयार्ड द्वारा पूर्ति की जा सकती है, को अभिनिश्चित करने के लिए हाल ही में उक्त देशों के साथ बातचीत की गई है।

नकली स्काच विस्की का उत्पादन और बिक्री

2912. श्री राम सहाय पांडे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किसी ऐसे गिरोह का पता लगाया गया है जो नकली विस्की बनाता है तथा बेचता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिनका इसमें हाथ है; और

(ग) राजधानी में स्काच की अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1972 तथा 1973 (28-2-1973) तक दिल्ली में इस प्रकार का कोई गिरोह नहीं पाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार तस्करों तथा अवैध शराब बनाने वालों पर विशेष निगरानी रखती है और जिन व्यक्तियों के पास अवैध शराब पाई जाती है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

अवैध शराब बनाए जाने को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4462/73]।

भारत में अन्धे व्यक्ति

2913. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिनांक फरवरी, 1973 में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि विश्व में कुल अन्धे लोगों में प्रत्येक तीसरा अन्धा व्यक्ति भारतीय है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि ये लोग लगभग 360 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ डालने के बजाये देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां।

(ख) नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। तो भी भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गई है, जो नेत्रहीनों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुस्तकों को तैयार करने और उनके वितरण की व्यवस्था करता है।
2. नेत्रहीन छात्रों को साधारण शिक्षा तथा तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
3. नेत्रहीन व्यक्तियों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार केन्द्र खोले गए हैं।
4. 9 विशेष रोजगार कार्यालय अन्य विलांग व्यक्तियों के साथ-साथ नेत्रहीन व्यक्तियों को उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता देते हैं।

भारतीय युवक सभा से सम्बद्ध संगठन

2914. श्री के० बालदन्डायुतम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय युवक सभा से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर के युवक और छात्र संगठनों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय युवक सभा, विश्व-युवक सभा से किसी प्रकार से सम्बद्ध है; और

(ग) क्या भारतीय युवक सभा ने गत तीन वर्षों के दौरान विश्व युवक सभा द्वारा आयोजित, प्रायोजित, सह-प्रायोजित अथवा समर्थित किन्हीं कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कोई प्रतिनिधि भेजे थे।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, जिसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

बागान मजदूरों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना की प्रगति

2915. श्री के० बालदन्डायुतम :
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान मजदूरों के लिये राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में गत 17 वर्षों से बहुत धीमी गति से प्रगति हो रही है जबकि इसकी शर्तों को उदार बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) योजना को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) यह सही है कि योजना में सराहनीय प्रगति नहीं हुई है। अपर्याप्त प्रगति का मुख्य कारण बागान मालिकों द्वारा अनुभव की जा रही वित्तीय कठिनाइयां हैं जो कर्मचारियों के मकानों पर पूंजी लगाने के विपक्ष में हैं तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपनी कुल प्लान सीमाओं में से अपेक्षित निधियां उपलब्ध करने में असमर्थता है।

(ग) प्रगति की गति बढ़ाने के लिये वर्ष 1970-71 से योजना को राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया गया है, तथा उस के लिये निधियां राज्य प्लान सीमा के बाहर केन्द्रीय बजट में उपलब्ध की जाती हैं। बागान मालिकों को उपलब्ध सहायता की मात्रा भी 1 अप्रैल, 1970 से 25% से बढ़ाकर $37\frac{1}{2}\%$ कर दी गई है, इस प्रकार बागान मालिकों का अपना अंश 25% से घटा कर $12\frac{1}{2}\%$ तक कर दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में योजना की प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिये, फरवरी, 1973 में दार्जिलिंग में एक बैठक भी बुलाई गई थी। इस में आसाम, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा और इस क्षेत्र आदि के बड़े बागों की एसोशिएशनों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। बैठक में लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये थे कि योजना की प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का आवधिक पुनरीक्षण किया जाये, स्थानीय उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जाये तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो इस्पात और सीमेंट की पर्याप्त और समय पर सप्लाई सुनिश्चित की जाये। बैठक में राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे

ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करें जहां बागान कर्मचारियों के लिये आवास की कमी अपेक्षाकृत गम्भीर है तथा तदनुसार उन के लिये परियोजनाओं तथा भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई की स्वीकृति दे।

केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित करने के बाद योजना में अपेक्षाकृत अच्छी प्रगति हुई है क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित करने से पूर्व स्वीकृत किये गये 2615 मकानों के विपरीत, अप्रैल, 1970 से 7293 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

Allotment of Bungalows to members of Lok Sabha and Rajya sabha

2916. **shri Rana Bahadur singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of Government Bungalows in New Delhi at present and the number out of them allotted to the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha;

(b) the number of bungalows in Possession of Ex-Ministers who have not vacated them relinquishing Ministership; and

(c) whether the allotment of these bungalows is done on the basis of parties or the States and if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Department of parliamentary offairs and in the Ministry of works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) There are 627 bungalows in toe general pool and 148 in the M.Ps' pool at Delhi/New Delhi. Out of the M.Ps' pool. 100 bungalows are in the Lok Sabha quota and 43 in the Rajya Sabha quota. Out of the general pool, 75 bungalows have been allotted to M Ps., 55 to Members of the Lok Sabha and 20 to Members of the Rajya Sabha.

(b) Out of 75 bungalows referred to against (a) a ove, 14 bungalows are in occupation of ex-Minnisters, who have beenallowed to retain thess in their capacity as Members of Parliament. One b ngalow is in the occupation of an ex-Minister, who is a Member of Parliament but the allotment has not yet been regularised, Another bungalow is in the occupationt of in ex-Minister, who is not an M. P. He has not yet vacated it.

(c) Allotment of accommodation in the M.Ps' Pool is controlled and administered by the respective House Committees of the two Houses of Parliament. Allotment of general pool accommodation to Mombers of Parliament in the Lok Sabha and the Rajya Sabha is generally made on the basis of 11.4%and 12.5%respectively of the strength of each Party in each House in respect of all types of houses.

छात्र असन्तोष के बारे में राज्यों से रिपोर्ट

2917. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को 1973 में छात्र असंतोष के बारे में, किन-किन राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इसमें विदेशी एजेंसियों का भी कोई हाथ पाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, मैसूर और केरल तथा पांडिचेरी प्रशासन से छात्र असंतोष के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गेहूं सप्लाई कराने के बारे में शिकायत

2918. श्री रण बहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों विशेषकर (रतलाम) मध्य प्रदेश की भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब गेहूँ सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, प्रेस रिपोर्ट में जिसमें सड़ा गेहूं सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, की राज्य सरकार ने जाँच कराई थी। जांच करने पर, रतलाम में गेहूं के केवल एक बोरे में लगभग 2 किलो क्षतिग्रस्त गेहूं पाया गया बताया गया था। क्षतिग्रस्त गेहूं अलग रख दिया गया था और उसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था। सड़ा गेहूं सप्लाई करने के बारे में किसी भी उपभोक्ता ने कोई भी शिकायत नहीं की।

उचित मूल्य की दुकान वाले दुकानदारों को उपभोक्ताओं को कोई भी क्षतिग्रस्त या घटिया गेहूँ न देने के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

चीनी की कमी

2919. श्री पी० वेंक्टासुब्बया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आशंका है कि अगले वर्ष भी चीनी की कमी रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी, नही। सरकार द्वारा उठाए विभिन्न पगों के परिणामस्वरूप चीनी के उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें चीनी वर्ष 1973-74 के दौरान और सुधार होने की सम्भावना है।

भारत और मारीशस के बीच सांस्कृतिक करार

2920. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मारीशस के बीच हाल ही में सांस्कृतिक करार हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। भारतीय गणतंत्र की सरकार तथा मोरिशस की सरकार के बीच एक सांस्कृतिक करार पर, पोर्ट लुई में, 6 फरवरी, 1973 को हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, यह करार अनुसमर्थन लिखितों के विनिमय की तारीख से ही लागू होगी जो अभी होना बाकी है।

(ख) इस करार का उद्देश्य, भारत और मोरिशस के बीच, संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक संभव उपाय से संबंधों को बढ़ाना तथा उसका विकास करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, दोनों देश, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों तथा अन्य विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पुस्तकों-पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों के विनिमय, एक दूसरे देश के छात्रों को

छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत करके, रेडियो, प्रेस तथा इसी प्रकार के अन्य जनसाधनों के जरिए एक दूसरे की संस्कृति की जारकारी के प्रसार, एक दूसरे के देशों में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में विनियम कार्य और पर्यटनों के भ्रमण के द्वारा विश्व-विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक तथा कला संस्थाओं, अकादमियों, संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों के बीच सहयोग को सुकर बनाएगें और प्रोत्साहित करेंगे। इस करार में, मोरिस की शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और मोरिशस में भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्रसार करने की भी व्यवस्था है।

मुर्गी पालन उद्योग को बचाने के लिए कार्यवाही

2921. श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या चारे के मूल्य में वृद्धि के कारण मुर्गी फारम चलाना अलाभप्रद हो रहा है;

(ख) इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या अंडों का हिसाब गिनकर लगाने के बजाय उनको तोलकर लगाने से मुर्गी फार्मों को बड़े अंडों का उत्पादन करने में सहायता मिलेगी जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो; और

(घ) क्या मुर्गी पालन उद्योग को बचाने के लिए तथा उसकी प्रगति में सहायता देने के लिए बड़े नगरों में अंडों का व्यापार और उनके निर्यात के लिए भी राज्य व्यापार आरम्भ किया जा सकता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हाँ। कुक्कुट आहार के मूल्य बढ़ने के कारण कुक्कुट-उद्योग में होने वाले लाभ में काफी कमी हो गई है जिसके फलस्वरूप कुक्कुट-पालकों के हृदयों में काफी चिन्ता उत्पन्न हो गई है।

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्यों के पशु-पालन विभागों को पशु-आहार के लिए क्षतिग्रस्त खाद्यान्न उपलब्ध करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम सीमा निर्धारित करके मूंगफली की खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और ऐसे निर्यातों के लिए दिये जाने वाले सामान्य प्रोत्साहन समाप्त कर दिये गये हैं।

(3) पंजाब तथा हरियाणा आदि कुछ राज्य सरकारों ने अत्यावश्यक जिन्स अधिनियम के अन्तर्गत चावल-भूसी (वितरण) नियंत्रण आदेश जारी किया है जिसके अन्तर्गत कुक्कुट-आहार विनिर्माताओं तथा कुक्कुट पालको को चावल की भूसी की निश्चित मात्राएं आवंटित की जा रही हैं।

(4) राज्यों के पशु-पालन विभागों को सलाह दी गई है कि वे कृषि तथा औद्योगिक उपोत्पादों का बड़ी मात्रा में उपयोग करने की सम्भाव्यताओं का पता लगायें।

(5) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से भी अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अंडों का विपणन करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यक्रम क्रियान्वित करें।

(6) राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे अंडे सप्लाई करने के सम्बन्ध में सेना के अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करें, ताकि उत्पादकों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके।

(ग) इस सम्बन्ध में जाँच करके यथा समय उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एजेन्सी के माध्यम से बड़े शहरों में अंडों का व्यापार प्रारम्भ करने के लिए एक योजना को क्रियान्वित करने का विचार है। इस सम्बन्ध में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सब्जी मंडी, दिल्ली के दुकान मालिकों को आजादपुर में प्लाटों का आवंटन

2922. श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मंडी, दिल्ली के दुकान मालिकों को आजादपुर में नई सब्जी मंडी के लिए निर्धारित किए गए क्षेत्र में प्लाटों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या भूमि का आवंटन फर्म के नाम में या फर्म के मालिक के नाम में किया गया है;

(ग) क्या भवन निर्माण के लिए फर्म को दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक अथवा जीवन बीमा निगम ऋण नहीं दिया जाता; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन फर्मों को ऋण देने पर विचार कर रहा है, जिन्हें भूमि का आवंटन कर दिया गया है और यदि नहीं, तो क्या भूमि को फर्म के मालिक के नाम में स्थानान्तरित करने का विचार है जिससे कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण या बैंक या जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर भवन निर्माण कर सकें और यदि, हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) जी, हां।

(ख) प्लाटों का आवंटन प्रार्थी की हैसियत के अनुसार फर्म के नाम अथवा उसके एक मात्र मालिक के नाम किया गया है।

(ग) और (घ) दुकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऋण देने की कोई योजना नहीं है। आवंटी भारत के जीवन बीमा निगम अथवा बैंकों को ऋणों के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।

दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल में रिक्त पद

2923. श्री शशि भूषण : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिदिन लगभग 3000 रोगियों को निपटाने वाले इर्विन अस्पताल, दिल्ली में कई महीनों से आठ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) यदि हाँ, तो इन पदों को रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक पद किस-किस तिथि से रिक्त पड़ा है; और

(घ) रोगियों को उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए इन पदों को भरने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :(क) इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में पांच प्रशासनिक पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) से (घ) : पदवार स्थिति इस प्रकार है :—

(i) **उप चिकित्सा अधीक्षक श्रेणी-1 (राजपत्रित)**

6 नवम्बर, 1972 को डा० जे० पी० इस्सर के सेवा निवृत्त होने से यह पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद को भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ii) **उप परिचर्या अधीक्षक श्रेणी-2 (राजपत्रित)**

इस पद पर काम कर रहीं श्रीमती कुरियाकोस 13 जून, 1972 को सेवानिवृत हो गई थीं। इस पद को भरने के लिए दिल्ली प्रशासन प्रबन्ध कर रहा है।

(iii) **प्रिन्सिपल ट्यूटर-श्रेणी-2 (राजपत्रित)**

इस पद का सृजन 16 फरवरी, 1972 को हुआ था। दिल्ली प्रशासन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेते हुए इस पद के लिए भरती नियम बना रहा है।

(iv) **सहायक मेट्रन-2 पद (श्रेणी 3)**

ये पद 23 अक्तूबर, 1972 को सृजित हुए थे। इन पदों को मौजूदा तृतीय श्रेणी की नर्सों में से पदोन्नति करके भरने के लिए निदेशक-प्रधानाचार्य, मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भाण्डागारों को पंचायतों को सौंपना

2924. श्री शशि भूषण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बड़े नगरों में पंचायतों के नियंत्रणाधीन किसानों के लाभ के लिए कितने भांडागार है, जहां पर किसान अपने कृषि उत्पादन को रख सकें और इन भांडागारों में जमा कृषि उत्पादों को सरकार पंचायतों से खरीद सके ताकि किसान बिचौलियों के पंजे से बच सके;

(ख) क्या पंचायती भांडागारों में जमा माल पर किसानों को ऋण दिया जाता है; और

(ग) क्या ऐसे भांडागार अधिकाधिक संख्या में बनाकर पंचायतों को सौंपने की कोई योजना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) पंचायत एक अभिकरण है, जो देश में विकास संबंधी कार्यों में मदद देता है तथा उन्हें कार्यान्वित करता है और प्रशासन तन्त्र की सहायता करता है। पंचायतों के नियंत्रण तथा अधिकार में कोई मालगोदाम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Demolition by D. D. A.

2925. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the number of places where structures (houses etc.) were demolished by the demolition squad of Delhi Development Authority during the last two months;

(b) whether there were some confrontations also with the public at the time of demolition; and

(c) if so, the action taken by police ?

The Minister of State in the Department of Perliamentary offairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) The Delhi Development Authority on their own undertook demolition operations at 15 places.

(b) No.

(c) Does not arise.

Free Education up to Higher Secondary level

2926. Shri Bharat Singh Chauhan :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any schome to provide free education in the country upto the H igher Secondary level; and

(b) if so, the action taken so far and proposed to be taken in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri **D. P.** Yabav) **:** (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Publication of Blue Prints of Colonies Approved by D. D. A.

2927. Shri Bharat Singh Chauhan : Will the Minister of **Works and Housing be** pleased to state :

(a) whether some colonies were approved by the Delhi Development Authority about a year ago;

(b) if so, whether the blue prints of the approved colonies have since been published;

(c) if so when; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentay offairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड के औलम्पिक खेलों और तेहरान के एशियाई खेलों में भारत का भाग लेना

2928. श्री पी० के० देव : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड में होने वाले ओलम्पिक खेलों और तेहरान में होने वाली एशियाई खेलों में भारत भाग लेगा;

(ख) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ ने इन खेलों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए कोई अर्हक मानदंड निर्धारित किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का आशय न्यूजीलैंड के क्राइस्ट-चर्च में होने वाले आगामी राष्ट्रमण्डलीय खेलों तथा 1974 में तेहरान में होने वाले एशियाई खेलों से है।

सरकार को, इस सम्बन्ध में, भारतीय ओलिम्पिक संघ से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

माऊंट आबू में मार्गदर्शन गोष्ठी (लीडरशिप लेबोरेटरी

2929. श्री पी० के० देव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों के व्यवहार के बारे में हाल में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए माँउट आबू में हाल में कोई मार्गदर्शन गोष्ठी (लीडरशिप लेबोरेटरी) का आयोजन किया गया था; और

(ग) उस से निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्ष, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग में छात्रों में असंतोष के बारे में पिछले 4 वर्षों में निम्नलिखित अध्ययनों का आयोजन किया है :—

1. छोटा नागपुर में छात्र असंतोष, प्रो० एल० पी० विद्यार्थी (राँची विश्वविद्यालय) द्वारा;
2. छात्र नेता तथा शिवा पद्धति प्रो० एस० सी० दुबे (सागर विश्वविद्यालय) द्वारा;
3. केरल में छात्र असंतोष प्रो० ई० आई० जार्ज (केरल विश्वविद्यालय) द्वारा।

पहले अध्ययन की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और बाकी 2 अध्यापकों की रिपोर्टों की प्रतीक्षा है।

आयोग ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि छात्र असंतोष के कुछ मामलों का अध्ययन किया जाएगा।

(ख) और (ग) "इण्डियन मैनेजमैंट" पत्रिका के दिसम्बर 1972 अंक में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जून 1971 के अन्तिम सप्ताह के माउंट आबू पर छः दिन के लिए एक छात्र ब्यौरा नेतृत्व प्रयोगशाला का आयोजन किया गया था। रिपोर्ट में, प्रयोगशाला के उद्देश्यों का विस्तृत ब्यौरा तथा किस प्रकार इसका आयोजन किया गया था, दिया गया है। और इस बात का पता चलता है कि अनुभव और परिणामों से प्रयोगशाला में भाग लेने वालों के इस विश्वास की पुष्टि होती है कि विद्यार्थी नेताओं को प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। सरकार ऐसे स्वैच्छिक प्रयोगों का स्वागत करती है।

इम्फाल के शालायुक्त श्रृंग वाले भूरे मृग का संरक्षण

2930. श्री पी० के० देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया हैं कि इम्फाल के समीप कीबुल लम्जाओ वन्य पशु रक्षित क्षेत्र में विश्वविख्यात शाखायुक्त श्रृंग वाले भूरे मृग की जाति समाप्त होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन प्रसिद्ध मृगों को नष्ट होने से बचाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) (i) शाखायुक्त श्रृंग वाले भूरे मृगों (सर्वस एल्डी) को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में शामिल कर लिया गया है और इस नस्ल के शिकार पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

(ii) भारत सरकार ने मनीपुर राज्य की सरकार से अनुरोध किया है कि वह कीबुल लम्जाओ आश्रयस्थल, जहां ये मृग पाए जाते हैं, के विकास तथा संरक्षण के लिये एक योजना तैयार करे । यदि राज्य सरकार इस योजना पर होने वाले आवर्ती व्यय को वहन करने को तैयार हो तो केन्द्रीय सरकार उसके अनावर्ती खर्च को वहन करने के लिये तैयार है ।

Prospects for increase in Rice production in certain districts of Rajasthan

2931. **Shri Nawal Kishore Sharma** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that the present rice production in Doogarpur, Baswara, Bhilwara and other districts in Rajasthan can be increased considerably; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to ensure increase in rice production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Information has been called for from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as it is received.

Machines Lying Idle in Government Presses

2932. **Shri Nawal Kishore Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether many valuable machines have been lying idle in various Government Printing Presses for the last many years only for want of repairs;

(b) if so, what are these machines and Presses;

(c) the reasons for which repairing of the machines was not carried out; and

(d) the total loss suffered as a result thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The following 4 machines are lying idle for over 3 years :

(i) The Mono Sort-Casters in the Government of India Press, Minto Road, New Delhi.

(ii) One Rotary Routing machine in the Government of India Press, Temple Street Calcutta.

(iii) One Stereo Casting Box in the Government of India Press, Santragachi, Howrah.

(c) The repairs could not be carried out as necessary spare parts were not readily available. Every effort is being made to procure the spare parts including some from abroad.

(d) There has been no tangible loss in production as these are not essentially primary machines. The out put that was required to be got out of these machines have been obtained by operating other similar machines that are in working order.

Conference on Tall Building

2933. **Shri M. C Daga :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a Conference on Tall Buildings was held in January, 1973;

(b) if so, the decisions taken there-at; and

(c) whether any new policy has been formulated by India as a result of the decisions or discussion in that conference and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes.

(b) and (c) The Conference made a number of recommendations and entrusted the work of suggesting follow up action on its recommendations to the National Building Organisation. Its suggestions are awaited.

बिहार और उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रांति

2934. कुमारी कमला कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र में बढ़ती हुई दुग्ध की माँग को पूरा करने के लिए सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश से हरित क्रान्ति की भाँति श्वेत क्रान्ति आरम्भ करने का अनुरोध करेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) 1968-69 की अवधि में वार्षिक दुग्ध उत्पादन का स्तर 212 लाख मीटरी टन था। 1973-74 तक इस मात्रा को बढ़ाकर 2 8.6 लाख मीटरी टन करने के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना में पशुपालन, डेरी उद्योग तथा दुग्ध सप्लाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 233 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस में इन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए उत्तर प्रदेश में 13.32 करोड़ रु० और बिहार में 10.49 करोड़ रु० का सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोजन भी शामिल है।

दुग्ध उत्पादन में यह वृद्धि अधिक दूध देने वाले संकर प्रजनित पशुओं की संख्या में वृद्धि करके, अतिरिक्त गहन पशु विकास परियोजनाएं शुरू करके, अच्छे दाने चारे की सुविधाएं प्रदान करके और प्रभावी रोग नियन्त्रण आदि के माध्यम से की जायेगी।

Irregularities Committed by Fair Price Shop Owners in Delhi

2935. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri M. Kathamuthu :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of fair-price shop owners in Delhi against whom action was taken for committing irregularity during the period from January, 1971 to January, 1972 indicating the action taken against them; and

(b) the nature of the irregularities committed by the said shop-keepers in Delhi and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Irregularities were detected in respect of 158 fair price shops in Delhi during the period from 1st January, 1971 to 31st January, 1972. The nature of irregularities committed by these shop-keepers are excess or shortage in stock, overcharging, bogus issue of ration, incorrect accounts and violations of the instructions issued by Delhi Administration. Action taken against these shops is indicated below.

(a)	Cancellation of fair price shops	9
(b)	Forfeiture of security in full or in part	44
(c)	Warning issued	29
(d)	Pending for final orders after hearing	69
(e)	Cases filed, irregularities being of very minor and technical nature	7

Distribution of Nutritious Food among the Children and Expectant Mothers in Adivasi areas of Madhya Pradesh

2936. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have started any scheme to procure and distribute nutritious food among the children and expectant mothers in the backward (Adivasi) areas; particularly in Madhya Pradesh;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the amount sanctioned thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Eamily Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) Yes.

(b) The Department of Social Welfare is running the Special Nutrition Programme to provide supplemental nutrition to pre-school children and expectant and nursing mothers in urban and tribal areas through State Governments and Union Territory Administrations. Cent per cent assistance is given by the Central Government at the rate of 18 paise and 25 paise per child/per mother respectively per day for feed and 5.5 paise per beneficiary per day for overheads. State Governments/Union Territory Administrations are free to procure and distribute the food to the beneficiaries provided : (i) the food supplied is acceptable to the beneficiary, (ii) cost of food does not exceed the prescribed ceilings and (iii) the food supplied to the beneficiaries satisfies the minimum supplementary nutritional contents of 200 calories and 8 to 10 grams of protein for children in the age-group 0 to 1 year; 300 calories and 10 to 12 grams of protein for children from 1 to 6 years and 500 calories and 20 to 25 grams of protein to expectant and nursing mothers. Feeding is done for 300 days in a year.

2. Double-toned milk from modern diaries, fortified bread/sweet buns, etc., are used in urban slum areas and preparations from local cereals and pulses, Balahar, food commodities gifted by CARE, etc., in tribal areas. In addition, all are given necessary vitamins and minerals.

(c) Bubget provision for the scheme during the year 1972-73 is Rs. 20 crores. Out of this, Madhya Pradesh has been allocated a sum of Rs. 310.20 lakhs (Rs. 253.80 lakhs for tribal areas and 56.40 lakhs for urban slums).

बेरोजगार इंजीनियर के लिए दोषपूर्ण शिक्षा का उत्तरदायी होना

2937. श्री पी० ए० सामिनाथन :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली जूनियर चेम्बर द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि देश में 77 000 बेरोजगार इंजीनियर हैं।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि आठवें दशक के अन्त तक यह संख्या 1,00,000 की सीमा तक पहुँच जाएगी;

(ग) क्या सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि इस दोष का कारण दोषपूर्ण शिक्षा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (घ) समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को छोड़कर इस प्रकार के किसी भी सर्वेक्षण को सरकार के नोटिस में नही लाया गया है।

इस समय इंजीनियरों में बेरोजगारी के सुनिश्चित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1971 तक नौकरियां प्राप्त करने के इच्छुक पंजीकृत इंजीनियरों की संख्या 73, 115 थी। तथापि, ये आंकड़े बेरोजगारी के वास्तविक परिमाण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, क्योंकि रोजगार कार्यालयों में यह पंजीकरण स्वैच्छिक है तथा कई रोजगार युक्त इंजीनियरों ने भी अपने भविष्य (जीवन-वृत्तिका) को सुधारने के लिए अपने आपको पंजीकृत (रजिस्टर) किया हुआ है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कम दर ही इस बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इस समय ऐसे संकेत मिल रहे है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई फालतू तकनीकी कार्मिक नहीं रहेगा, बशर्ते कि अर्थव्यवस्था में कम से कम 4.75 प्रतिशत की वृद्धि हो।

दिल्ली में किराये पर न दिये गए 150 सरकारी मकान

2938. श्री भान सिंह भौरा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 15 फरवरी, 1973 के 'इवनिंग न्यूज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में 16 महीनों से 160 सरकारी मकानो को किराये पर नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोबिन रोड पर टाईप II तथा III के 144 क्वार्टर बनाये गये हैं (न कि 160) परन्तु ये सभी प्रकार से पूर्ण नहीं किये जा सके क्योंकि सेना अधिकारियों के नियन्त्रण की भूमि में सीवर डालने तथा पानी की पाइपें बिछाने के लिए अपेक्षित अनुमति प्राप्त नहीं की जा सकी। सेना अधिकारियों के नियन्त्रण में राजपुर रोड़ की सम्पत्ति के साथ इन क्वार्टरों को बदलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से एक्सट्डर्स लगाना

2939. श्री हरी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आसाम, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चार एक्सट्रूडर्स' लगा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन 'एक्सट्रूडर्स' के लगाने में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० सिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से देश में चार एक्सट्रूडर कुकर स्थापित करने का विचार है। प्रस्ताव के ब्यौरे जिनमें स्थान का निर्धारण आदि शामिल है, अभी तैयार किए जा रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 'साइलो' का निर्माण

2940. श्री हरीसिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 'साइलो' का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त 'साइलो' का निर्माण किस अवस्था पर है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में साइलों का निर्माण कराने के लिए प्रारम्भिक पग उठाए जा रहे हैं।

मंडी जिले में चेचियोट में अभाव की स्थिति

2941. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के चेचियोट के लोगों ने वहां विद्यमान अनाज की कमी को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय सरकार से तुरन्त सहायता देने की मांग की है; और

(ख) इस अनुरोध पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय स्टाक से हिमाचल प्रदेश सरकार को उनकी सरकारी वितरण प्रणाली की जरूरतें पूरी करने के लिए खाद्यान्नों की उपयुक्त मात्राएं आवंटित की जा रही हैं। जिलावार आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों को मिलावट का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना

2942. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों को मिलावट का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण देने के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों की अथवा नगर निगमों की खाद्य प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले कैमिस्टों को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कृन्तक नाशी दवाओं के अवशेषों, खाद्य रंगों तथा अन्य खाद्य पदार्थों आदि के विशलेषण की विधियों का अध्ययन सम्मिलित हैं।

भारत सरकार ने खाद्य विश्लेषण में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आंध्र देश विश्व विद्यालय में दस छात्रवृतियां भी स्वीकृत की हैं।

हिन्दमहासागर में पकड़ी जाने वाली मछलियों को औसत मात्रा

2943. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की वार्षिक औसत मात्रा कितनी है ;

(ख) क्या देश में उपभोग तथा निर्यात के लिए प्रोटीन खाद्य उपलब्ध कराने और इस में लगे लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1968 से 1970 तक की अवधि में हिंद महासागर में औसतन 20.20 लाख मीटरी टन मछली पकड़ी गई थी जिसमें से 9.64 लाख मीटरी टन मछली भारतीय मीनग्रहण उद्योग द्वारा पकड़ी गई थी। यह मछली 6.62 लाख मीटरी टन की उस मात्रा के अलावा है जो उसी वर्ष अंतर्देशीय जलाशयों से पकड़ी गई थी।

(ख) तथा (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्यपालन के विकास के लिए 83 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। इस राशि का बड़ा भाग मछुओं के लिए यंत्रीकृत नौकाओं की व्यवस्था करने के लिए व्यय किया जा रहा है। लागत राजसहायता तथा ऋणों से पूरी की जाती है। उपयुक्त योजनाओं के अंतर्गत मत्स्य पालन सम्बन्धी साज सामान के रूप में मछुओं तथा सहकारी समितियों आदि को सहायता भी दी जा रही है। चौथी योजना की मीन उद्योग सम्बन्धी योजनाओं में मीनग्रहण बंदरगाहों का निर्माण करना, बड़ी नौकाओं का प्रयोग करना, यंत्रीकृत नौकाओं पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, समुद्री संसाधनों का समन्वेषण, शीतागारों तथा प्रशीतित गाड़ियों की व्यवस्था करना शामिल है। जहां तक अन्तर्देशीय मीन उद्योग का सम्बन्ध है, योजनाओं में नर्सरियों तथा मत्स्यपालन तालाबों का निर्माण और अच्छी किस्म के डिमपोना की सप्लाई करना शामिल है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में मछली उत्पादन के वार्षिक स्तर को 15.26 लाख मीटरी टन से बढ़ा कर 21 लाख मीटरी टन करना और योजना के अन्तिम वर्ष तक समुद्र से पकड़ी जाने वाली मछली की बिक्री से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को (जो शुरू में केवल 22 करोड़ रुपये थी) 60 करोड़ रु० तक बढ़ाना है। आशा है कि मछली उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और उत्पादों का निर्यात लक्ष्य से बढ़ जाएगा।

पश्चिमी बंगाल में चावल का मूल्य

2944. श्री ज्योतिर्मयबसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जिलों में चावल का खुले बाजार में वर्तमान खुदरा मूल्य क्या है तथा तीन महीने पहले उसका मूल्य क्या था ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में चावल और पैडी (खरीफ) की वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा वास्तव में आज तक कितनी वसूली हुई है ?

(ग) क्या ऊंचे खुदरा मूल्य के कारण पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम की वसूली योजना में बाधा पड़ी है ; और

(घ) क्या उनका ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 1973 के कलकत्ता से प्रकाशित 'स्टेट्समैन' में "राइस प्राइस इन नार्थ बंगाल शो अनसीजनल राइज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल के कुछेक चुनींदा जिलों में 2 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह और पहली दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह में खुले बाजार में चावल के खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) : खरीफ मौसम 1972-73 के लिए चावल के हिसाब से 3 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के प्रति, 28 फरवरी, 1973 तक लगभग 1.23 लाख मीटरी टन की वास्तविक अधिप्राप्ति की गई थी ।

(ग) : क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को अधिसूचित मूल्यों पर चावल और धान की खरीदारी करनी होती है, यदि खुले बाजार में मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचे रहते हैं तो कुछ हद तक अधिप्राप्ति कार्य के प्रभावित होने की आशंका है ।

(घ) : जी हाँ । राज्य सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं और चावल वितरित करने के लिए आवश्यक पग उठाए हैं ।

विवरण

पश्चिमी बंगाल के कुछेक चुनींदा जिलों में 2 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह और पहली दिसम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह में खुले बाजार में चावल के खुदरा मूल्यों को बताने वाला विवरण ।

(रु० प्रति किलोग्राम)

केन्द्र	किस्म	2 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाला सप्ताह ।	पहली दिसम्बर, 72 को समाप्त होने वाला सप्ताह ।
Northern Districts उत्तरी जिले			
कूच बिहार	साधारण	1.35	1.35
सिलीगुड़ी	बढ़िया	1.80	1.75
अन्य जिले			
वशीरहट		1.80@	1.65
(24 परगना)	पतमई (बढ़िया)		
बलदा (मिदनापुर)	साधारण	1.20@	1.30
मटियाहाट	साधारण	1.65	1.50

बलूरघाट	बढ़िया	1.30	1.60
कोन्तई	बढ़िया	1.25	1 60

@ 23-2-1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए।

लेवी चीनी का मूल्य

2945. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान लेवी चीनी के कारखाना द्वारा मूल्य में कितनी बार वृद्धि की है और प्रत्येक अवसर पर यह वृद्धि कितनी और किन कारणों से की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लेवी चीनी के खुदरा मूल्यों में राज्यवार कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक अवसर पर, राज्य-वार कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) 11 जनवरी, 1972 और 1 जनवरी, 1973 को लेवी चीनी और खुले बाजार में बिक रही चीनी के प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य क्या थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1970-71 से 1972-73 तक के तीन वर्षों के दौरान 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय निम्न कारणों से लेवी चीनी के निकासी मूल्य में दो बार वृद्धि की गई है :—

वर्ष	कारण
1971-72	1969 की अपनी रिपोर्ट के बाद टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित बढ़ोतरी (1) दूसरे वेज बोर्ड एवार्ड का भार (2) रेलवे के भाडे की दरों में वृद्धि (3) मंहगाई भत्ता (4) पैक करने की राशि में वृद्धि (5) मूल्य ह्रास की अधिक दर; और (6) आपातिक जोखिम बीमा प्रभार, आदि।
1972-73	टैरिफ आयोग द्वारा नये अध्ययनों पर आधारित संशोधित लागत अनुसूचियां मिलने तक 1969 की टैरिफ आयोग लागत अनुसूचियां निम्नलिखित कारणों से वृद्धि समेत 1972-73 के उत्पादन पर लागू की गई थीं :— (1) गन्ने का ऊंचा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य (2) बैंक की उधार दर; और (3) सांविधिक न्यूनतम बोनस की दर 4 से बढ़ाकर 8-112 प्रतिशत करना।

1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वर्षों में लेवी चीनी (डी०-29 ग्रेड) के निकासी मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) पहली अक्तूबर, 1972 के पहले, विभिन्न राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर आने वाले विभिन्न स्थानों के लिए खुदरा मूल्य, अधिसूचित निकासी मूल्य, दिया गया उत्पादन शुल्क, ढुलाई खर्च, थोक विक्रेता के कमीशन तथा खुदरा व्यापारियों के कमीशन के संदर्भ में, निर्धारित किया करती थीं। राज्य सरकारों से पिछले तीन वर्षों के दौरान चल रहे खुदरा मूल्यों के बारे में पूरी सूचना एकत्रित करने में जितना समय व श्रम लगेगा, उससे प्राप्त परिणाम से उसके अनुरूप लाभ न होगा। तथापि, पहली अक्तूबर, 972 से लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य देश भर में एक जैसा ही है। शुरू में यह 2 रुपए प्रति किलो था और पहली दिसम्बर, 1972 से बढ़कर 2 15 रुपये प्रति किलो हो गया था।

(ग) संगत तारीखो को लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य इस प्रकार थे :—

(मूल्य—रुपये प्रति किलो)

तारीख	लेवी	मुक्त बिक्री की चीनी
11-1-1972	मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं था	2.65 से 2.85 तक
1-1-1973	2.15	3.60 से 4.00 तक

विवरण

वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान विभिन्न जोनों में लेवी चीनी (डी-29 ग्रेड) का निकासी मूल्य।

(आंकड़े रुपये प्रति क्विंटल)

उत्पादन शुल्क छोड़कर

जोन	1970-71	1971-72	1972.73
पंजाब	134.02	145.71	151.36
हरियाणा	124.63	125.74	150.26
राजस्थान	144.03	168.23	181.76
पश्चिमी यू॰ पी॰	126.92	133.55	152.62
मध्य यू॰ पी॰	125.34	136.02	153.39
पूर्वी यू॰ पी॰	126.40	146.34	157.41
उत्तरी बिहार	128.68	155.55	166.85
दक्षिणी बिहार	147.86	—	174.45
गुजरात	119.16	123.74	144.96
मध्यप्रदेश	157.88	182.92	193.16
मैसूर	129.57	124.25	148.07
आन्ध्र प्रदेश तमिल नाडु	122.30	121.97	151.24
पांडिचेरी	135.09	133.16	153.11
उड़ीसा असम केरल	129.67	152.13	157.31
तथा पश्चिमी बंगाल	117.60	124.95	143.94

नोट—1970-71 के दौरान लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

जहाजों को बेचने के लिए एक विदेशी फर्म के साथ बातचीत

2946. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर सरकारी क्षेत्र की एक शिपिंग फर्म, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने अपने दो जहाजों को उनकी मूल लागत से 85 प्रतिशत अधिक मूल्य में बेचने के सम्बन्ध में एक विदेशी फर्म वाई० एस० लेयन्स एण्ड कम्पनी के साथ करार किया है,

(ख) यदि हां, तो इस सौदे की मुख्य बातें क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) : ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी ने अपने दो बरते हुए जहाजों को 4 प्रतिशत कमीशन कम करके 13.36 लाख यू० एस० डालर की कीमत पर, जोकि 1963 में उनके द्वारा खरीदे गये इन जहाजों के मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत है, एक विदेशी फर्म मैसर्स पी० ए० ओ० नैविगेशन एस० ए० पनामा को बेचने के लिए बातचीत की है।

(ख) बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत कम्पनी खरीदार से करार पर हस्ताक्षर करते समय तथा शेष 90 प्रतिशत जहाज की सुपुर्दगी के समय प्राप्त करेगी।

(ग) इन दो जहाजों को बेचने के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी है :-

(1) कम्पनी 6 महीनों के अन्दर इस जहाज के बदले में जहाज प्राप्त कर लेगी ,

(11) कम्पनी तुरन्त बिक्री से प्राप्त सम्पूर्ण राशि स्वदेश भेजेगी और इसकी सूचना इस मंत्रालय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया, और अर्थ कार्य विभाग को देगी ।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

2947. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1973 को पश्चिम बंगाल के कृषि मन्त्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनाज के मामले में अधिकतर कठिनाईयों में वृद्धि होने का कारण केन्द्र से गेहूँ की सप्लाई का पर्याप्त मात्रा से कम होना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क): सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल में कठिन खाद्य स्थिति की ओर आकर्षित किया गया था और केन्द्र से गेहूं का अधिक आवंटन करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख). केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और सूखे से प्रभावित तथा कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की उपयुक्त मात्राएं आवंटित की जाती हैं।

Percentage of National Income spent on Education

2948. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether only 2.9 per cent of the national income is being spent on education;

(b) if so, the extent to which it is less than that in other countries; and

(c) whether it is proposed to increase the percentage of expenditure on education during the Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to provisional estimates 3.5% of the National Income was spent on education during 1970-71 both from public and private sources.

(b) In most countries, the public expenditure on education is between 2% and 7%.

(c) Yes, Sir.

Conference Convened by Political Parties and Youth Organisations in Varanasi Regarding Educational Policy

2949. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some political parties and youth organisations had convened a conference in Varanasi on the 7th January, 1973 on bringing about changes in the education policy in the country;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether the said conference made certain suggestions to the Central and State Governments; if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Daputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) According to a Report appearing in the Issue dated 10th January, 1973 of the 'Aj', a Hindi daily of Varanasi, a Conference of certain Political Parties and Youth Organisations was held in the Sanatana Dharma College Varanasi to discuss the question of change in the educational policy. The Conference is reported to have passed Resolutions *inter-alia* on compulsory free education, instruction in mother tongue, vocationalisation at the Secondary stage, production-oriented education and improvement in curriculum and system of examination etc.

(c) Government have not received any communication from the Organisers of the Conference.

दसवीं श्रेणी तक परीक्षा लेने की पद्धति को समाप्त करना

2950. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री गिरिधर गोमांगों :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1973 के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार दसवीं श्रेणी तक परीक्षा लेने की पद्धति को समाप्त करने के बारे में कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी सत्यता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें दसवीं श्रेणी तक "कक्षा परीक्षाओं" को समाप्त करने के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अन्य समाचार पत्रों में वार्षिक परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है।

(ख) स्थिति यह है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त एक समिति ने पब्लिक परीक्षाओं की संख्या में कमी करने तथा आन्तरिक मूल्यांकन पर बल देने की सिफारिश की है। 18 और 19 सितम्बर, 1972 को हुए अपने अधिवेशन में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस समिति की व्यापक सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। इस सिफारिश को राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

(ग) चूंकि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के शिक्षा मंत्री केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, इस लिए आशा है कि यह सिफारिश उन्हें स्वीकार्य होगी।

गन्ने के मूल्यों में वृद्धि और इसका चीनी के मूल्य पर प्रभाव

2951. श्री रामकंवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने की कोई मांग की गई थी;

(ख) क्या देश में विभिन्न भागों में स्थित चीनी कारखाने इस वृद्धि के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और गन्नों के मूल्यों में इस वृद्धि का बाजार में चीनी के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1972-73 मौसम के दौरान गन्ने के मूल्य (1) जैसाकि सरकार ने अधिसूचित किया है और (2) विभिन्न राज्यों में चीनी कारखानों द्वारा वास्तव में दिया गया मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

क्योंकि चीनी की लागत में गन्ने का मूल्य लगभग 65 प्रतिशत बैठता है इस लिए गन्ने के मूल्य में कोई भी वृद्धि होने से चीनी की लागत में तदनुरूप वृद्धि अनिवार्य है। तथापि, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लेवी चीनी के मूल्यों को अधिसूचित करते समय सरकार केवल गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखती है। इसके फलस्वरूप खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है और जिस हद तक यह वृद्धि होती है उसका पता चीनी के उत्पादन में घट-बढ़ और समय-समय पर बाजार के रुख से लगाया जाता है।

विवरण

1972-73 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में कारखानों के लिए अधिसूचित गन्ने के मूल्य की सीमा और चीनी कारखानों द्वारा वास्तव में दिये गये मूल्य बताने वाला विवरण।

राज्य	1972-73	
	न्यूनतम अधिसूचित मूल्य	कारखानों द्वारा दिया गया मूल्य
उत्तर प्रदेश	8.00 to 9.88	10.00 to 13.50
बिहार	8.00 to 9.22	11.25 to 12.25
पंजाब	8.00 to 8.75	12.00 to 12.35
हरियाणा	8.66 to 9.50	12.00
असम	8.56	9.00
प० बंगाल	8.00	11.00
उड़ीसा	8.00 to 9.32	8.00 to 9.50
मध्य प्रदेश	8.00 to 9.69	10.50 to 13.50
राजस्थान	8.00 to 9.13	10.32 to 15.00
महाराष्ट्र	8.00 to 11.57	7.50* to 16.20*
गुजरात	8.66 to 10.82	7.00* to 11.50*
आन्ध्र प्रदेश	8.47 to 10.54	8.47* to 14.00*
तमिलनाडु	8.00 to 9.79	8.00 to 11.50
मैसूर	8·00 to 11.20	10.00* to 13.00*
केरल	8.00 to 9.50	9.00 to 11.00
पांडिचेरी	8.66	8.66

* अन्तिम मूल्य निर्धारित होने तक ये मूल्य अग्रिम राशि के रूप दिए गये (विशेषकर सहकारी कारखानों द्वारा) अस्थायी मूल्य हैं।

उचित मूल्यों पर चीनी की उपलब्धता

2952. श्री राम कंवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आँशिक रूप से नियन्त्रण हटाने और गन्ने के मूल्यों सम्बन्धी नीति के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप चालू मौसम में चीनी की उपलब्धता में कोई सुधार हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। इस वर्ष 28 फरवरी, 1973 को चीनी का उत्पादन 26.64 लाख मी० टन है जबकि पिछले वर्ष की उसी तारीख को यह उत्पादन 23.08 लाख मी० टन था।

(ग) सरकार द्वारा चीनी का 70 प्रतिशत उत्पादन अधिसूचित मूल्यों पर अधिग्रहण किया जा रहा है जोकि मुख्यतया 2.15 रुपये प्रति किलो के समान खुदरा मूल्य पर जनता में वितरित किया जाता है।

चीनी की आवश्यकता

2953. श्री राम कंवर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 फरवरी, 1973 को कुल कितनी चीनी उपलब्ध थी; और

(ख) देश में इसी अवधि के दौरान चीनी की कुल कितनी मांग थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) पहली फरवरी, 1973 को चीनी के स्टाक और आवश्यकताओं के बारे में स्थिति इस प्रकार थी :—

1)	पाइप लाइन और उचित मूल्य की दुकानों के स्टाक को छोड़कर अथशेष स्टाक	13.18 लाख मी० टन
2)	30-9-1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के शेष भाग के दौरान अनुमानित उत्पादन	16.61 लाख मी० टन
3)	कुल अनुमानित उपलब्धता	29.79 लाख मी० टन
4)	नियंत्रित निर्मुक्तियों (निर्यात के लिए 1 लाख मी० टन समेत) की वर्तमान प्रणाली के अधीन सितम्बर, 1973 के अन्त तक अनुमानित आवश्यकता ।	24.32 लाख मी० टन

चीनी का खुदरा मूल्य

2954. श्री रामकंवर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में और 1 फरवरी, 1973 को देश के विभिन्न भागों में खुले बाजार में चीनी के औसत खुदरा मूल्य क्या थे; और

(ख) क्या चीनी के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1970-71 के दौरान और पहली फरवरी, 1973 को पांच प्रमुख केन्द्रों पर खुले बाजार में चीनी का औसत खुदरा मूल्य इस प्रकार था :—

केन्द्र	खुदरा मूल्य	
	1970-71 (औसत)	1-2-1973
बम्बई	1.99	3.85
मद्रास	1.80	3.65
कानपुर	1.91	3.90
कलकत्ता	2.03	3.85
दिल्ली	1.98	3.90

(ख) जी हां, मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार है :—

1—पिछले दो वर्षों में तेजी से शहरीकरण होने से चीनी की माँग में वृद्धि और चीनी के उत्पादन में गिरावट।

2—गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर चीनी के उत्पादन का अधिकांश भाग नियन्त्रित मूल्य पर अधिग्रहण करना, उद्योग को मुक्त बिक्री के कोटे से उत्पादन की वास्तविक लागत के अन्तर को पूरा करने देना।

3—व्यापारिक समुदाय द्वारा कमी की मनोभवना का शोषण करना जिससे मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति आना; और

4—टैरिफ मूल्य और चीनी के उत्पादन की अन्य मदों की लागत में वृद्धि।

दिल्ली के स्कूलों में सैलेक्शन ग्रेड पाने वाले अध्यापक

2955. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में, जिन टी० जी० टी० अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है उनके नामों की सूची में ऐसे अध्यापकों के नाम भी हैं जो मर गए है अथवा विदेश चले गए हैं अथवा जिन्होने त्यागपत्र दे दिए हैं अथवा सेवा-काल की अवधि बढ़ाई गई है; और

(ख) इस भूल के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

दिल्ली की उचित दर की दुकानों से दिये गये गेहूँ में मरा हुआ चूहा

2956. **श्री एम० कतामुतु :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की उचित दर की दुकान से दिये गये गेहूँ में एक मरा हुआ चूहा पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने उचित मूल्य की दुकान वाले दुकानदारों को भविष्य में सावधान रहने और सफाई स्थिति ठीक रखने के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के लिए मकानों का निर्माण

2957. **श्री एम० कतामुतु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन, नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन स्कूल अध्यापकों के लिए मकानों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक वर्ग में कितने मकानों का निर्माण और आवंटन किया गया; और

(ग) वर्ष 1973-74 में कितने मकानों का निर्माण किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) अपने अध्यापकों के लिए मकान निर्माण करने का दिल्ली प्रशासन का एक प्रस्ताव है। उन्होंने टाइप 2 के 144 क्वार्टरों के निर्माण का ठेका दे दिया है तथा कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध होने पर, 1973-74 वर्ष के दौरान 450 मकान बनाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य योजना को स्कूल के अध्यापकों पर लागू करना

2958. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत स्कूलों के अध्यापकों पर अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों के अध्यापकों पर इस योजना को लागू करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में मैदा और डबल रोटी की कमी

2959. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इन परस्पर विरोधी बातों का स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि एक ओर तो मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि खाद्य पदार्थों के स्टाक की स्थिति संतोषजनक हैं और दूसरी ओर वास्तविक स्थिति यह है कि लगभग पिछले दो महीनों से आटा, गेहूं, सूजी और मैदा आदि बिल्कुल अनुपलब्ध हैं अथवा इनकी कमी है और डबल रोटी या तो मिलती नहीं हैं अथवा बड़े-बड़े नगरों में भी इसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकारी अधिकृत राशन की दुकानों में मैदा सप्लाई न किये जाने के क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं का आवंटन राज्य सरकारें कर रही हैं। गेहूं को साबुत अन्न और होलमील आटा के रूप में सप्लाई करने के लिए सरकारी वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई आवश्यकता को ध्यान

में रखते हुए राज्य सरकारें 'फाइन्स' के उत्पादन में समय-समय पर आवश्यक समायोजन कर रही हैं। अतः मैदा और सूजी की कमी कभी-कभी हो सकती है।

डबल रोटी और अन्य पदार्थों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए परमिट के अधीन थोक उपभोक्ताओं, बेकरी वालों और हलवाइयों को मैदा की सप्लाई की जा रही है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न आवास योजनायें

2960. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय की विभिन्न आवास योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को कितनी सहायता दे रही है और पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार राज्यों को कितनी सहायता देगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न आवास स्कीमों के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) चौथी योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता 'खड ऋणों' तथा 'खंड अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। चालू वित्त वर्ष अर्थात 1972-73 के दौरान राज्य सरकारों को नियत की गयी कुल खण्ड केन्द्रीय सहायता 708 करोड़ रुपये है।

तथापि यह मंत्रालय निम्नलिखित दो सामाजिक आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति देता है जो राज्य प्लान की सीमा से बाहर केन्द्रीय क्षेत्र में हैं :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना।

1972-73 वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए क्रमशः 58.11 लाख रुपये तथा 700 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

पाँचवी योजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली सम्भाव्य केन्द्रीय सहायता की योजना को अंतिम रूप दिये जाने पर ही केवल पता चलेगा।

खाद्य तेल निगम की स्थापना

2961. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल की कमी की समस्या पर ध्यान देने के लिये एक खाद्य तेल निगम स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य तेल निगम की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव फिलहाल इस मन्त्रालय के विचाराधीन हैं।

मानव के स्वास्थ्य पर शराब और मादक पेय पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन

2962. श्री मुखितयार सिंह मलिक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मानव के स्वास्थ्य शराब और मादक पेय पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन करने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्यण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है ।

खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण का अध्ययन करने के लिये पेनल

2963. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के थोक व्यापार के अधिग्रहण के बारे में समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त पेनल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन 15/16-12-72 को हुआ था। सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने गेहूँ और चावल के थोक व्यापार को लेने के निर्णय की कार्यान्विति में विभिन्न कठिनाइयों की जांच करने और उन्हें हल करने के लिए मन्त्रियों की एक समिति स्थापित की। मन्त्री समिति ने थोक व्यापार को लेने के वित्तीय, प्रशासनिक और संगठनात्मक पहलुओं की जांच करने के लिए अधिकारियों की एक उप समिति स्थापित करने की सिफारिश की। उप-समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मन्त्री समिति में विचार किया गया है।

उप-समिति ने यह सुझाव दिया कि गेहूं का थोक व्यापार लेने के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रणाली कुल मिलाकर बिकाऊ अधिशेष माल को खरीदेगी। उप समिति की मुख्य सिफारिशों पर मन्त्री समिति में बारीकी से विचार विमर्श किया गया और उनमें कुछेक संशोधन किए गए हैं।

मन्त्री समिति की सिफारिशें इस प्रकार है :—

1—एकल राज्य गेहूं क्षेत्रों का निर्माण ।

2—इसके अलावा, गेहूँ पैदा करने वाले विशेषतया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में गेहूँ अधिशेष क्षेत्रों की हदबन्दी ।

3—अत्यधिक अधिशेष राज्य पंजाब और हरियाणा में निजी थोक व्यापारियों पर प्रतिबन्ध और अन्य राज्यों के अधिशेष क्षेत्रों की हदबन्दी ।

4—प्रमुख खपत केन्द्रों और बिहार, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों और गेहूँ की पर्याप्त पैदावार केन्द्र शासित प्रदेशों की हदबन्दी और पहले पहल इन क्षेत्रों में अनौपचारिक राशन-व्यवस्था और बाद में यदि व्यवहार्य और आवश्यक हुआ तो सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करना।

5—खुदरा व्यापारियों को फिलहाल उपर्युक्त (3) और (4) में हदबन्दी के क्षेत्रों से बाहर गेहूं की पर्याप्त पैदावार वाले राज्यों में लाइसेंस में दी गई उपयुक्त शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुमति। प्रत्येक राज्य में स्थिति पर निर्भर करते हुए कानूनों में खुदरा व्यापारी की परिभाषा कार्यात्मक होनी चाहिये और उसमें कार्य क्षेत्र और खुदरा व्यापारी कितने खुदरा केन्द्रों पर कार्य कर सकते हैं, विशेष रूप में निर्धारित होना चाहिये। यह इसलिए किया गया है ताकि सप्लाई में विघ्न न पड़े और थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी के आड़ में कार्य करने की कोशिश न कर सके। इनके अलावा, यदि राज्य सरकार यह चाहती है तो उपर्युक्त (3) और (4) के अधीन इन राज्यों में हदबन्दी के बाहर के क्षेत्रों में उत्पादकों पर लेवी लगा सकती है।

6—देश भर में तुलनात्मक किस्मों के लिए समान अधिप्राप्ति और निर्गम मूल्य।

7—उपभोक्ता और लाइसेंस शुदा खुदरा व्यापारी को उत्पादक से सीधे खरीदने की अनुमति देना लेकिन थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी की आड़ में कार्य न कर सके इसे रोकने के लिए प्रतिबन्ध लगे रहेंगे।

8—अधिशेष राज्यों और क्षेत्रों में उपभोक्ता और खुदरा व्यापारी को छोड़ कर अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर गेहूँ की बिक्री की मनाही; राज्य सरकारें स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर बिक्री की इजाजत दे सकती हैं।

9—मानव उपयोग के अयोग्य अनाज को छोड़कर, सरकारी थोक एजेंसियों द्वारा मंडियों में सारी आवक की खरीदारी और तदनुसार, अधिप्राप्ति मूल्यों के निर्धारण में उपयुक्त किस्में और ग्रेड सम्बन्धी अन्तर प्रतिबिम्बित किए जाने हैं; उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा भारी मिलावट आदि कर क्रय एजेंसियों द्वारा माल अस्वीकार करने के सम्भावी प्रयास से बचने के लिए निर्दिष्टयों और मूल्य ढांचे में उपयुक्त क्रियाविधि बनाना। यदि स्टाक मानव उपभोग के अयोग्य है लेकिन दाने प्रयोजनों आदि के लिए ठीक है, वे भी सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जायेगा। उस स्टाक का पशु दाने के लिए उपयुक्त मूल्यों पर निपटान किया जाएगा जिसका मूल्य निर्धारित किया जाना है।

10—अन्तर्राज्यीय संचलन केवल भारतीय खाद्य निगम और या केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार।

11—केन्द्रीय पूल में अधिप्राप्त अनाज की सुपुर्दगी और राज्यों की वस्तुपूरक आधार पर निर्धारित या केन्द्र और राज्यों के बीच तयशुदा उचित जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें आवंटन करने, राज्य द्वारा पहले रखें किसी भी स्टाक पर कोई राज सहायता नहीं दी जाएगी।

12—केन्द्रीय पूल के लिए खरीदारी (1) भारतीय खाद्य निगम, (2) राज्य सहकारी विपणन संघ (3) राज्यों के खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग और (4) राज्य

सरकार द्वारा नियुक्त अन्य किसी सरकारी एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

13— केन्द्रीय पूल से राज्यों को आवंटित गेहूँ के वितरण से निजी थोक व्यापारियों को निकालना।

14— रोलर फ्लोर मिलों द्वारा केवल कस्टम मिलिंग की जाएगी।

15— अधिप्राप्ति और केन्द्रीय पूल से निर्गम के मूल्यों में उपयुक्त सम्बन्ध ताकि विस्तृत कार्य के संदर्भ में राज-सहायता को उपयुक्त सीमा के अन्दर रखा जा सके।

16— 1970 के संगत केंद्रीय आदेश के अनुसार गेहूँ के बढ़िया बीज के वितरण के लिए राज्य के कृषि विभाग के जरिये अलग प्रबन्ध; (खाद्यान्न संचलन प्रतिबन्धन (प्रमाणित बीजों की छूट) आदेश, 1970 और दिनांक 12-2-1970)।

17— शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा सहकारी समितियों का अधिकतम सीमा तक खुदरा वितरण के लिए उपयोग किया जाना चाहिये।

उड़ीसा में कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने का कार्यक्रम

2964. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसी कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है जिसके लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं; और

(ख) क्या राज्य सरकार के आगामी वर्षों में उड़ीसा में कम से कम 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु कोई कार्यक्रम बनाकर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1970-71 के भूमि के उपयोग संबंधी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार (जो कि अभी अस्थायी हैं) उड़ीसा में उस वर्ष बोये गये 61.19 लाख हैक्टर निवल क्षेत्र में से 49.70 लाख हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी।

(ख) जी नहीं। उड़ीसा में कम से कम 50 प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि में आगामी वर्षों में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था में तेजी लाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में सड़क योजना के लिए धनराशि का आवंटन

2965. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजना (सेन्ट्रल सेक्टर रोड स्कीम) के लिए निर्धारित 418 करोड़ रुपये की राशि में से कितनी राशि उड़ीसा राज्य के लिए निर्धारित की गई थी;

(ख) उड़ीसा सरकार ने अब तक इसमें से कितनी राशि ली है और खर्च की है; और

(ग) उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र सड़क योजना के अन्तर्गत किन परियोजनाओं को शामिल किया गया था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परियोजनाओं के लिए चतुर्थ योजना में शामिल 418 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय, राष्ट्रीय राजमार्गों, अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व के केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़कों, पार्श्ववर्ती सड़क और सामरिक महत्व की सड़कों के लिए भी है। इन में से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़कों के साथ उड़ीसा का संबंध है। उड़ीसा से संबंधित इन दोनों योजनाओं की स्थिति निम्नप्रकार से है :-

I राष्ट्रीय राजमार्ग

(1) **मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास**—राज्य में 1-4-1969 को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार के लिए चतुर्थ योजना कार्यक्रम में कुल 21 करोड़ रुपये की कुल लागत की योजनाएं शामिल हैं।

(2) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों में नयी सड़कों को शामिल करना चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में उड़ीसा से संबंधित निम्नलिखित दो सड़कें शामिल की गई थी :-

I—हरिदासपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग 5 का एक्सप्रैस के साथ जंकशन)—पारादीप	(समस्त भाग उड़ीसा में है)
II—चास-बोकारो-रांची-रुड़केला बड़ाकोट तालचेर का राष्ट्रीय राजमार्ग 42, राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के साथ जंक्शन	(आंशिक रूप से उड़ीसा में और आँशिकरूप से बिहार में)

इन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी प्रस्तावों की तैयारी की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे उपर्युक्त (1) के संबंध में पूरी की गई उक्त मार्गों के संबंध में कमियों का सूची सर्वेक्षण और आवश्यक विकास लागत का निर्धारण करें। उपर्युक्त (2) के बारे में सर्वेक्षण अभी प्रगति में है।

II **अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्य सड़कें :** उड़ीसा से संबंधित निम्नलिखित दो नई परियोजनाओं को चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिए उनका अनुमोदन कर दिया गया है :-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लागत (लाखों रु० में)	अभ्युक्त
1.	खड़गपुर बालासोर सड़क पर सुवर्ण रेखा के ऊपर पुल	37.00	यह 50 प्रतिशत है और शेष पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।
2.	अरंग-नावापरा सड़क परजोंक के ऊपर पुल	9.00	पुल की कुल लागत 18 लाख रु० है। आधी अनुमानित लागत उड़ीसा में और अन्य आधी ऋण सहायता के लिए मध्य प्रदेश में है।
	कुल	46.00	

स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में वास्तविक आवंटन, कार्यों संबंधी वास्तविक प्रगति के आधार पर और उक्त आधार पर स्वयं राज्य सरकारों द्वारा सूचित आवश्यकताओं के अनुसार है। स्वीकृत परियोजनाओं पर खर्च के लिए राज्य सरकार को दिये जाने वाले आवंटन की कोई सीमा न थी।

2. जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, राज्य सरकार को 1969-70 से 1971-72 के दौरान 338.55 लाख रुपये की आवश्यकता थी जोकि उसे पूरी की पूरी रकम दे दी गई। परन्तु इसमें से 343.35 लाख रुपये के वास्तविक खर्च की सूचना दी गई है। 1972-73 के दौरान उड़ीसा सरकार ने जनवरी 1973 तक 190.60 लाख रुपये व्यय किया और उनसे अब तक प्राप्त अंतिम आवश्यकताओं पर आधारित और संवीक्षित चालू वित्त वर्ष के दौरान 343.35 लाख रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है। परन्तु यदि राज्य अंतिम आवश्यकताओं में कोई संशोधन का प्रस्ताव करे तो इसमें और समायोजन करना पड़ेगा।

3. जहां तक अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के केन्द्रीय रूप से सहायतित राज्य सड़कों का संबंध है कुल आवंटित राशि 1972-73 तक चौथी योजना में संभाव्य आवंटन 13 लाख रुपये आता है। 1969-70 से 1971-72 तक का बताया गया कुल व्यय 6.14 लाख रुपये लगभग है जो आगे ले जाये गये कार्यों पर है।

उड़ीसा में नारियल का सुधार करने हेतु अनुसंधान परियोजना के लिये धनराशि

2966. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नारियल का सुधार करने हेतु अनुसंधान परियोजना के लिये चौथी योजना 54 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी;

(ख) चौथी योजना के दौरान उड़ीसा को इस मद के लिये धनराशि स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं जोकि नारियल उत्पादन करने वाला प्रधान राज्य है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नारियल अनुसंधान के लिये धनराशि आवंटित करने के लिये अभ्यावेदन दिया है।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) जी हाँ।

(ख) मृदा, जलवायु तथा उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जिनके अन्तर्गत भारत में नारियल उगाया जाता है, क्षेत्र को निम्नलिखित आठ भागों में वर्गीकृत किया गया है: (1) प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा उत्तरीय तटों के उच्च भीम जलस्तर वाले रेतीले तटीय क्षेत्र जो अधिकतर केरल, मद्रास, आंध्र, उड़ीसा तथा बम्बई में स्थित हैं, (2) केरल के बेकवाटर्र वाले दुमुट मिट्टी के सुधरे क्षेत्र जहां थोड़ी गहराई पर जल उपलब्ध हो जाता है, (3) मैसूर तथा केरल के दक्षिणीकनारा के पहाड़ी ढलान तथा तट के मध्य स्थित मिडलैंड तथा अपलैंड क्षेत्र, जहाँ मिट्टी रेतीली है, और जल गहराई पर मिलता है, (4) पश्चिमी तट के पहाड़ी ढलानों की लैटराइट तथा चिकनी मिट्टी के क्षेत्र जहाँ विभिन्न मात्रा में रेत तथा कंकड़ मौजूद है और जल गहराई पर मिलता है' (5) तंजोर दुमुट मिट्टी का क्षेत्र ऋतु में कम गहराई तथा ग्रीष्म ऋतु में गहराई पर जल मिलता है, (6) गोदावरी की जलोढ़ डेल्टाकार भूमि, (7) मैसूर में लगभग 600 से 840 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित दुमुट मिट्टी वाली भूमि जहां 50 से 100 सैं० मी० तथ वर्षा होती है किन्तु भूमि में अच्छी नमी पाई जाती है और (8) अंडमान की वन भूमि और लकादीव की प्रवाल भूमि। केन्द्रों का चुनाव इन क्षेत्रों के आधार पर किया गया है।

चौथी योजना के लिये निर्धारित की गई अपर्याप्त धनराशि के कारण नारियल तथा सुपारी सुधार परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कोई उप-केन्द्र नहीं रखा गया है।

(ग) जी नहीं।

उड़ीसा को केन्द्रीय अनुदान और दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

2967. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को राज्य में दुग्ध सप्लाई योजना से लिये वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान कुल कितना अनुदान और दुग्ध चूर्ण दिया है; और

(ख) उड़ीसा सरकार को वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितना अनुदान और दुग्ध चूर्ण देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) (क) 1969-70 से केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता ब्लाक ऋण और अनुदानों के रूप में दी जाती है, न कि अलग अलग कार्यक्रमों या क्षेत्रों के लिए। वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में उड़ीसा राज्य को कोई दुग्ध चूर्ण नहीं दिया गया था।

(ख) 1973-74 के वर्ष के लिए दिये जाने वाले अनुदान की राशि दुग्ध सप्लाई योजनाओं पर होने वाले खर्च पर निर्भर करेगी और यह ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में ही दी जायेगी। वर्ष 1973-74 के दौरान कोई दुग्ध चूर्ण देने का प्रस्ताव नहीं है।

सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए उत्तर प्रदेश में अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना

2968. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान कर रहे शोध छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न राज्यों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा और इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सरकार की नीति यह है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाए और उन्हें उन क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, जिनमें उनका पहले पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कलकत्ता में एक सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। बंगलौर में स्थापित एक अनुसंधान संस्था की सहायता प्रदान की गई है तथा केरल की एक संस्था को ऐसी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव बिचाराधीन है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी, अनुदान और शिक्षावृतियां इत्यादि प्रदान करके सामाजिक, तथा आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान कार्य अपने हाथ में लेने के लिए अध्यापकों और अध्येताओं की सहायता करता है ।

सरकार द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नामक स्वायत्त संस्था का सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिए उन क्षेत्रों के अनुसंधान अध्येताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लक्ष्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में परिषद के प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने का भी एक कार्यक्रम है । ये केन्द्र उस प्रदेश के विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित किये जा रहे हैं । अब तक ऐसे चार केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, अर्थातः—

(1) बम्बई विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित पश्चिमी प्रादेशिक केन्द्र, बम्बई ।

(2) उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित दक्षिणी प्रादेशिक केन्द्र, हैदराबाद ।

(3) पूर्वी प्रादेशिक केन्द्र, कलकत्ता जिस के लिए स्वर्गीय सर यदुनाथ सरकार के गृह को अधिग्रहित किया जा रहा है, और

(4) सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र, दिल्ली । जिसे अन्तोगत्वा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित किया जायेगा ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद अध्ययन अनुदान की एक ऐसी योजना भी चला रही है जिसके अन्तर्गत अध्येताओं को अपनी पसन्द के पुस्तकालयों का दौरा करने के लिए अनुदान दिये जा रहे हैं । इस योजना को निम्नलिखित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है :—

1. आन्ध्र विश्वविद्यालय
2. कर्नाटक विश्वविद्यालय
3. सागर विश्वविद्यालय
4. इलाहाबाद विश्वविद्यालय
5. लखनऊ विश्वविद्यालय
6. पटना विश्वविद्यालय
7. केरल विश्वविद्यालय
8. मद्रास विश्वविद्यालय
9. नागपुर विश्वविद्यालय
10. पूना विश्वविद्यालय
11. उत्कल विश्वविद्यालय
12. राजस्थान विश्वविद्यालय
13. बंगलौर विश्वविद्यालय
14. पंजाब विश्वविद्यालय
15. गौहाटी विश्वविद्यालय
16. सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद ।

अनुसंधान तथा होमियोपैथिक चिकित्सा के लिए प्रादेशिक संस्थान की स्थापना

2969. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली तथा होमियोपैथी अनुसंधान परिषद् ने प्रत्येक राज्य में अनुसंथान तथा रोग जांच चिकित्सा के लिए प्रादेशिक संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रयिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) (क) और (ख) : जी नहीं। फिर भी भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान कार्य के लिए उपलब्ध सुविधाओं सम्बन्धित राज्यों में चल रहे विभिन्न अनुसंधान एककों की संख्या तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र संस्थान स्थापित करती रहती है।

विभिन्न शुल्कों की वसूली न करने के कारण कलकत्ता बन्दरगाह को हानि

2970. डा० रानेन सेन :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता बंदरगाह आयुक्तों को प्रति वर्ष भारी हानि हो रही है क्योंकि डाईवर्जन शुल्क, बिलम्ब शुल्क रेलवे माल भाड़ा तथा माल उतारने तथा चढ़ाने का शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों में कितनी हानि हुई है, और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जी, नहीं। कलकत्ता आयुक्तों के रेलवे को हुई हानि मुख्यतः निम्न कारणों से हैं :—

(i) पत्तन द्वारा धरा उठाई किए गए यातायात, जो प्राप्त रेल सुविधाओं के पूरे उपयोग करने के लिए काफी नही है, में कमी।

(ii) परिचालन व्यय में सामान्य वृद्धि कुछ हानि ट्रंक रेलवे द्वारा देय सीमांत प्रभार के दरों के संशोधन से कमी पूरी हो जाएगी, जिसे किया जाना है। वैगनों के किराया प्रभार के कारण पत्तन आयुक्तों के रेलवे को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

कलकत्ता में एक नई जहाज निर्माण गोदी की स्थापना

2971. डा० रानेन सेन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में एक नई जहाज निर्माण गोदी की स्थापना करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) यह निर्माण कब से आरम्भ हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) हल्दिया में शिपयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर गहराई से अध्ययन करने के लिए जो कार्य दल हल्दीया में गठित किया गया, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्य दल के निष्कर्षों और सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जायेगी।

उड़ीसा में मलेरिया

2972 श्री गिरिधर गोमांगों : क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के एक बड़े क्षेत्र में मलेरिया भीषण रूप में पुन: फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्री को सूचित किया गया था कि उड़ीसा में दो अथवा तीन वर्ष पूर्व मलेरिया के लगभग 11,000 मामलों की अपेक्षा इस वर्ष इनमें 55,000 की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार को कोई सहायता दी है अथवा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने किस हद तक सहायता की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) 1970 से उड़ीसा में मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि होती दिखाई देती है। 1971 के समुद्री तूफान के बाद मलेरिया की घटनाएं और बढ़ीं हैं। गत तीन वर्षों में रोगियों की संख्या इस प्रकार हैं :—

1970	11,338
1971	33,260
1972	54,915

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को चौथी योजना अवधि में शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से एक केन्द्र पोषित योजना बना दिया गया है। इस योजना के अधीन, खर्च की प्रतिबद्ध सीमा से ऊपर संचालन पर जितना भी खर्च आएगा उसे भारत सरकार वहन करती है। आक्रमण तथा समेकन चरणों वाले एककों के सम्बन्ध में राज्यों को दी जाने वाली सामग्री तथा उपस्करों का खर्च भी भारत सरकार वहन करती है। मुख्यालयों / क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भी आंशिक सहायता दी जाती है। देख-रेख चरण वाले क्षेत्रों में तेजी के साथ मलेरिया सम्बन्धी निगरानी कार्य करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अधीन परिसरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(घ) 1969-70 से 1972-73 तक उड़ीसा सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	संचालन खर्च	सामग्री और उपस्कर	योग (रू० लाखों में)
1969-70	71.56	25 16	96.72
1970-71	73.05	26.22	99.27
1971-72	65.85	30.39	96.24
1972-73	66.50	36.70	103.20 (नियतन)

इसके अलावा, उड़ीसा राज्य का दौरा करने वाले विशेष सर्वेक्षण दल की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1972-73 में 25 लाख रुपये का और नियतन किया जिसमें से 20 लाख रुपए तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यों के लिये हैं। यह रकम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सामान्य सहायता के अलावा थी।

भूखे ढोरों को बूचड़खाने में भेजना

2973. श्री राम भगत पस्वान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जनवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हंगरी कैटल बीइंग लैड टू बूचर्स (भूखे ढोरों को बूचड़खाने में भेजना)" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बार में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। सरकार को उक्त समाचार की जानकारी है। इसके साथ-साथ सरकार को मैसूर में अत्यन्त सूखे की स्थिति और इसके परिणामस्वरूप पशुओं के लिए चारे की कमी की भी जानकारी है राज्य सरकार राज्य के भीतर और राज्य से बाहर भेजे जाने वाले चारे और पशु आहार के वितरण और लाने ले जाने पर नियंत्रण करके इस कमी के असर को कम करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त वह मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य से भी चारा प्राप्त कर रही है। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को नियंत्रण और वितरण सम्बन्धी अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया है और मध्य प्रदेश सरकार से मैसूर राज्य को चारा देने का अनुरोध करके उनकी सहायता की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अनुरोध पर कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में प्रथम केन्द्रीय दल की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने चारे और आहार के लिए 25 लाख रुपये की राज-सहायता दी है और चारे, खाद आदि की खरीद के लिए 100 लाख रुपये की तकावी ऋण की स्वीकृति दी है। इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

देशीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित विचार-गोष्ठी

2974. श्री जी० एस० मेलकोटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए 2 और 3 जनवरी, 1973 को नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी ।

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले तथा इसकी क्या सिफारिशें है ; और

(ग) क्या सरकार देशी चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए उन सिफारिशों को क्रियान्वित करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय उप-मंत्री (श्री ए०के० किस्कु): (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) इस विचार गोष्ठी में कोई निश्चित सिफारिशें नहीं बल्कि मात्र कुछ विचार व्यक्त किए गए थे । इसमें जो मुख्य-मुख्य सुझाव दिए गए वे इस प्रकार हैं :

(i) रोगों के इलाज की अपेक्षा रोगों की रोकथाम पर अधिक जोर दिया जाए ।

(ii) मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदढ़ किया जाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए ।

(iii) पंजीकृत चिकित्सकों का पर्यवेक्षण सधिक कारगर हो ।

(iv) ग्रामीण चिकित्सकों की प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि की जाए ।

(v) परा-चिकित्सा कार्मिकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाए । इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

देशी चिकित्सा प्रणाली के लिए केन्द्रीय संस्थान

2975. **श्री जी० एस० मेलकोटे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों सहित देशी चिकित्सा प्रणाली के लिये एक केन्द्रीय संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह संस्थान कब से अपना कार्य आरम्भ करेगा; और

(ग) इस योजना पर होने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में होस्टल स्टाफ के सदस्यों द्वारा खुले रूप से दुर्व्यवहार के विरुद्ध नर्सों का विरोध

2676. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली की होस्टल में रहने वाली नर्सों ने होस्टल स्टाफ के सदस्यों द्वारा खुले आम किये जाने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध हाल में विरोध प्रकट

किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) मामले की जांच कर ली गई है तथा उचित कार्यवाही कर ली गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर न हों।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कम हो रहे अनुपात को रोकने के लिये एक विवाह सम्बन्धी कानून

2977. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत 70 वर्षों से अधिक समय से पुरुषों की तुलना में महिलाओं के कम हो रहे अनुपात की ओर ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवाह सम्बन्धी कानून बनाया जायेगा; और

(ग) क्या हमारे समाज में बहु विवाह की अनुमति देना सामाजिक समता के प्रतिकूल नहीं होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (धारा 60), पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 (धारा 5), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (धारा 44) और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (धारा 17) के अन्तर्गत एक विवाह पहले ही लागू है।

(ग) केवल अनुज्ञेय बहुविवाह के अलग-थलग प्रसंग में सामाजिक समता के हितों को नहीं आंका जा सकता।

समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने के अधिकार को नियमित करना

2978. **श्री बी० वी० नायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान की सातवीं सूची में संघ सूची की मद संख्या 57 में निर्धारित समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने तथा मछली पकड़ने के अधिकार को किसी प्रकार से नियमित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह तरीका क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी उपाय अथवा कानून के बारे में विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) संविधान की सातवीं सूची में संघ सूची की मद संख्या 57 में निर्धारित समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने तथा मछली पकड़ने के अधिकार को किसी प्रकार से नियमित नहीं किया जा रहा है।

(ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है। समुद्री सीमा से परे मछली पकड़ने के अधिकार को नियमित करने के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा विचार किया जा रहा है। संयुक्तराष्ट्र संगठन द्वारा गठित सी बैड कमेटी इस समस्या के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श करती रही है और वह अब अप्रैल, मई, 1974 में होने वाले थर्ड इंटरनेशनल ला आफ दी सी कानफ्रेंस के प्रारम्भिक काम में लगी हुई है।

Supply of more Foodgrains in Centre from Uttar Predesh

2979. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have refused to supply more foodgrains to the Centre from their stock; and

(b) if so, reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Damage to Foodgrains due to Storage Defects

2980. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the quantum of foodgrains damaged due to defect in storage, rat menace and other reasons during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The quantity of foodgrains damaged due to defect in storage, rat menace and other reasons in the godowns of the Food Corporation of India during the last three years is as under :—

Year	Qty. damaged (In M.T.)
1969-70	874.20
1970-71	1327.90
1971-72	2489.92

पश्चिम बंगाल में 'केसरी दाल' खाने से पक्षाघात के मामले

2981. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान यू० एन० आई० द्वारा 12 फरवरी, 1973 को कलकत्ता से परिचालित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लालबाग और रायबाग क्षेत्रों के 35 परिवारों के 80 व्यक्तियों को 'केसरी दाल' खाने के कारण पक्षाघात हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार मिलावटी दाल का प्रभाव क्या है; और

(ग) ऐसी मिलावट वाली खाद्य वस्तुओं के प्रभाव की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां।

(ख) केसरी दाल काफी मात्रा में खाने से लिपुट रोग (लेथीरिज्म) हो जाता है जो एक ऐसा रोग है जिससे नाड़ी तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप अधिकतर मानव शरीर के निचले अंगों में पेशियों को आंकुचित करने वाला पक्षाघात हो जाता है। यह प्राण घातक रोग नहीं है किन्तु यह रोगी को जीवन भर के लिए विकलांग बना देता है।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकारों को करनी होती है। भारत सरकार खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण को रोकने के लिये राज्यों को कठोर उपाय बरतने के लिए निरन्तर प्रेरित करती रहती है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई गोष्ठी के समय प्रदर्शन

2982. श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1973 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई गोष्ठी में शिक्षा मंत्री को भाषण करने से रोका गया है।

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों द्वारा किये गये प्रदर्शन का स्वरूप तथा कारण क्या थे; और

(ग) विद्यार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी नहीं। हां, जब शिक्षा मंत्री 15 फरवरी, 1973 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में पहुँचे तो कुछ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था।

(ग) प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया था।

अध्यापकों द्वारा अपनी शिकायतों को दूर करवाने हेतु प्रदर्शन

2983. श्री समर गुह :
श्री अनादि चरण दास :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत फरवरी में पश्चिम बंगाल, कालेज अध्यापकों और हरियाणा, राजस्थान और आसाम के स्कूल अध्यापकों ने अपनी शिकायतों को दूर करवाने संबंधी अपनी मांग के समर्थन में प्रदर्शन किये थे,

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी दिल्ली

2984. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी, दिल्ली ने बहुत समय पहले अपने सदस्यों को भूमि की लागत के रूप में 1400 रुपये तथा विकास के लिए 1,000 रुपये

जमा कराने को कहा था परन्तु अनेक सदस्यों ने सोसायटी में अपेक्षित धन अभी भी जमा नहीं कराया है, हालाँकि विकास कार्य में कुछ प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त सोसायटी ने अगस्त, 1967 के पश्चात कुछ व्यक्तियों को अपना सदस्य बनाया था जिनमें से प्रत्येक ने 2500 रुपये अथवा इससे अधिक रुपये सोसायटी को दिए हैं और उनके द्वारा दी गई राशि को सोसायटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत देने पर तथा भूमि के विकास पर उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उन सदस्यों के विरुद्ध, जो कि दोषी हैं और जो अब विवाद खड़े कर रहे हैं और इन सदस्यों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) इस सोसायटी के खिलाफ बम्बई को-आपरेटिव सोसायटीस् एक्ट, 1925, को दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र में भी लागू है, की धारा 43 के अन्तर्गत जांच करने का आदेश दे दिया गया है। सोसायटी के पदधारियों ने अभी तक जांच अधिकारी को सोसायटी के बही खाते तथा दूसरे सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं किए हैं। जांच अधिकारी द्वारा वांछित सूचना का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा।

(ग) जांच के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण संस्था, दिल्ली

2985. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' (दिल्ली संस्करण) में दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण संस्था लिमिटेड, दिल्ली के नाम से प्रकाशित विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जो कि किसी तथाकथित स्थानापन्न सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) क्या उक्त संस्था का किसी आम सभा में उसको इस पद पर कार्य करने का अधिकार दिया गया था और यदि हां, तो उक्त आम सभा की बैठक कब हुई थी और उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे और उसमें कौन-कौन से प्रस्ताव पास हुए थे और यदि नहीं, तो उसको इस पद पर कार्य करने का अधिकार किस ने दिया था; और

(ग) इस संस्था के स्थानापन्न सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध जोकि सदस्यों को धोखा देने के लिये सांठगांठ कर रहे हैं, क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान विज्ञापन की ओर दिलाया गया है। इस सोसाइटी के खिलाफ बम्बई को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1925, जो दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र में भी लागू है, की धारा 43 के अन्तर्गत जांच करने का आदेश दे दिया गया है। सोसायटी के पदधारियों ने अभी तक जाँच अधिकारी को सोसायटी के बही-खाते तथा दूसरे संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं किए हैं। जांच अधि-अधिकारी द्वारा वाँछित सूचना का पता जांच के दौरान लगाया जाएगा।

(ग) जाँच के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

Mills in Private and Cooperative sectors and the Production

2986. Shri Narender Singh Bisht : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in the private and cooperative sector, the amount invested therein, installed capacity thereof and the number of persons employed therein; and

(b) whether the production in the sugar mills is corresponding to their capacity and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The number of sugar mills in the private, public and cooperative sectors and their installed annual sugar production capacity are as under :

	Number of factories	Installed annual sugar production capacity (lakh tonnes)
Private Sector (Joint Stock)	141	22.87
Public Sector (State owned/ State managed)	10	1.70
Cooperative Sector	84	15.75

The exact figures regarding the amount invested in these sugar mills and the number of persons employed therein are not available. However, the approximate figures are Rs. 470 crores and 2.3 lakh persons respectively, covering 215 sugar mills at the end of 1969-70.

(b) The production in the sugar mills corresponds to their capacity depending upon the availability of sugarcane in the factory area. In the years of abundant sugarcane in the factory area. In the years of abundant sugarcane availability sugar production has exceeded the installed capacity of the sugar industry, and in years of sugarcane shortage, the actual production of sugar was lower than the installed annual capacity, as would be observed from the figures for the last four seasons given below :

Season (Oct.—Sept.)	Installed annual sugar production capacity (lakh tonnes)	Actual production of sugar (lakh tonnes)
1968-69	33.03	35.59
1969-70	35.56	42.62
1970-71	37.00	37.40
1971-72	39.19	31.13

Controlled and open market price of Sugar

2987. Shri Narender Singh Bisht : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the quantum of sugar being disbursed by Government at controlled price and the quantum of sugar given for sale in open market;

(b) the difference between the prices of sugar sold at control price and the sugar sold in the open market and the reason therefor; and

(c) whether in view of the large difference between the controlled price and the price in open market, Government propose to disburse the entire quantity of sugar by the control system and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Since the 1st December, 1972, every month, 1.85 lakh tonnes of sugar is allotted to the State Governments for distribution at a uniform price and 0.90 lakh tonnes is released for sale in the open market.

(b) On the 1st March 1973, as against the fixed uniform retail price of Rs. 2.15 per kg. for levy sugar, the open market prices ranged from Rs. 3.60 to Rs. 4.00 per kg. The recognisable reasons for the difference are the following :—

i) The ex-factory prices of levy sugar which accounts for 70% of the production are fixed on the basis of the minimum notified cane prices.

ii) The extra cost incurred by the factories on the total production of sugar by paying much higher cane prices than the notified minimum prices, which, together with the loss on exports which they have agreed to bear, is recovered by the factories from the higher realisation from the sale of the remaining 30% production in free market.

iii) The difference in the excise duty payable on the levy sugar and the free sale sugar.

iv) The limited quantity of free sale sugar available in the market.

(c) There is no such proposal at present, as the policy of partial control which has been specifically designed to augment the sugar production, is already showing the desired results

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टमैनों की सेवा की शर्तें

2988. **श्री सतपाल कपूर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ड्राफ्टमैनों की नियुक्ति, तबदीली तथा पदोन्नति सेवा नियमों के किन उपबन्धों के अन्तर्गत होती है;

(ख) क्या किसी एक व्यक्ति के किसी एक डिवीजन/सर्किल/प्लानिंग में रहने की अधिकतम सीमा निर्धारित है;

(ग) प्लानिंग में कितने व्यक्ति इस निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान नियमों के अन्तर्गत इस बात को सुनिश्चित करने का है कि सभी पदाधिकारियों को डिवीजन/सर्किल/प्लानिंग में करने का समान अवसर मिलेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) ड्राफ्टमैनों की तैनाती तथा स्थानान्तरण के बारे में सेवा नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है, वे ऐसे मामलों में विभागीय अनुदेशों द्वारा प्रशासित किये जाते हैं। इस बारे में अनुदेशों का सारांश संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4463/73]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ड्राफ्टमैनों के तीन ग्रेड हैं अर्थात ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I ड्राफ्टसमैन ग्रेड-II और ड्राफ्टसमैन ग्रेड-III। भर्ती नियमों के अनुसार, ड्राफ्टसमैन ग्रेड-II के शत प्रतिशत पद ग्रेड III में 3 वर्ष से सेवा कर रहे ड्राफ्टसमैनों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तथा ग्रेड-I के ड्राफ्टसमैनों के शत प्रतिशत पद ग्रेड-II में 8 वर्ष से सेवा कर रहे ड्राफ्टसमैनों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I नियमित आधार पर ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के बाद मुख्य प्राक्कलक के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) मण्डलों/प्रमण्डलों तथा योजना एककों में कार्य कर रहे ड्राफ्टसमैनों की ड्यूटियाँ एक समान हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्टसमैनों की तैनाती के बारे में मौजूदा पद्धति को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिहीन हरिजन आदिवासियों को परती भूमि का आवंटन

2989. श्री नाथराम अहिरवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1973 तक उन राज्यों द्वारा जिन्होंने इसका आवंटन शुरू कर दिया है, भूमिहीन परिवारों को कुल कितने एकड़ परती भूमि दी गई, जिन परिवारों को यह भूमि दी गई है उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) जिन परिवारों को परती भूमि दी गई हैं उन भूमिहीन हरिजन तथा आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशी हितों द्वारा कलकत्ता और बम्बई स्थित मेट्रो थियेटरों के शेयरों की बिना अनुमति खरीद का समाचार

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं, तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :-

> "भारत के रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिये बिना और भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों की गारन्टी दिये बिना ही विदेशी हितों द्वारा कलकत्ता और बम्बई स्थित मेट्रो थियेटरों में मेट्रो-गोल्डविनडमायेर इन्क, संयुक्त राज्य अमरीका, के समस्त शेयरों को हाल ही में विदेश मे खरीद लिये जाने का समाचार ।"

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : बम्बई और कलकत्ता में स्थित दो मेट्रो थिएटरों की बिक्री के सम्बन्ध में की गयी जांच से पता चला है कि इन थिएटरो की मालिक दो विदेशी कम्पनियां हैं जिनके नाम क्रमश: मैसर्स मैट्रो थिएटर बम्बई लिमिटेड और मैट्रो थिएटर कलकत्ता लिमिटेड हैं । ये दोनों कम्पनियां संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित हैं और इनके 100 प्रतिशत शेयर मैट्रो गोल्डविन-मेयर इन्कारपोरेटेड, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं । मैट्रो थिएटर बम्बई लिमिटेड और मैट्रो थिएटर कलकत्ता लिमिटेड के सारे शेयर, जो मैट्रो गोल्डविन-मेयर लिमिटेड के पास थे, मैसर्स ट्रैमर्मा एस० ए० नामक कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं जो जेनेवा में निगमित है इस सौदे के लिए मंजरी प्राप्त करने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक को अभी तक कोई

आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से पुर्वानुमति लेने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय से उच्चतम स्तर पर और भारत के महान्यायवादी के साथ परामर्श करके और आगे विचार किया जा रहा है।

इस सौदे के सम्बन्ध में आगे जांच की जा रही है क्योंकि यह सन्देह है कि इस सौदे के पीछे कुछ भारतीय पार्टियों का हाथ हो सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार की ओर से इस संबंध में ऐसी विचित्र और निराधार कहानी सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कार्यरत विदेशी पूंजीवादी तत्वों की देख-रेख करने में सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय हो चुकी है। वर्ष 1972 के आरम्भ में ही गोल्डवेन मेयर द्वारा धन के प्रेषण की इस गन्दी सौदेबाजी के बारे में देश को मालूम हो चुका था तथा बम्बई और कलकत्ता के मैट्रो-कर्मचारियों ने स्वयं केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों को पत्र लिखे थे। बम्बई कांग्रेस कमेटी की कथित महा सचिव एच० एन० त्रिवेदी ने भी उस समय स्वयं प्रधान मंत्री को सूचित किया था जबकि यह सौदेबाजी चल रही थी। वस्तुतः अमरीकी फिल्मों के आयात के लिए लायसेंस देने के सम्बन्ध में सरकार की नियंत्रण नीति को यह एक चुनौती है। अमरीकी तत्व हमारे ऊपर जिस प्रकार अपना गन्द डाल रहे हैं।

इस सौदेबाजी के बारे में सरकार तो अज्ञानता की बात करती है जबकि बम्बई से प्रकाशित 10 जून, 1972 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में उन भारतीय राष्ट्रिकों के नाम भी दिये गये हैं जो कि इस के सन्देहस्पद ग्राहक हैं तथा जिनके विरुद्ध छापे मारे गये थे। 2 सितम्बर, 1972 को भी 'ब्लिट्ज' ने अत्यन्त गुप्त सौदेब जी का रहस्य मेट्रो का महा गोलमाल शीर्षक से वृतान्त छापा था। इसके पश्चात 3 सितम्बर तथा 9 सितम्बर, 1972 को भी इस सम्बन्ध में इस पत्र में काफी कुछ छपा।

'ब्लिट्ज' के अतिरिक्त बम्बई के 'इकोनोमिक टाइम्स' ने भी 17 नवम्बर, 1972 को "फेन्टमस् टेक ओवर" तथा 30 नवम्बर, 1972 को "द मेट्रो मिस्ट्री" शीर्षकों से लेख छापे जिन में कहा गया कि सरकार लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा के गबन संबंधी गुप्त सौदों के मामलों की तो बात क्या सार्वजनिक रूप से घोषित व्यापारिक सौदों पर भी नियंत्रण करने की या तो इच्छा नहीं रखती या उसमें वह समर्थ नहीं है।

24 नवम्बर को भी श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न के उत्तर में विदेश व्यापार मंत्री ने कहा था कि सरकार को एक स्विस निगम द्वारा उक्त खरीद की जानकारी नहीं है तथा इस सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक से अनुमति अथवा उसकी जानकारी में तो यह बात लानी ही पड़ेगी जबकि 6 नवम्बर, 1972 को एक विज्ञापन में छप चुका था कि उक्त बिक्री तो हो चुकी है।

इसी बीच कतिपय दो व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप भी लगाये गए जिनके नाम मंत्रालय के पत्र व्यवहार में पहले से ही मौजूद हैं तथा जो कि मूल्यवान पत्थरों का व्यापार करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति नये निदेशक बोर्ड में कान्स्टीट्यूटिड अर्टानी है तथा कलकत्ता और बम्बई के मैट्रो थिएटरों का संचालन कर रहा है और कीमती पत्थरों का व्यापार करता है। वह व्यक्ति सीमा-शुल्क विभाग की काली सूची में भी है तथा उसके यहाँ छापे भी मारे गये हैं फिर भी सरकार कुछ नहीं जानती।

इस प्रकार सरकार ने 24 नवम्बर, 1972 को सभा को यह कहकर गलत जानकारी दी कि उन्हें कुछ मालूम नहीं हैं जबकि सम्बन्धित विदेशी हित की ओर से समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा सारे देश को इस व्यापार के बारे में अधिसूचित किया जा चुका था। इसीलिए तो 2 सितम्बर को 'ब्लिट्ज' ने यह कहा था कि यदि टाटा बंधु जमशेदपुर के संयंत्र समूह को भी यदि विदेशियों के हाथ बेच दें तो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वालों को कुछ मालूम नहीं होता।

इसी बीच इन थिएटरों के कर्मचारी भारी मुसीबत में हैं। बम्बई स्थित मैट्रो के कुछ कर्मचारी तो बर्खास्त भी कर दिये गये हैं। केवल एक दो किसी प्रकार बच पाए हैं। कलकत्ता में वे लोग बड़ी मुसीबत में हैं, तथा अपने संघ की शक्ति पर यथासम्भव संघर्ष कर रहे हैं।

इस प्रकार यह मामला देश में विदेशी मुद्रा के स्रोतों को निगाह में रखने में सरकार की सर्वथा असफलता का प्रतीक है क्योंकि इस प्रकार की धोखापूर्ण सौदेबाजियों से लाखों डालर के मूल्य विदेशी मुद्रा देश के हाथों से जा रही है।

अतः पहले तो मैं यह कहूंगा कि सरकार इस सारे मामले सम्बन्धी जाँच को तुरन्त पूरा कराये। मैं उन व्यक्तियों के नाम भी बता दूंगा तथा सरकार के पत्राचार में भी उनके नाम मौजूद हैं जो कि सरकार को मूर्ख बना रहे हैं। मैं सरकार को यह भी बता दूंगा कि वे लोग विदेशी तत्वों के साथ सांठ-गांठ करके मैट्रो फर्म को अपने अधिकार में लेने तथा वहां अपने मित्रों का वितरण तथा प्रदर्शन करने के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में फौक्स, यूनीवर्सल आदि वितरण संस्थाओं से भी सौदेबाजी किये जाने की संभावना है। मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि इन थियेटरों का अधिग्रहण करने के पीछे इनके उद्देश्य क्या हैं वे अपने कर्मचारियों के दिनों की रक्षा के लिये तो यह नहीं कर रहे हैं जिनमें से बहुत से तो बर्खास्त किये जा चुके हैं तथा शेष सरकार की सहायता के बिना ही संघर्ष कर रहे हैं।

अतः मै जानना चाहूंगा कि क्या जांच की गई है तथा इस जाँच को तुरन्त पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री तथा तस्करों के समाचार के आधार पर किन-किन लोगों के अन्तर्ग्रस्त होने की जानकारी मिली है जो कि इस व्यापार में शामिल हैं मेट्रो तथा अन्य विदेशी सिनेमाओं एजेन्सियों को सरकारी अधिकार में लेने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा विशेषकर कलकत्ता और बम्बई स्थित मेट्रो सिनेमा के कर्मचारियों के दिनों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री के० आर गणेश : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इतनी गन्दी सौदेबाजी का देश के सामने भण्डाफोड़ किया। माननीय सदस्य द्वारा दी गई अधिकांश जानकारी नहीं है।

इस मामले के दो पहलू हैं—एक है कानूनी तथा दूसरा है माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी सम्बन्धी वास्तविक स्थिति कानूनी स्थिति यह है कि मेट्रो थिएटर्स बम्बई तथा मेट्रो थिएटर्स कलकत्ता में दो कम्पनियाँ गैर-आबादी तथा अमरीका में निगमित कम्पनियां है तथा इन दोनों कम्पनियों के मध्य सौदेबाजी पर विदेशी मुद्रा विनिमय के सम्बन्धित उपबन्ध शायद इन पर लागू नहीं होते। शायद कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि पहले हम अच्छी प्रकार निश्चय करना चाहते है। हालांकि रिजर्व बैंक तथा विधि मन्त्रालय का मत किसी स्तर तक हमें मालूम है तो भी हम विधिमंत्री तथा महान्यायवादी द्वारा जाँच कराकर पूरी तरह सुनिश्चय कर लेना चाहते हैं

कि अमरीका की मैट्रो गोल्डविन मेयर्स तथा जेनेवा की ट्रैमर्सा एस एके बीच सौदेबाजी पर बिदेशी मुद्रा विनियम वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू होने दें अथवा नहीं । हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही जांच पूरी करा रहे हैं ।

7 जुलाई, 1972 को यह मामला समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था तथा रिजर्व बैंक को भी जानकारी मिली और स्वयं माननीय सदस्य ने विदेश व्यापार मंत्रालय तथा प्रवर्तन निदेशालय का ध्यान इस ओर दिलाया था । प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही करके सबसे पहले एक व्यक्ति श्री अग्रवाल के घर पर छापा मारा । श्री अग्रवाल यह सौदा करने का प्रयास कर रहे थे परन्तु इसमें वह सफल नहीं हो सके । यह सौदे बाजी एक भारतीय निवासी तथा एक विदेशी कंपनी के मध्य थी । प्रवर्तन निदेशालय ने फिर प्रसिद्ध गुप्ता ब्रादर्स के यहां छापा मारा । प्राप्त तथ्यों से मालूम हुआ कि गुप्ता ब्रादर्स का इस सौदे-बाजी के पीछे हाथ है तथा ऐसे तथ्य मिले जिनसे यह विश्वास हुआ कि इस धोखाधड़ी में उनका हाथ है तथा वे ही वास्तविक कार्यकर्ता हैं मैसर्स ट्रैमर्सा नहीं । इस समूचे मामले की जांच की जा रही है और जो व्यक्ति इस सौदेबाजी में अन्तर्ग्रस्त हैं उनका पता लगाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में प्रवर्त्तन निदेशालय आयकर, सीमाशुल्क आदि सभी विभाग कार्यवाही कर रहे है ।

दोषी व्यक्तियों का पता लग चुका है तथा इनके बारे में समस्त जानकारी सीमाशुल्क आदि विभागों तथा प्रवर्तन निदेशालय के पास है । जहाँ तक इन थियेटरों का सम्बन्ध है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय करार के समाप्त होने के बाद विदेशी फिल्मों के आयात के सारे प्रश्न पर तथा उनके वितरण तथा प्रदर्शन को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नियमित करने के बारे में विचार कर रहा है । इन थियेटरों के सरकार द्वारा अधिग्रहण की बात नीति निर्धारित करते समय ध्यान में रखी जायेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है श्री गुप्ता नामक एक व्यक्ति को दोषी पाया गया है । यह व्यक्ति नये निदेशक मंडल का कांस्टीटयूटि अटार्नी है । यही व्यक्ति बम्बई स्थित मेट्रोथियेटर का खुदा हैं तथा सब पर अपना प्रभुत्व बनाये हुए है । क्या अन्तरिम कार्यवाही के रूप में सरकार इस चीज को नहीं रोक सकती ? क्या कलकत्ता तथा बम्बई के कर्मचारियों के साथ हो रहे इस स्पष्ट अन्याय को रोका नहीं जा सकता ?

श्री के० आर० गणेश : हम तो यही कर सकते है कि विदेशी मुद्रा, आयकर तथा विभिन्न कानूनी मामलों के संदर्भ में इन व्यक्तियों की गतिविधियों का पता लगायें और यह हम कर रहे हैं । ट्रैमर्सा कम्पनी ने उसे अपना कानूनी न्यायाधिवक्ता नियुक्त किया हैं । हम प्रवर्तन निदेशालय के पास आलब्ध तथ्यों के आधार पर यह पता लगा रहे हैं कि कौन व्यक्ति मुख्य अपराधी है तथा कानून के अंतर्गत दोषी है । हम इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही कर रहे हैं कि समूचे मामले की जाँच होने तक कोई राशि बाहर न भेजी जाए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री मुकर्जी द्वारा दिये गये तथा प्रेस द्वारा प्रकाशित समाचारों से पता लगता है कि मंत्री महोदय अथवा वित्त मंत्री को इस मामले की जानकारी दी गई थी । यह भी पता लग गया है कि कुछ भारतीय लोगों का भी इस गन्दी सौदेबाजी में हाथ हैं तथा कई बार अपराधी पाये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उक्त मामले के बारे में उन्हें कब मालूम हुआ तथा क्या यह कम है कि 'बिलट्ज में छपने और माननीय संसद सदस्यों और बम्बई के मैट्रो थियेटर के कर्मचारियों द्वारा सूचना दिये जाने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

वर्ष 1972 के आरम्भ में वित्त मंत्री को जानकारी मिल जाने पर क्या कार्यवाही की गई और इस सौदेबाजी के समय यदि कोई कानूनी अड़चन थी तो उसे दूर क्यों नहीं किया गया ? श्री गुप्त को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जब कि इसके पीछे इनका हाथ था। क्या उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके वर्तमान पद से उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि वस्तुत: वही व्यक्ति थियेटरों के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है और वे बेचारे गलियों में धक्के खाते फिर रहे है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कब निर्णय किया जायेगा तथा क्या इन कम्पनियों को सरकारी अधिकार में लिया जायेगा ?

दूसरे क्या इस सौदेबाजी के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को सूचित नहीं किया था ? क्या इन्होंने इस बारे में केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया अथवा नहीं ?

तीसरे, रिजर्व बैंक को कब सूचना मिली उसने क्या कार्यवाही की तथा क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय तथा विभिन्न निदेशालयों के संबंधित अधिकारियों की भी इस मामले में साठ-गांठ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? अन्यथा यह सौदा प्राय: असंभव था।

विधि मन्त्रालय और महान्यायावादी को गोचार्य यह मामला कब सौंपा गया ? शायद एक सप्ताह पूर्व ही उनकी सेवाएं मांगी गई हैं। इसमें इतने विलम्ब के लिए मंत्री महोदय का क्या स्पष्टीकरण है ? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रारम्भ में ही उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने कहा, वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन, 1947 में दो गैर-निवासी कम्पनियों के बीच ऐसे सौदे को रोकने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। यदि यह मामला एक निवासी तथा गैर निवासी के बीच होता तब तो संबंधित उपबन्ध लागू हो सकता था। परन्तु फिर भी हमने देश में उपलब्ध सर्वोच्च स्तर पर इस सम्बन्ध में कानूनी राय मांगी है क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें कुछ सन्देह भी है। इस समय तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही नही हो सकती।

महान्यायवादी को यह मामला हमने कुछ ही दिन हुए भेजा है। रिजर्व बैंक तथा विधि मंत्रालय के मतानुसार हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। मैं इस मत से सन्तुष्ट नहीं था अत: हमने यह मामला महान्यायवादी के पास हाल ही में भेजा है।

अब इस अधिनियम में जो कमी है उसे विदेशी मुद्रा विनियमन द्वारा दूर करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक संयुक्त समिति के पास है। इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद ही हम कोई रोक लगा सकेंगे।

दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जुलाई 1972 में इस मामले के प्रकाश में आने पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही की दस्तावेज पकड़े तथा गुप्ता ब्रादर्स की गतिविधियों का पता लगाया। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस अनुचित सौदे तथा इससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में सरकार कानून के अनुसार हर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन लोगों के पासपोर्ट भी जब्त नहीं किये गये है। वे चाहे जब भाग सकते हैं।

श्री के० आर० गणेश : हम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में कमियों को ढूंढ कर

उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके विरुद्ध कार्यवाही उचित ढंग से ही तो की जा सकती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : पहले तो सरकार ने इस सौदे के बारे में अनभिज्ञता दिखाई और अब कहते हैं कि उन के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। सरकार ने कहा था कि यह मामला रिजर्व बैंक की जानकारी में तो आना चाहिए था और आज मंत्री महोदय की दलील का आधार यह है कि यह तो गैर-निवासी कम्पनियों का मामला है। क्या सरकार को पहले यह बात मालूम नहीं थी जब यह मामला संसद में उठाया गया था ? श्री एस० एम० बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में भी सरकार ने यह नहीं बताया है कि भविष्य में वह ऐसी चीजों को कैसे रोकेंगे। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह ऐसे कदम उठायेगी कि सरकार या रिजर्व बैंक को सूचित किये बिना ऐसे सौदे करना असंभव हो जाए ?

दूसरे, क्या सरकार ने इन भारतीय व्यक्तियों से पूछताछ की है जिन्हें यह इस मामले में शामिल समझती है या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

यह मामला विदेश व्यापार, वित्त तथा शायद सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। क्या सरकार ने समान्वित रूप से कार्यवाही करने के लिये इन तीनों मंत्रालयों की कोई बैठक बुलाई है ताकि अपराधियों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही की जा सके ?

श्री के० आर० गणेश : यह कहना सही नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। ज्योंही यह मामला प्रकाश में आया प्रवर्त्तन निदेशालय ने कार्यवाही की। क्योंकि कंपनियों ने रिजर्व बैंक से अनुमति नहीं ली थी इसलिए इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और वर्तमान कानूनी स्थिति के अनुसार गैर-विकासी कंपनियों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रवंतन निदेशालय ने जून या जुलाई, 1972 में कार्यवाही की थी। उसने संबंधित इन सभी व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे तथा अनेक बार पूछताछ की और उनकी गतिविधियों, बैंक खातों आदि का पता लगाया। आय कर तथा सीमा शुल्क विभाग भी समन्वित रूप से कार्यवाही कर रहे हैं ताकि अपराधियों को दण्ड दिया जा सके।

भविष्य में ऐसी चीजों को रोकने के लिये जैसा कि मैंने कहा है, हम एक विधेयक पेश कर चुके हैं तथा इसके अधिनियम बन जाने तथा हमें उचित शक्तियां प्राप्त हो जाने पर ऐसे सौदे नहीं हो सकेंगे।

जांच के दौरान की अवधि में हम इन कंपनियों के राशि-प्रेषण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तथा ऐसे अन्य उपाय भी कर रहे हैं ताकि इस सौदे को यथासंभव रोका जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय का उत्तर परस्पर विरोधाभास प्रकट कर रहा है। पहले तो वह कहते हैं कि वर्तमान कानून के अधीन कोई कार्यवाही नही की जा सकती क्योंकि ये कंपनियां गैर-निवास हैं, तो फिर यह सौदा अनुचित कैसे हुआ ? मगर मंत्री महोदय इसे अनुमति सौदा कहते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ भारतीय राष्ट्रिकों का इस में हाथ है। सरकार साफ साफ इसे स्वीकार क्यों नहीं करती ?

3 जनवरी को तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र ने श्री एच० एन० मुकर्जी को एक पत्र में लिखा था कि विदेशियों द्वारा भारत में सम्पत्ति की खरीद करने के लिए रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। परन्तु ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं

हुआ। ऐसा लगता है कि चुपचाप कोई सौदा हुआ है। मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है और हम इस सौदे के बारे में जानना चाहते हैं। बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यवाही की थी परन्तु यहाँ सभा में अनेक बार प्रश्न पूछे गये और सरकार ने हमेशा अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। ऐसा क्यों होता है ? मेरे कई प्रश्नों के उत्तर में सरकार ने कहा कि उसे कोई जानकारी नहीं है।

गत वर्ष 27 अप्रैल को मेट्रो गोल्डविन मेयर्स इण्डिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, श्री डब्लू० टी० विलसन ने इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री ए० के० सूद को लिखा था कि अमरीका स्थित उनका मुख्यालय भारत स्थित अपनी थियेटर सपत्ति को बेचना चाहता है और संचालित क्रयकर्त्ता को आशय पत्र भी दिया जा चुका है। फिर 10 अक्तूबर, को कलकत्ता तथा बम्बई के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये गये जिसका कारण मितव्ययता, आयात लाइसेंस का न दिया जाना तथा चित्रों के वास्तविक वितरण को मैसर्स गोल्डविन फिल्म एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया जाना बताया गया।

परन्तु दिसम्बर में विदेश व्यापार मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः पहले तो मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्टीकरण दें। सरकार समन्वित रूप में कार्य करती है या एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ कोई सम्पर्क नहीं होता ? प्रवर्तन निदेशालय ने तो बहुत पहले कार्यवाही कर दी परन्तु विदेशी फिल्मों से संबंधित मत्रालय बार बार कहता रहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है।

फिर श्री डब्लू० टी० विलसन ने 9 जून को पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग को लिखा कि "मैसर्ज मेट्रो-गोल्डविन इन्क, अमरीका ने मैसर्ज ट्रैमसी एस० ए० जेनेवा, स्विटजरलैंड से मेट्रो थियेटर कलकत्ता लिमिटेड के अपने अपने शेयर बेचने का समझौता किया है परन्तु अभी सौदा पूरा नहीं हुआ है।"

ऐसे कितने ही उदाहरण मैं पेश कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि सरकार को गुप्त रूप से किये गये सौदों का तो पता नहीं चल सकता परन्तु जो बात सार्वजनिक रूप से प्रकाश में आ गई हो फिर भी सरकार यह कहती रही कि उसे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसमें कुछ गंभीर घटनायें होती रहें और हमारी सरकार उनसे अनभिज्ञ रहे तथा सब कुछ हो जाने के बाद ही उसे कुछ पता लगे। उनके न्यायवादी की सूचना के अनुसार श्री शिव शंकर लाल गुप्ता को श्री डब्लू० टी० विलसन के स्थान पर इस फर्म का न्यायवादी नियुक्त किया गया जोकि एक कुख्यात व्यक्ति है तथा तस्करी आदि के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है। हम देखते हैं कि मेट्रो थियेटर कलकत्ता लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गत वर्ष 25 मई को जैनेवा में हुई थी तथा उसमें एक संकल्प पारित किया गया था।

क्या मंत्री महोदय ने गोल्डन फिलमस एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन की गतिविधियों की विशेष जांच की है और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि इसका उस सौदे से क्या सम्बन्ध था ?

यह भी आरोप लगाया गया है कि साइनरामा प्राइवेट लिमिटेड के श्री एस० एन० अग्रवाल ने बम्बई मे मेट्रो थियेटर को खरीदने का सौदा किया था और उसके लिये 20,000 डालर के बराबर धनराशि पंजाब नेशनल बैंक में जमानत के रूप में जमा की थी। मैं इस मामले में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

जब देश में विदेशी और अमरीकी फिल्म प्रदर्शित की जाती हैं तो लाभ का एक भाग यहां रख लिया जाता है जिसका उपयोग भारत में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए किया जाता है।

ब्लाक्ड फंड में कितनी धनराशि है और क्या उक्त धनराशि श्री शिव शंकर लाल गुप्ता को दे दी जायेगी ?

एम० जी० एम० ने अपने कर्मचारियों को छंटनी इस आधार पर की थी कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन फिल्मों का आयात सरकारी एजेंसी द्वारा किया जायेगा। क्या भारत सरकार उन कर्मचारियों के भाग्य से चिन्तित नहीं है ? क्या सरकार इन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करेगी ? सरकार ने एस० एन० अग्रवाल, शिव शंकर गुप्त और गोल्डन फिल्म कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० आर० गणेश : हमें इस बात का संदेह है कि इस सौदे में भारतीय पार्टियों का हाथ है। यदि भारतीय पार्टियों का इसमें हाथ न होता तो कानूनी स्थिति भिन्न होती। इस मामले में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमनों को लागू करने में कठिनाई है। सामान्य विधि प्रक्रिया के अन्तर्गत इन लोगों को पकड़ना बड़ा कठिन है चाहे हमारे पास कुछ भी सबूत क्यों न हों। विदेशी मुद्रा विनियमन के बारे में सरकार ने कुछ सशोधन का सुझाव किया है जिन पर प्रवर समिति में अन्तिम रूप से विचार हो रहा है।

जहां तक गोल्डविन मेयरस इन कारपोरेटिड का प्रश्न है, मेरे पास उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। मैं इस मामले में जांच करूंगा। 'गुप्ता ब्रार्दस' के बारे में हम सब बातें पता लगा रहे हैं।

पंजाब नेशनल बैंक में धनराशि जमा की गई थी अथवा नहीं इस बारे में जांच की जायेगी। कर्मचारियों की छंटनी के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय जांच कर रहा है।

श्री अग्रवाल दो थियेटर खरीदना चाहते थे। उनके घर पर 10 जुलाई, 1972 को छापा मारा गया और सब दस्तावेज जब्त कर लिये गये। श्री अग्रवाल जो सौदा करना चाहते थे वह कानूनी था। बाद में अग्रवाल के वकील ने उन्हें बताया कि जहां तक कलकत्ते का सम्बन्ध है, मेट्रो थियेटर का टाइटल डीड संदेहास्पद है। अतः यह सौदा नहीं हो सका।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

उपज उपकर (संशोधन) नियम और उपज उपकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) (क) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अन्तर्गत उपज उपकर (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या

साँ० साँ० नि० 1131 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4447/73]

(ख) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 10 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1172 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपयुक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण। [ग्रन्थालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 4448/73]

(2) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के वर्ष 1970-71 संबंधी प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4449/73]

वास्तुविद अधिनियम के अंतर्गत वास्तुविद परिषद नियम तथा खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी का लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण तथा सांस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 44 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वास्तुविद परिषद नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 22 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 67 (क) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4450/73]।

(2) खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4 के अन्तर्गत खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4451/73]।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्त करने के लिए राज्य सभा से सिफारिशें

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

'कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले

विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में उक्त समिति की सदस्यता श्री भोला पास्वान शास्त्री द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में उक्त समिति की सदस्यता से श्री भोला पास्वान शास्त्री द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

राष्ट्रीय ग्रन्थालय विधेयक
NATIONAL LIBRARY BILL

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि का बढ़ाना जाना

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

"कि यह सभा राष्ट्रीय ग्रन्थालय में प्रशासन और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि शरदकालीन सत्र, 1973 के प्रथत सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा राष्ट्रीय ग्रन्थालय के प्रशासन और उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि शरदकालीन सत्र, 1973 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : गत छ: महीने से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में लगातार संघर्ष चल रहा है। ऐसा छात्रों की मांगों के कारण हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ लड़कों ने कुछ विद्यार्थियों को पीटा।

श्री अटल बहारी वाजपेयी (ग्वालियर) · इस विषय पर सभा में चर्चा की जानी चाहिये जिससे सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके। यह वक्तव्य बिना चुनौती के स्वीकार नहीं किया

जा सकता । मैं यह कहता हूँ कि वही कांग्रेस के विद्यार्थी गड़बड़ कर रहे हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लड़के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री हरिकेश बहादुर को पीटना चाहते थे और इसके लिये वे 9 और 10 मार्च को छात्रावास मे गये लेकिन श्री बहादुर के न मिलने पर उन्होंने वहां अन्य नेताओं को पीटा । यही घटना 10 मार्च को भी घटी । एक प्रसिद्ध छात्र नेता श्री ए० एन० त्रिपाठी राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ लड़कों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के कारण बिस्तर में पड़े हैं । उपकुलपति महोदय ने इस ओर ध्यान दिया है । मंत्री महोदय इस बारे में जांच कर सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं सभा का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ कि माइलों की खरीद और वितरण के बारे में भारत सरकार जिम्मेवार है ।

चूंकि यह मामला जनता के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय है अतः सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हमें इस बारे में अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं । मैं इस मामले में जाँच करूंगा और वाशिंगटन स्थित भारतीय सप्लाई मिशन से सब तथ्यों का पता लगाने के बाद उन्हें सभा में प्रस्तुत करूंगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्य मंत्रणा समिति ने सामान्य बजट पर चर्चा करने के लिये 15 घंटे का समय निर्धारित किया है और वह इस बात पर सहमत हुई है कि इस विषय पर चर्चा 14 तारीख तक समाप्त की जानी चाहिए । सदस्यों और कर्मचारियों को 14 तारीख को बहुत देरी तक न बैठना पड़े । इस लिये यह सुझाव दिया गया है कि आज कल और परसो हम 7 बजे तक बैठ लें । विपक्षी दलों के नेता भी इस बात पर सहमत हो गये हैं ।

रेलवे बजट 1973—74 सामान्य चर्चा

Railway Budget 1973-74 General Discussion

रेल मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : कुछ सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि चूंकि रेल बजट प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन पूर्व ही मैंने रेलवे मंत्रालय का भार सम्भाला है । अतः मैं रेलवे बजट के लिये उत्तरदायी नहीं हूँ । यह बात पूर्णतया असत्य है । यह मेरा तैयार किया हुआ बजट है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं ।

कर्मचारियों पर खर्च होने वाली राशि में प्रतिवर्ष 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि हो रही है । जब कि कर्मचारियों की संख्या में केवल 1 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। इन आंकड़ों में वेतन आयोग की सिफारिशें जो अभी प्राप्त होनी हैं के बाद होने वाले व्यय को शामिल किया गया है, कोयले, डीजल आयल, लोहे और इस्पात के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है । बढ़ती हुई लागत के बावजूद 1972-73 में तीसरी श्रेणी के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई थी ।

लागत में हुई इसी वृद्धि के परिणामस्वरूप तीसरी श्रेणी के किराये में तीन प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ी है। लेकिन इस वृद्धि का जनसाधारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रथम 15 किलोमीटर के वर्तमान किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है। देश में ऐसे 15 लाख यात्री हैं जो 15 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अन्य तीसरी श्रेणी के यात्रियों के मामले में भी वर्तमान किराये में केवल 25 पैसे तथा 35 पैसे की वृद्धि की गई है। 25 पैसे की वृद्धि साधारण यात्रियों के किराये में 35 पैसे की वृद्धि मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के किराये में होगी।

सुपर फास्ट गाड़ियों में बहुत भीड़भाड रहती है और अनुपूरक प्रभार लगाने का मुख्य प्रयोजन यही है कि कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ इन में कम हो।

जन साधारण के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, फल, सब्जियों, मछलियों, पुस्तकों, समाचार पत्रों को पार्सल मे भेजे जाने पर भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन उच्च श्रेणी के यात्रियों के किराये में थोड़ी सी वृद्धि की गई है।

जहां तक एयरकंडीशंड क्लास और विमान किरायों की बराबरी का प्रश्न है लोग गाड़ियों में यात्रा रुपया बचाने के लिये नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्थानों के लिये विमान सेवा उपलब्ध नहीं है।

माल भाड़े में वृद्धि के कारण केवल 18.5 करोड़ रुपयों की आय हुई है। अत्यावश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न, नमक आदि के भाड़े में भी वृद्धि नहीं की गई है। श्रेणी 60 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के भाड़े में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब भी व्यय तथा आय में 8.65 करोड़ रुपयों का अन्तर है जिसे बिना टिकट यात्रा को रोककर पूरा करने का विचार है। मुझे आशा है कि यदि बिना टिकट यात्रा तथा चोरी आदि के मामलों को रोका जा सका तो उससे रेलवे की आय में पर्याप्त वृद्धि होगी।

बजट दस्तावेजों के साथ परिचालित किये गये ज्ञापन में भाड़े की दरों में वृद्धि के प्रस्तावों का ब्यौरेवार उल्लेख किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भाड़े की दरों में वृद्धि की प्रतिशतता बहुत कम है। आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं, जैसे चीनी, चाय, काफी, सब्जियां, जूट का सामान, रंग, दवाइयां आदि आदि, के भाड़ों में कोई वृद्धि नहीं की गई। कोयले के भाड़े में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में मैंने रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस सम्बन्ध में हमें यह देखना पड़ेगा कि नई रेलवे लाइनें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं अथवा नहीं। वर्तमान स्थिति में कोई नई लाईन तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक माल यातायात की मात्रा बढ़कर 30 लाख टन से अधिक न हो जाये।

गत 25 वर्षों में अर्थ व्यवस्था और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन हुआ है। सरकार केवल विकसित क्षेत्रों के विकास में ही विश्वास नहीं रखती अपितु चाहती है कि देश के सभी भागों का विकास हो सके तथा सभी क्षेत्र प्रगति कर सकें। गत वर्षों में महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों के कपास उत्पादकों, केरल के रबड़ उत्पादकों तथा बंगाल, बिहार और आसाम के जूट उत्पादकों के हितों की तुलनात्मक दृष्टि से उपेक्षा की गई है। अतः इन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिये पुराने दृष्टिकोण में

परिवर्तन किया गया है। इससे आरम्भ में कुछ हानि हो सकती है किन्तु अन्ततोगत्वा किसानों और ग्रामीण जनता के हितों की रक्षा करके पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।

माननीय सदस्यों ने छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की मांग की है। कुछ महत्व-पूर्ण लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। गुजरात में विलगाम से ओरवा उत्तर प्रदेश और बिहार में बाराबंकी से समस्तीपुर लाइनें इस बारे में उल्लेखनीय हैं। इन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है तथा आशा है कि ये 1977 तक पूरी हो जाएंगी। इतना ही नहीं इस लाइन का विस्तार भी किया जाना है तथा इसे समस्तीपुर से बढ़ाकर कटिहार तक बोंगाइगांव से बढ़ाकर गोहाटी तक किया जाना है।

दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को भी बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता हो गई है। इस बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके बदलने से राजस्थान के विकास में तेजी आएगी। मिराज-लोंड़ा तथा होस्पेट-गोआ लाइनों का भी विस्तार किया जाना है जिसमे गोआ पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि की जा सके। इस बारे में पूर्व सर्वेक्षणों पर पुनर्विचार किया जा रहा है जिससे वर्तमान स्थिति का पता लग सके। करूर-डिंडीगुल-मदुरै-तूनीकोरन-नितनेलवली नई लाइन तथा परिवर्तन परियोजना का जांच कार्य पूरा हो गया है जिससे तूतीकोरन पत्तन तथा उर्वरक कोम्पलैक्स की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मैसूर, गुजरात, राजस्थान और आँध्र के माननीय सदस्यों ने नई लाइनों की माँग की है। गुजरात में कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं जैसे विराग-अहमदाबाद विद्युतीकरण, विरकगाम-ओरवा लाइन का बदलना विरकगाम-शाहोबाग लाइन को दोहरा बनाना आदि। इस क्षेत्र की सूखाग्रस्त जनता को राहत देने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान और मैसूर राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता को राहत देने के लिए दिल्ली-अहमदाबाद और मिराज-लोंडा तथा होस्पेट गोआ लाइनों पर कार्य आरम्भ किया जा सकता है। यदि जांच कार्यों ने इसे उचित ठहराया। यह तभी सम्भव है जब सामान्य स्थिति उत्पन्न हो सके।

बाढ़ आदि से उखड़ी रेलवे लाइनों का पुनः बनाया जाना भी अनिवार्य है जिसमें देश के विभिन्न भाग परस्पर जुड़े रहें।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : कांगड़ा घाटी के बारे में क्या होगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस बारे में कल सिंचाई मंत्री के साथ चर्चा की जा सकती है आप वहीं मिल लें।

इन कार्यों को आरम्भ करने में विलम्ब से बचने के लिए मैंने सदन से 1973-74 के लिए मंजूर राशि में से राशि निकालने की अनुमति मांग ली है तथा यदि आवश्यक हुआ तो अनुपूरक माँग प्रस्तुत कर दूंगा।

उत्तर बंगाल में जलपाईगुरी सम्बन्धी लाइनों के बारे में मुझे जांच करनी होगी। जहाँ तक माल डिब्बों के उपलब्ध न होने का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

देश के विभिन्न भागों में हड़तालों और आन्दोलनों या सूखे की स्थिति के बावजूद भी रेलवे ने माल ढोने के कार्य में अच्छा कार्य किया है। राजस्थान, गुजरात, केरल आदि राज्यों में

खाद्यान्न पहुंचाया गया है तथा विभिन्न भागों में दूर दूर तक उर्वरक पहुँचाया गया है जिससे खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की वहां कमी को पूरा किया जा सके। बिजली संकट को दूर करने के लिए रेलों से अधिक मात्रा में तापीय बिजलीघरों को कोयला भेजा गया है।

यह सच है कि इस वर्ष की पहली तिमाही में सीमेंट की ढुलाई के लिए कम माल डिब्बे सप्लाई किये गये किन्तु उसके बाद पर्याप्त माल डिब्बों की सप्लाई की गई तथा अब सीमेंट की कमी माल डिब्बों की कमी के कारण नहीं है।

यह आदेश दिये गये हैं कि खाद्यान्न, जूट आदि की मौसमी वस्तुओं की ढुलाई के लिए विशेष गाड़ी चलाई जाएं। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुये इन विशेष गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

देश के विभिन्न भागों में भारी मात्रा में जमा कोयले को उठाने के लिए मैंने खान तथा इस्पात मंत्री का सहयोग मांगा है तथा कोयले की ढुलाई के बारे में तेजी लाने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

रेलवे बोर्ड तेज रफ्तार की पार्सल ट्रेन चलाने की योजना भी बना रहा है जो दिल्ली से हावड़ा तक चलेगी। यह ट्रेन अन्य डाक गाड़ियों की तरह चलेगी जिसमें पार्सल होंगे। इस योजना से दो लाभ होंगे। पहला तो यह कि पार्सल कम समय में पहुंचेंगे तथा दूसरा यह कि डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक स्थान उपलब्ध हो सकेगा। यदि इस योजना को सफल पाया गया तो इसे दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-मद्रास मार्ग पर भी चालू किया जाएगा।

माल-ढुलाई के समय में कमी करने के लिए रेलवे विभाग ने अन्य उपाय भी किये हैं। अधिक दूर जाने वाली 110 माल डिब्बों की मालगाड़ियों में बिजली अथवा डीजल के दो-दो इंजन लगाने की प्रणाली आरम्भ की गई है। सुपर एक्सप्रेस मालगाडियां भी चलाई गई हैं जो प्रमुख मंडियों से नियत दिनों पर चलती है। गत वर्ष आरम्भ की गई अमृतसर से बम्बई तक एक्सपोर्ट स्पेशल गाड़ियाँ लोक प्रिय हुई हैं।

मुझे पता है कि ईंटों के भट्टों के लिए कोयले की ढुलाई पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा सकी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में भी हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के निर्धारित समय पर चलने-पहुँचने की दिशा में सुधार हुआ है। इस दिशा में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसके परिणामस्वरूप यह सुधार हुआ है। गत कुछ महीनों में गाड़ियों के ठीक समय पर चलने में बाधा पड़ी है क्योंकि दक्षिण रेलवे के संचलन कर्मचारियों ने सितम्बर 1972 में हड़ताल की थी तथा आंध्र में भी अक्तूबर महीने में आन्दोलन हुए थे। उत्तर प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल तथा गाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण भी गाड़ियों के ठीक समय पर चलने पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। वर्ष 1972 के नवम्बर-दिसम्बर महीने में जंजीर खींचने के 18000 मामले दर्ज किये गये जबकि 1971 की इसी अवधि में 13,000 मामले दर्ज किये गये थे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
Mr. **Deputy Speaker** *in the Chair*]

रेलवे बोर्ड गाड़ियों के ठीक समय पर चलाए जाने की दिशा में पूरी सतर्कता बरत रहा है तथा हमारा प्रयत्न है कि इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए।

तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की गई है। आशा है कि चौथी योजना के अंत तक ब्राड गेज के 1177 तथा मीटर गेज के 247 अतिरिक्त डिब्बे उपलब्ध हो जाएंगे।

पहले दर्जे की नई प्रकार की चेयर कारों की व्यवस्था की जा रही है जिसमें 48 से 60 तक यात्री यात्रा कर सकते हैं। अधिक बर्थों वाली चेयर कारों से अधिक यात्रियों को स्थान मिल सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप गाड़ियों में तीसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जा सकते हैं।

तीसरे दर्जे के दो मंजिले डिब्बों की भी व्यवस्था की जा रही है जिसमें 136 यात्री बैठ सकते हैं। जैसा कि घोषणा की जा चुकी है दूसरे दर्जे को उत्तरोत्तर समाप्त किया जा रहा है तथा इसे तीसरे दर्जे में बदला जा रहा है। इन प्रयत्नों से तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक स्थान मिल सकेगा। डिब्बों में सफाई, प्रकाश तथा पंखों की सुविधा की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रति वर्ष 15 अप्रैल से 15 जून तक डिब्बों के रख-रखाव आदि के बारे में विशेष अभियान चलाया जाएगा। डिब्बों की सफाई तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं के बारे में यात्रियों के विचार भी माँगे जाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेलवे की खान-पान सेवा की आलोचना की है। यह सच है कि उनमें सुधार की काफी गुंजाइश है। कुछ गाड़ियों में तैयार भोजन रखने की व्यवस्था आरम्भ की गई है जिसकी पर्याप्त सराहना हुई है। इस व्यवस्था को अन्य गाड़ियों में भी लागू किया जाएगा। कम मूल्य के डिब्बा बन्द भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है जो लोक प्रिय होगी।

छात्रों को विशेष रियायती टिकट दिये जाने की भी मेरी इच्छा है तथा मैं चाहता हूँ कि उनके लिए पृथक गाड़ियां भी चलाई जाएं। इन गाड़ियों को ऐतिहासिक तथा औद्योगिक महत्व के स्थानों के लिए चलाया जाएगा जिसमें नवयुवक नये भारत का स्वरूप देख सकें।

मुझे यात्रियों की एसोसिएशनों तथा जनता की ओर से यात्री गाड़ियों में हत्या, लूट पाट और डकैती की घटनाओं से बढ़ती हुई असुरक्षा के मामले में पत्र आते रहते हैं जिससे मुझे भारी चिंता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है तथा रेलवे विभाग राज्यों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपया देता है। रेलवे द्वारा इतनी धन-राशि खर्च करने पर भी यदि राज्य सरकारें यात्रियों की सुरक्षा नहीं करतीं हैं तो यह निश्चित ही असंतोष की बात है।

इन अपराधों में कमी करने के उपायों पर विचार करने के लिए मैंने गृह मंत्री तथा पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेश, आसाम और उड़ीसा राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 21 मार्च, 1973 को बैठक बुलाई है। आशा है उसमें कुछ उपाय खोज लिए जाएंगे।

आन्दोलन, सूखा की स्थिति तथा बिजली की कटौती आदिसे उत्पन्न कठिन परिस्थितियों में भी रेलवे कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

रेलवे बोर्ड की कटु आलोचना की गई है रेलवे बोर्ड में पाँच वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनमें से चार सचिव स्तर के हैं तथा एक प्रमुख सचिव स्तर का। अन्य मंत्रालयों में भी इन स्तरों के अधिकारी हैं। रेलवे बोर्ड में अधिकारी महत्वपूर्ण मामलों पर घटना स्थल पर संयुक्त रुप से निर्णय करते हैं। संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करे। रेलवे बोर्ड केवल वही करता है जो मंत्री द्वारा करने को कहा जाता है। मैं

सदन के समक्ष यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी परिश्रमी हैं तथा वे कठिन परिस्थितियों में भी जनता को आवागमन की सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील है। (**व्यवधान**)

बजट प्रस्ताव बनाते समय मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सामान्य जनता को किराये और भाड़े में वृद्धि के कारण कठिनाई न हो तथा उनके जीवन स्तर पर कुप्रभाव न पड़े। सामान्य जनता पर भार न पड़े। मैं और भी कमी करना चाहता हूं।

अत: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 15 किलो मीटर के स्थान पर 20 किलोमीटर तक की दूरी के तीसरे दर्जे के किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाए। यह छूट सवारी गाड़ी के साथ-साथ डाक तथा एक्सप्रैस गाड़ियों पर भी दी जाएगी। इसमें लगभग 1400 लाख तीसरे दर्जे के यात्रियों को लाभ होगा।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जलाने की लकड़ी, लकड़ी के कोयले, गुड, शक्कर और जागरी के भाड़े में कोई वृद्धि नही की जाए। इन उपायों के परिणाम स्वरूप आय और व्यय में अन्तर 8·65 करोड़ रुपया से बढ़कर 9·80 करोड़ रुपया हो जाएगा। आशा है सदन इन रियायतों का स्वागत करेगा। (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के मामले में निर्णय कर लिया गया है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : गत 20 वर्षों के बलूरघाट के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है। आश्वासन दिये जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया है मार्टिन रेलवे के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या वर्तमान बजट में इन लाइनों के लिए कोई व्यवस्था की गई है।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को चालू करने के बारे में कब तक निर्णय किया जाएगा ?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : भागलपुर लाइन पर डाक गाड़ी चलाने के बारे में क्या उत्तर है ?

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : What about bonus to railway employees ? What is the action taken by Government regarding Indore-Dohad and Guna-Makshi lines ?

श्री बी० के० दास चौधरी : पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में बाढ़ग्रस्त लाइनों को कब तक ठीक किया जाएगा। क्या मंत्री महोदय रेलवे के पास पश्चिम बगाल से सम्बन्धित अभिरक्षित पड़े मामलों पर शीघ्र विचार करेंगे ?

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या केरल में कुछ नई रेलवे लाइनें बनाई जाएगी ? क्या जयन्ती जनता एक्सप्रैस को रद्द कर दिया गया है ?

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए चितौनी घाट बगहा पुल बनाया जाएगा ?

Shri Ram Chandra Vikal (Bagpat) : May I know the time by which Saharanpur-Shahadra line would be restored ?

श्री डी० एन० तिवारी : क्या स्टेशनों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

Shri R. R. Sharma (Banda) : What is the proposal of Hon. Minister regarding construction of over-bridge at Banda ?

Shri Jagannath Mishra : May I know the decision taken by the Government regarding the location of Railway Service Commission office in Patna ?

श्री बसंत साठे : क्या मंत्री महोदय उन व्यक्तियों को पास दिलाने की व्यवस्था करेंगे जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों से आकर पास के इलाकों में रह रहे हैं जिससे वे अपने परिवारों से मिलने जाते हैं क्योंकि उनके पास किराये के लिए धनराशि नहीं है ?

श्री धामनकर (भिवंडी) : क्या माइंडार बेसिन क्षेत्र के लिए अधिक माल डिब्बे सप्लाई किये जाएगें जिससे नगर उत्पादन में कमी न हो सके ?

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : क्या महाराज गंज गोरखपुर लाइन के बारे में विचार किया जाएगा ?

श्री शंकरराव सांवत (कोलाना) : महाराष्ट्र में कुछ मीटर गेज लाइनों को ब्राड गेज में क्यों नहीं बदला जा रहा है जबकि राज्य सरकार खर्च में भाग लेने के लिए तैयार है। वैस्ट कोस्ट लाइन की कब तक मंजूरी दी जाएगी तथा उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

श्री डी० के० पंडा : क्या गोपालपुर बोलनगीर लाइन के लिए उड़ीसा की जनता की न्यायोचित मांग को पूरा किया जाएगा ?

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : गोहाटी तक बड़ी लाइन के बारे में पहले भी आश्वासन दिया गया था किन्तु उस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। उक्त लाइन के लिए कब तक राशि नियत की जाएगी ?

श्री चितिबाबू : क्या ताम्बरम चिंगलपुट लाइन को दोहरा किया जाएगा ?

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : Will the bridge being constructed on Ganga at Patna be a rail-cum-road bridge ?

Shri G. C. Dixit (Khandawa) : May I know whether the construction of Khandwa-Dohad and Indore-Dohad lines has since been decided ?

श्री राजदेव सिंह : क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी ?

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Will the Hon' Minister announce the construction of Badkakana-Hazaribagh line via Chatra if so, when ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मंत्री महोदय ने बैलाडीला राजदरा लाइन के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या वह इस बारे में कुछ बताएगें ?

श्री बशेश्वर नाथ भार्गव (अजमेर) : क्या अजमेर से कोटा तक रेल लाइन को आरम्भ करके वहां के आकाल-पीड़ित लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : क्या मंगलौर से आप्टा लाइन को सिद्धान्ततः स्वीकार किया जायेगा ?

Shri Ram Kanwar (Tonk) : There is a president demand since independence for connecting Tonk with a railway line. May I know whether Tonk be connected with railway line this year ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न करना समाप्त करिये।

यदि मंत्री महोदय चाहें तो कुछ कह सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री एल० एन० मिश्र : इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। उनमें से कुछ का मैंने आज उल्लेख किया है, माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं।

जो सुझाव आज दिये गये हैं उन के बारे में जाँच की जायेगी, सर्वेक्षण करवाये जायेंगे और वित्तीय व्यवहार्यता को देखना होगा।

मैं नहीं समझता कि बहुत सी नई लाइनों को बनाने का औचित्य है। हमें सामान्य प्रत्यय (कंसेप्शन) स्वयं को बदलना है और यह देखना है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाये।

हावड़ा से आम्ता ब्राड गेज लाइन बनाने के लिये वहां के मुख्य मंत्री सहमत हो गये हैं और वह लाइन मंजूर हो गई है।

सारी रेल-लाइनों के बारे में सीधे-सीधे कुछ भी बनाना कठिन है।

Shri Ram Chandra Vikal : What about the Shahdra-Saharanpur line.

श्री एल० एन० मिश्र : वह मंजूर हो चुकी है। श्री तिवारी द्वारा पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) के बारे में उठाये गये प्रश्न की जाँच की जायेगी।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये 'पास' जारी करने की मांग की जांच की जायेगी। मैं इसको देखूंगा। यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहाँ के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है। सहारनपुर भी तो उत्तर प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त लखनऊ से समस्तीपुर के लिये लाइन बनाई जा रही है। उड़ीसा के बारे में मैंने बजट भाषण में पारादीप पत्तन तक पहुंच सड़क बनाने के लिये बतायी है। मध्य प्रदेश के बारे में भी मैंने उल्लेख किया है। बोनस देने के लिये हमें वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। तब तक मैं इस बारे में कुछ नही कह सकता। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : रेल-बजट पर अब और अधिक कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)**

सामान्य बजट 1973 74—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET 1973-74 –GENERAL DISCUSSION

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : पिछले कई वर्षों से देश में मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी जो दबाव उत्पन्न हुआ है उसे कम करने, विदेशी स्तर पर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और नगरीय तथा ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने, बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिये इस वर्ष के सामान्य बजट में वित्त मंत्री ने कुछ उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

मैं वित्त मंत्री और उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार को 'आर्थिक समीक्षा' स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूँ। उससे पता चलता है कि चालू वर्ष एक कठिन वर्ष होगा। उन्होंने अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का प्रत्येक कोण से विश्लेषण किया है।

चौथी योजना के लक्ष्यों और योजना अवधि के दौरान वास्तविक कार्यकरण को देखने से पता चलता है कि पहले दो वर्षों में तो सराहनीय विकास हुआ था परन्तु बाद के दो वर्षों में दो प्रतिशत से भी कम विकास हुआ है। इस वर्ष भी यदि 1040 लाख टन की प्राप्ति होती है तो भी स्थिति यथा-पूर्व रहती है। इस्पात और अलौह धातु जैसे कई क्षेत्रों में भारी कमी हुई है।

पिछले दो तीन वर्षों में औद्योगिक विकास उत्साहजनक नहीं रहा है और पूर्णतया असंतुलित अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में असन्तोषजनक उत्पादन, बंगला देश, सूखा और कई अन्य बातें घाटे की अर्थ-व्यवस्था के कारण हुई हैं। गत वर्ष वित्त मंत्री ने 700 करोड़ रुपये से अधिक आँकड़ों का उल्लेख किया था। यदि 481 करोड़ रुपये में ओवरड्राफ्ट' का हिसाब लगाया जाता तो यह राशि लगभग 1,200 करोड़ रुपये हो जाती है। यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती तो अर्थ-व्यवस्था ठीक बनी रहती।

चौथी योजना में खाद्यान्नों के 1290 लाख टन के कुल उत्पादन की व्यवस्था थी परन्तु योजना के दौरान जो उत्पादन हुआ है उनसे खाद्यान्न की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता कम होती है।

वित्त मंत्री ने ठीक ही दावा किया है कि उन्होंने योजना परिव्यय में 23 प्रतिशत वृद्धि की है जो गत वर्ष कम से कम 500 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की वृद्धि से अधिक 345 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय में वृद्धि की गई है। अतः इस संदर्भ में जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत अधिक नहीं होता तब तक बजट सम्बन्धी यह बड़ा कार्य मुद्रास्फीति की संभावना को उत्पन्न करने का कारण बना रहेगा।

इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने इस घाटे की अर्थव्यवस्था को काफी उचित ढंग से कम करने के लिये कदम उठाये हैं। यदि वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये 150 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था करनी हुई तो भी गत वर्ष की 700 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की तुलना में इस वर्ष की घाटे की अर्थव्यवस्था 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

गेहूँ के उत्पादन में तो हमें सफलता प्राप्त हुई है परन्तु चावल के उत्पादन में भी हमें ऐसी ही सफलता प्राप्त करनी है। इसके लिये हमें वैज्ञानिक और तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करना होगा। हमें वर्षा से सिंचित क्षेत्रों और बारानी खेती के लिये तकनीक का आविष्कार करना है। मूल्यों में, विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्यों में इसलिये अत्याधिक वृद्धि हुई है कि मोटे खाद्यान्न उत्पादित करने वाले क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है।

विद्यमान क्षमता के उपयोग के कारण औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति हुई है। चौथी योजना में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस्पात, तेल और कुछ अन्य संकटपूर्ण क्षेत्रों में आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

वित्त मंत्री ने आत्म-निर्भरता को मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा है। पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण में भी आत्म-निर्भरता को मुख्य उद्देश्य के रूप में माना गया है। यह पूरी तरह आवश्यक है। ऐसा कहा गया है कि पाँचवीं योजना के अन्त तक 300 लाख टन तेल की आवश्यकता होगी।

इसका परिणाम क्या होगा ? 200 लाख टन या इससे अधिक का हमें आयात करना पड़ेगा। इस पर विदेशी मुद्रा भी खर्च होगी।

आत्म-निर्भरता को दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम, हमें निर्यात में वृद्धि करनी होगी। इस वर्ष निर्यात में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है परन्तु इसमें बंगला देश को किया गया निर्यात भी शामिल है नहीं तो यह वृद्धि 18 प्रतिशत ही रह जाती है।

आर्थिक समीक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति में अव्यवस्था के बारे में बताया गया है।

हमारे रुपये का डालर की तुलना में अधिक मूल्य हो गया है और पौंड के सम्बन्ध में हमारे रुपये का मूल्य कम हो गया है क्योंकि हमारे रुपये में डालर के अनुपात में परिवर्तन हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन यूरोपीय देशों और जापान को किये गये हमारे निर्यात का मूल्य अधिक लगाया गया है। अत: 'नेट' वृद्धि 18 प्रतिशत भी नहीं है।

जब तक हमारे निर्यात पर अनिश्चितताओं और बाहरी कारणों का प्रभाव पड़ता रहेगा जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तब तक आर्थिक आत्म-निर्भरता खतरे में रहेगी।

दूसरे, आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये हमें अपने इस्पात, तेल, अलौह धातुओं और उर्वरकों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करनी चाहिये।

पश्चिम के कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब तक किसी देश के पास 250 लाख टन इस्पात और 250 लाख टन तेल नहीं होता है तब तक वह विश्व की किसी बाहरी शक्ति के दबावों का सामना नहीं कर सकता। जब तक हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक विश्व की प्रत्येक शक्ति हम पर हमेशा दबाव डालती रहेगी।

मुझे आश्चर्य है कि इस्पात क्षेत्र में भी आज हमारी इस्पात की उत्पादन क्षमता 90 लाख टन की है। हमारा इस्पात का उत्पादन 50 लाख टन हो रहा है जो क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा दीर्घावधि लक्ष्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का है परन्तु आत्म-निर्भरता के ये मूल तत्व विद्यमान नहीं है। हमें अपने लक्ष्यों में सुधार करना चाहिये।

बचत के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। बचत और निवेश का अनुपात कम हो रहा है। यदि 17 प्रतिशत बचत हो और 18 या 19 प्रतिशत निवेश हो तो देश में बचत और निवेश के अनुपात की अच्छी दर हो सकती है। पांचवी योजना में 17 प्रतिशत बचत की व्यवस्था है। आज बचत 10 प्रतिशत होती है। हमने योजना की राशि लगभग दुगुनी कर दी है। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि वह पूर्णतया उत्पादन प्रधान होना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि बजट में ढांचा सम्बन्धी परिवर्तन किये जाएं।

आज हम कराधान के विशेष प्रकार पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। पाँचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र का प्रमुख स्थान रहा है परन्तु राष्ट्रीय राजकोष में इसका अंशदान अब तक नहीं के बराबर रहा है। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के कुल अंशदान में 19 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। सरकारी क्षेत्र के कार्य में सुधार करना नितान्त आवश्यक है। जितना निवेश किया जाता है उससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होना चाहिये। आज अधिकतर संसाधन करों से प्राप्त होते हैं। अधिकतर संसाधन सरकारी क्षेत्र द्वारा किये गये अंशदान और राष्ट्रीय बचत के अंशदान से प्राप्त होना चाहिये और बचत की सीमांत दर 35 प्रतिशत तक बढ़नी चाहिये। केन्द्रीय सरकार की बचत भी 35 प्रतिशत तक बढ़नी चाहिये। हमारी बजट सम्बन्धी नीतियां तो ठीक रही हैं परन्तु कार्य निष्पादन में कमी के कारण सारा संतुलन बिगड़ गया है। यह अच्छा है कि सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं जो फलदायक सिद्ध होंगे।

नौकरशाही के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक युक्तिसंगत प्रश्न यह है कि हम भूमि सम्बन्धी समस्या का किस प्रकार समाधान करने जा रहे हैं? योजना मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि 50 लाख एकड़ भूमि वितरण के लिये उपलब्ध की जायेगी। हमने एक नीति को ध्यानपूर्वक स्वीकार किया है कि हमारा देश छोटे-छोटे किसानों का और छोटे-छोटे फार्मों का देश होगा। इसके लिये उच्च-स्तरीय भूमि प्रशासन की आवश्यकता है।

यदि इस 50 लाख एकड़ भूमि का वितरण लाल-फीताशाही और नौकरशाही माध्यम से किया गया तो इससे भ्रष्टाचार के लिये बहुत बड़ी गुंजाइश पैदा हो जायेगी। अतः इस वितरण कार्य के लिये देश के नवयुवकों को लेना होगा। तभी जाकर अर्थव्यवस्था के आधे क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लिये आधार उत्पन्न किया जा सकता है। वर्ष 1966-67 में जब गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उस समय हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में विचार किया था परन्तु ज्यों ही अगले वर्ष अच्छी फसल हो गई, हम उस प्रणाली को भूल गये। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इस की प्रसन्नता है कि यह स्थायी नीति का प्रमुख अंग बन गई है और अगले महीने से खाद्यान्नों के लिये इस प्रणाली की शुरूआत की जा रही है। यह एक चुनौती है। कोई भी कुप्रबन्ध न केवल इस प्रणाली को नष्ट ही कर सकता है अपितु उससे व्यापक असंतोष भी फैल सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा असंतोष कभी भी न हो। हमें इस चुनौती का सामना करना है और इस कार्यक्रम में देश के नवयुवकों को सम्मिलित करना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : While presenting the budget, the Finance Minister has said that this Government is committed to achieve economic growth through social justice and self-reliance.

Certain difficulties such as the issue of Bangla Desh, influx of refugees have been mentioned in the budget. We have no objection if the Government thanks itself for the crisis faced by the country at that time.

Then, the drought situation in the country has been mentioned as a crisis in the budget. We all know that the drought situation is not an accidental feature. Unless the irrigation facilities are made available and floods conrolled in the country, the drought situation is bound to be there. Therefore, if references about the crisis are made in the name of drought in the budget proposals, the Government cannot be spared for this. But the question is how far the budgetary exercises are able to meet the drought situation or the spiral of prices ? Last year there was shortage of food-grains and it resulted in price-rise but is it not true that the projecteers and black-marketeers earned huge profits worth crores of rupees even at the time of crisis of Bangla Desh and drought situation ? Even then the Government did not punish them and even in this budget it gave protection to them instead. Therefore this budget cannot be called a faultless budget. The farmers could not get high prices for their produce and some wholesale traders are earning huge profits. The Government is mainly responsible for the high prices of wheat and other commodities. The profiteering has been encouraged by advancing loans to the traders by the nationalised banks. There businessmen have made a capital out of the loans taken by them from the nationalised banks for which the policy of the Government is responsible. It has been decided to take over the wholesale trade of wheat but the take over of the trade of rice has been postponed for a year but the talk of taking-over of the wholesale trade of rice has resulted in a crisis. The big rice-growers and wholesale traders has created an artificial scarcity as is apparent from the scarcity of rice in Andhra.

This budget has laid heaviest burden of indirect taxes on the common man. It is true to a certain extent that efforts have been made to exempt lowest section of the people from direct taxes but the provisions regarding indirect taxes have not spared any section of the people in the country. The incidence of indirect taxation have risen from 55.4 percent in 1950 51 to 80 percent in 1973-74. Heaviest burden of taxation on one side and exemption to capitalists on the other speak themselves of the capitalistic philosophy of the Government of India.

It has been said that the Government is creating a climate for increasing production. May I know whether only the capitalists are capable to increase the production ?

The fact is that they are exploiting the situation as they are monopolist manufacturers. They are not interested in production increase. They want to earn maximum profit out of minimum production. They do not want reducing prices by increasing production but want to earn more by increasing prices and lowering production.

The present budget does not make any menti n of preferential rate of interest for producers in the field of agriculture as well as industry. No incentive has been given to small enterepreneurs nor there was any indication towards the establishment of a real democratic system of production. This buuget is in a way an obstacle in achieving that goal.

The hon. Finance Minister has not taken any effective steps as regards increasing production, removing unemployment and rural upliftment. Labourers should be given land and loans on concessional rates for agriculture purposes so that unemployment may be removed and production be increased.

Certain rightists have infitrated into Congress fold for sabotaging from within. Therefore, the assurances given to the people in the last general election are not being fulfilled. We should look into it and try to get rid of such people who are stalling our march towards our commitments of socialism.

A provision should have been made in this budget to provide more agricultural law to the marginal farmers. In the absence of such a provision this budget will not help removing unemployment from the country.

All the irrigation projects, Rajasthan Canal, Gandale and Kosi projects, should be completed as soon as possible because lacking irrigation facilities results in production decline.

The major projects should be taken over by the Government and the money be paid from bank deposits. On one side banks deposits are lying unutilized and we are paying interest on these deposits and on the other side the country is facing a foodgrain crisis and importing wheat against its declared policy. The Government should pay a serious consideration to this.

Price rise is inevitable as a result of this budget. The abnormal price rise have resulted in widespread discontentment among the people. We have already seen the mass upsurge of the frustrations in Assam, Andhra and in Maharashtra also. The Government should take a serious note of it.

It is pity that those accused of boarding and blackmarketing are being protected. We should tackle such incidences with a firm hand. We are really interested to check boarding and profiteering.

We are very much concerned about foreign exchange. We have to pay a good amount as debt servicing charges. It is a heavy drain on the resources of the country. The Government should impose a moratorium on the charges at least for the next ten years. It will go a long way in stabilizing our economy. We have been adversly affected with dollar and pound's crisis. The hon. Minister has not said anything regarding the extent to which our economy has been affected as a result of this crisis of foreign currencies. The Government should also see that more and more trade should be done in rupees. This would serve the interests of the country.

I may call this budget, a capitalists budget. There will be a allround discontentment and rise in prices all over the country. With a view to express discontentment against the present policies of the Government and to see that the Government should stand to the commitment made to the common man during the last elections, persons from all parts of the country will come to Delhi during the next week. The Government should take a note of this serious situation.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसाकि आर्थिक समीक्षा से स्पष्ट है यह स्थिति सरकार ने भी स्वीकार की है। गत तीन वर्षों

में सरकार के राजस्व तथा पूंजीनिवेश में वृद्धि हुई है। वर्ष 1973-74 में वर्ष 1970-71 की तुलना में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लोगों ने सरकार को ऋण भी काफी दिये हैं। अतः सरकार के संसाधनों में काफी वृद्धि हुई है, इस बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता।

बजट से अर्थव्यवस्था का जो चित्र हमारे सामनेप्रस्तुत होता है वह निराशाजनक है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में कमी हुई है। कमी के उपरान्त भी कृषि उत्पादन केवल एक वर्ष को छोड़कर सर्वाधिक ही है। औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हुई है। मूल्यों में वृद्धि हो रही है और ऋण के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि में भी वृद्धि हो रही है। समग्ररूप से स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिस प्रकार बजट बनाया गया है उसमें 550 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। घाटे की अर्थव्यवस्था का मूल्यों पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। इस से सामान्य व्यक्ति पर बोझा पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई। बताया गया है कि इस वर्ष देश में सूखे की स्थिति रही है। सूखे की स्थिति से उत्पादन में अत्यधिक कमी नहीं हुई है, हां 1970-71 की तुलना में उत्पादन कम रहा है। यदि 10 वर्षों के आंकड़े देखे जायें तो उत्पादन अधिक ही ठहरता है। हमें मूल्यों पर नियंत्रण रखना चाहिये था। घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं कि हम मस्तिष्क में कितना भी अच्छा चित्र बनायें, भविष्य के लिए स्थिति अच्छी प्रतीत नहीं होती है।

लगभग प्रत्येक राज्य के बजट में घाटे की व्यवस्था सामने आयी है। यद्यपि राज्यों द्वारा निर्धारित से अधिक निकाली गई राशि को बट्टे खाते डाल दिया गया है तो भी घाटे की व्यवस्था विद्यमान है। राज्यों तथा केन्द्र दोनों के घाटे पर समग्र रूप से हमें विचार करना होगा। दोनों का घाटा इतना अधिक है कि मूल्य वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। हमने लोगों को आश्वासन दिया है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जायेगा। मूल्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाये। इसके लिये कुछ संरचनात्मक परिवर्तन अनिवार्य हैं। ऐसे परिवर्तन जब तक नहीं किये जाते कि सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें तब तक मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। यह एक चुनौती है जिसका हमें सामना करना है।

हम खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। क्या इसके उद्देश्य हमें विदित हैं? क्या हम इस विषय में गम्भीर हैं? क्या गोदामों में पड़ा खाद्यान्न भी सरकार अपने हाथ में लेगी, इससे क्या परिवर्तन होंगे और क्या इससे समस्या का वास्तविक हल निकल सकेगा? क्या वितरण प्रणाली में भी कोई रचनात्मक परिवर्तन किये जायेंगे जिससे सामान्य व्यक्ति को निश्चित मूल्य पर अनाज देने की गारन्टी दी जा सके?

एक बात स्पष्ट है कि मूल्य वृद्धि उत्पादन की कमी के कारण नहीं है। मूल्यों में वृद्धि इसलिये हो रही है कि स्वार्थ सिद्धि के लिये ऐसा किया जाता है। यदि आयोजन का कोई तात्पर्य है तो सामान्य व्यक्ति को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करायी जानी चाहियें। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में रचनात्मक परिवर्तनों के बारे में कहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस देश में क्या रचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं? ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। क्या रचनात्मक परिवर्तन अभी भी बहुत दूर नहीं हैं? क्या जिस कार्य के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वह पूरा हुआ है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि बैंक-ऋण किस पद्धति से दिये जाते हैं। इस बात का विश्लेषण करना होगा बैंकों से कि कितने ऋण किन-किन को दिये जा रहे हैं? सामान्य व्यक्ति तथा छोटे उद्यमियों को कितने ऋण दिये गये हैं। क्या बैंकों

के ऋणों से उद्योग स्थापित किये गये हैं ? यह मैं केवल जानकारी के लिये पूछ रहा हूं । इस प्रकार का विवेचन आवश्यक है।

बड़े बड़े पूंजीपति बैंक के निदेशक बनाये गये हैं । यदि हम बैंकों से सामान्य व्यक्ति को सुविधायें देना चाहते हैं तो बैंकों के ढाँचे में इसी प्रकार के परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं ।

काले धन का प्रश्न एक चुनौती के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है । सरकार के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति है फिर भी जिन लोगों के पास काला धन है वे हमें चिढ़ाते हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं । क्या इस समस्या के लिए कोई समाधान नहीं है ? गत वर्ष एक कानून पास किया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि पंजीकृत दस्तावेज पर कम मूल्य दिखा कर खरीदी गई सम्पत्ति को सरकार ले सकती है । मैं वित्त मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूँ कि अब ऐसे कितने व्यक्तियों से सम्पत्ति ली गई है ? क्या एक वर्ष में इस प्रकार की एक भी घटना नहीं हुई है ? सरकार द्वारा अपनी घोषित नीतियों के कार्यान्वियन के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए । जब कानून बन गया तब अधिकारियों द्वारा उसके अनुसरण में कार्यवाही की जानी चाहिये । अन्यथा ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । कानून तभी बनाया जाता है जब हम किसी बात के प्रति आश्वस्त होते हैं कि ऐसा हो रहा है । एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी ऐसे किसी मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

माल का संग्रह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है ? क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है ? आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम राज्य तथा केन्द्र दोनों पर लागू होता है । जहाँ हमें माल की जमाखोरी के मामलों का पता चलता है क्या वहाँ केन्द्र सरकार स्वयं ही कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है ? स्थिति यह है कि सामान्य व्यक्तियों एकाधिकारवादियों, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों से यातना सहन करनी पड़ती है । वह समाज विरोधी तत्वों से अपनी रक्षा के लिए हमारी ओर देखता है । हम अपनी सच्चाई इसी बात से प्रमाणित कर सकते हैं कि हम सामान्य व्यक्ति की रक्षा के लिए कार्यवाही करें अथवा कार्यवाही करने की इच्छा प्रदर्शित करें ।

बजट में जो धारणायें प्रदर्शित की गई हैं हमें उनके अनुसरण में अग्रसर होना चाहिये । बजट में जो व्यवस्थायें की गई हैं मैं उनके लिए वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं । विकास कार्यों में कमी नहीं की गई है । रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है । भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं को इस प्रकार कार्यक्रम दिया जाना चाहिये जिससे कि हमारे सम्मुख जो उद्देश्य हैं वे हमें उपलब्ध हो सकें । यहां भी सरकारी नीति तथा विभागों द्वारा इसे क्रियान्वित किये जाने में अन्तर पाया जाता है । नीति को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक है । भूमि सुधारों को कार्यक्रम देना आवश्यक है । वितरण की उचित प्रणाली अनिवार्य है ।

विलासता की वस्तुओं पर कर लगाने के लिए मैं वित्त मंत्री की सराहना करता हूं । अत्यधिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के अत्यधिक उत्पादन के हित में विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना आवश्यक है ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : हम देश के समाजिक तथा आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिये वचनबद्ध हैं । हमारे आर्थिक जीवन के दो उद्देश्य हैं—दरिद्रों की सेवा तथा आर्थिक स्वराज्य ।

वर्ष 1969-70 की तुलना में वर्ष 1971-72 में अनाज तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में कमी हुई है। अत्यावश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, चीनी, सूती कपड़ा की खपत में भी कमी हुई है।

{ **श्री के० एन० तिवारी** पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the chair* }

मैं वित्त मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं कि हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं अथवा अवन्नति की ओर। जब गरीबी हटाने की बात की जाती है तो वास्तव में भिक्षावृत्ति बढ़ती प्रतीत होती है। आर्थिक नीति, जिसका बहुत शोर-शराबा किया जाता है, का परिणाण आर्थिक गतिरोध तथा चहुमुखी भ्रष्टाचार उपलब्ध हुआ है।

भारतीय अपनी आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। आदर्शवाद एक विचारधारा के रूप में परिवर्तित हो गया है और इस विचारधारा के कारण समान्य व्यक्तियों को वस्तुयें खरीदने के लिए अधिक मूल्य देना पड़ता है।

राज्य एकाधिकार लोकतांत्रिक समाजवाद का सार है। दिन रात नौकरशाही को दोषी ठहराया जाता है जबकि सरकार स्वयं ऐसी ही नीति का अनुसरण कर रही है। इस विचारधारा ने गरीबी तथा बेरोजगारी पैदा की है। गत वर्ष मूल्यों में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। बजट में अतिरिक्त करों के लिये मार्ग खोजा गया है और उसमें नयी आर्थिक विचारधारा का अभाव है। बजट से कोई निदेश नहीं मिलता है तथा इसमें मुद्रा-स्फीति, जिसने गरीबों पर बहुत बोझ डाला है, रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है।

यह बजट पूर्णतया मुद्रा-स्फीति बढ़ाने वाला गरीब-विरोधी और जनता-विरोधी है। इस बजट में और कुछ नहीं है। बचत बढ़ाने अथवा आर्थिक और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने अथवा लाखों लोगों को रोजगार के अवसर देने और 22 करोड़ लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए इसमें कुछ नहीं किया गया हैं। वित्त मंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक घाटे की अर्थ व्यवस्था और अतिरिक्त कराधान रखे जा रहे हैं। यदि आप कराधान संबंधी आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि पिछले चार-पाँच वर्षों से कराधान में निरन्तर वृद्धि की जा रही है और इस प्रकार 1969-70 में 50 करोड़ रुपये, 1970-71 में 359 करोड़ रुपये, 1971-72 में 519 करोड़ रुपये और 1972-73 में 550 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया। अतः इन वर्षों में 1500 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थव्यवस्था रही।

राष्ट्र के संसाधनों को गैर-योजना और गैर-विकास संबंधी व्यय पर लगाते रहना सरकार की नीति है और वर्ष के अन्त में समाजवाद, विकास और रक्षा के नाम पर जितना धन हथिया सकती है, वह हथिया लेती है।

बजट आवंटन के अतिरिक्त पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने 1689 करोड़ रुपपे प्राप्त किए और मुझे लगता है कि यह धन किसी भी विकासीय योजना पर व्यय नहीं किया गया।

दूसरी ओर विकास दर कम होकर 1.5 प्रतिशत हो गई है। वर्तमान वित्त संबंधी नीति को बदल कर ही हम उच्चतर विकास दर प्राप्त करने का नया वातावरण पैदा कर सकते हैं। यदि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की आशा करते हैं, यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में वृद्धि

करनी है, यदि वह रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, तो प्रत्येक वर्ष देश पर कर लगाने की समूची प्रक्रिया की ओर अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था को बदलना होगा। बचत के लिए प्रोत्साहन, पुर्नानिवेश के लिए लाभ और अधिक राजस्व आर्थिक पुनर्जीवन के लिए बहुत आवश्यक है इस बजट के उपबन्धों द्वारा देश में फैली गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता।

1972-73 में केन्द्र राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को 710 करोड़ रुपये की आय हुई। और 1973-74 में 345 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आवंटन किया जाएगा यदि पांचवीं योजना में अग्रिम कार्यवाही हेतु इसमें से 150 करोड़ रुपया निकाल दिया जाए तो बिजली को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय आवंटन बहुत कम हो जाएगा। उदाहरणतः कृषि में 28 करोड़ रुपये उद्योग तथा खनिजों में 35 करोड़ रुपये; संचार तथा परिवहन में 36 करोड़ रुपये की कमी होगी सदन को यह कह कर गुमराह किया जा रहा है कि केन्द्रीय आवंटन 345 करोड़ होगा जो पिछले आवंटन से नौ प्रतिशत अधिक है वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि हमारा योजना परिव्यय बढ़ गया है। तथ्य यह है कि योजना परिव्यय कम हो गया है और इस वर्ष विकास दर 1.5 प्रतिशत है। अगले वर्ष विकास दर ऋणात्मक शून्य होगी।

सरकारी क्षेत्र के पक्ष में बहुत कुछ कहा गया है पर मैं यह जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक और निजी बचतों में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्य किया है। पिछले 20 वर्षों में सरकारी बचतें 1.5 प्रतिशत ही रही जबकि राजस्व में दस गुणा वृद्धि हुई है। निजी बचत तो करना ही कठिन है। सरकारी निवेश में भी कमी हुई है क्योंकि सरकार वर्तमान दर पर व्यय करती जा रही है। 1972-73 में चालू उपभोग पर किया गया 1000 करोड़ रुपये का व्यय इसी बात का स्पष्ट संकेत है। सरकारी उपक्रमों के संबंध में भी 1971-72 में 30 से 50 करोड़ रुपये का अधि-व्यय हुआ है।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद यह दावा किया कि कीमतों में 0.4 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी ऐसा दावा हास्यास्पद है क्योंकि बजट प्रस्तुत होने के एक सप्ताह बाद ही कीमतों में एक प्रतिशत वृद्धि हो गई। हमें यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि कीमतों में क्यों इतनी अधिक वृद्धि हो रही है।

वित्त मंत्री ने 85 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा है। वेतन आयोग के प्रतिवेदन से 135 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने की आशा है सरकार ने हमें थोक व्यापार के अनुमान के बारे में भी अभी तक नहीं बताया है। इसमें सरकार की 400 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वित्त मंत्री महोदय ने खाद्य संबंधी सहायता को ध्यान में नहीं रखा है। यदि इस खाद्य सहायता को ध्यान में रखा जाए तो चालू वर्ष की घाटे की अर्थव्यवस्था की राशि 85 करोड़ रुपये से भी बहुत अधिक होगी।

मेरे माननीय मित्र ने राज्य सरकारों का बजट दिखाया है। 11 राज्य सरकारों ने 245 करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है 1973-74 के दौरान मूल्यों में कम से कम वृद्धि 15 प्रतिशत तक होगी और इससे अर्थव्यवस्था तथा गरीब आदमी पर क्या असर पड़ेगा यह आप अच्छी तरह जानते हैं।

मैं आत्मनिर्भरता के संबंध में भी दो-चार शब्द कहना चाहता हूं अन्तर्राष्ट्रीय करंसी में अस्थिरता की स्थिति से भारतीय रुपये का अवमूल्यन पहले ही हो गया है। वित्त मंत्री भी ऋणात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें देश में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों की क्षमता के उपयोग

करने में रुचि नहीं है। इससे आर्थिक स्वराज्य कभी नहीं आएगा। केवल अपने निर्यात को बढ़ाकर ही देश में आर्थिक स्वराज्य की गारन्टी की जा सकती है जिसके लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। उन्हें निर्यात के लिए कुछ आर्थिक प्रोत्साहन अवश्य ही देने थे।

घाटे का बजट 377 करोड़ रुपये का बताया गया है हम इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे। घाटे की अर्थव्यवस्था अथवा कराधान का आश्रय लेने का कोई लाभ नहीं है। धन की अच्छी प्रकार व्यवस्था करके संसाधनों को जुटाया जाना चाहिए इस प्रकार हम भारी संसाधन जुटा सकते हैं जो निश्चित रूप से देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि औद्योगिक विकास और उससे होने वाली आय के बीच अनुपात क्या है यह 1 से 1.6 है। पिछले वर्ष औद्योगिक विकास दर 7 प्रतिशत बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप 1971-72 में कर की वसूली 3872 करोड़ से बढ़कर 4358 करोड़ हो गयी यह वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत है। यदि हमारी औद्योगिक विकास की दर 9 प्रतिशत हो जाये तो हमें 650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती हैं और 12 प्रतिशत विकास दर से हमें 800 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। अतः अधिक बचत करके निवेश करने और काम करने और अधिक धन अर्जित करने के लिए वास्तविक प्रोत्साहन देने हेतु अधिक प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार सरकार भारी संसाधन जुटा सकती है। यदि औद्योगिक विकास की दर 18-20 प्रतिशत प्राप्त कर ली जाए तो वित्त मंत्री को अतिरिक्त कराधान अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

यदि वित्त मंत्री चाहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो तो उन्हें निगमित संस्थाओं को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए।

(1) सरकारी और गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों पर समान रूप से 50 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। अतिकर जो कार्य क्षमता पर कर है हटाया जाना चाहिए।

(2) चूंकि सभी बंगला देश शरणार्थी करों को हटाया गया है तो निगमित कराधान पर लगाये गये अधिभार को भी, जो उनके साथ लगाये गये थे, हटाया जाना चाहिए।

(3) प्रस्तावित प्रारम्भिक अवमूल्यन भत्ते से बढ़ी हुई प्रति स्थापन लागत को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा अतिरिक्त अवमूल्यन के मार्ग ढूंढने होंगे जिसमें परिसम्पतियों की बढ़ी हुई प्रतिस्थापन लागत पूरी की जाएगी।

(4) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसका स्वागत है। तथापि विकास की सुविधाओं को बढाने के लिए विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की संख्या में करनी चाहिए।

यदि यह प्रोत्साहन दिए जाएंगे तो यह निश्चित है कि औद्योगिक विकास दर जरुर बढ़ेगी।

यह हर कोई जानता है कि भारत विश्व का देश है जहां कि अधिकतम कर लगाए हुए हैं करों की सीमान्त दर अतिकर को मिलाकर 97·75 प्रतिशत है। जैसाकि श्री बी० आइ० भगत ने कहा है कि बचत की अल्प दर ही हमारी आर्थिक स्थिरता का वास्तविक कारण है। अत: वित्त मंत्री को सभी प्रोत्साहन देने चाहिए जिससे बचत 15 प्रतिशत से अधिक हो, कम न हो। बचतों को बढ़ाने हेतु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ :

(1) जो बचतें बैंक जमा खातों औद्योगिक प्रतिभूतियों, निर्धारित परिसम्पतियां आदि वित्तीय उत्पादक परिसम्पतियों में सीधी होती है उन्हें उसी आधार पर लिया जाना चाहिए जो भविष्य निधि और जीवन बीमा में की जाती है;

(2) वांचू समिति ने कराधान के अधिकतम सीमांत दर का जो सुझाव दिया था उसे कम कर 75 प्रतिशत कर देना चाहिए;

(3) आय वाली परिसम्पतियों पर जो धन कर होता है उसकी उनसे होने वाली आय में कटौती करनी चाहिए ;

(4) कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर देना चाहिए ।

यदि सरकारी क्षेत्र की निर्धारित क्षमता का उपयोग 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी जाये तो सरकार की आय 500 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी ।

यदि बांचू समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएं तो वित्त मंत्री को घाटा पूरा करने के लिए 1400 करोड़ रुपये प्राप्त हो जाएगे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल नारों से काम नहीं चलेगा राष्ट्र और जन-साधारण आगे बढ़ने के लिए कृतसंकल्प हैं । गरीबों में दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन के लिए इच्छा पैदा हुई है किन्तु आर्थिक नीतियां उसे उठने नहीं देतीं । राष्ट्र को तीव्र गति से बढ़ना चाहिए । विकास दर को पहले की अपेक्षा अधिक करना चाहिए । यही नए भारत के निर्माण में सामरिक महत्व की होगी ।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : सभापति महोदय इस बजट के वास्तविक मूल्यांकन हेतु मैं आपका ध्यान वर्ष 1967 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं 1967 से भी दो वर्ष पूर्व हमे युद्ध का सामना करना पड़ा और इस वर्ष से भी दो वर्ष पूर्व हमने युद्ध की विभषिका देखी । 1967 से पहले दो बार सूखा पड़ा और 1973 से भी पहले दो बार सूखा पड़ा इसी प्रकार 1967 में भी हमें बड़े घाटे के बजट का तथा मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा और आज भी हमें इन दोनों का सामना करना पड़ रहा है । दो समान परिस्थितियों में क्या हुआ तब भी वित्त मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने उत्पादक उद्देश्यों में निवेश करने से इन्कार कर दिया और आज भी वित्त मंत्री ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि 1973-74 में अर्थव्यवस्था के समक्ष बडा काम उत्पादक कार्यों में निवेश बढ़ाना है । 1967 और 1973 के बीच एक मुख्य अन्तर है । तब हमने एक मोर्चे पर युद्ध लड़ा जबकि 1971 में हमने दो मोर्चों पर युद्ध का सामना किया । हमारे पर शरणार्थियों का भी भार आ पडा । अकाल राहत कार्य भी 1967 के मुकाबले बड़े पैमाने पर किये गये । इस हिसाब से मुद्रास्फीति और घाटे का बजट कहीं अधिक होता, यदि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण न कर देते । वर्ष 1972 में बैंको द्वारा गैर सरकारी क्षेत्रों को केवल 4?0 करोड़ रुपये दिये गये जबकि 1966 में 700 करोड़ रुपये की राशि दी गई । सरकार को दिए जाने वाली राशि में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है । 1967 में सरकार को कुछ नहीं दिया गया जबकि 1970 में 180 करोड़ 1971 में 300 करोड़ 1972 में 500 करोड़ रुपये दिए गए । इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकार को कुल 980 करोड़ रुपये दिये ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशि भी बढ़ रही है 1970 में इसमें 15 प्रतिशत की तथा 1971 में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए इन बातों को अपनाने को कहा है, मांग सम्बन्धी प्रबन्ध की दृढ़ता अधिक उत्पादन बेहतर वितरण व्यवस्था, बचतों और निदेश की दर में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी, रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि, आय और उपयोग की असमानताओं मे कमी और जनता भी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति । वित्त मंत्री ने जो छ: सूत्री नीति अपनाई है वह बहुत ठोस और वैज्ञानिक है ।

पिछले वर्ष योजना में 4011 करोड़ रुपये का निवेश किया गया । इस वर्ष यह राशि

4,356 करोड़ रुपए है जो योजना में परिव्यय में 8 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। यह वृद्धि तो बढ़ती हुई कीमतों से नगण्य हो जाएगी। उत्पादक कार्यों के लिए बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है।

1968-69 में सबसे बड़े 209 उद्योगपतियों का लाभ कुल 45 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष उन्हें 97 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जिसका अर्थ है उन्होंने दुगना लाभ कमाया 1968-69 में भारत में निजी विदेशी कम्पनियों ने 33.2 करोड़ रुपये 1969-70 में 39.9 करोड़ रुपए और 1970-71 में 52 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। 1968-69 में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल निवेश 96.4 करोड़ रुपये 1970-71 में 86.7 करोड़ रुपये हुआ और 1971-72 में घटकर यह केवल 77.7 करोड़ रुपये ही रह गया।

गत वर्ष सरकारी क्षेत्र में रोजगार 5.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर सरकारी उद्योगों ने कोई रोजगार प्रदान नहीं किया और न ही उन्होंने कोई निवेश किया है।

वित्त मंत्री ने गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ रियायतें दी हैं। 20 प्रतिशत अवमूल्यन भत्ता दिया जा रहा है अनुसंधान और विकास के लिए, विदेशी व्यापार के लिए मंडियों को खोजने के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए भी रियायते दी गई हैं। इन सब रियायतों पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्चा पड़ेगा जबकि इनसे केवल 11 करोड़ रुपये की आय होगी पर यह तो विदित ही है कि हमारे देश में गैर सरकारी क्षेत्र इन वर्षों में किसी भी प्रकार का विकास अथवा अनुसंधान कार्य करने में पूर्णतया असफल रहा है यह लगभग सुनिश्चित ही है कि वे इस रियायत का दुरुपयोग करेंगे।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, लाभ में 20 प्रतिशत की रियायत से बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों को एक प्रकार का प्रतिशत मिलेगा। यदि हम चाहते हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो और वह भी विशेषकर सीमावर्ती तथा पर्वतीय जिलों में तो फिर वित्त मंत्री को 25 लाख तक के निवेश वाले छोटे उद्योगों पर से 10 वर्ष के लिए उत्पादक शुल्क हटा देना चाहिए। इससे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा।

पिछले वर्ष श्री चव्हाण ने कहा था कि संयंत्रों और मशीनरी पर दी जाने वाली रियायत इस वर्ष 31 मार्च को हटा ली जाएगी पर उन्होने इसका पालन नहीं किया। विकास रियायत से गैर सरकारी क्षेत्र में कोई खास निवेश नहीं होता। अत: यह रियायत हटा दी जानी चाहिए।

कुछ जानकार प्राधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि हिन्दू अविभाजित परिवारों की आड़ लेकर लगभग 200 करोड़ रुपए का करापवंचन होगा। किन्तु वित्त मंत्री के प्रस्ताव से केवल 7.5 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि सम्पति कर को समुचित ढंग से वसूल करके 300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु इस समय यह केवल 43 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय स्तर पर कृषि आय को ऐसी आय में, जिस पर कर लगा है, जोड़ने से अधिक लाभ नहीं होगा। वित्त मंत्री को दृढ़ निर्णय करके यह घोषणा करनी चाहिए कि कर लगाने के प्रयोजन से कृषि से होने वाली समूची आय का निर्धारण किसी भी अन्य आय की तरह किया जाएगा। वित्त मंत्री महोदय को राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत करके यह सुनिश्चित करना

चाहिए कि ग्राम्य क्षेत्रों से आय और संसाधन जुटाने के लिये राज समिति की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाए।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है इनका स्वागत है। यदि इनका प्रयोजन केवल राजस्व को बढ़ाना है तो इससे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, जिसके लिए हमारे आयोजकों ने योजना दृष्टिकोण-पत्र को तैयार किया है यदि इसका प्रयोजन उपभोग का पुन: वितरण करना है तो इस संबंध में वित्त मंत्री कोई दृढ़ निश्चय नहीं बना पाए हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र में एच० एम० टी ने 4 करोड़ रुपये का विनियोजन किया है इस कारखाने में सचालित घड़ियां बनाई जाएंगी और प्रत्येक का मूल्य 400 रुपये होगा बम्बई पूना टेलिविजन उद्योग-समूह में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है और उसका वार्षिक खर्च 50 करोड़ रुपये है संशिलस्ट धागों के उत्पादन पर 400 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है और 75 बड़े होटल निर्माणाधीन है जिन पर 750 करोड़ रुपया व्यय होगा। इसी प्रकार जम्बा जेट, हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण प्रसाधन सामग्री मदिरा आदि विलासिता की वस्तुओं पर 300 करोड़ के लगभग निदेश होगा। यदि उपयोग का पुन: वितरण किया जाता है तो विलासिता की वस्तुओं को केवल निर्यात करने और देश के भीतर इनका उपभोग अनिवार्य रूप से पूरी तरह समाप्त करने के लिये एक साहसपूर्ण और दृढ़ निर्णय करना होगा।

उदाहरण के लिए रक्षा व्यय 1600 करोड़ रुपये का है। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए जो हमारी रक्षा तैयारी को प्रभावित किए बिना कम से कम 10 प्रतिशत मितव्ययिता लाने के लिए मार्गोपायों का सुझाव दें।

इस वर्ष 220 करोड़ रूपये का नियतन अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया है। इस 220 करोड़ रुपये में से राजस्थान के लिए 2 करोड़ रूपये रखा गया है ताकि राजस्थान के लोग यह न समझें कि राजस्थान के साथ भेद-भाव किया गया है।

डा० महिपत राय मेहता (कच्छ) : सभापति महोदय, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि स्वतन्त्रता के उपरान्त के वर्षों में से वर्ष 1972 सबसे अधिक खराब रहा वित्त मंत्री ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, परन्तु मैं इस बजट से कुछ अधिक अपेक्षा कर रहा था तभी इसे समाजवादी बजट की संज्ञा दी जा सकती थी।

यह तो सर्वविदित है कि हमारे देश की 50 प्रतिशत जनता विशेषकर ग्रामीण जनता गरीबी स्तर पर जीवन यापन करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की 38 प्रतिशत जनता तथा शहरी क्षेत्रों की 34 प्रतिशत जनता 1961 में तथाकथित गरीबी स्तर से बहुत कम स्तर पर जीवन यापन करती है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि राष्ट्रीय आय में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि 10 करोड़ लोग या बेरोजगार हैं या उन्हें नियमित रोजगार नही मिला है। रोजगार केन्द्रों में 50 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं जिनमें से 25 प्रतिशत शिक्षित है जिनमें स्नातक एवं इंजीनियर भी सम्मिलित हैं।

केवल बेरोजगारी की समस्या ही नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें रहने को स्थान नहीं। बम्बई में लगभग 20 लाख लोग, कलकत्ता में 15 लाख लोग मद्रास में लगभग 7 लाख लोग, और दिल्ली में 10 लाख लोग गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। भारत में 40,000 व्यक्ति अपना रक्त बेचकर जीवन यापन करते हैं। 1971 में भिखारियों की संख्या 10 लाख से अधिक थी स्वतंत्रता प्राप्ति

के 25 वर्ष बाद और योजना के 20 वर्ष बाद भी वर्तमान भारत की यह तस्वीर है। बजट में जिन उपायों का प्रस्ताव रखा गया है उनसे गरीबी या बेरोजगारी का समाधान नहीं होगा। यही कारण है कि मैं इसे समाजवादी बजट नहीं कहता। इस बजट में निगमित क्षेत्र से एक व्यक्ति को नहीं छुआ गया। इसमें गरीबों को कम निवेश करके अधिक व्यय कमाने के अवसर दिए गए है।

हम पिछले 25 वर्षों से मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपना रहे है और इसके परिणाम-स्वरूप भारत की यह दशा है। यह नीतिहमारी कहीं सहायता नहीं करेगी हम इस नीति द्वारा शोषक वर्ग और शोषित दल दोनों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न कर रहे हैं अतः प्रश्न यह है कि क्या हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देना चाहिए।

राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक सार्वजनिक विज्ञान है। इसके नियम निश्चित हैं। कांग्रेस दल को भूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है और इसका श्रेय जनता को है। हमारी यह इच्छा है कि जिस प्रकार इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करी है उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी करे और ऐसा हो सकता है यदि इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

काले धन ने समूचे देश की वित्तीय व्यवस्था पर वास्तव में नियंत्रण कर रखा हैं। किन्तु अभी तक एक भी मामला पकड़ा नहीं गया राज समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हिन्दु अविभाजित परिवारों को छूट देने और कृषि तथा गैर कृषि आय पर कर लगाने के सिवाय इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे काले धन पर नियंत्रण किया जा सके। विमुदीकरण के बारे में काफी कुछ कहा गया है किन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

भारत में हमने आंशिक रूप से नियंत्रण अपनाया जिसका परिणाम हुआ अव्यवस्था। यदि सोने को जनता के बीच परिचालन से वापस ले लिया जाये तो उसके मूल्य गिर जायेंगे और उस की तस्करी भी समाप्त हो जायेगी।

कहा गया है कि 85 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मूल्य में स्थिरता बनी रहेगी। परन्तु वेतन आयोग की रिपोर्ट के पश्चात उसमें तीन गुणा वृद्धि होगी।

राजस्थान और कटटक इलाके लिए नर्मदा के सिवा कोई आशा नहीं है। इस समय नर्मदा का बहुत सा जल बेकार जाता है। इस समुचित उपयोग से हम वर्ष में 2500 रुपये का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गुजरात में पेय जल के लिए 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता आँकी गयी थी। परन्तु केवल 0.5 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

इस अभाव की पूर्ति शेष देश को मिलकर करनी चाहिए। श्रमिक कठिन परिश्रम करते हैं परन्तु फिर भी उन्हें अपना खाना जुटा पाना कठिन हो रहा है और कुछ समय बाद पोषाहार के अभाव में उन्हें मौत का सहाकार भी होना पड़ सकता है। गुजरात के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। डीजल तेल तथा ईंधन के मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किये गये हैं। गैस पर रायल्टी देने का प्रधान मंत्री का पंचाट अभी तक लागू नहीं किया गया है। वहाँ बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जाना है। क्या गुजरात के शान्ति प्रिय लोगों का हिंसा का मार्ग अपनाने पर विवश किया जाएगा। प्रश्न पैसे का नहीं अपितु वहां के लिये आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का है, जैसे पानी और बिजली, जिससे कि विकास कार्य सम्भव हो सके। गांधीधाम से भुज तक छोटी सी रेल लाइन भी अभी तक नहीं बन पायी है। इसी प्रकार यदि गाँधीधाम से

लखपत तक रेल लाइन दे दी जाये तो नमक का उत्पादन दो गुणा हो सकता है तथा यूरेनियम, बाक्साइट, लिगनाइट आदि खनिज निकाले जा सकते है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : यह बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा मात्र नहीं है अपितु समाजवादी आधार पर तैयार किया गया राष्ट्र निर्माण का बजट है। विरोधी पक्षों ने विभिन्न आधार पर बजट की आलोचना की है और एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि यदि उनकी कही गयी सभी बातों का एकत्र किया जाये तो भारत का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगी।

पाकिस्तान के साथ युद्ध में विजय तथा 1972 के सूखे की स्थिति का मुकाबिला कर पाना देश की दृढ़ आर्थिक स्थिति का प्रमाण है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार कृषि है। यदि हमारी जनता को दो समय का भोजन, तन ढकने को वस्त्र तथा मकान मिल जाये तो हम देश में निश्चय ही एक सुदृढ़ आर्थिक समृद्धि का सूत्रपात कर सकते हैं।

कृषकों को सिंचाई की सुविधाएं अच्छे बीच और उर्वरकों के उपलब्ध न किये जाने के कारण ही हम कृषि कार्यों में विफल रहे हैं। यदि हम अपनी योजना बनाने में सावधान रहते तो हर पाँच वर्ष बाद वर्षा के अभाव से होने वाले सूखे से बच सकते थे। केन्द्र राज्यों को सिंचाई सुविधाओं के लिये भारी रकमें देता है। परन्तु मतैक्य के अभाव में राज्य कार्य नही कर पाते। यदि यही हाल रहा तो आगे की योजनाओं द्वारा भी हम इस समस्या का समाधान नही कर पायेंगे।

भारतीय खाद्य निगम अनाज बहुत कम मूल्यों पर खरीदता है। यह कहना कि किसान प्रति एकड़ 6000 रुपए प्रति वर्ष कमातें है, गलत है। आप कोई ऐसा काम न करें जिससे निजी क्षेत्र भयभीत हो। उनका हित भी अधिक उत्पादन में है। यदि उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तो उत्पादन स्रोतों के राष्ट्रीय कर देने मात्र से कार्य नहीं बनेगा। एक वर्ष पूर्व कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था और अब कोयला बाजार में नहीं मिल रहा। देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। मिठाई की कोई दुकान बन्द नहीं हुई। सभी रेस्टोरेंट वैसे ही चल रहे हैं। परन्तु गांव के किसानों को यह उपलब्ध नहीं है।

गेहूं और चावल के स्टाक उपलब्ध है। उन्हें क्यों नहीं अधिकार में ले लिया जाता। देश में चारों और हड़तालों का बोलबाला है। लोगों में यह भावना घर कर गयी है कि जब तक सम्पत्ति को जलाया या नष्ट किया नहीं जायेगा तब तक सरकार काम नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि सरकार की नीति दृढ़ हो और उचित बात पर वह सदा ध्यान दे। परन्तु आज हालत यह है कि जब स्थिति बिगड़ जाती है और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है तभी सुनवाई होती है।

हमारे लिये 'गरीबी हटाओ' नारा मात्र नहीं है। यह जनता को दिया गया वचन है जो पूरा करना है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की चेष्टा की गई है। पूंजी लगाने वालों को सुविधाएं दी गई है। शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपबन्ध किया गया है। यद्यपि बहुत कुछ किया जाना शेष है परन्तु यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, गलत है। यदि सरकार ने वृहत पैमाने पर सामायिक कार्यव ही न की होती तो शायद आज सड़कें लाशों से पटी होती।

चीनी उद्योग का बहुत पहले राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए था। हम एकाधिकारों की समाप्ति तथा उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं उसके लिए नौकरशाही में परिवर्तन लाना होगा उसकी मनोवृत्ति बदलनी होगी।

Shri G. C. Dixit (Khandwa) : I cannot but praise the wisdem of the Finance Minister in framing this Budget. It is clear that our economy is in a state of crisis and the Finance Minister had no option expect what he has done. There is no alternative before the country except speaker capital investment and for that purpose, higher taxation is inevitable of budget has to take into account the state of the nation as well as the international situation and lay down the future course of action.

The social or economic position of a country depends on its capacity of production. The capacity to produce in this country depends, upon the state of it economy. From 1801 to 1901, there were as many as 31 famines in this country in which 4 crores of people died. But today, in face of serious drought, we have fed the people by purchasing wheat even at the rate of Rs. 100/- per maund.

In Madhya Pradesh, only 8% land is irrigated. Wheat in 84 thousand acres and gram in 93 thousand acres was grown in unirrigated area.

They entirely depend upon the monsoons. Besides, there is lack of means or transport due to which the mineral resources of the state cannot be explorated: The regious inhabited by Adivasis are also without means of transport, particularly Bastar. Chattargarh can become the flasgow of India if pr per attention is paid and a but not a drop to irrigate Madhya Pradesh.

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : हर वर्ष करों के भार में वृद्धि कर दी जाती है। केन्द्र राज्यों तथा स्थानीय निकायों के करों के भार से आम जनता दब रही है।

करों के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और कर्मचारी अधिक वेतन की माँग करने लगते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाये गये वेतन भत्तों का प्रभाव राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ता है तथा वे भी अधिक वेतन की मांग करते हैं। परन्तु केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को इस दिशा में कोई सहायता नहीं दी जाती। केन्द्र का यह कर्तव्य हो जाता है कि इस अतिरिक्त खर्चे में उनकी वित्तीय सहायता करे।

केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि राज्यों के लिए काम चलाना कठिन हो रहा है। मेरे राज्य में तो यह हाल है कि राज्य की समस्त आय कर्मचारियों के वेतन में ही समाप्त हो जाती है। हमें आयकर से अधिक भाग मिलना चाहिए।

हमारी रोजगार की योजनाएं प्रभावशाली नहीं रही हैं। ये केन्द्र द्वारा तैयार की जाती है और राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती। इनको राज्यों पर जबरन लादने की अपेक्षा यह अच्छा होगा कि केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में राज्यों को एक मुश्त राशि दे दी जाये।

सरकार के मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयत्न विफल रहे हैं और कर का भार आम व्यक्ति पर पड़ता है।

मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु पूरा प्रबंध कर लेने के पश्चात् ही राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। अन्यथा कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप मूल्य और अधिक बढ़ जाते हैं।

मैं अनाज के थोक व्यापार का सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने के विरुद्ध नहीं हूँ पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस कार्य के लिए क्षमता है? इस बात की क्या गारंटी है कि इस के बाद मूल्य और भी नहीं बढ़ जाएगें।

पिछड़े क्षेत्रों को मान्यता देने के लिए कुछ माप दण्ड बनाए गए हैं। परन्तु उन क्षेत्रों को कोई सहायता नहीं दी जाती है और वहाँ के लिए बनाई गई योजनाएं क्रियान्वित नहीं की जातीं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में हाल में जो सम्मेलन हुआ था उसका प्रयोजन मुस्लिम सम्प्रदाय की इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भावनाओं को व्यक्त करना था। केवल मुस्लिम लीग ही नही, अन्य राजनीतिक दलों के भी इस बारे में दृढ़ विचार हैं। मुझे खेद है कि श्री झा ने इस प्रकार कि बातें कही कि किस पार्टी के साथ हमें मिलना चाहिए और किसके साथ नहीं। जब इन बातों की चर्चा वह सदन मे करें तो उन्हें केवल तथ्य भी कहने चाहिए।

Dr. Kailas (Bombay-South) : I have read the budget proposal with great attention and I feel that this budget will bring about progress and social justice. The Minister of social finance has enumerated the difficulties that erupted before the country during the years 1971 and 1972 and he has outlined the measures being taken to improve the situation. The main causes of rise in prices were the burden of refugees from Bangladesh and drought.

It is a matter of satisfaction that our experty have risen by 23% during the last year. If this trend of higher exports continues, we may no larger need imports of steel, oils and fertilisers and our economic position will be strengthened.

It is necessary that we should increase our growth rate upto 5.5 per cent. For that we will have to increase the production of goods, strengthen the distribution system, avoid wastage and at the same time increase the number of medium and small scale industries so that more employment opportunities are created and the gap between the rich and the poor is narrowed down.

During the fifth plan period we have to provide houses, education, medical facilities and cloth to more and more people. That means that our national income must increase. Since agriculture is our biggest industry, we will have to increase our national income through greater attention on agriculture. A sum of Rs. 150 crores has been ear-marked for small irrigation works but it is necessary see that this amount is utilised. An increase in agricultural production would stabilise the prices. If our dependence on rains is reduced greater agricultural production can be ensured.

Similarly, if these is proper utilisation of Rs. 100 crores ear-marked for better-seeds, fertilisers and insecticides, the process of fresh Revolution can be revived.

If we are to achieve Social Justice, we should try to provide housing facilities to Girjans and Harijans. The State Governments should try to utilize funds as soon as they are sanctioned by the centre.

As regards black money and tax evasion the hon. Minister has agreed in his budget speech that they are going to accept the suggestions made by Dr. K. N. Raj and Justice Wanchoo.

(श्री इरा सेझियान पीठासीन हुए
Shri Era Sejhiyan *in the Chair*)

But we find that the suggestions have not been implemented in the budget proposals. Rate of taxation has been increased. I would like to request that this increase will not help in unearthing black money and tax evasion. If we accept the recommendations of Wanchoo Committee we can certainly arrest the increase in black money. Increasing the rate of taxation tentamounts to manipulations in the accounts by the bussinessment. We should be vigilent about its practical aspect. The Government should look into it and take action accordingly.

The proposals made in the budget regarding Hindi undivided families have hit those families hard. The Government should look intect and provide marginal relief in the rate of taxation.

The proposals regarding broad-based public companies and closely held public companies deserve appreciation since the policy fixed regarding investment will amount to a boost in trade and economy.

It is good that the limit of examption in the provident fund and insurance has been raised to Rs. 2000. It could have been better if the limit would have been raised upto Rs. 5000. If we want to encourage savings we should do it.

Sir, I am closely associated with sports. The provision regarding exemption of donations to Sports Associations equivalent to Medical relief societies and recognised trusts will encourage sports activities in the country. It will indirectly help character building of the youths of the country.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वित्त मंत्री ने समाजवादी बजट पेश करने का सच्चा प्रयास किया है। हमें ऐसे ही बजट की आशा थी। हमारे देश में राज्य और केन्द्र दोनों ही घाटे का बजट बनाते हैं। इस वर्ष 255 करोड़ रुपये का घाटा है। 252 करोड़ रुपये राज्य का घाटा है। यदि वेतन आयोग की 115 करोड़ रुपये की राशि भी इसमें जोड़ दी जाये तो घाटे की कुल राशि 800 करोड़ रुपये हो जाती है। प्रश्न यह है कि सरकार वित्तीय संसाधन किस प्रकार बढ़ायेगी।

देश में राजनैतिक, आर्थिक सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। हमने लोगों को गरीबी हटाने का आश्वासन दिया है। 25 वर्षों में देश में जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए बहुत सी विकास योजनायें बनाई गई हैं। अनेकों राज्यों के लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे के स्तर का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के दैवी प्रकोप बहुत बड़ी रुकावट लाते हैं। यद्यपि हमने सफल योजनायें बनाई है तो भी हम संसाधनों को नहीं बढ़ा सके हैं। हमारा देश खनिज सम्पदाओं से परिपूर्ण है। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इन सम्पदाओं का पता लगाने में सफल हुये हैं ?

आधे से अधिक देश में अकाल की स्थिति है। पीने के लिये पानी तक उपलब्ध नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि हम पूंजी अर्थव्यवस्था लागू करें अथवा समाजवादी। 25 वर्षों के दौरान हमने दोनों प्रकार की मिली-जुली व्यवस्था बनाय रखी है। जिसके अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। जो हमारे 'गरीबी हटाओ' सिद्धान्त की आलोचना करते हैं वे मिली-जुली अर्थव्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं। देश की पूंजी का बहुत बड़ा भाग प्रतिक्रियावादियों के हाथ में है जिनका बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन पर एकाधिकार है। इस पर भी वे कहते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है। जब हम इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण मूल्य वृद्धि रोकने का उपाय नहीं है। जब हम प्रगतिवादी विचारधारा सामने रखते हैं तो प्रतिक्रियावादी उनका विरोध करते हैं। लाखों लोगों को युक्तिसंगत मूल्य पर अनाज उपलब्ध नहीं होता। अनाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात की जाती है तो उसका विरोध किया जाता है। अनाज के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण अवश्य किया जाना चाहिये।

हमारी योजनायें तथा हमारा बजट रोजगारोन्मुख हैं। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना है। इसके लिये हमें आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। बड़े व्यापार गृह देश के आर्थिक विकास में बाधक हैं। विकास तभी संभव है पंजीनिवेश से उत्पादन वृद्धि हो। निजी क्षेत्र इस प्रकार पूंजीनिवेश करने के लिए तत्पर नहीं है।

हम अपने संसाधन किस प्रकार बना सकते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी सम्पदा उपलब्ध है। मन्दिरों में केवल दक्षिण भारत में ही, 500 करोड़ रुपये की सम्पदा एकत्र पड़ी है। इस सम्पदा

का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता ? काले धन को खोज कर उसे भी उपयोग में लाया जा सकता है। काले धन की राशि कई करोड़ रुपये की राशि है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाये हुये है। धार्मिक संस्थानों की सम्पदा का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

सरकारी उपक्रमों से आशानुकूल परिव्यय प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ? राष्ट्रीयकरण के अधूरे प्रयासों में सफलता क्यों नहीं मिली है ? सरकारी उपक्रमों में पूंजीपतियों ने तकनीकी ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को इस प्रकार से तैयार किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था पंगु हो जाये।

हमारे सामने बहुत से कार्यक्रम हैं। कृषि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। यदि सिचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया होता तो सूखे की स्थिति इतनी भयंकर नहीं होता। मैसूर राज्य की सिचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ताकि वहां अनाज की समस्या तथा लोगों की अन्य कठिनाईयाँ दूर की जा सकें।

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : The country is passing through a vary difficult situation for the last ten months. Influx of refugees, country's contribution to the freedom struggle of Bangla Desh. Drought situation in the country have put a great strain on our economy. In this back ground one should try to evaluate the present Budget.

There is a provision of Rs. 1600 crores for defence in this Budget. It is a large amount for a country who is to solve the problems of poverty, who is to provide its people their bread and butter, housing facilities and employment. But, first of all, we are to protect ourselves, therefore, no amount is big for this purpose. Despite this, the Government should try to check unnecessary expenditure in our defence forces.

I remember that in the budget for the year 1962-63 an amount of Rs. 350 crores was provided for Defence. Now this amount has increased to Rs. 1600 crores to face foreign aggressions. In view of the various problems emerged during past years I support this increase. But my main point is that Government should exercise economy wherever possible without affecting our capacity.

It is an admitted fact that efforts have been made to set-up more industries in the country. Industrial production has also increased. But it is also a fact that industrialisation has resulted in increased regional imbalances. Industries have been set-up in those area which were already full of industries and factories. I suggest, therefore, that Government should see that backward areas are provided with industries and other facilities are also provided there. It is necessary for the Government to construct infra structure, roads, railway lines etc. for taking up industrialism in the backward areas.

Our's is an agriculture oriented country yet we have to face shortage of foodgrains in various parts of country. Even after spending heavy amount on the construction of various claims and water reservoir, percentage of irrigated land in our country is only 24. I suggest that concrete steps should be taken by the Government to provide farmers with more and more irrigation facilities in order to increase agricultural production. There is shortage of oil seeds and other cereals in the country and Government should take steps to increase the production of these items.

Government should also be more attentive to the dry farming. They should take positive steps to improve the methods of dry-farming to solve the problem of shortage of foodgrains. We should not be dependent on rains now.

With the price-rise discontentment is spreading widely in the country. But price rise should not mainly be attributed to storage of foodgrains. It is the creation of big traders and profiteers who exploit both producers and the consumers.

I congratulate the Government for their steps to take over whole sale trade in wheat. I would like to suggest that Government should also take steps to take over the

wholesale trade in all commodities of common use so that they may be available to the people at fair prices.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझा) : श्रीमन, वर्तमान बजट में सामान्य जनता की आवश्यकताओं तथा समाजवादी कार्यक्रमों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। इस में एक आर देश के विकास के लिये अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है तथा दूसरी ओर विभिन्न ससाधनों से धनराशि जुटाने की व्यवस्था भी इस में की गई है। देश में वास्तविक समाजवाद लाने के लिये तथा गरीब जनता का स्तर बढ़ाने के लिये ये उपाय अनिवार्य हैं।

खेद की बात है कि अभी तक हमारी प्रशासन प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है। प्रशासन अब भी नौकरशाहों के हाथ में है जो उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे अंग्रेजी राज्य में होता था। अंग्रेजों के शासनकाल में साक्षरता की प्रतिशतता 5 थी जो अब बढ़ कर केवल 29.34 हो गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में साक्षरता केवल 10 और 8 प्रतिशत है। नियुक्तियों के सम्बन्ध में उनकी प्रतिशतता क्रमश: 1.29 और 0.29 है। इस प्रकार पिछड़े वर्गों का उत्थान कैसे सम्भव है ?'

प्रधान मंत्री ने इस बार अनुसूचित जनजातियों से दो उपमंत्री नियुक्त किये हैं तथा अनुसूचित जाति से एक मंत्री नियुक्त किया है। इस कार्य के लिये मैं उनकी सराहना करता हूँ। सरकार में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर पिछड़े वर्ग आन्दोलन करते हैं तथा असंतोष व्यक्त करते हैं। आसाम में भी यही हुआ है।

इस बजट में 163 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में रखा गया है। ज्ञात नहीं यह निर्धारण किस कसौटी के आधार पर किया गया है। राज्य से राज्य, जिले से जिले और समुदायों से समुदायों में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता को दूर किये बिना हम समाजवाद नहीं ला सकते हैं।

यह सच है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाई गई तथा उस पर धनराशि भी खर्च की गई। मैंने लगभग सभी आदिवासी खण्डों का दौरा किया है। जब से आदिवासी ब्लाक बनाए गए हैं तब से आदिवासियों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है तथा वे एक स्थान की बजाय अलग अलग बिखर गये हैं। आदिवासी ब्लाकों और क्षेत्रों में स्कूल खोले गये हैं किन्तु या तो उनमें छात्र ही नहीं हैं अथवा उनमें केवल गैर-अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र ही पढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों में आदिवासियों के नाम पर स्कूल खोले गये हैं तथा काफी धनराशि खर्च की गई है किन्तु वास्तव में उन व्यक्तियों को उन से कोई लाभ नही हुआ है।

मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में बताया है कि आदिवासी ब्लाकों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था की जा रही है। वास्तविकता यह है कि मकान के नाम पर एक-एक कमरे में चार-चार परिवारों को जानवरों की तरह ठूंसा जा रहा है। मुझे प्रत्येक राज्य के आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति का पता है।

भिलाई आदि परियोजनाओं की स्थापना के नाम पर आदिवासियों को उनके मकानों और झोपड़ियों से निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती। हम इन गरीब लोगों की समस्याओं के बारे में बार-बार उल्लेख करते हैं किन्तु उनके लिये कुछ नहीं किया जाता।

रांची का दौरा करने पर मुझे पता चला कि वहां लाखों आदिवासियों को उनके मकानों से निकाल दिया गया है। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते हैं। सड़कों और रेलों के निर्माण के बारे में केवल तभी कदम उठाए जाते हैं जब युद्ध आरम्भ हो जाता है। उसके बाद इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार की यह नीति भी दोष पूर्ण कि आंदोलन होने के बाद ही किसी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हू कि आँध्र प्रदेश को विभाजित न किया जाए। मैंने आरम्भ से ही विभाजन का विरोध किया है। नागालैंड और मेघालय के बारे में भी मैंने विरोध किया था, यदि सरकार विभाजन को नहीं रोकेगी तो सभी राज्यों में इस प्रकार की मांगे उठती रहेंगी।

मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूं कि सांविधिक समितियों की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए तथा उक्त समितियों में विपक्षी दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये जिससे वे सदन में वास्तविकता का उल्लेख करें। मंत्रियों को नौकरशाहों के भुलाव में भी नहीं आना चाहिये जैसा कि प्रायः किया जाता है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : क्या माननीय सदस्य ने एक कमरे में तीन चार परिवारों को रहते है अथवा एक ही परिवार के तीन चार सदस्यों को रहते देखा है ?

ऐसा केवल अनुसूचित जातियों के लिये नहीं है। मैंने जनजाति क्षेत्रों का भी दौरा किया था। वहां मैंने देखा कि बहुत से सुन्दर मकानों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या धन राशि का उचित उपयोग किया जाता है।

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad) : The Government is facing grave drought situation in the country. The Government should take immediate action in this regard. Our's is an agricultural country so the Government should pay more attention towards agricultural problems.

(श्री के०एन० तिवारी पीठासीन हुए)
(Shri K. N. **Tiwari** *in the chair*)

Situation in Andhra Pradesh is very critical due to agitation there. The Government should give preference for agricultural development in the country.

Imposing of tax on agricultural income is praiseworthy. Persons engaged in agriculture should also give assistance for developing the country. The Government should provide water, power and fertilizer to the agriculturists and then only the tax on agriculturists income can be justified. The Government should introduce crops insurance scheme for the farmers. The farmers should not be harassed unnecessarily.

The Government should make more provision for irrigation in the country. It has not been done so far. The Government should pay proper attention to this matter. National water grid is necessary to avoid water shortage. Thousands of unemployed engineers will get employment as a result of it. Preference should be given to small irrigation schemes. 150 crore rupees sanctioned for these schemes are not sufficient. The Government should adopt uniform policy for remunerative schemes.

The underground water is available in sufficient quantity in the country. It should be utilized by providing more rigs. The rigs should be imported in case of necessity. Irrigation schemes should be implemented on war footing in the country. We are losing ten lakh rupees every day due to Naveda river dispute. The Government should make efforts to settle these river disputes for ever and quickly.

The power crisis is very serious this year. The production of power is very little this year The provision for power production has been raised from Rs. 88 crores to Rs. 115 crores. The main reason of shortage of power is that 45 percent power in our country is produced by hydel.

We mainly depend on monsoon for water and so we have to face the difficulties.

Andhra needs 9?0 magawatt of electricity whereas its generating capacity is 600 magawatt. There are no centrally sponsored schemes for Andhra Pradesh. The Centre should prepare power schemes for Andhra. The Centre should provide more money for implementing schemes in Andhra. There is a necessity of manufacturing a national power grid in Andhra.

All our schemes fail in case we do not adopt family planning.

It is not proper to reduce the amount provided for the development of tourism.

There should be check on unaccountable money. The unaccountable money should be made accountable by charging 30 to 50 percent income tax. The money collected in this way should be invested on development plans.

The road transport in Andhra is going at a loss after nationalization. The schemes should be so prepared that the country may get the maximum benefit. The burden on taxpayer should not be further increased. It is no use of criticising Tata's and Birla's all the time. We should try to get their sympathy.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : गत वर्ष देश के लिये बहुत कठिनाई का वर्ष था। गत वर्ष हमें भारत पाकिस्तान युद्ध और बगला देश से आये 10 लाख शरणार्थियों का भार सहना पडा। देश के चार बड़े राज्य भी सूखा प्रभावित हुए। इन परिस्थितियों में इस से अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था।

स्वभावतया बजट का मुख्य उद्देश्य विकास है। लेकिन यह विकास स्थायित्व और सामाजिक न्याय को दृष्टि में रख कर किया जाना चाहिए। विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने इस वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत केन्द्र और संघ शासित क्षेत्रों के लिये 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे विकास पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बुनियादी कार्यों और कुछ परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये 150 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

बचत को बढ़ावा देने के लिये माननीय मंत्री ने अनेक प्रोत्साहक व्यवस्थाएं की हैं। कुछ चुने हुए उद्योगों में मशीन और संयंत्र के मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर मूल्यह्रास देने वाले उपबन्ध से इन उद्योगों को इनके विकास के प्रारम्भिक वर्षों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

बजट में विज्ञान उद्योगों के लिये और तकनीक की व्यवस्था के लिये धनराशि का उपबन्ध किया जाना चाहिये था। अनेक मामलों में मशीनें पुरानी हैं और उत्पादन का तरीका पुराना है और उनके नवीकरण के लिये मालिकों और मैनेजरों ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी कारण सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लिया गया है।

बजट में सबसे अधिक ध्यान विकास की ओर दिया गया है। लेकिन यह विकास सामाजिक न्याय संगत होना चाहिये। अतः इस बारे में कई उपबन्ध किये गये हैं जैसे ब्याज की विभिन्न दरों की योजनाएं जोकि छोटे किसानों की विकास एजेन्सी सीमान्त किसानों की विकास एजेन्सी तथा श्रम योजनाएं आदि पर लागू की जायेंगी।

दूसरे, शिक्षित लोगों के रोजगार के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि समस्या की गहनता की तुलना में बहुत कम व्यवस्था की गई है पर यदि उसका पूरा पूरा उपयोग किया गया तो हम उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ेंगे। तीसरे वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वित्त मंत्री के कथन पूरे जोर के अनुसार पूरे जोर शोर से चल रहा है और इससे निश्चय ही सामाजिक अन्याय के कारणों का निराकरण होगा।

कुछ लोगों का यह कहना सर्वथा गलत है कि बजट में घाटा 550 करोड़ रुपये के बजाय 1,450 करोड़ रुपये का है। इस में केन्द्र द्वारा सरकारों से जमा से अधिक लेने की राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पिछले तीन वर्ष से इकट्ठे हो रहे हैं।

बजट में खाद्य वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया गया है। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि नए करों से कीमतें 15 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मैं यह मानता हूं कि नई फसल के आने तक यह समस्या बनी रहेगी, इसके अतिरिक्त वेतन आयोग का भार भी है, खाद्यान्नों का थोक व्यापार हाथ लेने के लिए भी रुपया चाहिए। अतः यदि फसल ठीक होती है तथा औद्योगिक उत्पादन की गति बनी रहती हैं तो मुझे विश्वास है कि मूल्य वृद्धि की इस प्रवृत्ति पर काफी असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि यदि वर्षा ठीक हुई तो हम 1970 71 की तुलना में इस वर्ष अधिक उत्पादन कर पाएंगे।

आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य के बजट में ध्यान में रखा गया है और अधिकतर कर सदृढ़ लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर ही लगाए गये हैं। इसके अतिरिक्त कर बचाने के अवसरों को कम करने का भी प्रयत्न किया गया है। जब कि गरीब लोगों को कर से सर्वथा बरी कर दिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलों अनुसंधान आदि के लिए बजट में विशेष व्यवस्था करना एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। सामाजिक विज्ञान के अनुसधान के लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गई है। वह की जानी चाहिए, जिससे कि यह पता चल सके कि हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या किस सीमा तक है और इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

Shri Nathu Ram Ahirvar (Tikamgarh) : During the last four years country had to face many difficulties like Indo-Pak war, Bangla Desh refugee exhodus famine etc., resulting in the scarecity of essential things and increase in prices. Due to paucity of raw materials private as well as public sector units were not able to produce according to their capacity. Not duly this political parties also exploited the situation and as such all the industries went into loss.

The farmers are getting very low price of their produce when the prices of fertilizer's steel etc. required for agricultural purposes have some upto a great extent. As a result of this farmers are growing more cash crops. Nothing worth mentioning have been done regarding land reforms. All sorts of tactics are being used to evade the land reforms Acts. Government should ask the Chief Ministers to give land to landless farmers.

Arrangements for giving loans to the farmers who are owning less than five acres of land should be made, so that they may improve their conditions. Otherwise it is not possible for them to dig wells in their land.

Too much is said about socialism but nothing is being done in that direction. The poor persons are being fired heavily on putting a hut on the Government land in the absence of any land of their own. They are not getting land for housing purposes. They should be given that much of land.

There is great shortage of power. Big projects are made and no attentions is being paid to small projects,

There are disputes regarding rivers of the Madhya Pradesh having their origin in Vidhyachal. Government should, therefore, give more attention to the backward area and this should be decided on national level. The irrigation projects of Madhya Pradesh should be completed as early as possible,

Shri M. C. Daga (Pali) : Rs. 150 crores have been put for rural development, no break up of this has been given. We should have clear idea that how much will be spent in each state.

Since 1950 I am hearing that there will be forests on 33 percent land. But I see that the forests are decreasing gradually even after we have spent crores of rupees on them. Therefore, I will suggest that before having full programme Government should not start any scheme.

Government give money no enquiry is made regarding the project that whether the money have been properly utilised or not.

We are ready to eccept the deficit budget. But we would like to know whether Government ever tr ed to find out that how much work has been done by an officer or Chief Engineer, and whether any of them have been punished for not doing his duty properly ? The pay of government employees is increasing, but no body is doing his work honestly. There is no check on the conduct of the employees and the result is that every where there is mismanagement and disorder. Nothing is being done properly. Previously it was not so.

The problem of famine stricken areas of Rajasthan should be taken at national veell.

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 13 मार्च 1973/22 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, March 13, 1973/ Phalguna 22, 1894 (Saka).

Sumer Printing Press, New Delhi-18